बुन्देलखण्ड की आर्थिक समस्याएँ एवं उनका समाधान -एक समीक्षात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
को अर्थशास्त्र विषय में पी-एच.डी
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक
डॉ0 के.पी. गुप्ता
से.नि. रीडर एवं अध्यक्ष
अर्थशास्त्र विभाग
डी.वी. (पी.जी.) कालेज,
उरई जालौन

शोधार्थिनी
सीता गुप्ता

दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उरई (जालौन), उ0प्र0 285001

2010

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीता गुप्ता ने ''**बुन्देलखण्ड की आर्थिक समस्यायें एवं उनका समाधान–एक समीक्षात्मक अध्ययन**'' विषय पर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पी–एच0डी0 उपाधि हेतु निर्धारित नियमानुसार मेरे निर्देशन में लिखा है। यह शोध प्रबन्ध सीता गुप्ता के स्वयं के शोध कार्य पर आधारित है और उनकी मौलिक कृति है।

सीता गुप्ता ने निर्धारित नियमों के अनुसार वांछित अवधि 24 माह से अधिक समय उपस्थित रहकर मेरा निर्देशन प्राप्त किया है और मेरे अभिमत में यह शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पी–एच0डी0 उपाधि हेतु निर्धारित अध्यादेश की अनिवार्यताओं की सम्पूर्ति करता है।

22/2/10

(डॉ0 के0पी0 गुप्ता)

सेवानिवृत्त, रीडर एवं अध्यक्ष

अर्थशास्त्र विभाग

डी0वी0 कालेज, उरई

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत शोध कार्य मैंने डॉ० के०पी० गुप्ता के निर्देशन में किया है। शोध प्रबन्ध की सामग्री मौलिक है तथा सम्पूर्ण लेखन स्वतंत्र रूप से स्वयं के द्वारा किया गया है। इसमें प्रयुक्त तथ्यों एवं समंकों का संकलन मैंने स्वयं किया है तथा तथ्यों पर आधारित आरेखों की रचना भी मैंने स्वयं की है।

मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार इस शोध प्रबन्ध का कोई भाग ऐसा नहीं है, जो शोध उपाधि प्रदान हेतु इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय/सह–विश्वविद्यालय में उचित दृष्टान्त में प्रस्तुत किया गया है।

सीता गुप्ता

(सीता गुप्ता)

आभार

प्रत्येक राष्ट्र अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास करना चाहता है, किन्तु आर्थिक नियोजन की विभिन्न योजनाओं को तैयार करने एवं उनके कार्यान्वयन में अनेक कमियाँ रह जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास का लाभ देश एवं प्रदेश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से नहीं मिल पाता है। संयोगवश विगत दस पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के उपरान्त भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि आर्थिक विकास के यहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मैंने **''बुन्देलखण्ड की आर्थिक समस्यायें एवं उनका समाधान–एक समीक्षात्मक अध्ययन''** विषय शोध प्रबन्ध हेतु चयन किया।

मूलरूप से इस शोध कार्य के प्रेरणास्रोत मेरे निर्देशक डॉ0 के0पी0 गुप्ता है। इस क्षेत्र में उनके विस्तृत अनुभव एवं विद्वता रूपी रश्मियों से मेरा पथ आलोकित हुआ, जिसके लिए मैं उनकी सदैव ऋणी रहूँगी। इसी क्रम में डी0वी0 कालेज, उरई के विभागाध्यक्ष डॉ0 शरद जी श्रीवास्तव और इस शोध कार्य के प्रेरणास्रोत डॉ0 पी0एस0 गुप्ता के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनकी प्रेरणा के परिणामस्वरूप आज मैं इस शोध यात्रा को पूरी कर सकी। मैं अपने माता–पिता के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ में अपने सास–ससुर का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अथक सहयोग एतं आर्शीवाद के कारण मैं इस लायक बनी। अन्त में, मैं अपने पति श्री राकेश कुमार गुप्त के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे शोध कार्य हेतु प्रोत्साहन, सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया।

अन्त में, मैं आशा करती हूँ कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत जो विषय सामग्री एवं तथ्यों का संकलन किया गया है तथा उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वे भविष्य में प्रशासकों, अर्थवेत्ताओं एवं अन्य सभी जिज्ञासुओं के लिए, जो ग्रामीण समस्याओं में गहरी रुचि रखते हैं, के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तथा अपनी आर्थिक उन्नति हेतु नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करता है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। हमारे देश में आयोजन के 58 वर्षों के बाद भी कई क्षेत्रों में आर्थिक समानतायें नहीं लाई जा सकी हैं। इनमें कहीं–कहीं भारी विषमतायें व्याप्त हैं। कुछ क्षेत्रों में विकास की किरण तक नहीं पहुँची है। ऐसा प्रतीत होता है कि विकास एवं प्रगति रूपी जो दीप हमने जलाया है, वह मात्र दूर से ही ज्योतित है, पास के क्षेत्रों में अभी तक अंधेरा ही अंधेरा है, वैसे ही जैसे दीपक तले अंधेरा होता है।

हमारे देश में एक ऐसा ही क्षेत्र है–बुन्देलखण्ड। ऐतिहासिक तथा विभिन्न सांस्कृतिक–सामाजिक गरिमा से परिपूर्ण यह क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं जलापूर्ति आदि सुविधाओं की उपलब्धता की दृष्टि से देश एवं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी पीछे है। वास्तव में संतुलित विकास बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ही नहीं अपितु पूरे देश की समस्या है। इसीलिए विद्वानों ने क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में बहुत कुछ कहा, समझा एवं विश्लेषण किया है। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने भी अपने शोध प्रबन्ध हेतु ''बुन्देलखण्ड की आर्थिक समस्यायें एवं समाधान'' विषय का चयन किया।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना है, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं–

1. स्वतंत्रोपरांत योजनाकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास की समीक्षा करना।

2. राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड को दिये जाने वाले अनुदान एवं सहायता राशि का मूल्यांकन करना।

3. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास का उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान स्थिति का अवलोकन करना।

5. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं (बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, यातायात के साधन, अस्पताल आदि) का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

6. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति का मूल्यांकन करना।

7. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार सुविधाओं की व्याख्या करना।

8. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधनों की स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन।

9. बुन्देलखण्ड की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

10. चयनित क्षेत्र के भावी आर्थिक विकास की पर्याप्त संभावनायें विद्यमान है।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में विश्लेषणात्मक पद्यति का प्रयोग किया गया है। यह शोध प्रमुख रूप से द्वितीय समंकों पर आधारित है जिनके संकलन के लिए बुन्देलखण्ड के सभी जिलों के सांख्यिकी कार्यालयों से समंक संकलित किये गये। समंक संकलन हेतु जिला सांख्यिकी पत्रिका उ0प्र0 (सूचना प्रसारण मंत्रालय लखनऊ से प्रसारित) विभिन्न शासनादेशों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का भी आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति तथा विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास की

भावी संभावनाओं का पता लगाया जायेगा तथा क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न साधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं भावी विकास हेतु अपेक्षित सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

शोध अध्ययन का क्षेत्र :

शोध कार्य के क्षेत्र के रूप में उ0प्र0 के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड को लिया गया है, जिसके अन्तर्गत जनपद झाँसी, जालौन, ललितपुर, बाँदा, महोबा, हमीरपुर व चित्रकूट शामिल किये गये हैं। उ0प्र0 का यह क्षेत्र रोजगार उत्पादन, आय, चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यहाँ वर्ष में एक या कुछ भाग में दो फसलें पैदा होती हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की उत्पादकता अत्यन्त कम है। उद्योगों का अभाव होने के कारण यहाँ बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है। लोगों को आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। उक्त परिस्थितियों के संज्ञान में तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास की महती आवश्यकता के संदर्भ में अध्ययन के लिए बुन्देलखण्ड की आर्थिक समस्याओं और उनके समाधान विषय को अध्ययन के रूप में चुना गया।

अध्ययन की परिकल्पना :

प्रस्तुत शोध कार्य करने से पूर्व उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनायें अनुमानित की गई थी–

1. योजनाकाल के दौरान बुन्देलखण्ड का विकास उ0प्र0 में तुलनात्मक रूप से कम हुआ है।
2. राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सम्पूर्ण आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।
3. बुन्देलखण्ड के विकास हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है।
4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हुआ है।

5. इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो सका है।

6. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं (बिजली, पानी, चिकित्सा, परिवहन आदि) का अभाव है।

7. औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से देश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है।

8. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की ओर जन प्रतिनिधियों की भी सदैव अरुचि रही है, जिसके फलस्वरूप समुचित विकास कार्य नहीं हो सके हैं।

9. उ0प्र0 के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई व औद्योगीकरण के अभाव के कारण रोजगार के अवसरों का सदैव अभाव रहा है।

क्षेत्रीय असमानताएँ जब तक दूर नहीं होगी, तब तक सरकार का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। सरकार को यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि केवल योजनाओं का निर्माण ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु इस हेतु सतर्क, जागरूक दृष्टि, कठोर परिश्रम, जनसहमति एवं वास्तविक लगन चाहिए। सरकारी अफसर अभी भी वातानुकूलित कमरों में बैठकर योजनायें बनाते हैं, उन्हें धूप में जलते हुए किसानों की समस्यायें कैसे छू सकती हैं, जब टेरीकॉट एवं खादी के साफ धुले कपड़े हो, तो नंगे बदन जाड़े का दुःख का पता कैसे चले? कहने का आशय यह है कि केवल बड़े शहरों या पूर्व से ही विकसित मैदानी भू–भाग को और पुष्पित पल्लवित करने से काम नहीं चलेगा। हमें ग्रामों, पहाड़ी, रेतीली, अंचलों का भी पूर्ण विकास करना होगा। लाखों लोगों को रोजगार, कपड़ा, मकान देना होगा, तभी तो हम योजना के माध्यम से आर्थिक कल्याण कर सकेंगे एवं योजना को सफल बना सकेंगे।

प्रथम अध्याय

क्षेत्रीय आर्थिक विकास की अवधारणा एवं महत्व

अतीतकाल से लेकर वर्तमानकाल तक विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक विकास की समस्या एक ज्वलन्त समस्या रही है और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास प्रत्येक देश द्वारा किया जाता रहा है एवं अनेक प्रकार के आर्थिक विकास के मॉडलों का प्रयोग किया गया तथापि विश्व के आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा के कारण और पिछड़ते गये।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विकास न केवल किसी एक राष्ट्र का मुद्दा रह गया, वरन् वह सभी राष्ट्रों के लिए चिन्ता का विषय बन गया क्योंकि एक निर्धन राष्ट्र विकसित राष्ट्र की शान्ति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विकसित राष्ट्रों ने विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए अपने निजी संसाधनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता करने का संकल्प लिया और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि संस्थाओं की स्थापना की गयी।

1991 में गैट द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप उदारीकरण एवं निजीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ और मुक्त व्यापार की नीति के तहत् तीव्र प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिला। ये परिस्थितियाँ विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए दुधारू तलवार के सदृश्य है, क्योंकि एक ओर तो इन्हें अपने उत्पादित माल की खपत के लिए सम्पूर्ण विश्व का बाजार सुलभ होता है, वहीं दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों की कटु प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। अतः विकास के साथ–साथ दक्षता एवं गुणवत्ता जैसे पहलुओं का समावेश भी आर्थिक विकास की स्ट्रेटेजी बनाते समय ध्यान में रखना होगा।

आज जबकि सम्पूर्ण विश्व में मन्दी की भयावह समस्या विद्यमान है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्वर्णिम अवसर भी है कि उत्पादकता एवं

गुणवत्ता को बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को त्वरित किया जाये और देश में संरचनात्मक एवं अवस्थापनात्मक ढाँचे को सुदृढ़ किया जाये, जिससे राष्ट्र एक लम्बे समय तक विकास की निरन्तरता को बनाये रख सके और मन्दी की मार से भी अर्थव्यवस्था को बचाने में समर्थ हो। यह सुखद संयोग है कि वर्तमान में भारत में आर्थिक विकास की दर योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर डी0 सुब्बाराव के अनुसार 7 एवं 8 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन अत्याधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध समस्त संसाधनों यथा– प्राकृतिक, मानवीय, पूँजी एवं संस्थागत संसाधनों आदि का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

आर्थिक विकास :

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् से विश्व के अधिकांश पिछड़े देशों में आर्थिक विकास के लिए प्रतियोगिता छिड़ी हुई है. या यूँ कहें कि अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि के लिए विश्व की महाशक्तियों के बीच एक प्रतियोगिता छिड़ी है। पिछली शताब्दी के पाँचवें दशक में और विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद ही विकसित व अल्प विकसित देशों की समस्याओं के विश्लेषण की ओर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की ओर ध्यान देना आरम्भ किया गया और आज तो अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के प्रति वह जागरूकता उत्पन्न हो चुकी है कि विकास एक युग–नारा बन चुका है।[1]

विकसित राष्ट्र विकासशील तथा पिछड़े राष्ट्रों की सहायता के लिए एकाएक ही सहानुभूति से उमड़ पड़े हों, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश महायुद्ध के बाद ऐसा विशेष रूप से महसूस करने लगे थे कि– ''किसी एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक दूसरे स्थान की समृद्धि के लिए

---

1. मिर्डल गुन्नार – ''एकोनॉमिक थ्योरी एण्ड अण्डर डेवेलपमेंट रीजन'', पृ011–14

खतरा हो सकती है।"[1] एशिया तथा अफ्रीका में राजनीतिक पुनरुत्थान की जो लहर फैली, उसने भी विकसित देशों को यह महसूस करने के लिए बाध्य किया। परिणामस्वरूप वे अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहयोग देने की दिशा में प्रतियोगी हो उठे।

इसमें सन्देह नहीं कि अल्पविकसित देशों में व्याप्त गरीबी को दूर करने में धनिक राष्ट्रों की रुचि कुछ हद तक मानवतावादी उद्देश्य से भी प्रेरित है, लेकिन मूलरूप से और प्रधानतया प्रेरणा स्रोत प्रभाव क्षेत्र के विस्तार की प्रतिस्पर्धा ही है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास की व्याख्या करते समय आर्थिक विकास की अवधारणा स्पष्ट होना चाहिए, जैसाकि मेयर तथा बाल्डविन ने कहा है कि– "राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की अधिक आवश्यकता है।"[2]

आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एक नहीं वरन् सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की निर्धनता को दूर करके जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। आर्थिक विकास द्वारा देश के प्राकृतिक और अन्य साधनों का समुचित उपयोग करके अर्थव्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले जाया जा सकता है।

मेयर तथा बाल्डविन के अनुसार– "आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।"

आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक राशियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होती है। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध साधनों की माँग और उनकी पूर्ति में परिवर्तन से है। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अन्तर्गत जनसंख्या में, अतिरिक्त साधनों का पता, पूँजी का संचालन, उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अन्य संस्थागत परिवर्तन सम्मिलित हैं। साधनों की पूर्ति

---

1. मेयर एण्ड वाल्डविन – "एकोनॉमिक डेवेलपमें थ्योरी, हिस्ट्री पॉलिसी", पृ012
2. मेयर एण्ड वाल्डविन – "एकोनॉमिक डेवेलपमें रीजन", पृ012

publisher ?

में परिवर्तन के साथ ही साथ उनकी माँग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आय स्तर तथा उनके वितरण के स्वरूप में परिवर्तन उपभोक्ताओं के अधिमान में परिवर्तन, अन्य संस्थागत तथा संगठनात्मक परिवर्तन माँग के स्वरूप में परिवर्तन के उदाहरण हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप माँग और पूर्ति के स्वरूप में कई परिवर्तन होते हैं, किन्तु ये परिवर्तन आर्थिक विकास के कारण तथा परिणाम दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की सीमा आर्थिक विकास की गति पर निर्भर करती है।

आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही है।[1] वास्तविक राष्ट्रीय आय का आशय मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से है। इसका अर्थ देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग के समायोजित मूल्य से है। मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रकट होने वाली राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास नहीं कहलाती है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन वस्तुतः निरन्तर बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम निश्चित वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके पश्चात् इस राशि को किसी आधार वर्ष के मूल्य स्तर के संदर्भ में समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास मापने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न की जाने वाली समस्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इसे उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों व यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनमें मूल्य ह्रास या घिसावट होती है, जिनका प्रतिस्थापन आवश्यक है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास राशि निकाल देने के पश्चात् शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचता है। आर्थिक विकास में मूल्य स्तर में हुए परिवर्तन के लिए समायोजित इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पर वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए।

---

1. ओकन एण्ड रिचर्ड्स – ''स्टडीज इन इकोनॉमिक डेवेलपमेंट'', पृ0120

आर्थिक विकास का सम्बन्ध दीर्घकाल से है। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में दीर्घकाल तक वृद्धि हो। आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए।

प्रो0 लेविस के अनुसार – "आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है।"[1]

प्रो0 विलियम्स के अनुसार – "आर्थिक विकास या वृद्धि से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश के लोग उपलब्ध साधनों का प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं।"[2]

अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की उपर्युक्त परिभाषाओं को सम्पूर्ण मानते हैं। वास्तव में उपर्युक्त परिभाषाएँ आर्थिक प्रगति को स्पष्ट करती हैं, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक प्रगति से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास में उपरोक्त आर्थिक प्रगति के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही नहीं है। यह सम्भव है कि प्रति व्यक्ति उपभोग कम हो रहा हो। जनता बढ़ी हुई आय में से अधिक बचत कर रही हो या सरकार इस बढ़ी हुई आय का एक बड़ा भाग स्वयं सैनिक कार्यों पर व्यय कर रही हो। ऐसी दशा में राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन स्तर ऊँचा नहीं होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी संभव है, अधिकांश जनता निर्धन रह जाये और उसके जीवन स्तर में कोई सुधार न हो, क्योंकि बढ़ी हुई आय का अधिकांश भाग विशाल निर्धन वर्ग के पास जाने की अपेक्षा सीमित धनिक वर्ग के पास चला जाये। अतः कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार– आर्थिक विकास में धन के अधिक उत्पादन के साथ–साथ उनका न्यायोचित वितरण भी होना चाहिए। इस

1. लेविस डब्ल्यू. ए. – "दी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ", पृ0 10
2. विलियम्स एंड वाट्रिक – "प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रोबलम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवेलपमेंट", पृ0 6

प्रकार कुछ विचारक आर्थिक विकास के साथ कल्याण का भी सम्बन्ध जोड़ते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास पर विचार करते समय न केवल इस बात पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि कितना उत्पादन किया जा रहा है अपितु इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार उत्पादन किया जा रहा है।

अतः आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, जनता के जीवन स्तर में सुधार, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि, देशवासियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा मानव विकास से है। विकास को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों में देखा जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में दी गई आर्थिक विकास की यह परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त है। मानव विकास भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उनके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी सम्बन्धित है। अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है, वरन् आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।[1]

भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया :

भारत एक अर्द्धविकसित देश है क्योंकि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है, जिसमें विकास की पर्याप्त संभावनायें हैं। हमारे देश में विद्यमान प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान तथा उपक्रम के इन साधनों पर उपयोग नहीं किये जाने के कारण अधिकांश क्षेत्र अविकसित दशा में ही हैं, पर इनके विकास की पर्याप्त संभावनायें हैं। हमारा देश इस समय आर्थिक विकास का प्रयत्न कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हम इसको विकासशील देश भी कह सकते हैं।

भारत में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में है, किन्तु पूँजी तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव में तथा अन्य कारणों से इन साधनों का देश के विकास के लिए पर्याप्त तथा उचित विदोहन नहीं किया गया। भारत में खनिज तथा शक्ति संसाधनों की पर्याप्तता तो है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उनका विदोहन नहीं हो पाया है।

---

1. मेहता, जे.के. – ''इकोनॉमिक ग्रोथ'', पृ0 47

ठीक इसी प्रकार भारत में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव है। यद्यपि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो यत्र–तत्र स्थापित होने लगते हैं, किन्तु आधारभूत उद्योगों, जैसे– मशीन, यंत्र, स्पात आदि उद्योगों का लगभग अभाव रहता है और शेष उद्योगों के लिए भी मशीन आदि के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

भारत की अर्थव्यवस्थाएँ पूँजी में निर्धन और कम बचत और विनियोग करने वाली होती हैं। देश के साधनों के उचित उपयोग नहीं होने और साधनों के अविकसित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साधनों का सृजन नहीं हो पाता और साथ ही उसी कारण वहाँ की पूँजी की मात्रा वर्तमान तकनीकी ज्ञान के स्तर पर साधनों के उपयोग और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं से बहुत कम होती है।

भारत में बेरोजगारी तथा अर्द्ध–बेरोजगारी एक भीषण समस्या है। वावर एवं यामे के अनुसार– ''अकुशल श्रमिकों की व्यापक बेरोजगारी तथा अर्द्ध–बेरोजगारी पिछड़ी हुई आवश्यकताओं की एक उल्लेखनीय विशेषता होती है। कई व्यक्ति अनियोजित या अर्द्ध–नियोजित केवल इसलिए नहीं होते हैं कि वे कार्य करना पसन्द नहीं करते, बल्कि इसलिए कि उन्हें कार्य में लगाने के लिए आवश्यक सहयोगी उत्पादन के साधन अपर्याप्त होते हैं।'' भारत में भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी होती है, वहाँ अदृश्य बेरोजगारी भी होती है, इसका आशय है भूमि पर आवश्यकता से अधिक मनुष्य कार्यरत रहते हैं।

भारत में व्यापक रूप से धन तथा आय की विषमता तथा उन्नति के अवसरों की असमानता पायी जाती है। देश की अधिकांश सम्पत्ति, आय तथा उत्पत्ति के साधनों पर एक छोटे से समृद्ध वर्ग का अधिकार होता है, जबकि देश के बहुत बड़े निर्धन वर्ग को आय का थोड़ा सा भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रगति के अवसर भी योग्यता की अपेक्षा जाति तथा आर्थिक क्षमता पर निर्भर करते हैं। धनिक वर्ग में बचत क्षमता अधिक होती है, जिसके द्वारा और अधिक धन

कमाने के साधन उनके हाथों में आते हैं। निर्धन वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों जैसे– सामाजिक सुरक्षा, समाज सेवाओं, श्रम–संघों, प्रगतिशील करारोपण आदि संस्थाएँ अधिक विकसित नहीं होती है। परिणाम स्वरूप हमारे देश में धनी देशों की अपेक्षा व्यापक आर्थिक विषमता अधिक पायी जाती है।

क्षेत्रीय आर्थिक विकास का अर्थ :

क्षेत्रीय विकास का अर्थ देश के क्षेत्रों का समान विकास नहीं है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि किसी देश की क्षमताओं के अनुसार उसकी संभाव्यताओं का पूर्णतम् विकास ताकि सभी क्षेत्रों के निवासी समग्र आर्थिक वृद्धि के लाभ उठा सकें। क्षेत्रीय विकास का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक राज्य के औद्योगिकीकरण का स्तर समान या आर्थिक ढाँचा एक जैसा हो, अपितु इसका अर्थ है कि आर्थिक रूप से जहाँ तक संभव हो, वहाँ तक उद्योग के पिछड़े हुए क्षेत्रा में दूर–दूर विसरण करना, अन्ततः लक्ष्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाकर उन्नत देशों के लोगों के जीवन स्तरों तक ले जायें, चाहे ऐसा कृषि, उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के विकास के माध्यम से किया जाये। ममफोर्ड के अनुसार यह ''निवास योग्यता बढ़ाने की समस्या है– सामाजिक एवं आर्थिक नवीकरण की समस्या है।''

Ref

क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता :

अल्पविकसित देशों में निम्नलिखित कारणों से क्षेत्रीय विकास नितान्त आवश्यक है–

1. अति–निर्यात प्रभाव न्यूनतम् बनाने के लिए –

अल्पविकसित देशों की विशिष्टता यह है कि वहाँ आय तथा रोजगार में क्षेत्रीय असमानताओं का प्रमुख अन्तर विद्यमान रहता है। प्रो0 मिर्डल के अनुसार, इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं में क्षेत्रीय असमानताओं का प्रमुख कारण प्रबल अति–निर्यात प्रभाव एवं दुर्बल प्रसरण प्रभाव रहे हैं। क्षेत्रीय असमानताओं की उत्पत्ति का आधार आर्थिकेतर है, जो लाभ के उद्देश्य से चालित पूँजीवादी व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। लाभ उद्देश्य के परिणामस्वरूप उन प्रदेशों का

विकास होता है, जहाँ लाभ की संभावनाएँ अधिक होती हैं। जबकि अन्य प्रदेश अल्पविकसित रह जाते हैं। मिर्डल ने बाजार शक्तियों की स्वतंत्र क्रीड़ा को इस घटनावृत्त के लिए उत्तरदायी माना है।

2. अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास करने के लिए –

अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास के लिए क्षेत्रीय विकास आवश्यक है, क्योंकि समस्त अर्थव्यवस्था की प्रगति सभी खेत्रों के उनकी साधन सम्पन्नताओं के अनुरूप विकास पर निर्भर करती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि– "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति विभिन्न देशों द्वारा उपलब्ध वृद्धि की दर में प्रकट होती है और आगे क्षेत्रों में साधनों का पहले से अधिक विकास समस्त देश की गति दर त्वरित करने में योगदान देगा।"

3. अर्थव्यवस्था के निर्वहन विकास करने के लिए –

क्षेत्रीय विकास अर्थव्यवस्था के निर्वहन विकास में सहायक होता है। यदि सभी प्रदेश, समान रूप से विकसित हो, तो वे परस्पर एक–दूसरे के लिए सहायक हो सकते हैं। पर, यदि क्षेत्रीय असमानताएँ विद्यमान हों, तो पिछड़े क्षेत्रों में आय के निम्न स्तर विकसित प्रदेशों के विकास को परिमन्दित कर देंगे। क्योंकि विकसित क्षेत्रों के उत्पादनों के लिए पर्याप्त माँग नहीं होगी और फिर क्षेत्रीय विकास, परिवहन एवं पूर्ति की अड़चनें भी बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था के भीतर की स्फीतिकारी दबावों को घटाता है।

4. साधनों के विकास और संरक्षण के लिए –

प्रत्येक प्रदेश का क्षेत्रीय विकास उसके साधनों का अधिकतम विकास करने में सहायक होता है। डॉ0 आर0 बालकृष्ण के शब्दों में, "क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उपलब्ध साधनों के उपयोग में अधिकतम् दक्षता प्राप्त की जाये।"[1]

---

1. रीजनल प्लानिंग इन इण्डिया, पृ0 73

5. राजनैतिक स्थिरता बनाये रखने के लिए –

देश में राजनैतिक स्थिरता बनाये रखने के लिए भी क्षेत्रीय विकास की जरूरत है। यदि आय तथा धन में क्षेत्रीय भेद विद्यमान हो, तो वे राष्ट्रीय संगठन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

6. देश की सुरक्षा के लिए –

विदेशी आक्रमण से देश के उचित बचाव के लिए भी क्षेत्रीय विकास जरूरी है। यदि सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित हों और उद्योग दूर–दूर तक फैले हों तो देश अपने युद्ध प्रयत्नों को बाधित किये बिना सब हवाई हमलों का मुकाबला कर सकता है। दूसरी ओर, यदि कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ है और उनसे ही उद्योग संकेन्द्रित हैं, तो शत्रु द्वारा उनके नष्ट कर दिये जाने पर समस्त अर्थव्यवस्था ठप्प हो जायेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा एवं बचाव के लिए संतुलित प्रादेशिक क्षेत्रीय विकास आवश्यक है।

7. सामाजिक बुराइयों पर काबू पाने के लिए –

बड़े कस्बों तथा शहरों में उद्योगों के केन्द्रीयकरण से सम्बद्ध सामाजिक बुराईयों पर काबू पाने में क्षेत्रीय विकास सहायक है। इस तरह के औद्योगिक केन्द्रों में बहुत भीड़–भाड़ और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य एवं दक्षता को हानि पहुँचाता है, क्योंकि वहाँ निर्वाह व्यय अधिक होता है, इसलिए इस तरह के केन्द्र दरिद्रता को पोषित करते हैं और जनसाधारण में असन्तोष बढ़ाते हैं। अतः सामाजिक बुराईयों से बचने के लिए क्षेत्रीय विकास की जरूरत रहती है।

8. रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने तथा उपलब्ध कराने के लिए –

अल्प विकसित देशों में क्षेत्रीय असमानताओं से आय, रोजगार तथा उत्पादन के स्तर नीचे रहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव और पिछड़े क्षेत्रों में आधारित–संरचना के विकास से रोजगार के अधिक सुअवसरों को न केवल बढ़ावा

मिलेगा, अपितु वे सुरक्षित भी होंगे जिससे उनके प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा आय में वृद्धि होगी।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में क्षेत्रीय विकास के महत्व पर समुचित बल नहीं दिया गया था। परन्तु आयोजन युग प्रारम्भ होने के पश्चात् देश में क्षेत्रीय विकास पर बल दिया गया। प्रथम योजना में कहा गया कि विकास दर एवं स्वरूप में क्षेत्रीय तथा सतत् संवृद्धि पर उचित ध्यान दिया जायेगा। परन्तु साधनों की परिसीमा के कारण क्षेत्रीय भेदों को दूर करने का कोई आयोजित प्रयत्न नहीं किया गया। प्रथम योजना के दौरान क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ीं क्योंकि मैसूर, बम्बई, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिव्यक्ति विकास व्यय में काफी अन्तर विद्यमान था।

दूसरी योजना में क्षेत्रीय विकास की जरूरत पर बल दिया गया। उसमें कहा गया था कि "विभिन्न प्रदेशों के बीच विकास के शब्दों के स्तरों में विद्यमान असमानताओं को क्रमिक रूप से दूर करना चाहिए।" और कि "किसी भी व्यापक योजना विकास में यह निर्विवाद सत्य है कि अल्पविकसित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जाये। निवेश का ऐसा ढंग अपनाया जाये जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास हो।"

तृतीय योजना में क्षेत्रीय विकास को अलग एक अध्याय दिया गया। योजना रिपोर्ट में लक्ष्य किया गया था– "योजनाबद्ध विकास के प्रमुख लक्ष्यों में ये भी है कि देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास, आर्थिक प्रगति के हित लाभों को कम विकसित प्रदेशों तक पहुँचाना और उद्योग का दूर–दूर तक प्रसरण।" क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए योजना का लक्ष्य था कि शक्ति, परिवहन, सिंचाई, शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार किया जाए और ग्राम एवं लघु उद्योगों का विकास हो। विभिन्न राज्यों में उद्योगों के अवस्थापन के लिए पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। परन्तु इन कदमों के बावजूद तृतीय योजना प्रादेशिक असमानताओं की समस्या हल नहीं कर सकी। निःसन्देह विकास के साथ–साथ राज्यों की चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय

बढ़ी, पर धनी तथा निर्धन व्यक्तियों की आय के अन्तर का परिमाण ज्यों का त्यों बना रहा।

क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या के प्रति चतुर्थ योजना का दृष्टिकोण अधिक यथार्थिक रहा है। क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए योजना ने त्रिविधि फार्मूला निकाला है– प्रथम केन्द्रीय सहायता के बंटवारे पर अति प्रतिनिधित्व, दूसरे, केन्द्रीय परियोजनाओं की पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थिति और तीसरे, वित्तीय संस्थाओं की विधियों तथा नीतियों में समायोजन।

केन्द्रीय सहायता के बंटवारे पर अति–प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में, कुल का 10 प्रतिशत उन राज्यों के लिए रखा गया जिनकी प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय आय से कम थी। इससे उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल तथा उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ। असम, मेघालय, नागालैण्ड और जम्मू तथा कश्मीर में लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष अनुदान दिये गये। 90 प्रतिशत अनुदानों के रूप में और 10 प्रतिशत कर्ज के रूप में, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत कर्जों के रूप में दिया गया। चतुर्थ योजना की प्रगति से ज्ञात हुआ है कि अति–प्रतिनिधित्व फार्मूले से प्रादेशिक असमानताएँ दूर करने में सहायता नहीं मिली।

चतुर्थ योजना की पिछड़े प्रदेशों के विकास की नीतियों को पाँचवीं योजना में चालू रखा गया, इसमें आदिवासी उप–योजनाओं के मामले में केन्द्रीय सहायता का अनुपात 25 प्रतिशत रखा गया, जबकि सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम और पहाड़ी क्षेत्र योजनाओं में इसका अंश 50 प्रतिशत रखा गया। योजना आयोग के अनुसार– "अब तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, उसके अन्तर्गत औद्योगिक निवेश काफी बड़े स्तर पर गैर चयनात्मक प्रोत्साहनों से दिया जाता रहा है। पिछड़े क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में हम अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उनका उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और उनके आसपास का क्षेत्र विकसित और निर्धन ही बना रहता है। कुछ पिछड़े

क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है और परम्परागत कृषि इतर व्यवसायों के लिए जिन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं है।

इसलिए छठीं योजना (1978–83) में इनके लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया। जैसे ग्रामीण विकास क्षेत्र आयोजन और न्यूनतम् आवश्यकताओं के कार्यक्रम। क्षेत्रीय असन्तुलनों की समस्या केवल गाँव, खण्ड या जिला स्तर पर हल नहीं की जा सकती। यह ऐसी समस्या है जो एक राज्य के अन्दर सारे क्षेत्र को प्रभावित करती है। फिर भी क्षेत्र प्रधान निवेशों की आवश्यकता होती है। जैसे– बड़े पुलों के निर्माण कार्य में निवेश, सड़क, विपणन सुविधाएँ या संचार, जिससे क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, वाणिज्यिक कृषि को लाभदायक बना सके और कृषि इतर रोजगार के अवसरों में सम्भव सहायता मिल सके। श्रमिकों के प्रशिक्षण में निवेश, जिनका उन क्षेत्रों में महत्व हो, जहाँ व्यवसायिक ढाँचे में पर्याप्त परिवर्तन उपेक्षित हो। ऋण सम्बन्धी बातों में सुधार करने के लिए और शोषण को कम करने के लिए ग्रामीण बैंकों, ऋण समिति और अन्य संस्थानों को प्रोत्साहन। योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से किये गये प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए सहायता। भूमि सुधार और संस्थागत परिवर्तन के अन्य कार्यक्रमों में सहायता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक निर्धारकों यथा– कृषि उत्पादकता एवं मानव संसाधन संभाव्यता को ठीक प्रकार से पहचाना गया और इसी श्रृंखला में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण तथा न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। आठवीं योजना बाजार–परक अर्थव्यवस्था की ओर अधिक संकेत करती है, इसलिए इसमें क्षेत्रीय समस्याओं पर कम ध्यान दिया गया था।

नवीं योजना का दृष्टिकोण भी आठवीं योजना की भाँति क्षेत्रीय नियोजन के प्रति उदासीन रहा है। यद्यपि क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों को जारी रखते हुए उन पर ध्यान दिया गया है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Hill Area

Development Programme - HADP), पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (Western Ghats Development Programme - WGDP), सीमावर्ती विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme - BADP), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme - DDP) तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम (Draught Prone Area Programme - DPAP) आदि।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की तरह क्षेत्रीय विकास में संतुलन के प्रति विशेष तत्परता प्रदर्शित की गई है।

इन तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है।

इससे स्पष्ट है कि क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करने के लिए केन्द्र द्वारा अपनाई गई नीतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि असमानताएँ बढ़ी हैं और फिर, फसल उत्पादन में जो कृषि क्रान्ति हो रही है उसने एक और पश्चिमी, दक्षिणी तथा कुछ उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान और दूसरी ओर उत्तर मध्य एवं पूर्वी राज्यों के बीच असमानताएँ और भी बढ़ा दी हैं।

क्षेत्रीय विकास का अर्थ है किसी क्षेत्र की सम्भाव्यताओं का पूर्णतम विकास, अतः इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों में निवेश की जरूरत होती है। परन्तु अभी तक इस तरह के क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत कम काम हुआ है, क्योंकि निवेशकर्ता चाहे राज्य हो, चाहे निजी उद्यमी उसका पहला मतलब निवेशित पूँजी पर होने वाले प्रति लाभ से रहता है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि अधिकतर विकसित क्षेत्रों का ही औद्योगिक एवं कृषि विकास हुआ। परन्तु विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस तरह की नीति आवश्यक है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में निवेश निधियाँ बिखेरने की बजाए बचतें बढ़ाई जा सकें। जब अर्थव्यवस्था के साधनों का पूर्णरूप से विकास हो जाए और बचतें इस हद तक बढ़ जायें कि उनके व्यापक क्षेत्र में व्यापार किया जा सके, केवल तभी पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। जैसाकि एल. लेफहर ने लक्ष्य किया है– "निष्कर्ष विरोधाभाषी है कि मंदित क्षेत्रों के विकास के लिए अत्यन्त उन्नत प्रदेशों की

संवृद्धि को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यदि अलाभकर पैमाने पर अपर्याप्त निवेश के कारण उन्नत प्रदेश दब जाते हैं तो अतिरेक अपर्याप्त रहेंगे और जो गतिरूद्ध प्रदेश अपनी बचतें करने में असमर्थ हैं और उन्हें और भी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा एवं दरिद्रता की मार झेलनी पड़ेगी।''

इस प्रकार विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में असन्तुलित वृद्धि के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को इस उद्देश्य से उपलब्ध किया जा सकता है कि आय बचतों तथा निवेश में अधिकतम् वृद्धि हो, ताकि समय की एक अवधि पर्यन्त जब साधन बढ़े और अधिक विस्तृत क्षेत्र में विकास योजनाओं का प्रसार हो तो प्रादेशिक असमानताएँ न्यूनतम हो सकें, इसलिए क्षेत्रीय विकास को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाता है। शायद यही कारण है कि भारत में आयोजन की दो दशाब्दियों से अधिक समय तक इसकी लगभग उपेक्षा की जाती रही है।

क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र :

भारत जैसा विशाल देश क्षेत्रीय एवं आर्थिक विविधता एवं विषमता से भरा हुआ है। भारत में जहाँ एक ओर एक अरब से ऊपर जनसंख्या है तथा 28 राज्य तथा 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। वहीं ये राज्य भी स्वयं विषमता से भरे हुए हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश एक विशालतम राज्य है। प्रशासनिक तथा नियोजनगत आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है–

1. पूर्वी क्षेत्र 2. बुन्देलखण्ड क्षेत्र 3. पश्चिमी क्षेत्र 4. केन्द्रीय क्षेत्र

बुन्देलखण्ड क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 12 प्रतिशत है तथा यहाँ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की लगभग 5 प्रतिात जनसंख्या निवास करती है। वस्तुस्थिति यह है कि बुन्देलखण्ड में प्रतिवर्ग किलोमीटर 280 व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि पूर्वी क्षेत्र में 776 व्यक्ति, पश्चिमी क्षेत्र में 767 व्यक्ति तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 658 व्यक्ति निवास करते हैं।

इस प्रकार कम जनसंख्या वाले इस क्षेत्र की समस्याएँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थ, रोजगार तथा व्यापार की अच्छी

संभावनाएँ हैं। यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो न केवल इस क्षेत्र की स्थानीय जनता लाभान्वित हो सकती है बल्कि यहाँ पर कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर दूसरे स्थानों पर की कमी को पूरा किया जा सकता है। फलस्वरूप देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का कुछ–न–कुछ समाधान हो सकता है।

बुन्देलखण्ड में सात प्रमुख जिले हैं– जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बाँदा तथा चित्रकूट। इन सातों जिलों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, शिक्षा, कृषि तथा उद्योगों का प्रतिशत निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.1

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक आँकड़े

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	जनसंख्या	साक्षरता प्रतिशत	कुल जोत (वर्ग किमी.)	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	संयुक्त सम्बन्ध कम्पनियाँ	
							पब्लिक	प्राइवेट
जालौन	4565	1454452	64.5	217	345131	177812	4	50
झाँसी	5024	1744931	65.5	208	326079	205209	25	181
ललितपुर	5039	977734	49.5	156	237480	171355	1	10
हमीरपुर	4282	1043724	57.4	168	297689	101411	7	18
महोबा	2884	708447	53.3	129	238749	88529	0	0
बाँदा	4460	1537334	54.4	365	346218	12174	2	22
चित्रकूट	3164	766225	65.0	–	167894	50254	0	0
योग	29418	8232847	–	1243	1959240	915844	39	290
उ0प्र0	240928	166197921	56.3	30603	16596765	12848228	4688	18857

स्रोत – सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2005

कैसे? Comparative figure.

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड की भूमिका महत्वपूर्ण होते हुए भी यहाँ विकास कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। यहाँ गरीबी, अशिक्षा, कृषि की पुरानी पद्धति तथा अनेकों अन्य समस्याएँ विकराल रूप में फैली हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी बुन्देलखण्ड के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान शासन द्वारा नहीं दिया गया है।

संभवतः यह आश्चर्य तथा क्षोभ की बात है कि पिछले 57 वर्षों की योजना अवधि में बुन्देलखण्ड की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। अतः यह सोचना कि यहाँ विकास की गति बढ़ेगी, गरीबी मिटेगी, या किसानों की हालत सुधरेगी, असंभव सा ही प्रतीत होता है। आर्थिक विकास के क्रम में और विशेषकर क्षेत्रीय विकास के क्रम में बुन्देलखण्ड का योगदान बहुत अधिक हो सकता था। परन्तु प्रदेशीय सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा तथा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के कारण, जिसमें वित्त की समस्या प्रमुख है, यह क्षेत्र गम्भीर रूप से अविकसित है। यदि शीघ्र ही इसका निराकरण नहीं किया गया तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और निश्चय ही विकास क्रम में व्यवधान उत्पन्न हो जायेगा।

द्वितीय अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का भौगोलिक, आर्थिक परिचय

बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः हम सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा उसके प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों को देखेंगे। तदोपरांत हम बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों– झाँसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर, बाँदा एवं चित्रकूट का भौगोलिक एवं आर्थिक परिचय प्रस्तुत करेंगे।

उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जोकि भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9 प्रतिशत है। सन् 2001 में इस प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या 16,61,97,921 थी, जिसमें 8,75,65,369 पुरुष तथा 7,86,32,552 स्त्रियां थीं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार क्षेत्रफल घनत्व तथा जनसंख्या निम्न तालिका में दी गई है–

तालिका 2.1

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

क्षेत्र	प्रतिशत		वितरण	
	क्षेत्रफल	जनसंख्या	जनघनत्व	लिंगानुपात
पूर्वी क्षेत्र	35.6	40.1	716	946
बुन्देलखण्ड	12.2	5.0	280	863
पश्चिमी क्षेत्र	33.2	36.8	767	862
मध्यवर्ती क्षेत्र	19.0	18.1	658	879
उत्तर प्रदेश	100.0	100.0	690	898

स्रोत – उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2006, पृ0 184

उत्तर प्रदेश में 79.22 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। यहाँ 21.15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा 0.06 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या में पिछले दशक से 40 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है।

उत्तर प्रदेश को विभिन्नताओं का प्रदेश कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस प्रदेश में उत्तर की ओर पर्वत है तो दूसरी ओर मध्य में पूर्व से पश्चिम तक फैला विशाल मैदान तथा दक्षिण में पठारी भाग है। जलवायविक विषमताएँ भी हर एक क्षेत्र में व्याप्त हैं। संक्षेप में इस प्रदेश में जनसंख्या, कृषि, भूमि, सिंचाई, मानव क्रियाकलाप, उद्योग तथा शिक्षा इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में विषमता देखने को मिलती है। आर्थिक विषमताओं के आधार पर ही इस प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जोकि मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र है। क्षेत्रफल में सबसे कम बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला पूर्वी क्षेत्र है।

उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति :

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 530.84 लाख गुल कर्मकार थे, जिनमें 221.68 लाख कृषक, 134.01 लाख कृषि श्रमिक, 30.31 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 153.84 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकार थे। कुल कर्मकारों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकारों की संख्या क्रमशः 393.38 लाख तथा 46.46 लाख थी, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 2.2

2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कर्मकारों का प्रतिशत

	कर्मकार (लाख में)	कर्मकार (प्रतिशत)
कृषक	221.68	41.1
कृषि श्रमिक	134.01	24.8
पारिवारिक उद्योग	30.31	5.6
अन्य	153.84	28.5
कुल कर्मकार	539.84	100.0

स्रोत – उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2006, पृ0 210

तालिका से स्पष्ट है कि कुल कर्मकारों में कृषि कार्यों में लगे कर्मकारों का प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों का

तुलनात्मक रूप से कम विकास है। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक है। तालिका 2.3 में आर्थिक विभाजन के आधार पर कृषि में संलग्न कर्मकारों का प्रतिशत स्पष्ट है।

<u>तालिका 2.3</u>

विभिन्न आर्थिक सम्भागों में कृषि कार्यों में संलग्न कर्मकार (2001)

आर्थिक सम्भाग	प्रतिशत	
	मुख्य कर्मकार	कृषि में लगे कर्मकार
पूर्वी क्षेत्र	22.0	71.9
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	27.0	74.5
पश्चिमी क्षेत्र	24.2	56.8
मध्यवर्ती क्षेत्र	25.4	66.5
उत्तर प्रदेश	23.7	65.9

स्रोत – उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2005, पृ0 272

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिशत अन्य सम्भागों की तुलना में अधिक है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में काम करने वालों की ओर दृष्टिपात किया जाए, तो 76 प्रतिशत लोग कृषि में संलग्न हैं।[1] उसमें भी 88 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं, जोकि कृषि तथा उससे सम्बन्धित उद्योगों में लगे हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में 30.5 प्रतिशत लोग (कुल काम करने वालों की संख्या का) व्यापार में लगे हुए हैं। अन्य कार्यों तथा आवागमन एवं संचार में 30.4 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में काम करने वालों का प्रतिशत निम्न तालिका में दिया गया है–

1. उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 1999

तालिका 2.4

उत्तर प्रदेश में उद्योगों में काम करने वालों का प्रतिशत (2001)

उद्योगों का वर्गीकरण	पुरुष	स्त्री	योग	ग्रामीण	नगरीय
कृषि तथा सम्बन्धित उद्योग	76.9	87.6	76.0	87.7	10.5
खाद्यान्न एवं वस्तु निर्माण	8.3	5.1	7.9	7.9	28.5
व्यापार,आवागमन व संचार आदि	6.3	1.1	5.8	5.8	30.5
अन्य कार्य	8.5	6.2	8.3	8.3	30.4
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
कुल काम करने वालों की सं0(000)	24562.0	2662.0	27334.0	23906.0	34428.0

स्रोत — उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2000

उत्तर प्रदेश में काम करने वालों का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में असमान है। यदि कृषि में काम करने वालों का प्रतिशत देखा जाये तो पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 55 प्रतिशत लोग कृषि में संलग्न है। पूरे प्रदेश में खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत कुल काम करने वालों का 20 प्रतिशत है। क्षेत्रानुसार खेतिहर मजदूर पर्वतीय क्षेत्रों में 4.9 प्रतिशत, 28.3 प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र, 25.6 प्रतिशत बुन्देलखण्ड, 15.2 प्रतिशत पश्चिमी तथा 14.3 प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रों में है। निम्न तालिका में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों का प्रतिशत दिया गया है।

तालिका 2.5

उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में काम करने वालों का प्रतिशत (2000)

क्षेत्र	कृषिगत काम करने वाले	खेतिहर मजदूर	वाणिज्य तथा व्यापार	आवागमन एवं संचार	वस्तु निर्माण	अन्य
पश्चिमी	56.0	15.2	5.2	2.5	9.4	17.7
मध्यवर्ती	62.7	14.3	17.5	1.9	7.4	9.2
पूर्वी क्षेत्र	54.4	28.3	3.4	1.1	6.3	6.8
बुन्देलखण्ड	55.5	25.6	3.5	1.7	5.0	8.7
उत्तर प्रदेश	57.4	20.0	4.1	1.7	7.3	9.5

स्रोत — उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय पत्रिका, 2000

किसी देश की सम्पन्नता तथा विपन्नता का अनुमान उसके आर्थिक विकास व उसकी आर्थिक आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के एक वर्ष की अवधि में देश के भौतिक तथा अभौतिक संसाधनों के संयोग से एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन प्राप्त होता है, उस उत्पादन के समस्त मौद्रिक मूल्य को एक वर्ष की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के अन्तर्गत जब हम एक वर्ष की अवधि में देश की कुल राष्ट्रीय आय में से सम्बनित वर्ष की जनसंख्या से भाग देते हैं, इस प्रकार जो धनराशि आती है, उसे प्रतिव्यक्ति आय कहते हैं। नीचे दी गई तालिका में उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति राज्य आय प्रचलित तथा स्थाई कीमत पर दर्शाई जा रही है।

तालिका 2.6

प्रदेश में प्रतिव्यक्ति राज्य आय की प्रवृत्ति

वर्ष	प्रचलित कीमत पर		स्थाई कीमत पर	
	प्रतिव्यक्ति राज्य आय (रुपये)	भारत की अपेक्षा प्रदेशीय आय की न्यूनता (रुपये)	प्रतिव्यक्ति राज्य आय (रुपये)	भारत की अपेक्षा प्रदेशीय आय की न्यूनता (रुपये)
1993—94*	5066	2600	5066	2648
1994—95*	5767	3133	5209	2900
1995—96*	6331	3861	5256	3270
1996—97*	7476	4100	5706	3349
1997—98**	7626	4993	5518	3791
1998—99**	8470	6079	5432	4286
1999—2000**	8970	6239	5675	4385
2000—01**	9178	6766	5570	4484
2001—02**	9753	—	5687	—
2002—03**	10282	—	6610	—

* अधिकतम अनुमान ** त्वरित अनुमान

तालिकागत आँकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रचलित कीमतों पर प्रदेश की प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। फिर भी यह वृद्धि प्रति

व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना में कम है। यथा 1981–96 की सम्पूर्ण अवधि में प्रति व्यक्ति राज्य आय 1278 रुपये से बढ़ते हुए 5983 रुपये के उच्चतम् स्तर पर पहुँचने के साथ ही उक्त अवधि में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से उसकी न्यूनता 352 रुपये से बढ़ते हुए 338 रुपये के अधिकतम् स्तर तक पहुँच गई है। 1980–81 के स्थाई भावों पर संगणित प्रति व्यक्ति राज्य आय 1278 रुपये से बढ़ते हुए 1989–90 में 1593 रुपये तथा 1991–92 में 1921 रुपये हो गई और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से उसकी न्यूनता भी 352 रुपये से बढ़ती हुई वर्ष 1991–92 में 548 रुपये हो गई। यद्यपि वर्ष 1995–96 में प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय बढ़कर 1666 रुपये हो गई, फिर भी राष्ट्रीय आय से राज्य आय की न्यूनता भी बढ़कर 907 रुपये के स्तर तक पहुँच गई।

वित्तीय वर्ष 2001–02 में प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 9753 रुपये थी, जो वर्ष 2002–03 में बढ़कर 10289 रुपये हो गई। इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः 17978 रुपये, 18825 रुपये रही। विगत वर्षों में प्रदेश और देश की प्रतिव्यक्ति आय के तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार है–

तालिका 2.7

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	उत्तर प्रदेश (रु0 में)	भारत (रु0 में)
1979–2000	8970	15626
2000–01	9178	16707
2001–02	9753	17978
2002–03	10282	18825

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विभाग :

भारत में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा अत्यन्त पिछड़ा राज्य है, जब से उत्तराखण्ड के रूप में उत्तरांचल (पर्वतीय क्षेत्र) उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में पृथक हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश की अधिकांश खनिज सम्पदा विभाजन में उत्तराखण्ड में रह गई। इसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा है। सम्पूर्ण प्रदेश के हर क्षेत्र में आर्थिक विषमताएँ हैं। जनसंख्या, मुख्य

भौतिक स्वरूप तथा वहां पर पाये जाने वाले संसाधनों पर मुख्य रूप से आधारित है। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र भौतिक आकृति तथा संसाधनों में काफी विषमता है। फलस्वरूप वहाँ की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाकलापों में विभिन्नता पायी जाती है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र की औसत आय में भी काफी विभिन्नता है। इन्हें आर्थिक प्रतिरूपों तथा भौतिक स्वरूप एवं जनसंख्या भार तथा वहाँ पाये जाने वाले संसाधनों के आधार पर गैर सरकारी ढंग से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अग्रांकित तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

तालिका 2.8

प्रदेश में आर्थिक विभाग[1]

क्र0सं0	प्रमुख विभाग	उपविभाग
1.	पूर्वी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र (अ), पूर्वी क्षेत्र (ब)
2.	मध्यवर्ती क्षेत्र	मध्यवर्ती क्षेत्र (अ), मध्यवर्ती क्षेत्र (ब), (बुन्देलखण्ड)
3.	पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र (अ), पश्चिमी क्षेत्र (ब)

परन्तु सरकारी उपादान इसे सही नहीं मानते। उनके सूत्रों के अनुसार बुन्देलखण्ड एक अलग उपक्षेत्र ही है और उन्होंने अपने प्रकाशनों में इसी प्रकार का विभाजन किया है।[2] सुविधा की दृष्टि से हमने भी सरकारी विभाजन को ही इस शोध प्रबन्ध में सही माना है, यद्यपि आर्थिक दशाओं तथा उपबन्धों की दृष्टि से गैर सरकारी विभाजन ही उचित है।

सरकारी तंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश के चार उपखण्ड हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. पूर्वी क्षेत्र –

इसमें 18 जिले रखे गये हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. इलाहाबाद 2. आजमगढ़ 3. बहराइच 4. बलिया 5. बस्ती 6. देवरिया

---

1. टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश, पृ0 12
2. पर्सपेक्टिव प्लॉनिंग (उत्तर प्रदेश सरकार प्रकाशन), पृ0 40

7. फैजाबाद 8. गाजीपुर 9. गोण्डा 10. गोरखपुर 11. जौनपुर 12. मिर्जापुर 13. प्रतापगढ़ 14. सुल्तानपुर 15. वाराणसी 16. सिद्धार्थनगर 17. अम्बेडकर नगर 18. जेपी नगर

2. **पश्चिमी क्षेत्र –**

इसमें 19 जिले रखे गये हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. आगरा 2. अलीगढ़ 3. बिजनौर 4. बदायूँ 5. बरेली 6. बुलन्दशहर 7. एटा 8. इटावा 9. फर्रुखाबाद 10. मैनपुरी 11. मथुरा 12. मेरठ 13. मुरादाबाद 14. मुजफ्फरनगर 15. रामपुर 16. पीलीभीत 17. सहारनपुर 18. शाहजहाँपुर 19. गाजियाबाद

3. **मध्यवर्ती क्षेत्र –**

इसमें 9 जिले रखे गये हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. बाराबंकी 2. फतेहपुर 3. हरदोई 4. कानपुर 5. सीतापुर 6. लखनऊ 7. रायबरेली 8. लखीमपुर 9. उन्नाव।

4. **बुन्देलखण्ड क्षेत्र –**

इसमें 7 जिले रखे गये हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. बाँदा 2. हमीरपुर 3. जालौन 4. झाँसी 5. ललितपुर 6. चित्रकूट 7. महोबा

बुन्देलखण्ड क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की तरह विकास कार्य ग्रामीण स्तर पर आरम्भ किया गया है और प्राथमिक जनगणना अभिलेखों में भी इसे अलग–अलग ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के रूप में ही दर्शाया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यथासम्भव जनगणना के आधारभूत आँकड़ों को ही सही मानकर रखा गया है और इस प्रकार जो विवेचन किया गया है, वह मुख्य रूप से सरकारी विवेचना का ही समर्थन करता है।

बुन्देलखण्ड का परिचय एवं आर्थिक महत्व :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण–पश्चिम भाग में 23°10′ से 26°27′ उत्तरी अक्षांश तथा 78°4′ से 81°34′ मिनट पूर्वी देशान्तर के बीच विस्तृत है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झाँसी, जालौन, चित्रकूट एवं बाँदा जिले आते हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 23370 वर्ग किलोमीटर है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 12 प्रतिशत है तथा यहाँ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसकी अवस्थिति का अवलोकन करें तो दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य, पूर्वी सीमा पर भी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में इलाहाबाद तथा उत्तरी सीमा पर यमुना नदी पश्चिम से पूर्व को बहती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पूर्वी सीमा बेतवा नदी बनाती है, जो दक्षिण से उत्तर की बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या एवं जनघनत्व निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 2.9

उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा जनघनत्व का प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	प्रतिशत वितरण			
	क्षेत्रफल	जनसंख्या	जनघनत्व	लिंगानुपात
पूर्वी क्षेत्र	35.6	40.1	716	946
बुन्देलखण्ड	12.2	5.0	280	863
पश्चिमी क्षेत्र	33.2	36.8	767	862
मध्यवर्ती क्षेत्र	19.0	18.1	658	879
उत्तर प्रदेश	100.0	100.0	690	898

स्रोत – उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2006, पृ0 184

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 12.2 प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के 5 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र का प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 280 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है जबकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 690 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रमुख भाग –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल सात जनपद हैं– 1. बाँदा 2. हमीरपुर 3. जालौन 4. झाँसी 5. ललितपुर 6. चित्रकूट 7. महोबा। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी बेतवा है, जोकि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिलती है। झाँसी एवं ललितपुर का भाग पर्वतीय एवं असमतल है। अग्रांकित तालिका में बुन्देलखण्ड के प्रमुख विभागों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है–

तालिका 2.10

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रमुख विभाग एवं उनका क्षेत्रफल (2001)

विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या (2001)	जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी)	लिंगानुपात
झाँसी	5027	1744931	348	870
ललितपुर	5042	977734	194	884
जालौन	4549	1454452	319	847
हमीरपुर	7192	1043724	241	852
महोबा	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
बाँदा	7645	1537334	340	860
चित्रकूट	3164	801960	253	872

स्रोत – उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2006, पृ0 241

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधक क्षेत्रफल बाँदा जिले का 7645 वर्ग किमी0 है तथा सबसे कम क्षेत्रफल जालौन का 4549 वर्ग किमी0 है। इसी प्रकार झाँसी का क्षेत्रफल 5027 वर्ग किमी0, ललितपुर का 5042 वर्ग किमी0 तथा हमीरपुर का 7192 वर्ग किमी0 है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या 67,58,175 है जिसमें 17,44,931 झाँी, 9,77,734 ललितपुर में, 14,54,452 जालौन में, 10,43,724 हमीरपुर तथा 15,37,334 जनसंख्या बाँदा जिले में निवास करती है। यदि जनसंख्या घनत्व को देखा जाये तो सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी0 280 है, जबकि उ0प्र0 का औसत प्रति वर्ग किमी0 जनसंख्या घनत्व 690 है। प्रति वर्ग किमी0 जनसंख्या का औसत घनत्व झाँसी में 348 व्यक्ति, ललितपुर में 194 व्यक्ति, जालौन में 319 व्यक्ति, हमीरपुर में 241 तथा बाँदा में 340 व्यक्ति हैं।

इस प्रकार इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की अपेक्षा कम है। इसका कारण यहाँ की भूमि का असमतल होना, कृषि में समुचित विकास का न होना तथा समतल एवं उपयुक्त भूमि का अभाव है। जंगलीय एवं पर्वतीय भागों में तो घनत्व काफी कम पाया जाता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ललितपुर जिले के दक्षिणी भाग पर्वतीय होने से वहाँ पर जनसंख्या विरल पायी जाती है।

बुन्देलखण्ड के आर्थिक विकास की प्रगति तथा उनके भविष्य में समुचित विकास के लिए उसके प्रमुख विभागों का अध्ययन अलग–अलग करना होगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रमुख विभागों का आर्थिक परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनपद झाँसी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति –

झाँसी जनपद बेतवा तथा पहूज नदियों के मध्य बसा हुआ है। ये नदियां वीरता, साहस तथा आत्म–सम्मान की परिचायक हैं।

झाँसी जनपद पर चन्देलों का शासन था तथा इसका प्राचीन नाम बलवन्त नगर था। 17वीं शताब्दी में यहाँ राजा वीर सिंह देव का शासन था तथा उन्होंने ही 1613 में झाँसी का किला बनवाया। 1627 में उनकी मृत्यु के बादर उनका पुत्र जुझार सिंह गद्दी पर बैठा। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुन्देला जोकि एक अच्छे योद्धा तथा एक कुशल प्रशासक थे, ने 1729 में मराठाों को अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया था जिसमें झाँसी भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् झाँसी पर मराठाों का आधिपत्य रहा।

झाँसी के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम रानी लक्ष्मीबाई का है, उन्होंने अपने साहस एवं शौर्य से झाँसी को विश्व प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ 1857 की क्रान्ति का झाँसी से प्रतिनिधित्व किया तथा अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। भारतीय स्वतंत्रता में उनका योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के पश्चात् झाँसी को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया।

जनपद की भौगोलिक संरचना :

झाँसी जनपद पहूज एवं बेतवा नदियों के मध्य स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 5,024 वर्ग किमी0 है। इसके उत्तर में जनपद जालौन, पूर्व में हमीरपुर, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा ललितपुर जनपद और दक्षिण–पश्चिम में शिवपुरी जिला (मध्य प्रदेश) अवस्थित है। यहाँ की कुल जनसंख्या 17,44,931 है, जिसमें 9,32,818 पुरुष तथा 8,12,113 महिलाएँ हैं। यहाँ का जन घनत्व 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा लिंगानुपात 870 है। यहाँ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 23.23 है।

जनपद की जलवायु एवं प्राकृतिक संरचना :

कर्क रेखा के बहुत निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु जल्दी प्रारम्भ होती है एवं देर तक रहती है। यहाँ अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम् तापमान 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। शीत ऋतु प्रभावी होती है लेकिन शुष्कता के कारण कोहरा एवं पाला कम पड़ता है। मानसून जून के अन्त में आता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वर्षा कम होती है। सामान्य वर्षा 850 मिलीमीटर तथा वास्तविक वर्षा 545 मिलीमीटर होती है।

जनपद की प्रशासनिक संरचना :

जनपद में 5 तहसीलें तथा 8 विकास खण्ड हैं। कुल ग्राम 933 हैं, जिसमें 748 आबाद ग्राम हैं। जनपद में 437 ग्राम पंचायत तथा 64 न्याय पंचायतें हैं। जनपद में सर्वाधिक आबाद ग्राम (127) मोठ विकास खण्ड में हैं। मऊरानीपुर विकास खण्ड में सबसे अधिक न्याय पंचायतें (10) हैं तथा विकास खण्ड बड़ागाँव में सबसे कम (5) न्याय पंचायतें हैं। विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाले गाँवों, ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतें आदि का विवरण निम्न समंकों से स्पष्ट है–

तालिका 2.11

जनपद की प्रशासनिक संरचना

क्र0 सं0	प्रशासनिक इकाइयाँ	विकास खण्ड	कुल ग्राम	कुल आबाद ग्राम	ग्राम पंचायतें	न्याय पंचायतें
1.	मोंठ	मोंठ	149	127	65	7
		चिरगाँव	120	104	57	8
2.	गरौठा	बमौर	115	101	59	9
3.	तहरौली	गुरसराय	119	106	59	9
		बंगरा	88	82	52	9
4.	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	86	8	55	10
5.	झाँसी	बबीना	73	72	50	7
		बड़ागाँव	85	84	40	5

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी, 2006

जनपद में जनशक्ति :

(क) जनसंख्या एवं घनत्व - 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद झाँसी की कुल जनसंख्या 1744931 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 932828 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 812117 है तथा ग्रामीण जनसंख्या 22.3 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या 31.1 प्रतिशत है। यहाँ का जनघनत्व 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा लिंगानुपात 870 है। यहाँ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 23.23 है।

तालिका 2.12

विभिन्न वर्षों में जनपद में जनसंख्या

वर्ष	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री
1981	11,37,031	6,08,428	5,28,603
1991	8,63,342	4,66,226	3,97,116
2001	17,44,931	9,32,818	8,12,113

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका (2001)

(ख) साक्षरता - जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 65.47 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 78.76 प्रतिशत है तथा महिला साक्षरता 50.16 प्रतिशत है। निम्न तालिका से जनपद में साक्षरता की स्थिति स्पष्ट है।

तालिका 2.13

विभिन्न वर्षों में जनपद में साक्षरता

वर्ष	कुल साक्षर व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1981	4,21,333	3,08,296	1,13,037
1991	5,96,640	4,17,310	1,79,330
2001	9,58,769	6,17,507	3,41,262

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका (2001)

जनपद में श्रम एवं रोजगार :

जनपद में वर्ष 2003–04 में 99 कारखाने पंजीकृत थे, जिनमें से मात्र 58 कारखाने कार्यरत हैं। इन कारखानों में 3769 मजदूर कार्यरत हैं। जनपद झाँसी में 1998 में आर्थिक गणना करवायी गयी थी, जिसके आँकड़ें निम्नलिखित हैं–

तालिका 2.14

जनपद में श्रम एवं रोजगार

क्र0सं0	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	उद्यमों की संख्या	7	–	–
1.1.	कृषि	794	313	1107
1.2.	अकृषि	10448	25162	35610
1.3.	योग	11242	25475	36717
2.	संस्थानों की संख्या जिसमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत है (कृषि+अकृषि)	2112	7790	9902
3.	स्वकार्य उद्यमों की संख्या (कृषि+अकृषि)	9130	17685	26815

क्र0सं0	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
4.	उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)			
4.1.	पुरुष (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)	16702	61348	78050
4.2.	स्त्री (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)	3345	6444	9789
4.3.	योग (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)	20047	67792	87839
5.	भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति			
5.1.	पुरुष (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)	5672	33932	39604
5.2.	स्त्री (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)	918	3317	4235
5.3.	योग (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)	6590	37249	43839

स्रोत – अर्थ एवं संख्या विभाग, झाँसी

खाद्यान्न उत्पादन :

जनपद में खरीफ, जायद तथा रबी तीनों फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनसे गेहूँ, जौ, ज्वार, धान, बाजरा, मक्का तथा उर्द, मसूर, चना, मटर व अरहर का उत्पादन किया जाता है।

जनपद की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ :

(1) **वित्तीय संस्थान** - जनपद में वित्तीय संस्थानों की स्थिति सन्तोषजनक है जोकि जनपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। व्यवसायिक, ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों की कुल 755 शाखाएं इस जनपद में हैं–

तालिका 2.15

विभिन्न विकासखण्डों में व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक

विकास खण्ड	कुल बैंक शाखाएँ
मोंठ	127
चिरगाँव	103
बमौर	100
गुरसराय	106
बंगरा	81
मऊरानीपुर	83
बबीना	71
बड़ागाँव	84
योग	**755**

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, झाँसी।

(2) पशुपालन एवं मत्स्य - जनपद में कुल पशु 779215 हैं, जिनमें से गायों की संख्या 306821, भैंसों की संख्या 182382 है। कुल भेड़ें 55705, बकरा एवं बकरी 218781, कुल घोड़े एवं टट्टू 234, सुअर 14004 तथा अन्य पशु 1288 हैं। इसके अतिरिक्त कुल कुक्कुट 187080 हैं। विभिन्न प्रकार के पशु तथा पक्षी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में अपना योगदान देते हैं।

जनपद में मत्स्य पालन की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी जलाशय 3974.60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तथा निजी क्षेत्र के जलाशय 65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हैं, जिसमें सरकारी जलाशयों की संख्या 11 तथा निजी क्षेत्र के जलाशयों की संख्या 41 है, जिनमें क्रमशः 513.35 तथा 646.00 कुन्तल का उत्पादन वर्ष 2006–07 में हुआ।

मत्स्य पालन से न केवल जनपद के व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, बल्कि सरकार को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2006–07 में सरकार को राजस्व के रूप में 148790 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

(3) सड़क परिवहन - किसी भी समाज को आर्थिक गति प्रदान करने में सड़कों का विशेष महत्व होता है। इस जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष

2005–06 तक निर्मित सड़क की लम्बाई 1773 किमी0 है तथा स्थानीय निकायों द्वारा 130 किमी0 सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। झाँसी जनपद में कुल बस स्टाप की संख्या 111 है।

(4) ***दूरसंचार कार्यक्रम*** - दूरसंचार साधनों ने आज सम्पूर्ण समाज को एक गति प्रदान कर दी है। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण आर्थिक जगत में एक तीव्रता आ गइ है। वर्ष 2006–07 तक इस जनपद में कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 36464 है तथा टेलीफोन की संख्या 1933 है।

(5) **विद्युत** - आधुनिक युग में मानव कल्याण एवं उसके आर्थिक विकास की दृष्टि से विद्युत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2006–07 तक 144 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनपद में कुल 3926440 हजार वॉट प्रति किमी0 तथा प्रति घंटे का उपभोग हो रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

तालिका 2.16

जनपद में विभिन्न कार्यों में विद्युत उपभोग (हजार किलोवॉट घंटा) (2006-07)

क्र0सं0	मद	उपभोग
1.	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	19,09,500
2.	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	3,18,500
3.	औद्योगिक विद्युत शक्ति	13,95,700
4.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	34,740
5.	कृषि विद्युत शक्ति	1,83,000
6.	सार्वजनिक जलकल एवं मलप्रवाह उर्द्धन व्यवस्था	85,000
	योग–	**39,26,440**

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, झाँसी।

(6) ***खनिज*** - यह जनपद खनिज उपलब्धता की दृष्टि से कोई विशेष स्थान नहीं रखता। पथरीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ गिट्टी तथा पत्थर का काम विशेष रूप से होता है तथा नदियों के तट से मौरंग भी प्राप्त होता है।

(7) ***औद्योगिक गतिविधियाँ*** - जनपद में प्रमुख रूप से लघु एवं ग्रामीण उद्योग कार्यरत हैं। इनमें प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग, रासायनिक, हथकरघा, रेशम,

नारियल की जटा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग हैं। जनपद में ग्रामीण एवं लघु उद्योग की कुल 6209 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 58 अन्य कारखाने भी कार्यरत हैं। जनपद में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं क्योंकि यहाँ पर शैक्षिक यातायात तथा वित्त सम्बन्धी सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं।

जनपद जालौन की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति –

जनपद जालौन बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार है और ऐसा प्रवेश द्वार है कि यहाँ से प्रवेश किया जाये तो सभी सिद्धियाँ एवं अभीष्ट की प्राप्ति होती है। आमतौर पर द्वार तो किसी भवन का होता है और भवन रचना में द्वार का विशिष्ट स्थान होता है। अतः द्वार की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है।

जनपद की भौगोलिक संरचना :

जालौन जनपद झाँसी मण्डल के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा पर यमुना, दक्षिणी सीमा पर बेतवा तथा पश्चिमी सीमा पर पहूज नदियाँ बहती हैं। जनपद जालौन तीनों नदियों के त्रिकोणीय स्थिति के मध्य है। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में पहाड़ियाँ हैं, शेष भाग नदियों का उपजाऊ मैदान है। पहाड़ी क्षेत्र से छोटी–छोटी नदियाँ निकलती हैं जो मध्य में बहती हुई उत्तर–पूर्व की ओर जाकर यमुना में मिल जाती हैं।

स्थिति, सीमा एवं विस्तार :

जालौन जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग किमी0 है। यह 26^0–27^0 व 25^0–46^0 उत्तरी अक्षांश और 78^0–55^0 व 79^0–55^0 पूर्व देशान्तर रेखाओं के मध्य फैला हुआ है। इस जनपद के उत्तर में इटावा, दक्षिण–पूर्व में हमीरपुर और दक्षिण–पश्चिम में झाँसी है। यह पूर्व में कानपुर और पश्चिम में पहूज नदी के उस पार मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। इस जनपद का विस्तार उत्तर से दक्षिण 105 किमी0 और पूर्व से पश्चिम 80 किमी0 है।

जनपद की जलवायु एवं प्राकृतिक संरचना :

कर्क रेखा के बहुत निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु जल्दी प्रारम्भ होती है एवं देर तक रहती है। अधिकतम और

न्यूनतम् तापमान 47.8° सेल्सियस से 49.2° सेल्सियस और 3.1° सेल्सियस से शून्य डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु प्रभावी होती है लेकिन शुष्कता के कारण कोहरा एवं पाला कम पड़ता है। मानसून जून के अन्त में आता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वर्षा कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 1901 मिली मीटर होती है। सामान्य वर्षा 862 मिलीमीटर तथा वास्तविक वर्षा 550 मिलीमीटर होती है।

जनपद की प्रशासनिक संरचना :

जनपद में 5 तहसीलें तथा 9 विकास खण्ड हैं। कुल ग्राम 1152 हैं। जनपद की प्रशासनिक संरचना निम्न तालिका से स्पष्ट है–

<u>तालिका 2.17</u>

जनपद की प्रशासनिक संरचना

क्र0 सं0	प्रशासनिक इकाइयाँ	विकास खण्ड	कुल ग्राम	कुल आबाद ग्राम	ग्राम पंचायतें	न्याय पंचायतें
1.	जालौन	जालौन	115	99	61	11
		कुठौंद	143	16	66	9
2.	माधौगढ़	माधौगढ़	93	84	57	10
		रामपुरा	89	76	43	8
3.	उरई	डकोर	157	128	76	11
4.	कोंच	कोंच	121	102	62	7
		नदीगांव	193	143	73	9
5.	कालपी	महेवा	129	95	58	8
		कदौरा	111	99	68	8

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद जालौन, 2006

जनपद में जनशक्ति :

(क) जनसंख्या एवं घनत्व - 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद जालौन की कुल जनसंख्या 1455859 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 788264 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 667595 है। जनसंख्या घनत्व 319 प्रति वर्ग किमी0 है।

ग्रामीण जनसंख्या 1164688 है, जोकि कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या 291171 है, जोकि कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 847 है।

(ख) साक्षरता - विगत दो वर्षों से साक्षरता की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जो जनपद के विकास की दृष्टि से एक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। 1991 में कुल साक्षरता का प्रतिशत 50.7 था जिसमें 66.2 प्रतिशत पुरुष एवं 31.6 प्रतिशत स्त्री साक्षरता थी। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 8,09,988 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,26,744 तथा स्त्रियों की संख्या 2,83,214 है। इस प्रकार 2001 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 66.14 हो गया। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 19.14 है जबकि महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 50.66 है।

जनपद में श्रम एवं रोजगार :

जनपद में औद्योगिक तथा श्रम एवं रोजगार की प्रगति अत्यन्त धीमी है। यहाँ अधिकतम् 83425 कृषि श्रमिक हैं। 58 पंजीकृत कारखानों में से मात्र 24 कारखाने कार्यरत हैं।

जिले में कुल मुख्य एवं सीमान्त कर्मकार 524605 हैं, जिसमें कुल कृषक 222612, कृषक मजदूर 173379, उद्योग धंधों में लगे परिवार 16516 तथा अन्य कर्मकार 112098 हैं।

जनपद जालौन में 1998 में आर्थिक गणना सम्पन्न करायी गयी थी, जिसके आँकड़ें निम्न तालिका से स्पष्ट हैं–

तालिका 2.18

जनपद में श्रम एवं रोजगार

क्र0सं0	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	उद्यमों की संख्या	–	–	–
1.1.	कृषि	1142	341	1483
1.2.	अकृषि	9644	16953	26597
1.3.	योग	10786	17294	28086
2.	संस्थानों की संख्या जिसमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत है (कृषि+अकृषि)	2546	5426	7972
3.	स्वकार्य उद्यमों की संख्या (कृषि+अकृषि)	8240	11868	20108
4.	उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)			
4.1.	पुरुष	19182	32080	51262
4.2.	स्त्री	1527	3038	3565
4.3.	योग	20709	34118	54827
5.	भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति			
5.1.	पुरुष	8712	12713	21425
5.2.	स्त्री	296	1021	1317
5.3.	योग	9008	13734	22742

स्रोत – अर्थ एवं संख्या प्रभाग, लखनऊ

खाद्यान्न उत्पादन :

इस जनपद की मुख्य फसलें खरीफ में ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, धान, तिल व सोयाबीन हैं। इसी प्रकार से रबी की फसल में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ, राई एवं सरसों की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से गेहूँ, चना एवं मसूर की खेती की जाती है। वर्ष 2003–04 में उत्पादित फसलों का विवरण निम्न है–

तालिका 2.19

रबी की फसलों की उत्पादकता

क्र0सं0	फसल	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (किलो/हेक्टे)
1.	गेहूँ	117674	339140	28.82
2.	जौ	8623	14525	16.84
3.	चना	77652	55255	7.12
4.	मटर	47108	45930	9.75
5.	मसूर	62804	31214	4.97
6.	अलसी	911	213	2.34
7.	अरहर	8637	19960	23.11

स्रोत – जिला कृषि कार्यालय, उरई (जालौन)

तालिका 2.20

खरीफ की फसलों की उत्पादकता

क्र0 सं0	फसल	उत्पादकता (किलो/हेक्टेयर)			
		1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03
1.	चावल	8.76	10.58	7.10	5.62
2.	ज्वार	9.70	12.69	14.63	8.01
3.	बाजरा	12.66	15.29	9.76	9.93
4.	अरहर	13.61	17.54	13.82	18.80
5.	उर्द	1.68	5.38	4.26	3.48
6.	तिल	0.93	2.28	2.66	1.35
7.	सोयाबीन	3.05	12.00	7.18	1.82
8.	मूँगफली	5.85	9.00	8.36	3.14
9.	सूरजमुखी	12.71	14.00	—	—
10.	मक्का	—	—	7.08	5.00
11.	औसत उत्पादकता	7.29	10.33	7.74	8.25

स्रोत – जिला कृषि कार्यालय, उरई (जालौन)

जनपद की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ :

(1) वित्तीय संस्थान - कृषि एवं उद्योग के उचित विकास के लिए वित्त की प्रमुख आवश्यकता होती है। राष्ट्रीयकृत एवं गैर राष्ट्रीयकृत दोनों ही प्रकार के

संस्थान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में वित्त का स्रोत राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इलाहाबाद बैंक जनपद की लीड बैंक है। इस जनपद में बैंकों की 103 शाखायें हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

तालिका 2.21

वित्तीय संस्थान

क्र0सं0	बैंक का नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	भारतीय स्टेट बैंक	5	3	8
2.	इलाहाबाद बैंक	8	19	27
3.	सेण्ट्रल बैंक	3	4	7
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1	–	1
5.	पंजाब नेशनल बैंक	1	–	1
6.	जालौन जिला सहकारी बैंक	11	6	17
7.	जिला कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक	4	–	4
8.	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4	33	37
9.	बैंक ऑफ इण्डिया	1	–	1
	योग–	**38**	**65**	**103**

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद जालौन, 2006

(2) **पशुपालन एवं मत्स्य** - जनपद में वर्ष 2003 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन 792572 है, जिसमें गौवंशीय पशु 237213, महिषवंशीय 239862, भेड़ 30040, बकरे एवं बकरियाँ 257389 हैं, सुअर 26522, अन्य पशु 2840, कुल मुर्गे एवं मुर्गियाँ 50649 तथा अन्य कुक्कुट 1102 हैं।

उपरोक्त आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक विकास में जनपद में उपलब्ध पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जनपद में दूध देने वाले पशुओं की नस्ल में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु जनपद में अनेक प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

जनपद में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने हेतु वर्ष 1982–83 से मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में अप्रयुक्त ताल,

पोखरों तथा अप्रयुक्त जल क्षेत्रों का उपयोग कर मत्स्य पालन करके मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में सुधार लाना है।

सड़क परिवहन :

जनपदवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सड़क परिवहन एवं संचार जैसे महत्वपूर्ण साधनों का विशेष महत्व होता है। सड़क एवं परिवहन आवागमन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 तक निर्मित कुल सड़कों की लम्बाई 1938 किमी0 है। वर्ष 2002–03 में प्रति लाख जनसंख्या पर लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कों की लम्बाई 32.2 किमी0 है। वर्ष 2002–03 में जिला पंचायत के द्वारा 24 किमी0 तथा नगर निकायों द्वारा 49 किमी0 सड़कों का निर्माण कराया गया।

दूरसंचार एवं कार्यक्रम :

आज दूरसंचार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करने का अच्छा माध्यम है। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में यह एक अच्छा साधन है। जनपद में इस दिशा में आशातीत प्रगति हुई है। जनपद में कुल कार्यरत दूरभाष कनेक्शनों की संख्या 33434 तथा कार्यरत सार्वजनिक दूरभाष की संख्या 667 है। जनपद में वर्ष 2004 में मोबाइल फोन कनेक्शन जनता को उपलब्ध कराये गये हैं। वर्तमान में कई निजी कम्पनियों द्वारा मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

विद्युत व्यवस्था :

आधुनिक युग में मानव कल्याण एवं उसके आर्थिक विकास की दृष्टि से विद्युत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2003–04 तक 942 आबाद ग्रामों से केन्द्रीय प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार 575 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनपद में 719 अनुसूचित जाति की बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया

जा चुका है। साथ ही जनपद की विद्युत हेतु 132 के0वी0 लाइन की लम्बाई 1853 किमी0 है।

खनिज :

खनिज उपलब्धता की दृष्टि से यह जनपद बहुत पिछड़ा है। यहाँ कोई भी विशेष खनिज उपलब्ध नहीं है। बेतवा नदी के किनारे के स्थान में मौरंग खनिज पदार्थ के रूप में उपलब्ध है, जो परासन तथा सैदनगर से जनपद के बाहर अन्य जनपदों में भेजी जाती है, जो उच्च कोटि की होती है। पहाड़गाँव तथा सैदनगर में छोटी–छोटी पहाड़ियाँ हैं किन्तु उनका पत्थर अच्छा नहीं है फिर भी इनका प्रयोग निर्माण कार्य में होता है।

औद्योगिक गतिविधियाँ :

जनपद जालौन प्रमुख रूप से कृषि आधारित जिला है। अतः इस जनपद का औद्योगिक विकास अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। जिले की भौगोलिक स्थिति एवं यातायात सुविधाओं को देखते हुए यहाँ औद्योगिक विकास की संभावनाएँ विद्यमान है। यह जनपद कानपुर एवं झाँसी के मध्य स्थित है, इसलिए यहाँ यातायात की सुविधाएँ अच्छी हैं।

इस जनपद में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों के लिए अच्छी संभावनाएँ हैं। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल, योग्य एवं अयोग्य दोनों प्रकार के श्रमिक पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं।

लगभग 18000 पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग हैं। शासन द्वारा एक लाख से अधिक पूँजी विनियोजन की इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष 2002–03 के लिए 75 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। परन्तु मार्च 2004 तक 75 इकाइयाँ स्थापित की गई, जो मुख्यतः स्पेलर, हैण्डमेड पेपर, फोटो स्टेट, जनरल इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर प्रिटिंग/डाटा प्रोसेसिंग से सम्बन्धित हैं।

जनपद ललितपुर की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति –

सन् 1974 के पूर्व ललितपुर, झाँसी जिले की ही एक तहसील थी। प्रदेश की जनप्रिय सरकार ने जनता की माँगों को ध्यान में रखते हुए बहुमुखी विकास में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार झाँसी जिले की ललितपुर तहसील को मार्च 1974 में एक नये जिले का रूप प्रदान किया गया। इस नये जिले के आर्थिक विकास के उद्देश्य से कृषि, सिंचाई, उद्योग, बिजली आदि की सुविधाओं को जन–जन तक सुलभ कराने के लिए व्यापक प्रयास किये गये।

स्थिति, सीमा एवं विस्तार :

ललितपुर जनपद झाँसी जिले के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश से चारों ओर से घिरा यह जिला विन्ध्यन पठार का एक भाग है। इसकी दक्षिणी सीमा में बेतवा नदी बहती है। ललितपुर जनपद सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र का "हृदय स्थल" कहा जा सकता है। ललितपुर जनपद बुन्देलखण्ड क्षेत्र में $24^{0}11'$ से $25^{0}13'$ उत्तरी अक्षांश तथा $78^{0}11'$ से $79^{0}0'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। इस जनपद के उत्तर में झाँसी, दक्षिण में सागर (म0प्र0), पूर्व में टीकमगढ़ एवं छतरपुर तथा पश्चिम में शिवपुरी एवं गुना जनपद स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5039 वर्ग किलोमीटर है।

इस जनपद की प्रमुख नदियाँ बेतवा, जमनी तथा धसान हैं। यहाँ मुख्य रूप से काली एवं लाल मिट्टी पायी जाती है।

जनपद में जनशक्ति :

ललितपुर जनपद के कुल 5039 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 9,77,734 व्यक्ति निवास करते हैं, जिसमें (2001 के अनुसार) 5,19,413 पुरुष तथा 4,58,321 महिलाएँ हैं।

जनपद का जनसंख्या घनत्व (2001) 194 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा लिंगानुपात 884 (प्रति 1000 पुरुष) है। निम्न तालिका में जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया है–

तालिका 2.22

जनपद ललितपुर में विभिन्न वर्षों में जनसंख्या की स्थिति (1981-2001)

वर्ष	जनसंख्या			दशकीय वृद्धि दर	लिंगानुपात(प्रति 1000 पुरुष)	जनसंख्या घनत्व
	व्यक्ति	पुरुष	महिला			
1981	663562	393219	270343	25.23	852	121
1991	863253	483912	379341	27.29	866	171
2001	977734	519413	458321	29.98	884	194

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् 1981 से 2001 के मध्य ललितपुर जनपद में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। जहाँ सन् 1981 में जनपद की कुल जनसंख्या 663562 थी, वहीं 2001 में बढ़कर 977734 व्यक्ति हो गई। दो दशकों में जनपद में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

साक्षरता :

जनपद ललितपुर में साक्षरता प्रदेश की तुलना में कम है। जहाँ उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 53.3 प्रतिशत (68.8 प्रतिशत पुरुष तथा 42.2 प्रतिशत महिला) हैं, वहीं प्रदेश की तुलना में यहाँ की साक्षरता दर (2001) 49.93 प्रतिशत ही है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 64.45 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर मात्र 33.25 प्रतिशत ही है। जनपद में विभिन्न वर्षों में साक्षरता का विवरण अग्रांकित तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है–

तालिका 2.23

जनपद ललितपुर में साक्षरता की स्थिति (1981-2001)

वर्ष	साक्षरता दर का प्रतिशत		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1981	40.39	54.93	29.32
1991	42.82	59.39	31.21
2001	49.93	64.45	33.25

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् 1981 से 2001 तक जनपद की साक्षरता दर में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज हुई है। जनपद में इस समय कुल 592

जूनियर बेसिक स्कूल, 35 सीनियर बेसिक स्कूल, 18 सेकेण्डरी स्कूल और 4 डिग्री कालेज हैं। जिले की आवश्यकतानुसार शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार हरसम्भव प्रयास कर रही है। शिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 2.24

जनपद ललितपुर में शिक्षण संस्थाओं का विवरण

तहसील का नाम	जूनियर बेसिक स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल	हायर सेकेण्डरी स्कूल	कॉलेज	अन्य
ललितपुर	198	22	4	2	2
मेहरोनी	188	21	3	1	2
तालबेहट	73	33	2	2	–

ललितपुर तहसील में जूनियर बेसिक स्कूल 198, सीनियर बेसिक स्कूल 22, हायर सेकेण्डरी स्कूल 4 तथा 1 डिग्री कालेज है। मेहरोनी में 188 जूनियर बेसिक स्कूल, 21 सीनियर बेसिक स्कूल, 3 हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं तथा तालबेहट तहसील में 73 जूनियर बेसिक स्कूल, 33 सीनियर बेसिक स्कूल, 2 हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा 1 डिग्री कालेज है।

कृषि :

जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई। वर्ष 1998 में जहाँ 163058 हेक्टेयर में कुल खेती होती थी, वहीं 2004–05 में 363721 हेक्टेयर में होने लगी और खाद्यान्न उत्पादन 190041 टन के स्थान पर 1053778 टन पहुँच गया। जहाँ पहले 45000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध थीं, वहीं अब बढ़कर 2004–05 में 589321 हेक्टेयर में सुलभ हो गई। उन्नत किस्म के बीजों की खपत 1998–99 में 2529 क्विंटल थी जो बढ़कर 2005–06 में 19053 क्विंटल हो गई। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु उर्वरकों के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 1999–2000 में जहाँ फास्फेरिक और पोटासिक उर्वरकों की खपत 2040 मीट्रिक टन थी, वहीं 2004–05 में बढ़कर 2628 मीट्रिक टन हो गयी। कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण कार्य में तेजी लाई गई।

कृषि पदार्थों के औसत उत्पादन वृद्धि दर निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 2.25

जनपद ललितपुर में औसत उत्पादन दर क्विंटल प्रति हेक्टेयर (2005-06)

फसल का नाम	कुन्तल प्रति हेक्टेयर
गेहूँ	12.76
चावल	6.35
मक्का	8.93
जौ	14.05
गन्ना	763.62

स्रोत – पर्सपेक्टिव प्लानिंग, उत्तर प्रदेश, पृ0 42, 43 (2005–06)

पशुपालन :

कृषि की नींव सबल और स्वस्थ्य पशुओं पर भी निर्भर करती है। इसलिए पशुओं के स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार कार्य में तेजी लाने के लिए पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गई।

सिंचाई :

जिले में इस समय 675 किमी0 लम्बी नहरें हैं। इसके अतिरिक्त 26013 पम्पसेट, 17181 रहट और 19312 पक्के कुएँ हैं, जिनसे सिंचाई का कार्य होता है। इन सिंचन साधनों से 1026200 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं। राजकीय वृहद एवं मध्यम सिंचाई साधनों से 458300 हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है। राजघाट, शहजाद, सजनाम आदि बाँधों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अतः जनपद की सिंचाई क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है।

उद्योग :

इस समय जिले में 85 लघु उद्योग इकाइयाँ पंजीकृत हैं। जिले के 166 हथकरघों से 1991–2000 में 4 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2008 में 5.4 लाख मीटर तक पहुँच गया।

जनपद हमीरपुर का आर्थिक एवं भौगोलिक परिचय –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रमुख जनपद हमीरपुर का भौगोलिक एवं आर्थिक परिचय निम्नवत् है–

स्थिति, सीमा एवं विस्तार :

हमीरपुर जिला बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक मध्यवर्ती प्रमुख भाग है। हमीरपुर जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण में $25^0 7'$ उत्तरी अक्षांश से $26^0 7'$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $79^0 17'$ पूर्वी देशान्तर से $80^0 21'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। हमीरपुर के उत्तर में जनपद जालौन (उरई), कानपुर तथा फतेहपुर, पूर्व में बाँदा, दक्षिण में महोबा और पश्चिम में झाँसी तथा जालौन जनपद स्थित है। सम्पूर्ण जनपद का क्षेत्रफल 4121.9 वर्ग किमी0 है। हमीरपुर की प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, धसान, बर्मा, केन, चन्द्रावल, पण्डावाहा आदि हैं। यह सभी नदियाँ जनपद में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। यमुना नदी जनपद की उत्तरी सीमा में बहती है। बेतवा नदी जनपद की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बहती है।

जनसंख्या :

हमीरपुर जनपद जनसंख्या की दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बड़े जनपदों में महत्वपूर्ण है। सन् 2001 के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 10,43,724 व्यक्ति थी, जिसमें 563801 पुरुष तथा 479923 महिलाएँ सम्मिलित हैं। यहाँ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.85 प्रतिशत है तथा जनसंख्या का घनत्व 241 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। यहाँ जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 852 स्त्रियाँ हैं। विभिन्न दशकों में जनसंख्या का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

तालिका 2.26

जनपद हमीरपुर में जनसंख्या का वितरण (1981-2001)

वर्ष	जनसंख्या			दशकीय वृद्धि दर	लिंगानुपात(प्रति 1000 पुरुष)	जनसंख्या घनत्व
	व्यक्ति	पुरुष	महिला			
1981	843621	493632	349989	14.83	872	204
1991	948532	563622	384910	15.35	838	230
2001	1043724	563801	479923	17.85	852	241

हमीरपुर जनपद में नगरों का कार्यात्मक विवरण :

हमीरपुर जनपद में कुल चार नगर– चरखारी, हमीरपुर, मौदहा तथा राठ है। चारों नगरों का कार्यात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 2.27

जनपद हमीरपुर में नगरों का कार्यात्मक विवरण

क्र0सं0	कार्यात्मक श्रेणी	नगर का नाम
1.	सर्विसेज	हमीरपुर
2.	प्राथमिक क्रियाएँ	चरखारी
3.	प्राथमिक क्रियाएँ – उद्योग	राठ
4.	प्राथमिक क्रियाएँ – सर्विसेज	मौदहा

हमीरपुर जिला मुख्यालय है। यह एक बहु कार्यात्मक नगर है, जिसमें 46.28 प्रतिशत सर्विस क्लास है। चरखारी भी एक बहु कार्यात्मक नगर है, जिसमें 47.96 प्रतिशत लोग प्राथमिक प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं तथा जिला मुख्यालय से 106 किमी0 की दूरी पर अवस्थित राठ नगर एक बहुत कार्यात्मक नगर है। (सर्विस, क्रियाएँ, उद्योग) जोकि जिला मुख्यालय से 31 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इस नगर में 33.57 प्रतिशत मजदूर वर्ग में तथा प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोगों की संख्या 26.36 प्रतिशत है।

तालिका 2.28

जनपद हमीरपुर में जिला मुख्यालय से विभिन्न तहसीलों की दूरी

क्र0सं0	नगर का नाम	जिला मुख्यालय से दूरी (किमी0 में)
1.	हमीरपुर	0
2.	राठ	81
3.	मौदहा	32
4.	चरखारी	106

निम्न तालिका में प्रति व्यक्ति आय तथा व्यय को दिखाया गया है–

तालिका 2.29

जनपद हमीरपुर में प्रति व्यक्ति आय-व्यय का विवरण

नगर की की श्रेणी	नगरों की की संख्या	प्रति व्यक्ति						
		आय (रुपये में)			व्यय (रुपये में)			
		कुल आय	करों से प्राप्त आय	अन्य वस्तुओं से आय	कुल व्यय	सार्वजनिक स्वास्थ्य में व्यय	सार्वजनिक संस्थाओं में व्यय	अन्य कार्यों में व्यय
श्रेणी III 20000 से 49999	2 राठ	17.63	4.44	13.24	15.72	4.25	3.15	8.32
श्रेणी IV 10000 से 19999	3 चरखारी हमीरपुर तथा मौदहा	16.63	5.66	4.97	10.93	3.15	2.81	4.77

स्रोत – जनगणना हमीरपुर (2001) पृ0 9

श्रेणी तृतीय तथा चतुर्थ नगरों की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 17.68 तथा 10.63 प्रति व्यक्ति है तथा प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः 15.72 तथा 10.93 प्रति व्यक्ति है। उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी के वर्ग की आय, व्यय की अपेक्षा अधिक है। लेकिन चतुर्थ वर्ग के नगरों की आय तथा व्यय का अनुपात लगभग बराबर है।

जलापूर्ति :

सभी नगर जलापूर्ति की सुविधाओं से युक्त हैं तथा विद्युत आपूर्ति के साधन भी विद्यमान हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ :

मौदहा तथा चरखारी में 5 अस्पताल तथा एक परिवार नियोजन केन्द्र है। राठ में 4 अस्पताल, 5 डिस्पेन्सरी तथा 2 परिवार नियोजन केन्द्र है। हमीरपुर में 6 अस्पताल, 1 टी.बी. क्लीनिक तथा 2 परिवार नियोजन केन्द्र है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर शय्या संख्या निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका 2.30

हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाएँ

मेडिकल संस्था में शय्या की संख्या	प्रति 1000 व्यक्तियों की शय्या
1161	12 (2 : 64)

सन् 1998 में शय्या की संख्या 139 थी जो 2002 में बढ़कर 1161 हो गई।

शिक्षा सुविधाएँ :

राठ में कृषि संकाय का डिग्री कालेज है। जहाँ पर इस जनपद के अन्य नगरों के निवासी लाभान्वित होते हैं। चारों नगरों में से दो नगरों हमीरपुर तथा मौदहा में एक मेडिकल कालेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इस जनपद में हायर सेकेण्डरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल प्रति 1000 जनसंख्या पर निम्नलिखित है--

तालिका 2.31

हमीरपुर जिले में शिक्षा सुविधाएँ

नगरों का नाम	हायर सेकेण्डारी स्कूल	मिडिल स्कूल	प्राइमरी स्कूल
चरखारी	0.18	0.35	0.88
हमीरपुर	0.27	0.15	0.85
मौदहा	0.18	0.12	0.80
राठ	0.15	0.13	0.60

स्रोत -- जनगणना हमीरपुर, पृ0 9 व 10

विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्र में विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 2.32

हमीरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं का विवरण

समीपतम् नगर से दूरी (किमी0 में)	कुल ग्रामों की संख्या	प्राइमरी स्कूल	मिडिल स्कूल	हायर सेकेण्डरी स्कूल	कालेज	अन्य
0 – 5	92	40	3	1	0	0
6 – 10	161	100	5	0	1	1
11 – 15	153	86	15	1	0	0
16 – 25	360	241	38	7	2	1
26 – 50	374	220	22	1	0	0
योग	**1148**	**687**	**83**	**10**	**3**	**2**

स्रोत – जनगणना हमीरपुर, पृ0 11

हमीरपुर जनपद में 687 प्राइमरी स्कूल, 83 मिडिल स्कूल, 10 हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा 2 कालेज है। समीपतम नगर से 0–5 किमी0 की दूरी पर कुल 92 ग्राम हैं, जिनमें 40 ग्रामों में प्राइमरी स्कूल, 3 ग्रामों में मिडिल स्कूल तथा 1 ग्राम में हायर सेकेण्डरी स्कूल है। इसी प्रकार 6–10 किमी0 दूरी समूह में 100 ग्रामों में प्राइमरी स्कूल तथा 5 ग्रामों में मिडिल स्कूल है। 11–15 किमी0 की दूरी समूह में कुल ग्रामों में संख्या 153 है, जिनमें 86 ग्रामों में प्राइमरी स्कूल, 15 ग्रामों में मिडिल स्कूल तथा 1 ग्राम में हायर सेकेण्डरी स्कूल है। 16–25 किमी. दूरी समूह में कुल ग्रामों में संख्या 360 है, जिनमें 38 ग्रामों में मिडिल स्कूल, 7 ग्रामों में हायर सेकेण्डरी स्कूल, 2 ग्रामों में कॉलेज तथा 1 स्थान पर अन्य शिक्षण संस्था है। 25–50 किमी0 दूरी समूह में कुल ग्रामों की संख्या 374 है, जिनमें 22 ग्रामों में प्राइमरी स्कूल तथा केवल एक ग्राम में मिडिल स्कूल है। अन्य शिक्षण संस्था केवल एक है, जिनमें पूरे जनपद के नागरिक शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। कुल मिलाकर ग्रामों की संख्या तथा जनसंख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिक्षण सुविधाओं की काफी कमी है। विशेषकर उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए लोगों को अधिक दूरी तय करना पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों का विवरण :

हमीरपुर जनपद में कुल 1148 ग्राम हैं। विभिन्न तहसीलों में ग्रामों की संख्या तालिका में दी गई है–

तालिका 2.33

हमीरपुर जिले में ग्रामों की संख्या

तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या
राठ	259
हमीरपुर	234
चरखारी	279
मौदहा	309
कुल	**1081**

स्रोत – जनगणना हमीरपुर के मानचित्र से।

सर्वाधिक ग्रामों की संख्या चरखारी तहसील में है जोकि 279 है। राठ तहसील में 259 ग्राम, हमीरपुर में 234 ग्राम तथा मौदहा में 309 ग्राम है।

विद्युत :

हमीरपुर जनपद के कुल 867 ग्रामों में केवल 395 ग्रामों में विद्युतीकरण हुआ तथा पूरे जनपद का विद्युतीकरण का प्रतिशत 48.87 है।

मौदहा तहसील में केवल 18 ग्राम का विद्युतीकरण हुआ है जोकि न्यूनतम है। निम्न तालिका में विद्युत आपूर्ति का विवरण समीपतम नगर से दूरी के आधार पर दिया गया है–

तालिका 2.34

हमीरपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण की स्थिति

समीपतम नगर दूरी (किमी0 में)	कुल ग्रामों की संख्या	ग्रामों की सं0 जिनमें कि विद्युत आपूर्ति होती है	
		योग	कुल ग्रामों का प्रतिशत
0 – 5	92	6	6.52
6 – 10	251	5	3.31
11 – 15	253	5	8.61
16 – 25	260	26	4.44
26 – 50	274	36	42.57
51 – 100	18	2	11.11
101 – 200	–	–	–
201 से ऊपर	–	–	–
कुल योग	**1148**	**80**	–

स्रोत – जनगणना हमीरपुर, पृ0 12

हमीरपुर जनपद के कुल ग्रामों से सापेक्ष्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम् 42.55 है, जोकि 28–50 किमी0 दूरी समूह में है तथा न्यूनतम प्रतिशत 8.61 है जोकि 11.15 किमी0 दूरी समूह में आता है।

यातायात :

हमीरपुर जनपद में यातायात प्रतिशत को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका 2.35

हमीरपुर जनपद में यातायात का प्रतिशत

समीपतम नगर से दूरी (किमी0में)	कुल ग्रामों की सं0	ग्रामों की संख्या जोकि सम्बन्धित है							
		पक्की सड़क	कच्ची सड़क	पक्की कच्ची सड़क	पक्की सड़क +ट्रेन	कच्ची सड़क +ट्रेन	पक्की सड़क +नदी	कच्ची सड़क +नदी	अन्य
0–5	92	23	32	3	2	2	–	–	3
6–10	151	40	78	4	3	2	–	4	–
11–15	153	22	85	4	5	5	–	–	4
16–25	360	66	214	6	3	3	–	4	4
26–50	374	45	234	19	5	11	–	2	1
51–100	18	–	2	12	–	–	–	–	–
101–200	–	–	1	–	–	–	–	–	–
201से ऊपर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग	**1148**	**197**	**646**	**42**	**18**	**22**	–	**12**	**12**

स्रोत – जनगणना हमीरपुर, पृ0 12

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्राम नगर से 16–25 किमी0 के समूह में आते हैं। वह यातायात की अधिक सुविधाओं से युक्त हैं। इस प्रकार की दूरी में कुल 360 ग्राम आते हैं, जिनमें से 66 ग्राम पक्की सड़क, 214 ग्राम कच्ची सड़क, 6 ग्राम पक्की तथा कच्ची सड़क, 3 ग्राम पक्की सड़क और ट्रेन की सुविधाओं से युक्त हैं। 0–5 किमी0 दूरी समूह में कुल 92 ग्राम आते हैं जिनमें से 23 ग्राम पक्की सड़क, 32 ग्राम कच्ची सड़क, 3 ग्राम पक्की तथा कच्ची सड़क तथा 2 ग्राम पक्की सड़क तथा ट्रेन की सुविधाओं से युक्त हैं। इसी प्रकार 6–10 किमी0 दूरी समूह में 151 ग्राम आते हैं जिनमें से 40 ग्राम पक्की सड़क, 78 ग्राम कच्ची सड़क, 4 ग्राम पक्की तथा कच्ची सड़क तथा 3 ग्राम पक्की सड़क तथा ट्रेन तथा 2 ग्राम कच्ची सड़क तथा ट्रेन की सुविधाओं से युक्त हैं। 51–100 किमी0 दूरी समूह में आने वाले कुल ग्रामों की संख्या 18 है जिनमें से 2 ग्राम कच्ची सड़क, 10 ग्राम पक्की तथा कच्ची सड़क सुविधाओं से युक्त हैं। इसी प्रकार 25–50 किमी0 दूरी समूह में 374 ग्राम आते हैं जिनमें से 41 ग्राम पक्की सड़क, 234 ग्राम कच्ची

सड़क, 19 ग्राम पक्की तथा कच्ची सड़क, 5 ग्राम पक्की सड़क तथा ट्रेन, 11 ग्राम कच्ची सड़क तथा ट्रेन की सुविधाओं से युक्त हैं। हमीरपुर जनपद के कुल 1148 ग्रामों में 197 ग्राम पक्की सड़क से युक्त हैं, 646 ग्राम कच्ची सड़क से युक्त, 42 ग्राम पक्की सड़क तथा कच्ची सड़क से युक्त हैं, 13 ग्राम पक्की सड़क तथा ट्रेन से युक्त, 21 ग्राम कच्ची सड़क तथा ट्रेन से युक्त एवं कच्चे मार्ग तथा नदी से युक्त 12 ग्राम तथा अन्य साधनों से युक्त 12 ग्राम हैं।

संचार की सुविधाएँ :

हमीरपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 170 पोस्ट ऑफिस है। औसत की दृष्टि से प्रति 7 ग्रामों में 3 पोस्ट ऑफिस है। निम्न तालिका में प्रति 100 वर्ग किमी0 पर पोस्ट ऑफिस की संख्या दी गई है।

तालिका 2.36

हमीरपुर जिले में संचार सुविधाएँ

तहसील का नाम	सम्पूर्ण क्षेत्र (वर्ग किमी0 में)	प्रति 100 वर्ग किमी0 पर पोस्ट ऑफिस की सुविधाएँ
राठ	167.10	3
हमीरपुर	1087.9	4
मौदहा	1582.8	4
चरखारी	1470.8	3

स्रोत – जनगणना हमीरपुर, पृ0 12

राठ, चरखारी में प्रति 100 वर्ग किमी0 पर पोस्ट ऑफिस की संख्या 3 है जबकि हमीरपुर तथा मौदहा में प्रति 100 वर्ग किमी0 पर पोस्ट ऑफिस की संख्या 44 है। वर्तमान समय में संचार के अन्य साधनों के रूप में टेलीफोन, मोबाइल, इन्टरनेट आदि का विस्तार तेजी से हो रहा है।

कृषि एवं भूमि उपयोग :

हमीरपुर जनपद में गेहूँ तथा चावल दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। सम्पूर्ण कृषित क्षेत्रफल का 24.40 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचित है। निम्न तालिका में समीपतम नगर से दूरी के आधार पर ग्रामों की संख्या एवं उनका भूमि उपयोग प्रतिरूप दर्शाया गया है।

तालिका 2.37

जनपद हमीरपुर में भूमि उपयोग का विवरण

समीपतम नगर से दूरी (किमी में)	कुल ग्रामों की संख्या	कुल कृषित क्षेत्रफल (एकड़ में)	औसत कृषित क्षेत्रफल प्रतिग्राम (एकड़ में)	कुल कृषि योग्य बेकार भूमि (एकड़ में)	औसत कृषि योग्य बेकार भूमि प्रति ग्राम (एकड़ में)	कृषि योग्य बेकार भूमि का प्रतिशत (प्रति ग्राम) (कुल कृषित सापेक्ष्य में)
0—5	92	57327	623	6247	68	10.91
6—10	151	163621	1083	22488	149	13.76
11—15	153	184516	1206	28005	183	15.17
16—25	360	522023	1450	68857	191	13.17
26—50	374	396872	1061	76038	189	17.81
51—100	18	8500	472	3933	218	46.19
101—200	—	—	—	—	—	—
200 से ऊपर	—	—	—	—	—	—
कुल योग	**1148**	**1332859**	**1161**	**205568**	**179**	**15.42**

स्रोत — जनगणना हमीरपुर, पृ0 14

सर्वाधिक कृषित भूमि 16—25 किमी0 दूरी समूह में है (522023) इस समूह में प्रति ग्राम औसत कृषित भूमि का क्षेत्रफल 1450 एकड़ है। कम कृषित क्षेत्रफल वाले ग्राम 18 है जो 51—100 किमी0 दूरी समूह में आते हैं। इस समूह में प्रति ग्राम औसत कृषित क्षेत्रफल 472 है।

प्रति ग्राम औसत कृषित क्षेत्रफल 0—5 किमी0 दूरी समूह में 623 एकड़, 6—10 में 1083, 11—15 में 1206, 16—25 में 1450, 25—50 में 1061 तथा 51—100 में 472 एकड़ है। हमीरपुर जनपद में कृषि योग्य बेकार भूमि 0—5 किमी0 दूरी समूह में प्रति ग्राम का औसत 68, 6—10 में 149, 11—15 में 183, 16—25 में 191, 25—50 में 181, 51—100 में 189, 101—200 में 218 है। सम्पूर्ण कृषित क्षेत्रफल में कृषि योग्य बेकार भूमि का प्रतिशत 0—5 किमी0 दूरी समूह में 10.91 प्रतिशत, 6—10 में 13.76, 11—15 में 15.17, 16—25 में 13.17, 26—50 में 17.81, 51—100 में 17.81, 101—200 में 46.19 प्रतिशत है।

कृषि योग्य बेकार भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत 46.19 है, जोकि 51–100 किमी0 दूरी समूह में आता है। इसी प्रकार कृषि योग्य बेकार भूमि का न्यूनतम् प्रतिशत 13.17 है, जोकि 16–25 किमी0 दूरी समूह में आता है।

हमीरपुर जनपद में कुल कृषित क्षेत्रफल 1332859 है तथा सम्पूर्ण कृषित भूमि का औसत प्रति ग्राम 1161 है तथा कृषि योग्य बेकार भूमि 205568 है तथा कृषि योग्य बेकार भूमि का औसत प्रति ग्राम 179 है।

तालिका 2.38

(क) हमीरपुर जनपद के नगरों के कुछ आधारभूत आँकड़ें

तहसील का नाम	तीन मुख्य वस्तुएँ जिनका आयात किया जाता है		
	1	2	3
चरखारी	मशीनरी	कपड़ा	तेल
हमीरपुर	चीनी	कपड़ा	मसाला
मौदहा	लोहा	कपड़ा	सीमेंट
राठ	भोज्य पदार्थ	फुटकर सामान	कपड़ा

(ख) निर्यात वस्तुएँ

तहसील का नाम	तीन मुख्य वस्तुएँ जिनका आयात किया जाता है		
	1	2	3
चरखारी	लोहे का सामान	जूते	हथकरघा
हमीरपुर	दालें	खाद्य तेल	–
मौदहा	लकड़ी के सामान	कृषिगत सामान	जूते
राठ	कृषिगत सामान	खादी	दवाएँ

(ग) निर्माण वस्तुएँ

तहसील का नाम	तीन मुख्य वस्तुएँ जिनका आयात किया जाता है		
	1	2	3
चरखारी	लोहे का सामान	जूते	हथकरघा
हमीरपुर	दालें	खाद्य तेल	–
मौदहा	लकड़ी के सामान	कृषिगत सामान	जूते
राठ	कृषिगत सामान	खादी	दवाएँ

स्रोत – जनगणना हमीरपुर, पृ0 8–9

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमीरपुर जनपद में विकास कार्य सामान्य गति से ही चल रहे हैं। यहाँ के भूमिगत उपयोग की मात्रा बहुत कम है। यातायात तथा संचार की सुविधाएँ भी अपेक्षाकृत कम ही है। जनसंख्या की शिक्षा के लिए सरकार यद्यपि इधर सचेष्ट हुई है फिर भी अभी यहाँ साक्षरता का प्रतिशत उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम 50.10 ही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक परियोजनाएँ बनाई हैं। आशा है कि इस 10वीं योजना के कार्यकाल में पुरानी तथा नई परियोजनाओं में अधिक सतर्कता के साथ कार्य होगा और यह प्रयत्न किया जायेगा कि यहाँ की जनता को विकास का कुछ और अधिक फल प्राप्त हो।

जनपद महोबा का आर्थिक एवं भौगोलिक परिचय –

महोबा जनपद उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक नवीनतम जिला है, जो पहले हमीरपुर की एक बड़ी तहसील थी। बाद में इसे जनपद का दर्जा दिया गया। इसका भौगोलिक एवं आर्थिक परिचय निम्नवत् है–

स्थिति, सीमा एवं विस्तार :

जनपद महोबा बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक मध्यवर्ती भाग है। महोबा जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण में $24^0 61'$ उत्तरी अक्षांश से $27^0 6'$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $78^0 17'$ पूर्वी देशान्तर से $81^0 21'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। महोबा जनपद के उत्तर में हमीरपुर, उत्तर पश्चिम में झाँसी, पूर्व एवं पश्चिम में मध्य प्रदेश स्थित है। सम्पूर्ण जनपद का क्षेत्रफल लगभग 1456.4 वर्ग किमी0 है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, धसान तथा केन है। यह सभी नदियाँ जनपद में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मुख्य रूप से लाल व काली मिट्टी पायी जाती है।

जनपद में जनशक्ति :

महोबा जनपद जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लघुतम जनपदों में से एक है। सन् 2001 के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 708447 है, जिसमें 379691 पुरुष तथा 328756 महिलाएँ हैं। यहाँ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.80 प्रतिशत है। यहाँ का जनघनत्व 249 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। यहाँ

जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 866 स्त्रियाँ हैं। विभिन्न दशकों में जनसंख्या का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

तालिका 2.39

जनपद हमीरपुर में जनसंख्या का वितरण (1981-2001)

वर्ष	जनसंख्या			दशकीय वृद्धि दर	लिंगानुपात(प्रति 1000 पुरुष)	जनसंख्या घनत्व
	व्यक्ति	पुरुष	महिला			
1981	459932	302531	157401	18.39	876	215
1991	588321	309321	279000	19.49	868	204
2001	708447	379691	328756	21.80	866	249

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् 1981 से 2001 के बीच महोबा जनपद में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। जहाँ सन् 1981 में जनपद की कुल जनसंख्या 459932 व्यक्ति थी, वहीं दो दशकों में यह जनसंख्या बढ़कर 708447 व्यक्ति हो गई। 1981 से 2001 के मध्य जनपद में जनसंख्या में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

साक्षरता :

महोबा जनपद में साक्षरता बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य जिलों की अपेक्षा कम है। सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड की तुलना में इस जनपद की साक्षरता दर 54.23 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 66.83 प्रतिशत है तथा महिला साक्षरता दर 39.57 प्रतिशत ही है। जनपद में विभिन्न वर्षों में साक्षरता को अग्रांकित तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है–

तालिका 2.40

जनपद महोबा में साक्षरता की स्थिति (1981-2001)

वर्ष	साक्षरता दर का प्रतिशत		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1981	48.83	56.52	31.32
1991	50.91	61.81	35.32
2001	54.23	66.83	39.57

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् 1981 से 2001 तक जनपद की साक्षरता दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जनपद में इस समय कुल 215 जूनियर बेसिक स्कूल, 38 सीनियर बेसिक स्कूल, 10 सेकेण्डरी स्कूल और 2 डिग्री कालेज हैं। जिले की आवश्यकतानुसार शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार हरसम्भव प्रयास कर रही है। शिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 2.41

जनपद महोबा में शिक्षण संस्थाओं का विवरण

तहसील का नाम	जूनियर बेसिक स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल	हायर सेकेण्डरी स्कूल	कॉलेज	अन्य
पनवाड़ी	37	10	3	1	–
महोबा	90	18	5	1	1
कुलपहाड़	98	38	10	2	1

खाद्यान्न उत्पादन :

महोबा जनपद में खरीफ, जायद तथा रबी तीनों फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से गेहूँ, जौ, ज्वार, धान, बाजरा, मक्का तथा उर्द, मसूर, चना, मटर व अरहर का उत्पादन किया जाता है। जनपद में विभिन्न फसलों की उत्पादन मात्रा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 2.42

जनपद महोबा में विभिन्न फसलों का उत्पादन (2004-05)

क्र0सं0	फसल का नाम	उत्पादन (कुन्तल में)
1.	धान	6893
2.	गेहूँ	5932
3.	जौ	1501
4.	ज्वार	639
5.	मक्का	936
6.	बाजरा	786
7.	अन्य	939
	कुल	**17620**

तालिका 2.43

जनपद महोबा में दलहन का उत्पादन (2004-05)

क्र0सं0	फसल का नाम	उत्पादन (कुन्तल में)
1.	उर्द	830
2.	मूँग	292
3.	मसूर	460
4.	चना	832
5.	मटर	630
6.	अरहर	520
	कुल	3564

तालिका 2.44

जनपद महोबा में तिलहन का उत्पादन (2004-05)

क्र0सं0	फसल का नाम	उत्पादन (कुन्तल में)
1.	लाही / सरसों	9292
2.	अलसी	1010
3.	तिल	921
4.	मूँगफली	1302
5.	अन्य	890
	कुल	13415

वित्तीय संस्थान :

जनपद में वित्तीय संस्थानों की स्थिति संतोषजनक है, जोकि जनपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। व्यवसायिक ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों की कुल 165 शाखाएँ इस जनपद में हैं–

<u>तालिका 2.45</u>

विभिन्न तहसीलों में व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक

क्र0सं0	तहसील का नाम	बैंक की शाखायें
1.	पनवाड़ी	33
2.	महोबा	75
3.	कुलपहाड़	32
4.	चरखारी	25
	कुल	165

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद महोबा, 2005–06

पशुपालन एवं मत्स्य (2004) :

जनपद में कुल पशु 317622 हैं, जिनमें से गायों की संख्या 87536 तथा भैंसों की संख्या 153011 है। 18326 बकरा एवं बकरी हैं तथा शेष 58749 अन्य पशु हैं। इसके अतिरिक्त कुल कुक्कुट 123936 हैं। विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षी विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में अच्छा योगदान देते हैं। जनपद में मत्स्य पालन की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी जलाशय 21946.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हैं तथा निजी क्षेत्र के जलाशय 3600 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हैं।

मत्स्य पालन ने न केवल जनपद में व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया, बल्कि सरकार को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2006–07 में सरकार को राजस्व के रूप में 181598 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

सड़क परिवहन :

किसी भी क्षेत्र को आर्थिक गति देने में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस जनपद में लोकनिर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में 1277 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है तथा स्थानीय निकायों द्वारा 110 किमी0 सड़क बनवाई गई है।

दूरसंचार व्यवस्था :

जनपद में संचार के लिए पर्याप्त डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल तथा इण्टरनेट की सुविधा का विकास किया गया है। वर्ष 2006 तक कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1933 (लैण्ड–लाइन) तथा 29635 मोबाइल है।

विद्युत :

आधुनिक युग में मानव कल्याण एवं उसके आर्थिक विकास की दृष्टि से विद्युत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2006 में 128 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनपद में कुल 3926440 हजार वाट प्रति किमी0 तथा प्रति घंटे का उपभोग हो रहा है।

खनिज :

यह जनपद खनिज उपलब्धता की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। पथरीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ मिट्टी तथा पत्थर का काम विशेष रूप से होता है तथा नदियों के तट से मौरंग भी प्राप्त होती है।

औद्योगिक गतिविधियाँ :

जनपद में मुख्य रूप से लघु एवं ग्रामीण उद्योग कार्यरत हैं, इनमें मुख्य रूप से हथकरघा, रासायनिक, रेशम, इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प, नारियल की जटा, खादी ग्रामोद्योग सम्मिलित हैं। जनपद में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं क्योंकि यहाँ पर शैक्षिक, यातायात तथा वित्तीय सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

जनपद बाँदा का आर्थिक एवं भौगोलिक परिचय –

महोबा जनपद उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक जिला है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीनकाल में वामदेव नाम के एक महात्मा यहाँ पर निवास करते थे, जिनके नाम पर इस जगह का नाम वामदा रखा गया था, जोकि बाद में बाँदा के नाम से जाना जाने लगा। इसका भौगोलिक एवं आर्थिक परिचय निम्नवत् है–

स्थिति, सीमा एवं विस्तार :

जनपद बाँदा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिवीजन में है एवं इसका मुख्यालय बाँदा में है। बाँदा जनपद का कुल क्षेत्रफल 4149 वर्ग किमी0 है, जिसमें नगरीय क्षेत्रफल 34.81 वर्ग किमी0 एवं ग्रामीण क्षेत्रफल 4114.20 वर्ग किमी0 है। इसकी उत्तरी सीमा फतेहपुर जनपद, पूर्वी सीमा चित्रकूट जनपद, पश्चिमी सीमा हमीरपुर और महोबा जनपद एवं दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश के सतना, पन्ना एवं छतरपुर जनपदों से मिलती है। बाँदा जनपद बुन्देलखण्ड क्षेत्र में $24^{0}53'$ से $25^{0}55'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{0}7'$ से $81^{0}34'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह जनपद पूर्व से पश्चिम में 75 किमी0 एवं उत्तर से दक्षिण में 52.50 किमी0 फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ यमुना, वघैन तथा केन है।

जनपद में जनशक्ति :

जनपद की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1500253 है, जिसमें 806543 पुरुष तथा 693710 महिलाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या 1256230 एवं नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या 244023 है। यहाँ का जनघनत्व 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। यहाँ जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 860 स्त्रियाँ हैं।

साक्षरता :

जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 44.3 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 56.82 प्रतिशत है तथा महिला साक्षरता दर 29.74 प्रतिशत ही है। जनपद में विभिन्न वर्षों में साक्षरता को अग्रांकित तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है–

तालिका 2.46

जनपद बाँदा में साक्षरता की स्थिति (1991-2001)

वर्ष	साक्षरता		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1991	377420	296440	80980
2001	664686	458330	206356

वित्तीय संस्थान :

जनपद में वित्तीय संस्थानों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, जोकि इस जिले के पिछड़ेपन का द्योतक प्रतीत होता है। इस जिले में कुल 77 बैंक की शाखायें हैं, जिनमें से 28 राष्ट्रीयकृत बैंक एवं 49 ग्रामीण बैंकों की शाखायें हैं एवं सहकारी बैंक की कोई शाखा नहीं है। विभिन्न विकास खण्डों में बैंक शाखाओं का विवरण निम्नप्रकार हैं–

तालिका 2.47

विभिन्न तहसीलों में व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक

क्र0सं0	विकास खण्ड	राष्ट्रीयकृत बैंक	ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक
1.	जसपुरा	1	5	–
2.	तिन्दवारी	2	5	–
3.	वड़ोखर खुर्द	1	11	–
4.	बबेरू	–	5	–
5.	कैमासिन	1	3	–
6.	विसंदा	1	2	–
7.	महुवा	3	4	–
8.	नरैनी	3	6	–
	कुल ग्रामीण	12	41	–
	कुल नगरीय	16	8	–
योग		**28**	**49**	–

सड़क परिवहन :

इस जनपद में यात्री बस एवं मोटर ट्रक काफी समय से यातायात का प्रमुख साधन रहे हैं। वर्तमान समय में इस जनपद में उ0प्र0 परिवहन की 50 से अधिक बसें चल रही हैं। जनपद में वर्ष 2006–07 तक पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1668 किमी0 है, जिसमें लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क की लम्बाई 1510 किमी0 तथा स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित सड़क की लम्बाई 158 किमी0 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 67 किमी0, राजकीय राजमार्गों की लम्बाई 234 किमी0, जिले के अन्य मुख्य सड़कों की लम्बाई 107 किमी0 तथा जिले के अन्य ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 1102 किमी0 है।

दूरसंचार व्यवस्था :

जनपद में संचार के साधनों की स्थिति संतोषजनक ही कही जा सकती है। 2007–08 तक जिले में कुल डाकखानों की संख्या 211, टेलीग्राफ कार्यालयों की संख्या 9 एवं कुल पीसीओ की संख्या 351 है। जनपद में कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 16586 है लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न सरकारी एवं निजी कम्पनियों द्वारा अत्यधिक कम मूल्य पर मोबाइल कनेक्शन दिये जाने के कारण दूरसंचार के क्षेत्र में क्रान्ति आयी है। इसके अलावा इण्टरनेट की सुविधा का विकास हुआ है।

विद्युत :

बाँदा जनपद में बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों की तरह विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। 2001–02 तक कुल 541 गाँव का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं 8 शहर/नगरों का भी विद्युतीरकण किया जा चुका है। 2001–02 तक 489 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित निकायों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

खनिज :

खनिज की दृष्टि से बाँदा जनपद बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस जिले की खनिज सम्पदा में मुख्य रूप से पायरोफिलाइट एवं डायस्पर, डोलोमाइट, वोक्साइट आदि आते हैं।

प्रशासनिक संरचना :

बाँदा जिले में चार तहसीलें– बाँदा, नरैनी, बबेरू एवं अतर्रा हैं तथा इन तहसीलों में कुल आठ विकास खण्ड– बड़ोखर खुर्द, जसपुरा, तिन्दवारी, नरैनी, महुवा, बबेरू एवं कमासिन हैं। विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाले गाँवों, ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों आदि का विवरण निम्न प्रकार है–

तालिका 2.48

विभिन्न विकास खण्डों में ग्राम/ग्रामपंचायत/न्याय पंचायत

क्र0सं0	विकास खण्ड	कुल ग्राम	कुल आबाद ग्राम	ग्राम पंचायत	न्याय पंचायत
1.	बबेरू	84	79	9	57
2.	बड़ोखर खुर्द	76	73	8	52
3.	जसपुरा	45	45	6	30
4.	कमासिन	76	75	8	52
5.	महुवा	133	119	10	71
6.	नरैनी	158	147	14	90
7.	तिन्दवारी	89	80	9	51

कृषि/खाद्यान्न उत्पादन :

बाँदा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होने एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न उपायों के बावजूद भी कृषि सम्बन्धी अनिश्चितता एवं वर्षा पर आधारित होने के कारण यहाँ पर परम्परागत खेती ही होती है। जनपद में मुख्य रूप से खरीफ एवं रबी की फसलों का उत्पादन किया जाता है। पुराने प्रमाणों में देखा जाता है कि कोटन यहाँ की मुख्य फसलों में रहा है। वर्तमान में इसकी खेती लगभग समाप्त हो चुकी है। वर्तमान समय में इस जिले की मुख्य फसलें निम्न प्रकार हैं–

(1) **खरीफ** - इस फसल का उत्पादन जुलाई से नवम्बर माह के मध्य में किया जाता है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द, अरहर आदि मुख्य है। वर्तमान में सरकार द्वारा सोयाबीन की फसल को खरीफ की मुख्य फसल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

(2) **रबी** - रबी की फ़सल में मुख्य रूप से गेहूँ, जबा, चना, सरसों, अलसी, मसूर एवं मटर की खेती की जाती है।

(ज) जायद - इस फसल की खेती सामान्यतया नदी के तलों पर की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से ककड़ी, तरबूज, खरबूज एवं अन्य सब्जियाँ की जाती है।

औद्योगिक गतिविधियाँ :

बाँदा जिले में उद्योगों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। वर्ष 2002–03 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 9 थी, जोकि वर्ष 2003–04 में 5 एवं 2004–05 में केवल 4 रह गई थी। लघु एवं ग्रामीण उद्योग ही इस जनपद में औद्योगीकरण का एक प्रमुख हिस्सा हैं। ग्रामीण उद्योगों में यहाँ पर कुल 591 कारखाने हैं, जिसमें से 20 औद्योगिक सहकारी संस्थाओं, एक पंजीकृत सहकारी संस्था एवं 570 निजी उद्योगों द्वारा चलाये जा रहे हैं। जिले में लघु उद्यागों की स्थिति निम्न तालिका द्वारा समझी जा सकती है–

<u>तालिका 2.49</u>

बाँदा जिले में लघु, उद्योग इकाईयों की स्थिति (2007-08)

क्र0सं0	लघु उद्योग का क्षेत्र	कार्यरत संस्था				
		पंचायत	औद्योगिक सहकारी संस्था	पंजीकृत सहकारी संस्था	निजी उद्योग	योग
1.	अभियांत्रिकी	–	–	–	116	116
2.	रसायन	–	–	–	40	40
3.	विधायन	–	–	2	3	5
4.	हथकरघा	–	–	2	2	4
5.	सिल्क	–	–	–	–	–
6.	नारियल जूट	–	–	–	258	258
7.	हस्तशिल्प	–	–	–	821	821
8.	अन्य	–	–	–	784	784
	कुल	–	–	4	2024	2028
	कर्मचारियों की सं0	–	–	9	7007	7016

स्वास्थ्य सेवायें :

स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टिसे बाँदा जिले की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। जिले में विभिन्न प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्यापैथिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा परिवार कल्याण केन्द्र हैं।

श्रम एवं रोजगार :

श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में यह जिला काफी पिछड़ा हुआ है। पंजीकृत उद्योगों, लघु उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका 2.50

पंजीकृत उद्योगों, लघु उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योगों में कार्यरत लोगों की सं0

वर्ष	पंजीकृत उद्योग		लघु उद्योग		खादी ग्रामोद्योग	
	इकाईयों की सं0	कार्यरत व्यक्ति	इकाईयों की सं0	कार्यरत व्यक्ति	इकाईयों की सं0	कार्यरत व्यक्ति
2005–06	–	–	1953	6478	432	1542
2006–07	–	–	2078	6989	473	2109
2007–08	–	–	2078	6989	511	2639

जनपद चित्रकूट का आर्थिक एवं भौगोलिक परिचय –

चित्रकूट को सभी तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हिन्दू धर्मग्रन्थों में कहा गया है कि जब भगवान श्रीराम ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में शुद्धि हेतु अंशदान रखा था, तो सभी देवी–देवता चित्रकूट अवतरित हुए थे। यहाँ की सुन्दरता ने उन्हें अत्यन्त आकर्षित किया, जिस कारण वे चित्रकूट से नहीं जाना चाहते थे। इस बात का आभास वशिष्ठ ऋषि को हो गया था और वो विसर्जन मंत्र पढ़ना भूल गये, इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि सभी देवी–देवता हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करते हैं। देशभर में लाखों लोग हर साल अमावस्या, सोमवती अमावस्या, दीपावली, मकर संक्रांति एवं रामनवमी जैसे विशेष अवसरों पर समारोह मनाने यहाँ आते हैं।

6 मई, 1997 में बाँदा जिले से कर्वी एवं मऊ तहसील को अलग करके एक नये जिले की स्थापना की गयी, जिसको छत्रपति शाहूजी महाराज नगर नाम दिया गया। कुछ समय बाद 4 सितम्बर 1998 को इसका नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। यह जिला उत्तरी विन्ध्या पर्वत माला में फैला हुआ है। उत्तरी विन्ध्य माला का बड़ा भाग चित्रकूट जिले में आता है। इसका भौगोलिक एवं आर्थिक परिचय निम्नवत् है–

स्थिति, सीमा एवं विस्तार :

चित्रकूट जनपद का क्षेत्रफल 345291 वर्ग किमी0 में विस्तृत है। यह जनपद 24°28′ से 25°12′ उत्तरी अक्षांश तथा 28°58′ से 81°34′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह जनपद पूर्व से पश्चिम में 62 किमी0 एवं उत्तर से दक्षिण में 57.50 किमी0 फैला हुआ है। इस जिले की उत्तरी सीमा कौशाम्बी, दक्षिणी सीमा सतना एवं रीवा (म0प्र0), पूर्वी सीमा इलाहाबाद एवं पश्चिमी सीमा बाँदा जिले से घिरी हुयी है। इस जिले की मुख्य शहरों से दूरी निम्न प्रकार है–

तालिका 2.51

चित्रकूट जनपद की मुख्य शहरों से दूरी

शहर का नाम	दूरी (किमी0 में)
इलाहाबाद	125
बाँदा	175
खजुराहो	200
बनारस	280
लखनऊ	285
कानपुर	205

जलवायु एवं प्राकृतिक संरचना :

इस जिले में 7 नदियाँ है, जो निम्न है–

1. यमुना 2. मंदाकिनी 3. गुन्टा 4. वगैन 5. ओहन 6. बाल्मीकि 7. बर्धा

विन्ध्याचल पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ इस जिले में पायी जाती है। मुख्य पहाड़ियाँ निम्न है–

(1) **मडफा पहाड़** - यह कर्वी तहसील में स्थित है।

(2) **चित्रकूट पर्वतमाला** - कामदगिरि, हनुमान धारा जानकी कुण्ड, लक्ष्मण पहाड़ी एवं देवंगाना इस पर्वतमाला की मुख्य धार्मिक पहाड़ियाँ हैं।

(3) **बाल्मीकि पहाड़** - यह पहाड़ी इलाहाबाद, बाँदा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्वी तहसील में है।

जनपद में जनशक्ति :

इस जिले का कुल क्षेत्रफल (2001 की जनगणना के अनुसार) 3164 वर्ग किमी0 है। जनपद की कुल जनसंख्या 801960 है, जिसमें 428410 पुरुष एवं 373550 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 725400 जनसंख्या निवास करती है। जनपद में 210400 अनुसूचित जाति एवं 20 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सम्मिलित हैं। जनपद चित्रकूट का लिंगानुपात 872 एवं जनघनत्व 253 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

साक्षरता :

2001 की जनगणना के अनुसार, जनपद में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 409900 थी, जिसमें साक्षर पुरुष 264160 एवं साक्षर महिलाएं 145740 हैं। जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 51 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 61.6 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 39 प्रतिशत आंकी गयी है।

वित्तीय संस्थान :

जनपद में वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों की अपेक्षा कम है। इस जिले में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 12 है। ग्रामीण बैंकों की शाखायें 28 एवं सहकारी बैंकों की शाखायें 7 है। इसके अलावा एक शाखा सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास की भी उपलब्ध है।

सड़क परिवहन :

जनपद चित्रकूट से विभिन्न स्थानों बाँदा, इलाहाबाद, सतरा, रीवा, कौशाम्बी आदि के लिए सड़क परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का आवागमन बड़ी मात्रा में होता है। जिले में कुल बस स्टेशन/बस स्टॉप की संख्या 47 है।

रेल परिवहन :

चित्रकूट जनपद में कुछ भाग में रेलवे परिवहन की व्यवस्था है। कुल ट्रैक की लम्बाई 121 किमी0 है, जोकि ब्रॉडगेज है। जिले में रेलवे स्टेशनों की संख्या 12 है।

दूरसंचार :

जिले में संचार की व्यवस्था सामान्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या 74 एवं नगरीय क्षेत्र में 3 थी। टेलीग्राफ आफिस की संख्या 8 है। 2001–02 में कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1885 थी। वर्तमान समय में मोबाइल कनेक्शन एवं इण्टरनेट की पर्याप्त सुविधा जिले में प्रदान की जा रही है।

विद्युत :

2006–07 में जिले के कुल 432 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अलावा 3 नगर/शहरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिले में विद्युत आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वास्तविक रूप से औसत विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन 6 या 7 घंटे की जाती है।

खनिज :

इस जनपद में कोई विशेष प्रकार के खनिजों का दोहन नहीं किया जाता है। फिर भी कुछ विशेष पत्थरों की आपूर्ति विभिन्न जिलों में गृह निर्माण सम्बन्धी कार्यों में की जाती है।

औद्योगिक गतिविधियाँ :

इस जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है एवं अधिकांश लोग कृषि आधारित जीवन–यापन करते हैं। इसके अलावा यहाँ के अन्य व्यवसाय निम्न हैं–

1. स्टोन क्रेसर 2. जूता उद्योग 3. बीड़ी उद्योग 4. लकड़ी के खिलौने का उद्योग 5. मूर्ति उद्योग

प्रशासनिक संरचना :

इस जिले में 2 तहसीलें हैं जिनके नाम कर्वी एवं मऊ है, जिनमें 5 विकास खण्ड है, जो निम्न है–

1. चित्रकूटधाम (कर्वी) 2. रामनगर 3. मऊ 4. मानिकपुर 5. पहाड़ी

जिले में कुल न्याय पंचायतों की संख्या 45 एवं ग्राम सभायें 330 हैं। जिले में कुल 654 गाँव आते हैं, जिनमें केवल 575 गाँव ही आबाद श्रेणी में आते

हैं। जिले में एक नगरपालिका परिषद तथा 2 नगर पंचायतें भी हैं। कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या 10 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 7 एवं नगरीय क्षेत्र में 3 है।

कृषि :

जनपद के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। इस जनपद में तीन मुख्य फसलों की पैदावार की जाती है, जो निम्नप्रकार हैं–

(1) खरीफ - इस फसल में मुख्य रूप से धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द, ककून आदि की पैदावार की जाती है।

(2) रबी - रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, सरसों एवं मटर की खेती की जाती है।

(ज) जायद - इस फसल में मुख्य रूप से ककड़ी, तरबूज, खरबूज, जामुन, नीबू एवं आम आदि है।

शिक्षा :

चित्रकूट जिले में जूनियर बेसिक स्कूल की संख्या 943, सीनियर बेसिक स्कूल की संख्या 307, हायर सेकेण्डरी स्कूल की संख्या 51 एवं 3 डिग्री कालेज है। दो डिग्री कालेज चित्रकूट ब्लाक में एवं एक डिग्री कालेज मऊ ब्लाक में है। चित्रकूटधाम कर्वी ब्लाक में इण्टर कालेज की संख्या 8, पहाड़ी ब्लाक में 4, मानिकपुर में 5, रामनगर में 4 एवं मऊ ब्लाक में इण्टर कालेजों की संख्या 3 है। एक बीटीसी ट्रेनिंग सेण्टर भी है।

स्वास्थ्य सेवायें :

जिले में कुल स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 182 है, जिनमें एलोपैथिक के 8, आयुर्वेदिक के 7, होम्योपैथिक के 14, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 28, परिवार कल्याण केन्द्र 9 एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्र 105 हैं। एक लिप्रोसी विशेष अस्पताल भी है।

तृतीय अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का आर्थिक विकास

आधुनिक युग में आर्थिक विकास ही एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आर्थिक विकास के अभाव में किसी भी क्षेत्र विशेष का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा निर्धनता व बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आर्थिक विकास ही एक मात्र और सर्वोत्तम उपाय है। आर्थिक विकास के फलस्वरूप क्षेत्र विशेष में कृषिगत, औद्योगिक, प्रौद्योगिक तथा वित्तीय संस्थाओं का तीव्र विकास होता है जिससे आय के स्रोतों में वृद्धि होती है तथा बेरोजगारी में कमी आती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों का समुचित उपयोग होने से उत्पादन में वृद्धि होती है व राष्ट्रीय आय अपने उच्च स्तर तक पहुँचने लगती है।

वास्तव में आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था के एक नहीं वरन् सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की निर्धनता को दूर करके जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। आर्थिक विकास द्वारा देश के प्राकृतिक और अन्य साधनों का समुचित उपयोग करके अर्थव्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले जाया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायेगा–

- बुन्देलखण्ड में कृषिगत विकास।
- बुन्देलखण्ड में औद्योगिकविकास।
- बुन्देलखण्ड में तकनीकी प्रगति।
- बुन्देलखण्ड में विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ।

(क) बुन्देलखण्ड में कृषिगत विकास :

कृषि बुन्देलखण्ड का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ की आय का एक बड़ा भाग इसी क्षेत्र में उत्पादित होता है। अतः इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में

कृषि विकास की भूमिका का महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक है। बुन्देलखण्ड की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न तथ्यों के रूप में प्रकट किया जा सकता है–

कृषि पर बुन्देलखण्ड की जनता की निर्भरता,
प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान,
क्षेत्र में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान,
निर्यातित वस्तुओं में कृषिगत वस्तुओं की प्रधानता,
खाद्यान्न की आपूर्ति,
सर्वाधिक रोजगार,
सर्वाधिक भूमि उपयोग।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र में रेलों, मोटरों व परिवहन के अन्य साधनों को प्राप्त होने वाली आय में कृषि पदार्थ के स्थानान्तरण से प्राप्त आय का महत्वपूर्ण स्थान है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि का प्रारूप –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार से फसलें उत्पन्न की जाती हैं–

1. खरीफ की फसल,
2. रबी की फसल
3. जायद की फसल

बुन्देलखण्ड में खरीफ की फसल मई से सितम्बर तक बोई जाती है और सितम्बर से नवम्बर तक काट ली जाती है। खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, जूट, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, उर्द, मूँग एवं तम्बाकू आदि की खेती की जाती है।

इस क्षेत्र में रबी की फसल अक्टूबर से दिसम्बर तक बोई जाती है तथा फरवरी से अप्रैल तक काटी जाती है। रबी के मौसम में मुख्य रूप से गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों आदि की खेती की जाती है। बुन्देलखण्ड में मार्च से जून के मध्य कुछ स्थानों पर एक अन्य फसल जायद की फसल भी बोई जाती है इसमें

मुख्य रूप से तरबूजा, खरबूज, ककड़ी, सब्जियाँ, लाही, मूँग व चेनवा आदि की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ फसलें जैसे गन्ना, मेंहदी आदि खेत में वर्षपर्यन्त पड़ी रहती है।

बुन्देलखण्ड में वर्तमान समय में कृषि के नये–नये तरीके अपनाये जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में परम्परागत तकनीकी के स्थान पर नवीन कृषि पद्धति का विकास किया जा रहा है। आर्थिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाओं, उन्नत कृषि यंत्रों एवं सिंचाई कार्यक्रमों से युक्त कृषि की नवीन कृषि पद्धति के प्रयोग से कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसका विवरण अग्रांकित तालिका में दिया गया है–

<u>तालिका 3.1</u>

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उत्पादन (हजार टन में)

वर्ष	दालें/तिलहन तथा अन्य खाद्यान्न	चावल	गेहूँ	मक्का	बाजरा
1950–51	50.80	20.60	6.50	0.50	2.60
1960–61	82.33	34.60	10.39	2.14	3.29
1970–71	105.17	43.07	23.08	3.90	5.70
1980–81	165.40	74.30	36.30	5.90	8.00
1990–91	186.80	85.00	55.10	8.30	7.50
2000–01	195.90	93.30	72.80	12.30	9.30
2004–05	206.08	87.80	73.00	13.90	9.45

स्रोत – इकोनॉमिक सर्वे, 2004–05

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र में नवीन पद्धति एवं कृषि यंत्रीकरण के बढ़ावे के पश्चात् बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है।

यद्यपि अखाद्य पदार्थों जैसे कपास, तम्बाकू व तिलहन आदि की खेती सम्पूर्ण देश में सदियों से होती रही है। फिर भी 19वीं शताब्दी तक इसका महत्व गौण था। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी जनसंख्या की वृद्धि, निर्धनता तथा

औद्योगिक विकास की मंद गति के कारण खाद्यान्नों की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। निम्न तालिकाओं से समझा जा सकता है कि खाद्यान्न फसलों को इस क्षेत्र में कितनी प्रमुखता दी जाती है–

तालिका 3.2

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

क्र0सं0	फसलें	2001–02	2002–03	2003–04
1.	धान	6071	5213	5953
2.	गेहूँ	9256	9164	9150
3.	जौ	254	243	221
4.	ज्वार	323	269	313
5.	बाजरा	851	813	378
6.	मक्का	931	780	968
7.	दालें	2683	2643	2673

स्रोत – कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा निदेशालय, उ0प्र0

तालिका 3.3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रमुख व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

क्र0सं0	फसलें	2001–02	2002–03	2003–04
1.	तिलहन	834	771	786
2.	गन्ना	2035	2149	2030
3.	आलू	389	441	422
4.	तम्बाकू	20	24	23
5.	रूई	5	5	4
6.	सनई (रेशा)	5	4	7

स्रोत – कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा निदेशालय, उ0प्र0

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि ही जनता की जीविका का प्रमुख साधन है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही

जीविका हेतु निर्भर है, जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 3.4

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपदवार मुख्य कृषि श्रमिक (हजार में)

क्र0सं0	जनपद	2001–02
1.	जालौन	68
2.	झाँसी	50
3.	ललितपुर	21
4.	हमीरपुर	60
5.	महोबा	37
6.	बाँदा	N.A.
7.	चित्रकूट	N.A.

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षो से वर्षा की अनियमितता के कारण किसान कर्ज तथा जिम्मेदारियों के बोझ से दब गये हैं। जब इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वे पूरे परिवार से साथ आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। सरकारी उपेक्षा भी पूरी तरह से इन किसानों को इस ओर प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है। आज भी यहाँ कृषि अधिकांश रूप से प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर है। प्रकृति का स्वभाव अनुकूल होगा या प्रतिकूल यह कहा नहीं जा सकता। साधारणतया अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं अपवाद स्वरूप ही मानसून उपयुक्त समय पर तथा उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछले वर्षो में सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय तो किया गया है लेकिन वह यथेष्ठ मात्रा में नहीं है तथा सरकारी लापरवाही के चलते किसानों को उनका कोई लाभ भी नहीं मिला है। जनपद में सिंचाई सम्बन्धी स्थिति को निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तालिका 3.5

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 2002-03

क्र0 सं0	जनपद	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	नगर द्वारा	राजकीय नलकूपों द्वारा	निजी नलकूपों द्वारा	अन्य
1.	जालौन	177812	129748	10765	23317	13382
2.	झाँसी	285209	96320	2688	3856	102345
3.	ललितपुर	171355	50032	13949	8030	99344
4.	हमीरपुर	101411	31240	13258	22265	34648
5.	महोबा	88529	22683	N.A.	1390	64452
6.	बाँदा	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
7.	चित्रकूट	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

स्रोत – उ0प्र0 साख्यिकीय डायरी, 2004, पृ0 273

वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में अनेक आमूलचूल परिवर्तन तथा नई–नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। नये–नये उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। साथ ही कृषि क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है। इससे क्षेत्र में व्यापारिक कृषि को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ख) बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास :

आज हमारे देश में औद्योगीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। आज विश्व के विकसित देशों की दौड़ में साथ रहने के लिए देश का तीव्र, संतुलित एवं उत्तरोत्तर औद्योगीकरण हमारी एक आवश्यकता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव शक्ति को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ द्रुतगामी औद्योगीकरण की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से देश की बहुत सी समस्याओं का निदान सम्भव है।

हमारे देश में छोटे उद्योगों का बड़ा महत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा माल बहुत कम है तथा काम करने वाले आदमी बहुत अधिक है। लेकिन वित्तीय संसाधन कम है। हमें ऐसे उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें काम करने वाले अधिक से अधिक लोग खप सें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पूँजी का वितरण हो सकेगा। यही वह वजह है कि बड़े उद्योगों के साथ–साथ छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें साथ–साथ सुविधाएँ दे रही हैं।

बुन्देलखण्ड में लघु स्तरीय उद्योग के लिए द्वितीय योजना आरम्भ होने के कुछ पहले ही प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी। इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम चलाये गये थे, उनका उद्‌देश्य लघु उद्योगों की स्थापना को गतिशील बनाना है, जिसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता विभिन्न सुविधाओं को जुटाने की है।

आज बुन्देलखण्ड में उद्योगों की स्थापना या विस्तार के लिए पूंजी, कच्चा माल, काम करने की जगहें हैं। तकनीकी परामर्श, मशीनें खरीदने की व्यवस्था, विदेशों से माल के आयात में सहायता आदि हर तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है तथा सरकार इस ओर क्रियाशील है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछले तीन दशकों से सरकार की ओर से औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आमतौर से किंसी उद्योग को आरम्भ करने के लिए सबसे पहले पूँजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य सरकार ने सन् 1947–48 से ऋण अनुदान देने का प्रबन्ध किया है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में तथा गत दो वर्षों में लघु उद्योगों को पूँजी के सम्बन्ध में जो सहायता दी गई, उसके आँकड़ें बुन्देलखण्ड के संदर्भ में इस प्रकार है–

तालिका 3.6

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु उद्योगों पर किया गया व्यय

वर्ष	पूँजी विनियोजन (लाख रु0 में)	वर्ष	पूँजी विनियोजन (लाख रु0 में)
1990–91	153.47	1998–99	399.05
1991–92	208.48	1999–2000	370.25
1992–93	206.50	2000–01	306.38
1993–94	205.01	2001–02	270.00
1994–95	104.45	2002–03	272.28
1995–96	249.50	2003–04	276.06
1996–97	255.61	2004–05	192.83
1997–98	303.89		

स्रोत – उ0प्र0 2006, पृ0 766

उद्योगों के विकास हेतु कच्चे माल की पूर्ति नितान्त आवश्यक है। यदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तो पूँजी, मशीन और कारीगर सभी सर्वथा बेकार हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वत्र लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः कच्चा माल दूर से मंगाना पड़ता है।

इस तथ्य के महत्व का अनुभव प्रथम योजना के अन्तर्गत ही कर लिया गया था। अतः राज्य सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के विभिन्न स्रोतों से कच्चा माल उपलब्ध कराने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर की स्थापना भी इसी उद्देश्य को लेकर की गई।

यह निगम पिछले 10 वर्षों से सेवा कर रहा है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। इन सेवाओं में लघु उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल की बिक्री जिसे निगम विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अपने पांच बिक्री केन्द्रों, नैनी, मेरठ, कानपुर, वाराणसी एवं आगरा के माध्यम से करता है। किराया कम पद्धति पर मशीनों को उपलब्ध कराना, लघु औद्योगिक इकाईयों का क्रय कार्यक्रम हेतु पंजीकरण आदि सम्बन्धी कार्य उल्लेखनीय है।

लघु औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न दुर्लभ कच्चे माल जैसे– तांबा, जस्ता, निकिल, सीसा; एल्यूमिनियम, एन्टीमनी, बी0पी0 शीट, पी0पी0 शीट, लोब आदि उपलब्ध कराने के लिए निगम ने वर्ष 1967–68 में एक करोड़ तीस लाख रुपये के कच्चे माल की बिक्री की। वर्ष 1968–69 के जुलाई मास तक 2345000 रुपये के माल की बिक्री हुई।

औद्योगिक प्रगति हेतु एक बड़ा क्षेत्र नियंत्रण के बाहर भी है, उदाहरणार्थ लकड़ी के खिलौने बनाकर, सींग की सुन्दर वस्तुएँ बनाना, चिकन का काम, चमड़े का काम, गुड़िया बनाना, हाथी दांत की वस्तुएँ बनाना, इंजीनियरिंग, वर्कशाप आदि। उक्त वस्तुओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कच्चे माल में न कभी नियंत्रण रहा और न अब ही है। इन उद्योगों के लिए एक बड़ी पूँजी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः यदि हम इस प्रकार के उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देंगे तो हम औद्योगिक प्रगति की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सकते हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के प्रसारणार्थ कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इस हेतु नवयुवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न नगरों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

इन प्रशिक्षण संस्थानों एवं औद्योगिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हाईस्कूल पास लड़के तथा लड़कियाँ प्रवेश ले रहे हैं तथा लोहे का काम, प्रिंटिंग का काम, चमड़े का काम, बेल का काम, बिजली का काम सीख रहे हैं। इन प्रशिक्षण सुविधाओं से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। पिछड़ी हुई जातियों तथा अन्य जातियों के प्रशिक्षणार्थियों को जो सहायता पाने के योग्य हैं, छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

तालिका 3.7

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित लघु एवं लघुतर उद्योगों की क्षेत्रवार प्रगति

(मार्च 2003 तक)

Could have give % as rel' share

आर्थिक क्षेत्र	स्थापित इकाइयाँ	पूँजी निवेश (करोड़ में)	सृजित रोजगार
पश्चिमी क्षेत्र	232004	2665.74	962146
पूर्वी क्षेत्र	130014	921.24	466519
मध्य क्षेत्र	72726	893.48	259327
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	26235	189.96	73991
योग	**460979**	**4570.42**	**17619883**

स्रोत – उत्तर प्रदेश 2006, पृ0 783

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम रोजगार का सृजन हुआ तथा पूँजी निवेश व स्थापित इकाइयाँ भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम हैं।

लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा इन उद्योगों से खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर 15 प्रतिशत को वरीयता दी जाती है तथा कुछ वस्तुओं, जैसे– कैंची, ताला आदि का क्रय केवल लघु औद्योगिक इकाइयों से ही किया जाता है। साथ ही साथ दो लाख रुपये तक की विनियोजित पूँजी वाली इकाइयों, जो लघु उद्योग निगम कानपुर द्वारा पंजीकृत है, को निविदा शुल्क देने से मुक्त किया जाता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न –

योजना आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर इस क्षेत्र के जिलों के विकास के लिए द्रुतगामी योजना कार्यान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों का विस्तार, पुर्नगठन तथा नई इकाइयों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया गया। इससे निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित हुई हैं–

1. ऋण एवं अनुदान योजना।
2. विद्युत दर में छूट की योजना।
3. हथकरघा सहकारी समितियों के लिए पूँजी ऋण छूट योजना।
4. बहु उद्देश्यीय यांत्रिक कार्यशाला।
5. हस्तशिल्प सहकारी समितियों का विकास।
6. प्रधानमंत्री रोजगार योजना।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए पूँजी, कच्चा माल, शक्ति, श्रम तथा उनके आपूर्ति की व्यवस्था तथा खपत के लिए बाजार का होना परम आवश्यक है।

(ग) बुन्देलखण्ड में तकनीकी प्रगति :

किसी अर्थव्यवस्था का सतत् संतुलित आर्थिक विकास सम्बद्ध अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक एवं तकनीकी नव प्रवर्तनों से जुड़ा हुआ है। विभिन्न नवकर्णीय व गैर–नवकर्णीय विकास स्रोतों की जानकारी एवं उनका विदोहन वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास पर निर्भर है। रूढ़िग्रस्त परम्परावादी तकनीकी की उपादेयता वर्तमान संदर्भ में लगभग समाप्त हो चुकी है। परन्तु तकनीकी नव प्रवर्तन विकास कार्यक्रमों के प्रति उन्मुख होने पर ही अर्थव्यवस्था के सतत् विकास की पृष्ठभूमि निर्मित हो सकती है। परन्तु प्रयोगशालाओं एवं शोध संस्थानों से प्राप्त शुद्ध परिणामों का अर्थव्यवस्था की अन्तिम इकाई तक पहुँचना अपरिहार्य है, बिना इसके वैज्ञानिकों एवं शोध संस्थानों का समुचित लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता। शोध कार्यक्रमों का व्यापक फैलाव अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में होना चाहिए।

तकनीकी प्रगति के लिए समाज को एक दीर्घकालिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यथा– सरल से जटिल तकनीकों पर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तकनीकों से दूरी पर स्थित बाजार के लिए तथा देशी से विदेशी तकनीकों पर पहुँचना पड़ता है। तकनीकी प्रगति के पांच प्रमुख तथ्य होते हैं–

1. वैज्ञानिक खोज तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि
2. नवीन आविष्कार,

3. नव–प्रवर्तन,
4. सुधार, तथा
5. सुधारों के साथ नव–प्रवर्तनों का प्रसार।

परन्तु तकनीकी प्रगति के इन तथ्यों की सफलता के लिए चार साधनों की आवश्यकता होती है–

1. वैज्ञानिक ज्ञान,
2. भारी पूँजी निवेश एवं कुशल श्रम शक्ति,
3. साहसी की कुशलता एवं योग्यता, तथा
4. लोग उस उत्पादित प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हो।

किन्तु विकासशील देशों में इनका अभाव पाया जाता है। ये विकसित देशों में ही उपलब्ध है। आज विश्व के विकसित देश जिनकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 1/3 भाग से भी कम है, उनके पास विश्व की 99 प्रतिशत शोध एवं वैज्ञानिक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएँ हैं, जबकि अविकसित या निर्धन देश जिनके पास 2/3 से अधिक जनसंख्या है, उनके पास यह केवल 1 प्रतिशत है। नवीन तकनीकी का 99 प्रतिशत निर्माण सम्पन्न या विकसित देशों में होता है, जो उनी अपनी समस्या का समाधान करते हैं। अविकसित देशों से प्रतिभा पलायन तकनीक एवं विज्ञान का विकसित देशों में केन्द्रित होना इसका सबसे बड़ा प्रभाण है। प्रतिभा पलायन केवल उच्च वेतन के आकर्षण से ही नहीं होता, बल्कि उन देशों में, पर्याप्त तकनीकी अवस्थापना सुविधाएँ, यंत्र, प्रयोगशाला एवं प्रकाशन सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो आकर्षण का केन्द्र हैं। अल्पविकसित देशों का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वे अपने देश के दुर्लभ एवं प्रबुद्ध वर्ग को खो देते हैं, जिनके प्रशिक्षण एवं शिक्षण पर अत्यधिक लागत लगी है।

आज विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं ने तकनीकी प्रगति के कारण विकास के उच्चतम प्रतिमान प्राप्त किये हैं। जैसे– ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति का युरोप में प्रसार, जर्मनी, स्पेन, इटली, आस्ट्रेलिया और स्विटजरलैण्ड आदि का औद्योगिक विकास। जापान की प्रगति तो औद्योगीकरण के कारण ही हुई है।

हमारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। तकनीकी प्रगति के बारे में अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए पूँजी प्रधान तकनीकी उपयुक्त नहीं है, यहाँ की प्रगति तथा औद्योगीकरण हेतु श्रम प्रधान तकनीकी आवश्यक एवं उपयुक्त है। क्षेत्र में सर्वप्रथम द्रुतगामी औद्योगीकरण की आवश्यकता है। क्योंकि तकनीक का चुनाव बहुत बड़ी सीमा तक उद्योग के चुनाव एवं औद्योगीकरण से सम्बन्धित है। परन्तु पूँजीगत वस्तु उद्योगों के माध्यम से तमाम राज्य औद्योगिक विकास के ढाँचे को अपनाकर औद्योगीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहाँ जनसंख्या बाहुल्य है, वहाँ ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाये जिसमें पूँजी निवेश की आवश्यकता कम हो और तकनीक स्वदेशी हो। इसके साथ–साथ औद्योगीकरण की गति भी मंद न हो। इस संदर्भ में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग ही उपयुक्त हैं जिनमें अनुकूल तकनीकी अपनाई जाने की आवश्यकता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्तमान में तकनीकी प्रगति का मूल्यांकन यहाँ दिन–प्रतिदिन कृषि, उद्योग, यातायात, परिवहन, संचार आदि के विकास को देखकर किया जा सकता है। सरकार इन सभी क्षेत्रों में प्रगति एवं सुधार हेतु व्यापक कदम उठा रही है।

(घ) बुन्देलखण्ड में विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ :

यह सर्वविदित तथ्य है कि आर्थिक विकास में वित्त या पूँजी का महत्व सर्वोपरि है। कृषि तथा उद्योगों दोनों के विकास हेतु वित्त या पूँजी का होना बहुत आवश्यक है। वास्तव में किसी देश का सम्यक आर्थिक विकास वित्त की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगा। यह पूँजी निर्माण ही सबसे मूल समस्या है। क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए तो पूँजी निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। प्रो0 नर्क्से ने ठीक ही कहा है– ''आर्थिक विकास की प्रक्रिया का तात्पर्य वर्तमान समय में समाज के उपलब्ध साधनों के कुल भाग को पूँजीगत वस्तुओं के कोष में वृद्धि के

लिए लगाना है जिससे कि भविष्य में उपभोग की वस्तुओं का विस्तार संभव हो सके।"[1]

इस प्रकार योजना आयोग ने भी स्वीकार किया है कि उत्पादन की वृद्धि एवं आय तथा रोजगार के साधनों में कृषि की कुंजी वास्तव में पूँजी के अधिकाधिक निर्माण में निहित है। प्रो0 गिल के शब्दों में– "पूँजी निर्माण वर्तमान युग में निर्धन देशों को धनवान करने वाले तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है।"[2] आर्थिक विकास से अभिप्राय उत्पादन इकाइयों में वृद्धि तथा विस्तार से है, जो विनियोग (पूँजी निर्माण तथा वित्तीय सुविधाएँ) बढ़ाकर की जा सकती है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वित्त प्राप्ति के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. गैर संस्थागत अथवा निजी क्षेत्र –

इसके अन्तर्गत साहूकार, महाजन एवं अन्य स्रोत सम्मिलित हैं।

2. संस्थागत वित्त के स्रोत –

इसके अन्तर्गत सरकार, सहकारी समितियाँ, वाणिज्यिक बैंक तथा अन्त स्रोत सम्मिलित होते हैं।

उपर्युक्त विभिन्न स्रोतों से बुन्देलखण्ड में आर्थिक विकास हेतु वित्त की व्यवस्था होती है। जनपदवार बुन्देलखण्ड में वित्त की व्यवस्था का विस्तृत विवरण अग्रांकित तालिका में दिया जा रहा है–

---

1. नर्क्से – प्राबलम्स ऑफ कैपिटल फारमेशन इन अण्डर डेवलप्ड कन्ट्रीज, पृ02
2. गिल – इकोनॉमिक डेवेलपमेंट, पृ0 24

तालिका 3.8

संस्थागत वित्त - जनपद जालौन में विकास खण्डवार अनुसूचित व्यवसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या

वर्ष	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ
2002—03	48	37	21
2003—04	48	37	21
2004—05	48	37	22
योग ग्रामीण	19	31	21
योग नगरीय	29	6	1
योग जनपद	48	37	22

तालिका 3.9

जनपद जालौन में व्यवसायिक बैंक जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (000 रु.)

क्र0सं0	मद	2002–03	2003–04	2004–05
1.	जमा धनराशि	6777400	7428400	7792200
2.	कुल ऋण वितरण	2693600	1682864	2004157
3.	जमा धनराशि में ऋण वितरण का प्रतिशत	40	23	25
4.	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण			
4.1.	कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्य	791950	905602	1830671
4.2.	लघु उद्योग	32317	26072	21450
4.3.	अन्य	107459	125138	152036
	योग (4.1 – 4.3)	931726	1056812	2004157

तालिका 3.10

संस्थागत वित्त - जनपद झाँसी में विकास खण्डवार अनुसूचित व्यवसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या

वर्ष	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ
2002—03	76	23	22
2003—04	76	23	22
2004—05	77	23	22
योग ग्रामीण	18	22	4
योग नगरीय	59	1	18
योग जनपद	77	237	22

तालिका 3.11

जनपद झाँसी में व्यवसायिक बैंक जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (000 रु.)

क्र0सं0	मद	2002–03	2003–04	2004–05
1.	जमा धनराशि	14818166	15647400	167261
2.	कुल ऋण वितरण	4010863	5000600	62892
3.	जमा धनराशि में ऋण वितरण का प्रतिशत	27	32	38
4.	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण			
4.1.	कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्य	1185317	559368	1100166
4.2.	लघु उद्योग	601690	107143	111673
4.3.	अन्य	741698	618422	650010
	योग (4.1 — 4.3)	2528705	1284933	1861849

तालिका 3.12

संस्थागत वित्त - जनपद ललितपुर में विकास खण्डवार अनुसूचित व्यवसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या

वर्ष	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ
2002—03	23	20	13
2003—04	23	20	13
2004—05	23	20	13
योग ग्रामीण	14	15	7
योग नगरीय	9	5	6
योग जनपद	23	20	13

तालिका 3.13

जनपद ललितपुर में व्यवसायिक बैंक जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (000 रु.)

क्र0सं0	मद	2002—03	2003—04	2004—05
1.	जमा धनराशि	2873475	3227914	3707893
2.	कुल ऋण वितरण	1090098	1390912	1914442
3.	जमा धनराशि में ऋण वितरण का प्रतिशत	38	43	52
4.	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण			
4.1.	कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्य	737499	990016	1422663
4.2.	लघु उद्योग	15470	17293	14669
4.3.	अन्य	161749	205326	238761
	योग (4.1 — 4.3)	914718	1212635	1676093

तालिका 3.14

बुन्देलखण्ड में अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का जनपदवार ऋण जमा अनुपात

जिला	ऋण (करोड़ रु0 में)	जमा (करोड़ रु0 में)	अनुपात
जालौन	263	657	55.76
झाँसी	621	1706	36.40
ललितपुर	190	357	53.22
हमीरपुर	229	359	63.79
महोबा	205	255	80.39
बाँदा	N.A.	N.A.	N.A.
चित्रकूट	N.A.	N.A.	N.A.

स्रोत – उ0प्र0 साख्यिकीय डायरी, 2006, पृ0 154

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आर्थिक विकास हेतु पूँजी निर्माण में वृद्धि करना अपरिहार्य है। पूँजी निर्माण में वृद्धि निम्नलिखित उपायों द्वारा की जा सकती हैं–

(1) वित्तीय क्रियाओं में वृद्धि लाकर पूँजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। बुन्देलखण्ड में वित्तीय क्रियायें बहुत ही स्थिर गति में है। जैसेकि ऊपर तालिका में दिखाया गया है। अतः इस क्षेत्र में वित्तीय क्रियाओं में वृद्धि लाई जानी चाहिए।

(2) विनियोग के द्वारा भी पूँजी निर्माण किया जा सकता है। उचित मात्रा में विनियोग इस गति से किया जाना चाहिए कि उत्पादन बढ़े तथा लागत व्यय कम हो।

(3) श्रमिकों की शारीरिक उत्पादकता बढ़ाई जाए जिससे वे कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकें। इससे उनकी आय बढ़ेगी तथा बचत भी होगी और इससे पूँजी निर्माण में सहायता मिलेगी।

(4) अनुत्पादक श्रमिकों को छोटे पूँजी निर्माण प्रधान उद्योगों में लगाया जाना चाहिए।

पूँजी निर्माण का आर्थिक विकास में एक केन्द्रीय महत्व है परन्तु जैसा किण्डल बर्जर ने कहा-- ''पूँजी निर्माण एक कोमल पौधे के समान है, जिसके

अंकुर को निर्धनता, ऋण वित्त, प्रतिबंध, पूँजी निष्कासन, स्फीतिकारी दबाव, भवन निर्माण में विनियोजन के लिए वरीयता, दिखावटी उपभोग, बैंकिंग प्रणाली व पूर्ण बाजार की उत्पादिता कुण्ठित कर देते हैं।'' अतः पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए उपर्युक्त उपायों को एक साथ अपनाना चाहिए ताकि बुन्देलखण्ड में आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान –

कोई अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे विकास की कृषि प्रधान अवस्था से उच्चतर अवस्थाओं की ओर अग्रसर होती जाती है, वैसे–वैसे शुद्ध राष्ट्र आय में प्राथमिक व्यवसायों का योगदान सापेक्षित रूप में घटने लगता है। इस तथ्य की पुष्टि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को देखकर की जा सकती है।

तालिका 3.15

बुन्देलखण्ड में उद्योग / क्षेत्रवार आर्थिक विकास में योगदान (प्रतिशत में)

क्र0 सं0	उद्योग/क्षेत्र	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2003–04
1.	कृषि क्षेत्र	56.45	52.13	45.77	39057	32.92	24.43	25.38
2.	विनिर्माण उद्योग	15.04	18.75	22.35	24.34	28.03	24.58	25.15
3.	परिवहन / संचार एवं व्यापार	11.00	12.63	14.25	16.72	17.78	24.75	23.23
4.	बीमा / बैंकिंग / व्यापार संस्थाएं	9.03	8.24	8.02	8.87	10.22	12.83	11.83
5.	सार्वजनिक प्रशासन द्वारा अन्य सेवाएं	8.48	8.25	9.61	10.50	11.05	13.41	14.41
	योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान सर्वाधिक है जो दिन–प्रतिदिन घटता जा रहा है। क्षेत्र के आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति का

योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। परन्तु इसकी गति धीमी है। इसी प्रकार बीमा/बैंकिंग, परिवहन व्यापारी सेवाएं आदि का योगदान भी बढ़ा है। इस प्रकार नियोजन काल से अब तक बुन्देलखण्ड की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटा है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, जो विकास का द्योतक है।

चतुर्थ अध्याय

योजनाकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का आर्थिक विकास

नियोजन वर्तमान युग की एक महत्वपूर्ण देन है। आज प्रत्येक राष्ट्र चाहे वह पूँजीवादी हो या समाजवादी, विकसित हो अथवा विकासशील, वहाँ आर्थिक नियोजन किसी न किसी रूप में अवश्य अपनाया जाता है।

आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है ''राष्ट्र के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक सम्पदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।'' यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक नियोजन अपने आप में सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी सन्निहित करता है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। कहा जा सकता है कि आर्थिक व सामाजिक नियोजन एक साथ चलते हैं तथा इन पर साथ ही साथ विचार करना चाहिए। जैसाकि एच0डी0 डिकिन्सन महोदय का कथन है– ''आर्थिक नियोजन का अर्थ निर्धारित सत्ता द्वारा सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जानबूझकर आर्थिक निर्णय करना है।'' श्री एल0 लार्विन के विचार भी आर्थिक नियोजन के लिए डिकिन्सन जैसे ही हैं, उन्होंने कहा है– ''आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसे आर्थिक संगठन से है जिसमें सभी अलग–अलग लोगों, उद्योगों और औद्योगिक संस्थानों को एक समन्वित इकाई के रूप में संचालित किया जाता है, जिसके द्वारा निश्चित अवधि में जनता की आवश्यकताओं को आधुनिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए साधनों का नियंत्रित उपयोग होता है।

योजना आयोग द्वारा अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएँ एवं सात वार्षिक योजनाएँ बनाई जा चुकी हैं, जो देश में आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय विकास को समर्पित रही हैं। उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण अंग बुन्देलखण्ड के योजनाकाल में हुए आर्थिक विकास का वर्णन करने के पूर्व योजनाकाल में हुए भारत एवं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की चर्चा करना अपरिहार्य है।

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना- व्यय एवं विकास (1951-52 से 1955-56) :

प्रथम योजना में व्यय –

आरम्भ में योजना की विभिन्न मदों पर सार्वजनिक क्षेत्र में 2069 करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया था। बाद में अनुमानतः व्यय में वृद्धि करके सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की राशि बढ़ाकर 2373 करोड़ रुपये कर दी गई, किन्तु योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाला वास्तविक व्यय केवल 1960 करोड़ रुपया था, जो प्रारम्भिक अनुमान व्यय से भी कम था। विभिन्न मदों पर सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाला व्यय तथा वास्तविक व्यय निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 4.1

प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	290	14.8
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	434	22.2
3.	ऊर्जा	149	7.6
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	42	2.1
5.	उद्योग एवं खनिज	55	2.8
6.	परिवहन तथा संचार	518	26.4
7.	अन्य	472	24.1
	कुल योग	**1960**	**100.0**

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61) :

राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत वृद्धि करना, ताकि जनता का स्तर ऊँचा हो। द्वितीय योजनाकाल में औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया और विभिन्न मदों पर कुल सार्वजनिक क्षेत्र में 4800 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

द्वितीय योजना का कुल व्यय –

तालिका 4.2

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	549	11.7
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	430	9.2
3.	ऊर्जा	452	9.7
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	187	4.0
5.	उद्योग एवं खनिज	938	20.1
6.	परिवहन तथा संचार	1261	27.0
7.	अन्य	855	18.3
	कुल योग	**4672**	**100.0**

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) :

तृतीय योजना में द्वितीय योजना की तुलना में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई, योजनाकाल में कृषि, सिंचाई एवं सामुदायिक विकास पर कुल व्यय का लगभग 23 प्रतिशत भाग व्यय का आयोजन था। इसके विपरीत द्वितीय योजना में उस मद पर केवल 20 प्रतिशत भाग ही व्यय किया गया था, तृतीय योजनाकाल में वास्तव में इससे भी अधिक व्यय हुआ। द्वितीय स्थान उद्योग एवं खनिज को प्राप्त था। तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 8577 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक व्यय इस प्रकार है–

तालिका 4.3

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	1089	12.7
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	665	7.8
3.	ऊर्जा	1252	14.6
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	241	2.8
5.	उद्योग एवं खनिज	1726	20.1
6.	परिवहन तथा संचार	2112	24.6
7.	अन्य	1492	17.4
	कुल योग	**8577**	**100.0**

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969 से 1974) :

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रमुख रूप से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना, सामाजिक सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक असमानताओं को दूर करना, पिछड़े क्षेत्र के विकास पर विशेष बल देना, बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्या को हल करने जैसे उद्देश्यों पर बल दिया गया।इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न मदों पर कुल 15900 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया।

तालिका 4.4

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	2320	14.7
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1354	8.6
3.	ऊर्जा	2932	18.6
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	243	1.5
5.	उद्योग एवं खनिज	2864	18.2
6.	परिवहन तथा संचार	3080	19.5
7.	अन्य	2986	18.6
	कुल योग	**15779**	**100.0**

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974 से 1979) :

गरीबी उन्मूलन, आत्म निर्भरता, उपभोग के स्तर में वृद्धि, रोजगार के साधनों का विस्तार, न्यूनतम् आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्यक्रम एवं क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किये गये।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय 39426 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

<u>तालिका 4.5</u>

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	4865	12.3
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3877	9.8
3.	ऊर्जा	7400	18.2
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	592	1.5
5.	उद्योग एवं खनिज	8989	22.8
6.	परिवहन तथा संचार	6870	17.8
7.	अन्य	6710	17.4
	कुल योग	**39426**	**100.0**

छठीं पंचवर्षीय योजना (1980 से 1985) :

जनता पार्टी की सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को उसकी अवधि के एक वर्ष पूर्व ही अर्थात् चार वर्षों (1974–1978) में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारम्भ कर दी थी। इस योजना को अनवरत् योजना का नाम दिया गया। इस अनवरत योजना के प्रथम चरण के रूप में 1 अप्रैल 1978 से पाँच वर्षों (1978–83) के लिए छठी योजना प्रारम्भ की गई, किन्तु 1980 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा तैयार की गई छठी योजना (अनवरत योजना) को समाप्त कर दिया गया तथा एक नई छठी योजना प्रारम्भ की, जिसकी

अवधि 1980–85 रखी गई। इस छठी योजना (1980–85) के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे–

1. आर्थिक विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से सम्बन्धित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादकता को बढ़ाना,

2. आर्थिक और प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना,

3. गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में लगातार कमी,

4. ऊर्जा के घरेलू स्रोतों का तेजी के साथ विकास तथा ऊर्जा के रक्षण एवं कार्यकुशल उपयोग पर बल देना,

5. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार,

6. सार्वजनिक नीतियों और सेवाओं का ऐसा रूप देना, जिससे आय और सम्पत्ति की असमानता कम हो तथा क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना।

छठी पंचवर्षीय योजना में 3.2 प्रतिशत वार्षिक विकास की दर प्राप्त करने का लक्ष्य था, किन्तु 1983–84 की कीमतों पर वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही, निर्धनता एवं बेरोजगारी के निवारण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनाये गये। खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 154 मि.टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य 7 प्रतिशत था, किन्तु वास्तविक वृद्धि 5.4 प्रतिशत की हुई। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि लगभग 3.2 प्रतिशत हुई। छठी योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की प्रस्तावित राशि 97500 करोड़ रुपये थी, किन्तु वास्तविक व्यय 109292 करोड़ रुपये था।

तालिका 4.6

छठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	15201	13.9
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	10930	10.0
3.	ऊर्जा	30751	28.1
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	1942	1.8
5.	उद्योग एवं खनिज	1502	13.7
6.	परिवहन तथा संचार	17678	16.2
7.	अन्य	17790	16.3
	कुल योग	**109292**	**100.0**

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985 से 1990) :

यह योजना 1 अप्रैल, 1985 से प्रारम्भ हो गई थी। इस योजना की अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रही।

सातवीं योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे–

1. एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना,
2. साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना,
3. सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना,
4. देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना,
5. 5 प्रतिशत वार्षिक विकास की दर प्राप्त करना,
6. उत्पादक रोजगार का सृजन करना,
7. निर्यात संवृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना,
8. ऊर्जा संरक्षण और गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास,

योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न मदों पर कुल 218730 करोड़ रु0 वास्तविक व्यय हुआ, जोकि निर्धारित लक्ष्य 180000 करोड़ रु0 से काफी अधिक रहा।

तालिका 4.7

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	31510	14.4
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	16590	7.6
3.	ऊर्जा	61689	28.2
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	3249	1.5
5.	उद्योग एवं खनिज	25971	11.9
6.	परिवहन तथा संचार	37974	17.4
7.	अन्य	41747	19.0
	कुल योग	**218730**	**100.0**

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992 से 1997) :

आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1990 को प्रारम्भ होनी थी, केन्द्र में इन वर्षों में राजनीतिक परिवर्तनों के कारण समय पर प्रारम्भ नहीं की जा सकी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना के प्रारूप को 23 मई 1992 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी थी। यह योजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारम्भ हो गई थी तथा 31 मार्च 1997 को समाप्त हो गई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इस योजना में 7,98,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रावधान था, जिसमें से 4,34,100 करोड़ रुपये का परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस राशि में 3,61,000 करोड़ रुपये की राशि नये निवेश तथा 73,100 करोड़ रुपये चालू खर्च के लिए रखे गये थे। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय 4,95,669 करोड़ रुपये रहा था।

तालिका 4.8

आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय (करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	मद	योजना का वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	63643	14.7
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	32525	7.5
3.	ऊर्जा	115561	26.6
4.	ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	6332	1.5
5.	उद्योग एवं खनिज	40587	9.3
6.	परिवहन तथा संचार	81036	18.7
7.	अन्य	94414	21.7
	कुल योग	**434100**	**100.0**

आठवीं योजना की प्राथमिकताएँ –

तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं योजना आयोग के अध्यक्ष श्री पी0वी0 नरसिंह राव के अनुसार आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। इस मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना में निम्न प्रमुख उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई–

1. शताब्दी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से पर्याप्त रोजगार का सृजन करना,
2. प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना,
3. विकास प्रक्रिया को स्थाई आधार पर समर्थन देने हेतु आधारभूत ढाँचे (ऊर्जा, परिवहन, संचार व सिंचाई) को मजबूत करना।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997 से 2002 तक) :

देश की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के संशोधित मसौदे को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 9 जनवरी 1999 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

मूल नौवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया था, किन्तु बाद में इसे घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय भी 8,75,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1996–97 की कीमतों पर 8,59,200 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें समग्र बजटीय संसाधन एवं घरेलू तथा अतिरिक्त संसाधन क्रमशः 518791 करोड़ रुपये (कुल का 60.4 प्रतिशत) तथा 340409 करोड़ रुपये (कुल का 39.6 प्रतिशत) अनुमानित किये गये थे। सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय में केन्द्र का योजना परिव्यय 489361 करोड़ रुपये था। केन्द्र के योजना व्यय (489361 करोड़ रुपये) में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विनियोग 66 प्रतिशत के स्तर पर नौवीं योजना में प्रक्षेपित किया गया था। योजना के तहत् बचत, निवेश, निर्यात एवं आयात के लक्ष्यों को पूर्व में निर्धारित लक्ष्यों से कुछ कम कर दिया गया।

नौवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य –

नौवीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित उद्देश्य स्वीकार किये गये–

1. पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न करना तथा निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना,
2. मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तेज करना,
3. स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देख–रेख सुविधा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम् सेवाएँ प्रदान करना तथा समयबद्ध तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करना,
4. सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के अभिकर्त्ता के रूप में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यकों को शक्तियाँ प्रदान करना,
5. पंचायत राज संस्थाओं, सहकारिताओं तथा स्वयंसेवी वर्गों जैसी लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उनका विकास करना,
6. आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयत्नों को सुदृढ़ करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 से 2007) :

21 दिसम्बर, 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित की गई। इसे बाद में घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य –

1. योजना अवधि (2002–07) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद से सालाना 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य,
2. प्रतिवर्ष 7.5 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य,
3. पांच वर्ष में 28000 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य,
4. दसवीं पंचवर्षीय योजना में पांच करोड़ रोजगार के अवसर के सृजन का लक्ष्य,
5. सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 15,92,300 करोड़ रुपये,
6. केन्द्रीय योजना परिव्यय 9,21,291 करोड़ रुपये,
7. राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों का परिव्ययच 6,71,009 करोड़ रुपये,
8. केन्द्रीय बजट प्रावधान 7,06,000 करोड़ रुपये,
9. 2007 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत करने का लक्ष्य,
10. 2007 तक शिशु मृत्यु दर घटाकर 45 प्रति हजार करने का लक्ष्य,
11. 2007 तक वनाच्छादन बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य,
12. निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 28.4 प्रतिशत,
13. घरेलू बचत दर जीडीपी 26.8 प्रतिशत,
14. विदेशी पूँजी पर निर्भरता जीडीपी का 1.6 प्रतिशत,
15. कर–जीडीपी अनुपात बढ़ाकर 2007 तक 8.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य,
16. केन्द्र तथा राज्यों का सामूहिक कर जीडीपी अनुपात 14.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य,
17. केन्द्र का सकल कर संग्रहण को जीडीपी के 8.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.3 प्रतिशत करने का लक्ष्य,
18. गैर योजना व्यय को जीडीपी के 11.3 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करने का लक्ष्य।

तालिका 4.9

दसवीं पंचवर्षीय योजना - समग्र आर्थिक सूचक एक दृष्टि में

विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	उपलब्धि 2002–07	लक्ष्य 2002–07
जीडीपी वृद्धि दर	6.8	7.4	7.5	8.8	8.6	7.80	8.00
कृषि क्षेत्र में वृद्धि	3.5	3.7	4.0	4.2	1.7	3.42	4.00
उद्योग क्षेत्र में वृद्धि	7.2	8.0	8.8	9.7	10.0	8.74	8.90
सेवा क्षेत्र में वृद्धि	8.0	8.5	9.2	10.0	10.5	9.30	9.40
निवेश (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	24.5	25.9	27.7	30.1	32.3	28.10	28.41
सकल घरेलू बचत (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	23.8	25.2	26.6	28.1	29.4	26.62	23.31
औसत मुद्रा स्फीति	3.4	5.5	6.4	4.4	5.4	5.02	5.00

तालिका 4.10

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रवार उपलब्धियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्र0 सं0	योजना अवधि	कृषि क्षेत्र	उद्योग क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	औसत वृद्धि क्षेत्र
1.	पहली पंचवर्षीय योजना	2.71	5.54	4.17	3.60 (2.1)
2.	दूसरी पंचवर्षीय योजना	3.15	5.59	4.94	4.21 (4.5)
3.	तीसरी पंचवर्षीय योजना	–0.73	6.28	5.26	2.72 (5.6)
4.	तीन वार्षिक योजनाएँ	4.16	1.42	4.10	3.69
5.	चौथी पंचवर्षीय योजना	2.57	4.91	3.22	2.05 (5.7)
क.	1951–74 का औसत	2.20	2.81	4.36	3.33
6.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना	3.28	6.55	5.66	4.83 (4.4)
7.	छठवीं पंचवर्षीय योजना	2.52	5.32	5.41	5.54 (5.2)
8.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	3.47	6.77	7.19	6.02 (5.0)
ख.	1974–90 का औसत	2.89	5.81	5.69	4.63
9.	दो वार्षिक योजनाएँ	1.01	0.10	5.94	2.47
10.	आठवीं पंचवर्षीय योजना	4.68	7.58	7.54	6.69 (5.6)
11.	नौवीं पंचवर्षीय योजना	2.06	4.51	7.78	5.50 (6.5)
ग.	1990–99 का औसत	4.32	3.95	6.90	5.32
12.	दसवीं पंचवर्षीय योजना	1.70	8.30	9.00	7.2 (8.0)
13.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	4.10	10.50	9.90	9.00
14.	कुल औसत (पहली से नौवीं तक)	2.58	5.27	5.39	4.13

नोट– कोष्ठक में लक्षित वृद्धि दर को दर्शाया गया है।

तालिका 4.11

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश, वृद्धि दर और प्राथमिकता के क्षेत्र

योजना एवं योजना अवधि	प्रस्तावित निवेश	वास्तविक निवेश	लक्षित विकास दर	प्राप्त विकास दर	प्राथमिकता के क्षेत्र
पहली योजना (1951–56)	2070	1960	2.1	3.6	कृषि, सिंचाई, विद्युत
दूसरी योजना (1956–61)	4800	4672	4.5	4.2	भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
तीसरी योजना (1956–66)	7500	8577	5.6	2.7	खाद्यान्न, उद्योग
चौथी योजना (1969–74)	15900	15799	5.7	2.1	कृषि, सिंचाई
पांचवीं योजना (1974–79)	37250	39426	4.4	4.8	जनस्वस्थ्य, समाज कल्याण
छठवीं योजना (1980–85)	95500	109292	5.2	5.4	कृषि, उद्योग, ऊर्जा
सातवीं योजना (1985–90)	180000	218730	5.0	6.0	ऊर्जा, खाद्यान्न
आठवीं योजना (1992–97)	434000	495670	5.6	6.7	मानव संसाधन–शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार विकास
नौवीं योजना (1997–02)	859200	941041	6.5	5.5	सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, रोजगार
दसवीं योजना (2002–07)	1592300	N.A.	8.0	7.2	रोजगार, ऊर्जा सुधार तथा सामाजिक अवसंरचना का विकास
ग्यारहवीं योजना(2007–12)	N.A.	N.A.	9.0	N.A.	

स्रोत – भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) तथा यारहवीं योजना(2007–12) का प्रारूप

उ0प्र0 योजनाकाल में विकास –

तालिका 4.12

उ0प्र0 में पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं की भौतिक पूर्ति

मद	योजनावधि								
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पाँचवीं	छठवीं	सातवीं	आठवीं	नौवीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1) कृषि									
1. खाद्यान्न उत्पादन क्षमता (लाख मि0टन)	6.4	13.5	20.6	41.14	16.19	15.3	15.8	16.9	15.80
2. उत्पादन क्षमता (लाख मि0टन)									
– खाद्यान्न	120.6	144.9	132.9	155.64	214.15	219.55	278.91	233.51	265.32
– तिलहन	7.7	13.1	15.0	14.67	15.54	18.00	15.09	17.73	17.93
– गन्ना	29.9	54.5	56.6	60.77	78.82	80.00	90.02	18.13	19.02
– कपास	0.3	0.4	0.6	0.41	0.29	0.17	0.25	0.34	0.49
3. भूमि संरक्षण (,000 हे.)	–	31	297	1836	2117	22.17	21.05	2253	2363
4. पौध संरक्षण (,000 हे.)	17	130	2506	10762	13456	144.32	145.50	140.93	154.80
5. रासायनिक खाद	17	29	80	328	648	654	770	757	79.00
(2) सहकारिता									
कुल समितियाँ	44006	39143	8044	4727	7262	6261	6132	6194	6330
कुल सदस्यता	14.03	29.99	51.00	55.61	60.64	60.05	62.55	62.00	63.00
वितरित अल्प–कालीन तथा मध्यकालीन ऋण	5.58	24.62	16.29	100.08	51.50	52.50	50.20	55.06	55.03

मद	योजनावधि								
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पाँचवीं	छठवीं	सातवीं	आठवीं	नौवीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(3)वृहत एवं मध्य सिंचाई कुल अनुमानित सिंचित क्षेत्रफल									
– कुल क्षमता (,000 हे.)	2883	3154	2511	4104	5672	56.80	5830	5935	6035
– कुल उपयोग (,000 हे.)	2657	2976	3341	3869	4399	45.30	5467	5567	5600
(4)विद्युत									
क्षमता(मे.वाट)	288	370	910	1558	2982	2881	2826	2920	2926
ग्राम जिसमें बिजली लगी (संख्या)	420	1082	5855	29765	35026	36021	3732	3935	4050
(5) पक्की सड़कें (,000 किमी)	18.57	23.41	27.19	36.77	48.82	49.33	49.99	50.33	50.59
(6) समान शिक्षा भर्ती (कुल लाख में)	28.05	40.93	90.18	117.99	120.86	125.06	120.33	125.03	124.05
(7)स्वास्थ्य									
– नगरीय केन्द्र (संख्या) (हजार में)	–	25	75	150	175	178	179	175	180
– ग्रामीण केन्द्र (संख्या) (हजार में)	–	150	871	875	875	886	853	889	911
– सचल दल (संख्या) (हजार में)	–	–	10	72	49	51	–	52	53

तालिका 4.13

उ0प्र0 की पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं पर व्यय

मद	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	1968–69	चतुर्थ	पाँचवीं	छठवीं	सातवीं	आठवीं	नौवीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कृषि एवं संवर्गी सेवाएं	2936	3978	10732	11550	22097	27300	12113	28350	29552	30931
2. सहकारिता	982	3178	5682	1428	1552	2577	75	81	91	95
3. जल एवं शक्ति	5622	8218	21869	22736	63801	124273	43812	43615	51631	45361
4. उद्योग एवं खनिज	637	1292	2087	1717	4041	14821	328	342	353	256
5. परिवहन एवं संचार	686	1537	2814	1712	7605	15700	899	913	912	811
6. शिक्षा	1957	1748	5329	1737	5682	7118	351	415	455	465
7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1309	983	2471	1515	3189	2669	111	125	132	131
8. जलपूर्ति	250	1167	1081	2501	6591	4657	–	–	–	–
9. अन्य सामाजिक सेवायें	1208	1564	1306	630	3956	7837	3105	32105	3316	3431
10. विविध	–	586	2610	974	2415	501	208	281	291	292
योग	15337	23334	56064	45140	116539	209387	81564	77337	85833	81518

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, उ0प्र0, पृ0 261

उ0प्र0 में दसवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास (2002–07)

उ0प्र0 की दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है। 8 प्रतिशत विकास दर का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन इस प्रकार किया गया है–

तालिका 4.14

दसवीं योजना में विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर का विभाजन (प्रतिशत में)

क्षेत्र	विकास दर
कृषि एवं संवर्गीय सेवाएँ	5.17
उद्योग	12.36
शेष	8.06
समग्र अर्थव्यवस्था	8.00

प्रदेश को दसवीं पंचवर्षीय योजना के वांछित विकास दर को प्राप्त करने के लिए 364645 करोड़ रुपये के समग्र विनियोजन की आवश्यकता होगी। इस विनियोजन में से प्रदेश की योजना के माध्यम से 59708 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी।

प्रदेश की नौवीं पंचवर्षीय योजना 42,000 करोड़ रुपये की थी, जिसमें 3.1 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में लाभकारी तथा उत्पादक रोजगार के सृजन पर जोर दिया गया है।

तालिका 4.15

दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य (हजार टन में)

क्षेत्र	लक्ष्य
खाद्यान्न उत्पादन	57100
गन्ना	120000
आलू	11000
दुग्ध	19300
जन्म दर (प्रति हजार)	22.00
मृत्यु दर (प्रति हजार)	9.00
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	70.00

तालिका 4.16

उ0प्र0 की दसवीं पंचवर्षीय योजना का क्षेत्रवार परिव्यय

क्षेत्र	कुल परिव्यय	प्रतिशत
1. आर्थिक सेवाएँ	43444	72.8
कृषि एवं सम्बद्ध	5142	8.6
ग्राम्य विकास	7228	11.9
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1000	1.7
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7324	12.3
ऊर्जा	9612	16.0
उद्योग एवं खनिक्रम	1262	2.1
परिवहन	6740	11.3
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2415	4.0
सामान्य आर्थिक सेवाएं	2821	4.7
2. सामाजिक सेवाएं	15851	26.6
3. सामान्य सेवाएं	413	0.7
कुल योग	59709	100.0

अन्य लक्ष्य –

गरीबी के अनुपात को वर्ष 1999–2000 के 31.15 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 2007 तक 25.41 प्रतिशत तक लाना।

दसवीं योजना के दौरान कुल 81 लाख नये रोजगार अवसर के सृजन का लक्ष्य।

वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूल तक भेजने का लक्ष्य।

दसवीं योजना के अन्त तक 500 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य।

दसवीं योजना के अन्त तक सभी ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य।

तालिका 4.17

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उ0प्र0 एवं भारत के कुल परिव्यय का तुलनात्मक अध्ययन

क्र0सं0 योजना अवधि	कुल परिव्यय (करोड़ रुपये)		उत्तर प्रदेश का प्रतिशत अंश
	उत्तर प्रदेश	भारत	
1. पहली योजना (1951–56)	166	1960	8.47
2. दूसरी योजना (1956–61)	228	4672	4.88
3. तीसरी योजना (1956–66)	560	8577	6.53
4. वार्षिक योजनाएँ (1966–69)	451	6603	6.83
5. चौथी योजना (1969–74)	1163	7675	15.15
6. पांचवीं योजना (1974–79)	2909	19571	14.86
7. वार्षिक योजना (1979–80)	829	12176	6.81
8. छठवीं योजना (1980–85)	6519	48482	13.45
9. सातवीं योजना (1985–90)	11269	85161	13.23
10. वार्षिक योजनाएँ (1990–92)	6904	123120	5.61
11. आठवीं योजना (1992–97)	21680	186617	11.62
12. नौवीं योजना (1997–02)	28309	350464	8.08
13. दसवीं योजना (2002–07)	59708	584503	10.22

उक्त तालिका से यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर किया गया कुल व्यय, राष्ट्रीय स्तर पर किये गये कुल व्यय का 4.88 प्रतिशत से 15.15 प्रतिशत के मध्य ही रहा है, जो प्रदेश की जनसंख्या के वृहद् अंशदान (16.2 प्रतिशत) की तुलना में कम है।

योजनाकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास –

उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन जिलों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से कृषि, सिंचाई, उद्योग, बिजली आदि की सुविधाओं को जन–जन तक सुलभ कराने के लिए व्यापक प्रयास किये गये हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न योजनाकालों में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप निम्न प्रकार रहा है–

प्रथम योजनाकाल में लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति :

(1) ***कृषि उत्पादन में प्रगति*** – प्रथम योजना कृषि प्रधान योजना थी। इसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषि विकास पर अधिक जोर दिया गया था, कुल सरकारी क्षेत्र में व्यय का लगभग 45 प्रतिशत भाग तो कृषि, सिंचाई, शक्ति व सम्बन्धित मदों पर व्यय किया गया था।

(2) ***उद्योगों में प्रगति*** – प्रथम योजना में औद्योगिक विकास पर कम ध्यान दिया गया था। किन्तु फिर भी योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीनी, सिंचाई, मशीन, कागज, साइकिल आदि उद्योगों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

(3) ***परिवहन एवं संचार में प्रगति*** – बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल प्रस्तावित बजट का परिवहन एवं संचार में 26 प्रतिशत व्यय किया गया। इस काल में सड़कों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया।

(4) ***विद्युत तथा सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति*** – प्रथम योजनाकाल में विद्युत तथा सिंचाई के विकास पर कुल व्यय का 30 प्रतिशत व्यय किया गया है।

(5) ***राष्ट्रीय आय*** – निम्न तालिका में योजनानुसार भारत तथा उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को व्यक्त किया गया है–

<u>तालिका 4.18</u>

उत्तर प्रदेश में योजनाकाल में प्रति व्यक्ति आय

क्र0 सं0	योजना अवधि	आय (प्रति व्यक्ति)			
		भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1.	पहली योजना (1951–56)	3.4	1.9	1.6	0.5
2.	दूसरी योजना (1956–61)	4.0	1.8	1.8	0.2
3.	तीसरी योजना (1956–66)	2.6	1.8	0.4	–
4.	चौथी योजना (1969–74)	3.5	2.6	1.3	0.8
5.	पांचवीं योजना (1974–79)	3.4	4.8	1.4	2.9
6.	(1974,1975,1977,1978)	4.7	5.4	2.5	3.4
7.	छठवीं योजना (1980–85)	5.1	5.3	5.8	4.5
8.	सातवीं योजना (1985–90)	6.2	5.8	6.1	5.8
9.	आठवीं योजना (1992–97)	6.7	6.8	6.9	5.8
10.	नौवीं योजना (1997–02)	7.2	7.9	8.5	7.9
11.	दसवीं योजना (2002–07)	8.2	8.5	9.6	8.5

स्रोत – पर्सपेक्टिव ऑफ दि डेवेलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, पृ0 35

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में आय वृद्धि कम हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आय वृद्धि और कम हुई है। आँकड़ों के अभाव में इतना तो अनुमान किया ही जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र राष्ट्रीय आय से अप्रभावित रहे हैं।

(6) ***अन्य क्षेत्रों में प्रगति*** - बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को खोल दिया गया, लेकिन रोजगार देने के उपरान्त भी योजना के अन्त में बेरोजगारी बढ़ी रही। योजना के अन्त में 1950–51 की तुलना में 13 प्रतिशत की कमी हुई। शिक्षा में व्यय के फलस्वरूप प्राथमिक पाठशाला में जाने वाले लड़कों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 4.19

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय

क्र0 सं0	व्यय की मदें	प्रस्तावित व्यय प्रतिशत	वास्तविक व्यय प्रतिशत
1.	कृषि एवं सामुदायिक विकास	11.8	11.0
2.	सिंचाई एवं विद्युत शक्ति	19.0	19.0
3.	ग्रामीण तथा छोटे उद्योग	4.2	4.0
4.	उद्योग एवं खनिज	14.4	20.0
5.	यातायात एवं सन्देशवाहन	28.9	28.0
6.	सामाजिक सेवाएं एवं विविध	21.7	18.0
	कुल योग	**100.0**	**100.0**

स्रोत– तृतीय पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार।

तालिका 4.20

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना का व्यय

क्र0 सं0	मदें	तृतीय योजना का प्रस्तावित व्यय प्रतिशत
1.	कृषि एवं सामुदायिक विकास	14.0
2.	मध्यम सिंचाई योजनायें	9.0
3.	विद्युत	13.0
4.	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	5.0
5.	संगठित उद्योग एवं खनिज	20.0
6.	परिवहन एवं संचार	20.0
7.	सामाजिक सेवाएं एवं विविध	19.0
	कुल योग	**100.0**

स्रोत– चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार।

तृतीय योजना में रोजगार :

तृतीय योजना में रोजगार प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, इस योजनाकाल में लगभग 12000 युवकों को रोजगार प्रदान किया गया।

यातायात एवं संचार :

तृतीय योजनाकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कई कच्ची तथा पक्की सड़कों का निर्माण किया गया था तथा संचार व्यवस्था में काफी प्रगति हुई।

सामाजिक सेवाओं में वृद्धि :

तृतीय योजनाकाल में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, चिकित्सा) स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सेवाओं, कुल मिलाकर 40 लाख का आयोजन था। अस्पतालों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

चतुर्थ योजनाकाल में बुन्देलखण्ड का विकास –

चतुर्थ योजनाकाल में कृषि तथा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई।

जनसंख्या में वृद्धि रोकने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाना।

खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया गया।
कपड़ा, चीनी, दवाइयाँ, तेल, कागज तथा अन्य सामान्य उपभोग की वस्तुओं, जिन पर उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग व्यय करता है, के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया।
सामाजिक सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिला।
पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया।

तालिका 4.21

चतुर्थ योजनाकाल : आकार तथा विनियोग
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में वितरण प्रतिशत

क्र0 सं0	विकास की मदें	प्रतिशत वितरण	
		सार्वजनिक क्षेत्र में	निजी क्षेत्र में
1.	कृषि एवं सामुदायिक विकास	15.4	18.0
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6.7	–
3.	शक्ति	14.4	0.5
4.	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2.1	5.0
5.	उद्योग एवं खनिज	21.5	21.5
6.	परिवहन एवं संचार	22.0	10.1
7.	शिक्षा	5.6	0.5
8.	वैज्ञानिक	0.9	–
9.	स्वास्थ्य	3.0	–
10.	परिवार नियोजन	2.1	–
11.	जल पूर्ति एवं सफाई	2.4	–
12.	आवास एवं शहरी विकास	1.2	26.8
13.	पिछड़ी जातियों का कल्याण	0.9	–
14.	समाज कल्याण	0.3	–
15.	श्रम कल्याण व दस्तकारी प्रशिक्षण	0.3	–
16.	अन्य कार्यक्रम	1.2	–
17.	अवशिष्ट माल	–	17.6
	कुल योग	**100.0**	**100.0**

स्रोत– चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पृ0 48

पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में विकास –

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिए दो मुख्य उद्देश्य रखे गये थे–

1. गरीबी उन्मूलन
2. आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना।

योजनाकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का निम्नलिखित विकास हुआ–

(1) ***गरीबी उन्मूलन*** - यद्यपि आर्थिक नियोजन की 23 वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र के जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किन्तु फिर भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा पर है। इस क्षेत्र में गरीबी का अस्तित्व समाजवादी समाज की धारणा में निहित लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, समृद्धिशाली तथा न्यायपूर्ण समाज की विचारधारा के प्रतिकूल है।

(2) ***आत्मनिर्भरता*** - पाँचवीं योजना का द्वितीय आधारभूत लक्ष्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पूर्णरूप से आत्मनिर्भरता लाना था। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है।

(3) ***रोजगार के साधनों का विस्तार*** - यह तो दुःख का विषय है कि 23 वर्षों के नियोजन काल में रोजगार के अनेक साधनों का विस्तार होने के बावजूद भी बेरोजगारी की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का विस्तार किया गया। शिक्षा पद्धति को भी रोजगार की आवश्यकताओं एवं दशाओं के अनुरूप पुर्नगठित किया गया।

(4) ***न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्यक्रम*** - इस योजनाकाल में समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति की रचना की गई थी। इससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हरसम्भव प्रयास किये गये तथा विभिन्न सहायता दी गई।

(5) क्षेत्रीय असन्तुलन दूर किया गया - बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पाँचवीं योजनान्तर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए संस्थागत कर प्रणाली, अनावश्यक खपत पर नियंत्रण आदि उपायों से विकास किया गया तथा आय के उपयुक्त वितरण पर बल दिया गया।

(6) अन्य -

(i) आर्थिक विकास की गति में 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की गई।

(ii) मूल्यों, वेतनों तथा कार्यों में उचित संतुलन स्थापित किया गया।

(iii) कृषि, उद्योग तथा परिवहन में तेजी से विकास किया गया।

(iv) अनावश्यक उपभोग पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाया गया।

(v) समाज कल्याण के अधिक व्यापक कार्यक्रमों को लागू किया गया

(vi) विद्यमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपभोग किया गया।[1]

छठीं योजना के विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा[2] –

अगस्त 1981 में छठीं योजना के रूपरेखा प्रकाशित होकर जनता को उपलब्ध हुई है। इसके अनुसार सरकार द्वारा आगामी पाँच वर्षों में 1980–85 में कुल 8,20,000 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है, जिसमें बुन्देलखण्ड सहित पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर 57,000 लाख रुपये पाँच वर्षों में व्यय किये जायेंगे। योजना की रणनीति एवं उद्‌देश्य निम्नवत् हैं–

1. विभिन्न वस्तुों का अधिकतम् उत्पादन करने के लिए पूरे प्रयास करना, जिससे अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों में, खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं में, विद्युत आपूर्ति आदि में प्रदेश स्वावलम्बी हो सके एवं प्रदेश के भावी विकास के लिए एक ठोस उत्पादन आधार तैयार हो सके।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में अथवा "कारपोरेट" या सहकारी तथा निजी क्षेत्र में जो पूँजी विनियोग हो चुकी है तथा जो अवस्थापना सुविधाएँ या संस्थाएँ खड़ी

---

1. उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं पर किये गये व्यय की तालिका परिशिष्ट "ख" में दी गई है तथा प्रगति विवरण परिशिष्ट "क" में है। ये दोनों शोध प्रबन्ध के अन्त में कृपया देखिये।
2. उत्तर प्रदेश सरकार, छठीं पंचवर्षीय योजना (1980–81) तथा वार्षिक योजना (1981–82) पर आधारित।

की जा चुकी हैं, उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करना।

3. उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को कम करना।

4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों के निजी उपयोग के लिए उनसे क्रय शक्ति में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और सामाजिक उपभोग तथा सामुदायिचक आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं को उनकी पहुँच के अन्दर लाकर उनका और अधिक लाभ उन्हें उपलब्ध कराना।

5. प्रदेश के विशाल मानवीय संसाधनों का विकास करना जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास में वे अपना सक्रिय सहयोग दे सकें।

6. बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी के स्तर में कमी करना।

7. आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, भूमिहीन मजदूरों, लघु एवं सीमान्त कृषकों और वंशगत पेशे जैसे हस्तकला आदि में कार्यरत जनसमूह की कठिनाइयाँ दूर करने को शीर्ष प्राथमिकता देना तथा बंधक मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना।

8. राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना तथा साथ ही परिस्थिति की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना।

9. जनसंख्या के आकार को स्थिर करना तथा प्रसव सेवा एवं शिक्षा का एक समन्वित कार्यक्रम चलाकर जन्म एवं मृत्यु दर को कम करना।

10. महँगाई को रोकने के लिए आर्थिक एवं संगठनात्मक कदम उठाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना में मैदानी क्षेत्र पर कुल 84851 लाख रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्र पर 57,000 लाख रुपये मुख्य रूप से व्यय होंगे। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र को रखा गया है। योजना में कहा गया है कि "प्रदेश के विशेषतया बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी क्षेत्र में शुष्क खेती, मिश्रित खेती तथा अन्तराल शस्य कार्यक्रमों को अपनाकर फसल गहनता में वृद्धि करना" भी आवश्यक प्रमुख कार्यक्रम है।[1]

---

1. छठीं योजना, पृ0 9

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड में आर्थिक विकास –

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार के कार्यक्रमों पर बड़ी मात्रा में पूँजी निवेश किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से लागू किये जाने पर बल दिया गया।

तालिका 4.22

सातवीं पंचवर्षीय योजना का व्यय

क्र0 सं0	मदें	सातवीं योजना का प्रस्तावित व्यय प्रतिशत
1.	कृषि एवं सामुदायिक विकास	16.01
2.	मध्यम सिंचाई योजनायें	9.60
3.	विद्युत	12.02
4.	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	5.03
5.	संगठित उद्योग एवं खनिज	20.23
6.	परिवहन एवं संचार	22.06
7.	सामाजिक सेवाएं एवं विविध	17.05
	कुल योग	**100.00**

स्रोत– आठवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड का विकास –

उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास आठवीं योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु रहा है। बुन्देलखण्ड में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी एवं पर्याप्त भोजन व्यवस्था तथा अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी। बुन्देलखण्ड के आर्थिक विकास में आठवीं पंचवर्षीय योजना का निम्न योगदान रहा–

तालिका 4.23

आठवीं पंचवर्षीय योजना का व्यय

क्र0 सं0	मदें	आठवीं योजना का प्रस्तावित व्यय प्रतिशत
1.	कृषि एवं सामुदायिक विकास	15.53
2.	मध्यम सिंचाई योजनायें	8.01
3.	विद्युत	14.30
4.	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	4.40
5.	संगठित उद्योग एवं खनिज	19.40
6.	परिवहन एवं संचार	19.30
7.	सामाजिक सेवाएं एवं विविध	19.06
	कुल योग	**100.00**

स्रोत– नौवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड का विकास –

प्रदेश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में कृषि ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं निर्धनता निवारण तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विशेष सजगता दर्शायी गयी। पर्याप्त उत्पादक, रोजगार अवसरों का सृजन तथा निर्धनता निवारण की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को पर्याप्त वरीयता दी गई। खाद्य एवं पोषक आहार विशेषकर समाज के पीड़ित वर्ग के लिए सुनिश्चित कराया गया। सभी को आधारित न्यूनतम सेवायें एक चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराये जाने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया। जैसे– स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एवं अपवास। बुन्देलखण्ड के आर्थिक विकास में नौवीं पंचवर्षीय योजना का निम्न योगदान रहा–

तालिका 4.24

नौवीं पंचवर्षीय योजना का व्यय

क्र0 सं0	मदें	नौवीं योजना का प्रस्तावित व्यय प्रतिशत
1.	कृषि एवं सामुदायिक विकास	17.81
2.	मध्यम सिंचाई योजनायें	6.50
3.	विद्युत	10.00
4.	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	13.00
5.	संगठित उद्योग एवं खनिज	11.60
6.	परिवहन एवं संचार	21.09
7.	सामाजिक सेवाएं एवं विविध	20.00
	कुल योग	**100.00**

स्रोत– दसवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड का विकास –

उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 3 प्रतिात रखा गया है। 8 प्रतिशत विकास दर का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन इस प्रकार किया गया–

तालिका 4.25

दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का क्षेत्रवार वितरण

क्र0सं0	क्षेत्र	विकास दर
1.	कृषि एवं संवर्गीय सेवायें	5.17
2.	उद्योग	12.36
3.	शेष	3.06
4.	समग्र अर्थव्यवस्था	8.00

(1) दसवीं योजनावधि में बुन्देलखण्ड में कृषि तथा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है।

(2) जनसंख्या में वृद्धि रोकने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के उददेश्य से बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया।

(3) खाद्यान्न के क्षेत्र में इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया।

(4) कपड़ा, चीनी, दवाइयाँ, तेल, कागज तथा अन्य सामान्य उपभोग की वस्तुओं, जिन पर कि उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग व्यय करता है, के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया।

(5) सामाजिक सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिला।

(6) पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया।

तालिका 4.26

दसवीं योजनाकाल (बुन्देलखण्ड) : आकार तथा विनियोग
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में वितरण प्रतिशत

क्र0 सं0	विकास की मदें	प्रतिशत वितरण	
		सार्वजनिक क्षेत्र में	निजी क्षेत्र में
1.	कृषि एवं सामुदायिक विकास	17.40	18.0
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7.50	0.2
3.	विद्युत	14.30	0.5
4.	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	3.90	21.5
5.	उद्योग एवं खनिज	12.20	10.3
6.	परिवहन एवं संचार	19.00	0.5
7.	शिक्षा	7.90	–
8.	वैज्ञानिक/तकनीकी	1.09	–
9.	स्वास्थ्य	4.01	–
10.	परिवार नियोजन	3.50	–
11.	जल पूर्ति एवं सफाई	4.80	2.3
12.	आवास एवं शहरी विकास	4.40	26.8

स्रोत– दसवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, पृ0 93

बुन्देलखण्ड को केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता –

केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार बनने के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित किया गया तथा यह भी स्वीकार किया गया था कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को 10वीं योजना में जो प्रति व्यक्ति आवंटन मिला है, वह राष्ट्रीय औसत से कम है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ वित्तीय साधनों के आवंटन में

न्याय नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में राज्यों पर जहाँ अनेक प्रतिबंध लगा दिये गये हैं, वहीं केन्द्र का एकाधिकार होने के कारण राज्यों को समय से धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

प्रदेश ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 10,68,469 करोड़ रुपये के पैकेज की माँग केन्द्र से की थी। 17 जुलाई 2007 को प्रस्तावित इस माँग का विवरण निम्नवत् है–

तालिका 4.27

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित माँग का विवरण

क्र0सं0	मद	रुपये (करोड़ में)
1.	सड़क निर्माण	2000.00
2.	स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	1525.16
3.	पेयजल	1215.46
4.	बिजली कार्य	290.65
5.	सिंचाई सुविधा	797.00
6.	गरीबी के लिए आवास	466.35
7.	कृषि विकास	3113.21
8.	समाजोत्थान एवं रोजगार कार्यक्रम	1080.17
9.	अन्य कार्यक्रम	196.69
योग		**10684.69**

स्रोत– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बाँदा की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वहाँ के जल संस्थान के लिए उ0प्र0 सरकार ने केन्द्र सरकार को 25 क्यूसेक जल यमुना नदी से लिफ्ट करने की सहमति माँगी थी। इस सम्बन्ध में शासन के सिंचाई विभाग ने केन्द्रीय जल आयोग से भारत सरकार की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। परन्तु भारत सरकार ने यह सहमति अभी तक प्रदान नहीं की।

राज्य सरकार से प्राप्त सहायता –

बुन्देलखण्ड के विकास के लिए विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 2005–06 में 18 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा 2006–07 में 20 करोड़ की राशि प्रदत्त की गई है तथा वर्ष 2007–08 में उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण निम्नवत् है–

<u>तालिका 4.28</u>

बुन्देलखण्ड क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई धनराशि (2007-08)

क्र0सं0	मद	रुपये (करोड़ में)
1.	कृषि एवं निवेश अनुदान	150.89
2.	सूखा राहत कार्य	63.00
3.	पेयजल	78.97
4.	सिंचाई कार्य	25.40
5.	विद्युत कार्य	56.41
6.	भूगर्भ जल	0.53
7.	स्वास्थ्य	11.83
	योग	**387.03**

स्रोत– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए उठाये गये कदम –

(1) राजस्व देयों की वसूलियों को स्थगित कर दिया गया।

(2) सभी ग्रामों में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की जा रही है और अभी तक 2448 ग्रामों में खाद्यान्न बैंक स्थापित कर दिये गये हैं।

(3) सभी ग्रामों में सामुदायिक रसोई की स्थापना की जा रही है और 218 सामुदायिक रसोई की स्थापना हो चुकी है।

(4) पेयजल की समस्या से निपटने के लिए 1,04,209 हैण्डपम्प चालू हैं।

(5) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 20 घंटे प्रतिदिन बिजली की उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गर्मियों की छुट्टी में भी बच्चों को मध्यांह भोजन दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

(7) बुन्देलखण्ड विकास निधि/पैकेज के माध्यम से रु0100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु उठाये गये कदम –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि, सिंचाई, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं। अभी हाल ही में सरकार द्वारा 'गंगा एक्सप्रेस वे' में निजी क्षेत्र द्वारा 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है। यदि यह योजना सही रूप से क्रियान्वित हो जाती है तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है, तो निश्चित रूप से यह बुन्देलखण्ड के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। बुन्देलखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं–

कृषि क्षेत्र :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। कुल कृषि योग्य भूमि में से 47 प्रतिशत भूमि सिंचित है ओर 35 प्रतिशत भूमि परती पड़ी हुई है। विभिन्न फसलों की औसत उत्पादकता प्रदेश की औसत उत्पादकता से कम है। इस क्षेत्र में 78 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं, जिनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को विगत 4 वर्षों से सामान्य से कम वर्षा/सूखे ने और भी प्रभावित किया है। इस क्षेत्र की कृषि से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं–

(1) विभिन्न जातियों के प्रमाणित बीजों पर उनके मूल्य का 30 प्रतिशत अथवा रुपये 800 प्रति कुन्टल, जो भी कम हो, का अनुदान दिया जाता है।

(2) निःशुल्क बीज मिनी किट के वितरण की व्यवस्था है।

(3) कृषि रक्षा रसायनों पर वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या रुपये 500 प्रति कुन्टल जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य है।

(4) उन्नतशील कृषि यंत्र में मानवचलित कृषि यंत्र का 50 प्रतिशत या रुपये 2,000 जो भी कम हो, एवं शक्तिचालित यंत्रों का, पर कृषि मूल्य का 30 प्रतिशत या रुपये 10,000 जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य है।

(5) स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला कृषकों को मूल्य 50 प्रतिशत या रुपये 15,000 प्रति सेट तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत या रुपये 10,000 रुपये सेट, जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य है।

(6) सिंचाई हेतु एच0डी0पी0 पाइप वितरण पर लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत या रुपये 15,000 प्रति सेट तथा अन्य श्रेणी के कृषकों मूल्य का 33 प्रतिशत या रुपये 10,000 प्रति सेट, जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य है।

(7) भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा वर्षा के जल संचयन हेतु 23131 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षण करने के लिए रुपये 21.21 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

(8) वर्षा के जल को अधिकाधिक संचयित कर सिंचाई हेतु उपयोग में लाने के लिए बाँध निर्माण एवं तालाब निर्माण को प्राथमिकता दी गई है और इस योजना में 22000 हेक्टेयर क्षेत्र के संरक्षण हेतु रुपये 35.43 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही नाबार्ड सहायतित रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं वाटरशेड मैनेजमेंट योजना में 17776 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित करने हेतु 16.37 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

(9) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषकों को फलों के अन्तर्गत आम, अमरूद, आँवला के नवीन बागों के रोपण हेतु लागत धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम् रुपये 22,500 प्रति हेक्टेयर का अनुदान अनुमन्य है।

(10) जैविक विधि से फलों एवं सब्जियों की खेती करने हेतु रुपये 10,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान अनुमन्य है।

(11) पुष्प (ग्लैडियोलस, रजनीगंधा एवं गेंदा) की खेती हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम् क्रमशः रुपये 45,000 रुपये 35,000 एवं रुपये 12,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान अनुमन्य है।

(12) मसालों (लहसुन, मिर्च एवं हल्दी) तथा औषधि पौधों की खेती हेतु रुपये 11,250 प्रति हेक्टेयर का अनुदान अनुमन्य है।

(13) फलदार पौधों के उत्पादन हेतु बड़ी एवं छोटी पौधशालाओं की स्थापना के लिए क्रमशः 9.0 लाख रुपये एवं 1.5 लाख प्रति इकाई का अनुदान अनुमन्य है।

(14) अनुसूचिज जाति के कृषकों को आम, अमरूद एवं आँवला के नवीन बागों के रोपण हेतु लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम् रुपये 34,762 प्रति हेक्टेयर का अनुदान अनुमन्य है।

(15) जेट्रोफा की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सेमिनार, गोष्ठी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(16) जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण के रूप में रुपये 119.69 करोड़ का वितरण किया गया है। साथ ही दीर्घकालीन ऋण के रुपये 10.27 करोड़ का वितरण हुआ है।

सिंचाई व्यवस्था :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई हैं। इसके मुख्य बिन्दु निम्नप्रकार हैं–

(1) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 22 बाँधों, 7 वियरों, 4 वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों, 37 लघु डाल नहरों, 11 झीलों, 103 तालाबों/टैंकों से पोषित नहरों, 381 बंधियों तथा 1581 राजकीय नलकूपों से सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की गई है।

(2) 87 नये नलकूपों का निर्माण करने हेतु रूपये 13.92 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

(3) 90 फेल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु रुपये 13.50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

(4) दो अतिरिक्त डाल नहरों का निर्माण रुपये 17.22 करोड़ की लागत से किया जायेगा।

(5) 593 निःशुल्क बोरिंग, 1133 गहरी बोरिंग, 670 मध्यम बोरिंग तथा 95 चेक डैम का निर्माण मार्च 2008 तक पूरा कर लिया जायेगा।

(6) क्षेत्र के सूखे को दृष्टिगत रखते हुए 700 चेक डैम, 550 सामुदायिक नलकूप तथा 1700 ब्लास्ट कूपों को गहरा करने हेतु 116.25 करोड़ की योजना तैयार की गई है।

(7) झाँसी, ललितपुर, महोबा तथा चित्रकूट जनपदों में 1122 कूपों को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा किये जाने हेतु 6.12 करोड़ रूपये की परियोजना प्रारम्भ कर दी गई है।

पेयजल व्यवस्था :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी संख्या में हैण्डपम्पों तथा पाइप पेयजल के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

(1) इस वर्ष 6528 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य कराया जायेगा, जिनमें से आधे से अधिक हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं।

(2) 6229 हैण्डपम्पों को रिबोर कराया जा रहा है।

(3) 66 पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य को पूर्ण किया जायेगा।

(4) मार्च 2008 के बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 7000 नये हैण्डपम्पों तथा 4000 हैण्ड पम्पों का रिबोर कराया जायेगा।

(5) जिन हैण्डपम्पों में पानी की समस्या जलस्तर नीचे जाने के कारण आयेगी, वहाँ गहरे हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की व्यवस्था की गई है।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 7372 हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म नये डिजाइन पर बनाये जा रहे हैं, जिनमें नाली के सिरे पर चरही का निर्माण किया जा रहा है, ताकि फालतू पानी पशुओं के पीने हेतु चरही में एकत्र हो सके।

(7) दूर–दराज तथा समस्या वाले क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जा रही है।

(8) महोबा जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना की स्वीकृति लागत रुपया 2570.42 लाख के सापेक्ष राज्य सेक्टर में रुपया 1124 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए योजना का कार्य प्रगति पर है, यह योजना दिसम्बर 2008 तक पूर्ा हो जायेगी।

(9) नगरीय क्षेत्रों में 570 नये हैण्डपम्पों एवं 234 हैण्ड पम्पों का रिबोर कार्य किया जा रहा है।

(10) सभी नगरीय निकायों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था अगले दो वर्षों में कर दी जायेगी।

(11) चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम के तहत् बुन्देलखण्ड को रुपया 1717.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें राज्य सेक्टर से रुपये 500 लाख, जिला योजना सामान्य से रुपया 863 लाख, जिला योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से रुपया 354 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(12) सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड में नगरीय पेयजल योजनाओं के लिए 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड विकास निधि में 20 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष 21.38 करोड़ रुपये की 6 योजनायें मूल्यांकित हैं। चार योजनायें लोक निर्माण विभाग को प्रेषित है।

(13) ललितपुर, नरैनी एवं ओरन (बाँदा), पेयजल पुनर्गठन योजनाओं हेतु क्रमशः 986.32 लाख रुपये, 34.93 लाख रुपये एवं 18.45 लाख रुपये और बबेरू (बाँदा) पेयजल योजना हेतु 22.89 लाख रुपये की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को भेजी गई है। इनके अतिरिक्त बाँदा से 1075.95 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से नये नलकूपों का निर्माण कराने की कार्यवाही की जा रही है। इन योजनाओं में प्रस्तावित कुल सात नलकूपों की स्थापना आगामी जून 2008 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(14) त्वरित नगर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड की कुल 29 पेयजल योजनाओं में से 21 योजनायें मार्च 2007 तक, दो योजनायें चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुई हैं। अवशेष 6 में से 5 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा एक योजना (जनपद जालौन कोटरा पेयजल पुनर्गठन योजना) में नलकूप सफल न होने के कारण वैकल्पिक स्रोत खोजा जा रहा है।

बिजली व्यवस्था :

(1) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रतिदिन 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

(2) इस क्षेत्र में सूखे से निपटने हेतु रुपये 52 करोड़ की लागत से 11 के0वी0

लाइनों एवं विद्युत उपकेन्द्रों का जाल बिछाये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है।

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी नलकूपों को जनवरी माह के अन्त तक ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

(4) नलकूपों के संयोजनों के ऊर्जीकरण की क्लस्टर के माध्यम से व्यवस्था की गई है, ताकि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके।

(5) तीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण/क्षमता वृद्धि कराई जा चुकी है।

(6) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 1299 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है तथा 1320 ग्राम मार्च 2008 तक विद्युतीकरण कर दिये जायेंगे।

शिक्षा :

(1) प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि के फलस्वरूप इनमें अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है।

(2) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना संचालित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) मध्यान्ह भोजन योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी विद्यालयों में संचालित है।

(4) सूखा प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयोंमें अध्ययनरत बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। इससे क्षेत्र के 20,59,424 छात्र लाभान्वित होंगे।

ग्रामोत्थान एवं रोजगार :

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में ग्रामीण परिवार रोजगार पाने के लिए पात्र हैं। परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार अनुमन्य है। ग्राम पंचायत में पंजीकरण कर जॉब कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। माँग के पन्द्रह दिनों के अन्दर रोजगार माँगने वाले व्यक्ति

को रोजगार की व्यवस्था की जायेगी। यदि इस अवधि में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 6,71,653 जॉब कार्ड वितरित किये गये हैं। अभी तक 3,18,986 परिवारों द्वारा रोजगार की माँग की गई है और 3,13,970 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में वर्तमान वर्ष में 17 जनवरी, 2008 तक 236.93 करोड़ रुपये का व्यय नरेगा में हुआ है, जबकि विगत वर्ष यह धनराशि केवल 133.95 करोड़ रुपये की थी, अर्थात् इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपये अधिक व्यय किया गया है।

(4) इस वर्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों में 175 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं, जबकि विगत वर्ष केवल 143 मानव दिवस सृजित हुए थे अर्थात् विगत वर्ष की तुलना में 32 लाख मानव दिवस अधिक सृजित हुए हैं।

(5) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर समय कम से कम एक योजना क्रियान्वित किये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके अधीन 3928 ग्राम पंचायतों में 3889 गाँवों में कार्य सम्प्रति चालू है।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम एक जलाशय निर्मित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि पानी की समस्या का निराकरण हो सके। इस योजना के तहत 2690 जलाशय पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 1911 जलाशय निर्माणाधीन है।

(7) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों के लिए 450 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार में स्वीकृत हेतु लम्बित है।

(8) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 492.38 किमी0 सड़कें निर्मित की गई हैं, जिन पर 143.63 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(9) इस वर्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 5604 इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया जायेगा।

(10) स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना के अन्तर्गत 14907 व्यक्तियों के लिए स्वतः रोजगार की व्यवस्था की जा रही है और 11563 व्यक्तियों के लिए स्वतः रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है।

(11) भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए 2007–08 में 4278 तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया जायेगा और 1656 तालाबों पर इस कार्य को पूर्ण कराया जा चुका है।

(12) मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 294 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

दुग्ध एवं पशुधन :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के आच्छादन क्षेत्र में वृद्धि हेतु 179 गांवों में नई दुग्ध समितियों का गठन तथा 110 निष्क्रिय दुग्ध समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

(2) दुग्ध समिति स्तर पर त्वरित एवं पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था हेतु दुग्ध की तौल, गुणवत्ता जांच, कीमत निर्धारण हेतु आधुनिक 124 ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(3) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उसे खराब होने से बचाने हेतु दुग्ध ठंडा करने के लिए बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई।

(4) तकनीकी निवेश सुविधा कार्यक्रम के अन्तर्गत नस्ल सुधार हेतु 46 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(5) पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पशु चिकित्सालयों के माध्यम से पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है।

(6) पशुओं के लिए 289 स्थानों पर पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों पर हैण्डपम्प एवं चरही की व्यवस्था की जा रही है।

(7) पशुओं के आहार हेतु भूसे का आवंटन शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है।

(8) 298 पशु स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त 95 शिविर लगाये जा रहे हैं, जिनमें पशुधन सुरक्षा, टीकाकरण, पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बाँझपन निवारण, भूसा वितरण की व्यवस्था की गई है।

(9) पशुपालकों को विशेष रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 10 लाभार्थियों को सरकारी समिति गठित कर एकीकृत बकरी पालन तथा एकीकृत सुअर पालन की इकाईयाँ स्थापित कराई जा रही हैं। इसमें एक लाख रुपये प्रति समूह का अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

(10) ग्रामीण कृषकों/पशुपालकों को आर्थिक उपार्जन तथा प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करने हेतु बैंक यार्ड कुक्कुट पालन इकाइयाँ स्थापित कराई जा रही हैं, जिससे प्रत्येक लाभार्थी को चूजे तथा दाने एवं छोटे छप्पर हेतु रुपये 1600 प्रति इकाई अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रामीण विकास :

(1) डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 125.35 करोड़ रुपये की लागत से 100 ग्राम पंचायतों में 800 किमी0 सी0सी0 रोड और लगभग 1200 किमी0 के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा। अगले वर्ष 200 ग्राम पंचायतों में 1600 किमी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जायेगा।

(2) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 77481 शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा, जिनमें से 41448 शौचालयों का निर्माया कराया जा चुका है। अगले वर्ष एक लाख शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

(3) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत झाँसी जनपद को छोड़कर शेष जनपदों में आधारभूत ढाँचे और क्रिटिकल गैप को पूर्ण करने हेतु प्रति वर्ष कम से कम 10 करोड़ रुपये की धनराशि प्रति जनपद दी जायेगी।

सामाजिक उत्थान :

(1) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 40735 निराश्रित महिलाओं को पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 24645 चिन्हित नवीन लाभार्थियों को

पेंशन स्वीकृत की कार्यवाही की जा रही है।

(2) चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में अनुसूचित जाति के 228663 तथा झाँसी मण्डल के जनपदों में 263495 छात्रों के लिए पूर्व दशम छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामान्य वर्ग के 199120 पात्र छात्रों के लिए भी पूर्व दशम छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।

(3) 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों, जिनके पुत्र या पौत्र बालिग न हो अथवा देखभाल करने में अक्षम हों, को 300 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन की व्यवस्था की गई है।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पुत्रियों के विवाह हेतु 10,000 रुपये की सहायता की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य सुविधाएँ :

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है और सभी को 10,000 रुपये की धनराशि स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराई गई हैं।

(2) एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण की व्यवस्था की गई है।

(3) प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50,000 रुपये तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 25,000 रुपये की धनराशि स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों के लिए प्रदान की गई है।

(4) 350 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले 'बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बाँदा' में 21 विभागों/निकायों की स्थापना की जायेगी।

(5) मेडिकल कालेज, बाँदा में प्रत्येक वर्ष 100 छात्रों का चयन किया जायेगा। जालौन जनपद में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत कराई गई। आगामी सत्र 2009--10 में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा एवं हास्पिटल की सेवायें भी उपलब्ध हो जायेगी।

(6) बाँदा के मेडिकल कालेज में शैक्षिणिक अस्पताल भवन, एकेडेमिक ब्लाक, विभिन्न स्तर के मेडिकल छात्रों/छात्राओं के लिए पृथक छात्रावास भवन, नर्सेज छात्रावास के साथ–साथ स्टाफ हेतु आवासीय भवनों की व्यवस्था रहेगी।

(7) 184 करोड़ 27 लाख रुपये की परियोजना लागत वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झाँसी में कुल 18 विभाग होंगे।

(8) पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झाँसी में कुल 14 पाठ्यक्रम होंगे, जिसमें हरवर्ष प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 50 छात्रों का चयन किया जायेगा।

(9) झाँसी के पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज में केन्द्रीय प्रशासनिक भवन, नर्सिंग एकेडेमिक भवन, पाठ्यक्रम हेतु एकेडेमिक भवन के साथ–साथ 3 महिला छात्रावास, 6 पुरुष छात्रावास तथा स्टाफ हेतु आवासीय भवन निर्मित किये जायेंगे।

सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राहत कार्य को और गतिशील बनाने तथा विकास कार्यों को और व्यापक स्तर पर संचालित करने के लिए सरकार जो भी प्रयास कर रही है, वे 'ऊँट के मुँह में जीरा' के समान हैं और जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, उनका ठीक से क्रियान्वयन भी नहीं किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ आर्थिक सम्भाग है। अतः इसे विशेष सहायता एवं योजनाओं की आवश्यकता है।

पंचम् अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की वर्तमान समस्याएँ

उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड सम्भाग विकास की उस स्थिति को प्राप्त न कर सका, जोकि अन्य सम्भाग प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ विकास की अनेक सम्भावनाएँ विद्यमान हैं तथा यह क्षेत्र एक सशक्त आर्थिक क्षेत्र बनकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विशेष योगदान दे सकता है। इस क्षेत्र के पिछड़े रह जाने के कारण यहाँ व्याप्त विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ हैं। यह समस्याएँ कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, वित्त आदि से सम्बन्धित हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम बुन्देलखण्ड क्षेत्र की निम्नलिखित ज्वलन्त समस्याओं पर विचार प्रस्तुत करेंगे–

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि से सम्बन्धित समस्याएँ।
2. बुन्देलखण्ड में औद्योगिक समस्याएँ।
3. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़क एवं यातायात से सम्बन्धित समस्याएँ।
4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की वित्तीय समस्याएँ।
5. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की शैक्षिक समस्याएँ।

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि से सम्बन्धित समस्याएँ :

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राचीनकाल से ही कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना महत्व है, यह अग्रलिखित तथ्यों के रूप में प्रकट किया जा सकता है–

(i) कृषि पर भारतीय जनता की आत्मनिर्भरता,

(ii) राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान,

(iii) औद्योगिक विकास में योगदान,

(iv) व्यापार एवं विकास में योगदान,

(v) खाद्यान्न आपूर्ति के महत्वपूर्ण स्रोत,

(vi) सर्वाधिक रोजगार

(vii) सर्वाधिक भूमि उपयोग आदि।

इसके अतिरिक्त रेलों, मोटरों व परिवहन के अन्य संसाधनों को प्राप्त होने वाली आय में कृषि पदार्थों के स्थानान्तरण से प्राप्त आय का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार देश की सम्पत्ति में कृषि सम्पत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं–

(i) कृषि ही जनता की जीविका का प्रमुख साधन है –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही जीविका हेतु निर्भर है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 5.1

उत्तर प्रदेश में कृषि में संलग्न मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत (2001)

क्र0सं0	आर्थिक सम्भाग	कर्मकारों का प्रतिशत
1.	पूर्वी क्षेत्र	71.9
2.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	74.5
3.	पश्चिमी क्षेत्र	56.8
4.	केन्द्रीय क्षेत्र	66.5
	उत्तर प्रदेश	65.9

स्रोत – उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2005, पृ0 272

शाही कृषि आयोग ने सच ही लिखा है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। कुल कृषि योग्य भूमि में से 22 प्रतिशत की कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती है तथा 78 प्रतिशत भूमि को प्रकृति पर छोड़ दिया जाता है। प्रकृति का मिजाज अनुकूल होगा या प्रतिकूल, यह कहा नहीं जा सकता। साधारणतया अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं अपवाद स्वरूप ही मानसून उपयुक्त समय पर तथा उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होता है। पिछले वर्षों में सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय तो किया गया है लेकिन यह यथेष्ट मात्रा में नहीं है तथा सरकारी लापरवाही के चलते किसानों को उसका कोई लाभ भी नहीं मिला है। प्रकृति पर इस आश्चर्यजनक निर्भरता ने सीमान्त किसानों को मृत्यु की कगार पर पहुँचा दिया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में

पिछले पाँच वर्षों से वर्षा की अनियमितता के कारण किसान कर्ज तथा जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गये हैं, जब उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तब वे पूरे परिवार सहित आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। सरकारी उपेक्षा ही पूरी तरह से किसानों को इस ओर प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है। जनपद में सिंचाई सम्बन्धी स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका 5.2

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)- 2002-03

क्र0 सं0	जनपद	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	नहर द्वारा	राजकीय नलकूप द्वारा	निजी नलकूप द्वारा	अन्य
1.	जालौन	177812	129748	10765	23917	13382
2.	झाँसी	285209	96320	2688	3856	102345
3.	ललितपुर	171355	50032	13949	8030	99944
4.	हमीरपुर	101411	31240	13258	22265	34648
5.	महोबा	88529	22683	4	1390	64452
6.	बाँदा	121274	77109	10646	20011	13508
7.	चित्रकूट	50254	19280	170	10913	19891

स्रोत – उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2004, पृ0 273

यदि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की वास्तविक स्थिति देखी जाये तो इस तालिका से इतर है न तो नहरों में पानी है और न ही नलकूपों में। यदि नहरों में थोड़ा बहुत पानी छोड़ा भी जाता है, तो बड़े किसान उस पानी का प्रयोग कर लेते हैं। लघु तथा सीमान्त किसान प्रकृति की ही आस लगाये बैठे रहते हैं। यदि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रकृति की निर्भरता इतनी अधिक रहेगी, तो वह दिन दूर नहीं जब यह क्षेत्र अकाल के भयानक शिकंजे में जकड़ा हुआ होगा।

(ii) बुन्देलखण्ड का मूल आधार –

भारतीय कृषि साधारणतया उपभोग के निमित्त होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अधिकांश कृषक कृषि व्यवसाय में उपभोग की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की दृष्टि से प्रविष्ट होते हैं। सदियों से कृषि स्वावलम्बी गाँवों का आधारभूत व्यवसाय रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से इस क्षेत्र में कपास, जूट, तिलहन,

तम्बाकू आदि फसलों का व्यापारीकरण प्रारम्भ हुआ। फिर भी औसत कृषक के दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन नहीं हो सका। केवल बड़े किसान विनिमय के लिए कृषि करने लगे और छोटे–छोटे किसान उपज को उपभोग के लिए रखकर शेष का गाँव में ही व्यापार करने लगे। इसके तीन कारण हैं–

– प्रथम, जोत बहुत छोटी होने के कारण उपज का कम होना,
– द्वितीय, कृषक की गरीबी, जिसके कारण वह अनिवार्यता यानि खाद्य की आवश्यकता को पहले पूरा करता है,
– तृतीय तथा अन्तिम, बाजार की परिस्थितियों के प्रति अज्ञानता।

वस्तुतः कृषि भारतीय जनता के लिए जीवन का एक ढंग है न कि आर्थिक ढाँचे का एक अंग। मेलनबम के अनुसार "गाँवों में पैदा होने वाले पदार्थों में 50–60 प्रतिशत का वही उपभोग कर लिया जाता है।"

(iii) खाद्यान्नों की अतुलनीय लोकप्रियता –

यद्यपि अखाद्य पदार्थों जैसे– कपास, तम्बाकू व तिलहन आदि की खेती भारत में सदियों से होती रही है। फिर भी 19वीं शताब्दी के मध्य तक इनका महत्व गौण था। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी जनसंख्या की वृद्धि, निर्धनता तथा औद्योगिक विकास की मन्द गति के कारण खाद्यान्नों की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई। निम्न तालिकाओं से समझा जा सकता है कि खाद्यान्न फसलों को इस क्षेत्र में कितनी प्रमुखता दी जाती है–

तालिका 5.3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र0सं0	फसलें	2001–02	2002–03	2003–04
1.	धान	6071	5213	5953
2.	गेहूँ	9256	9164	9150
3.	जौ	254	243	221
4.	ज्वार	323	269	313
5.	बाजरा	851	831	878
6.	दालें	2683	2643	2673

स्रोत – कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा निदेशालय (उ0प्र0)

तालिका 5.4

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र0सं0	फसलें	2001–02	2002–03	2003–04
1.	तिलहन	834	771	786
2.	गन्ना	2035	2149	2030
3.	आलू	389	441	422
4.	तम्बाकू	20	24	23
5.	रूई	5	5	4
6.	सनई (रेशा)	5	4	7

स्रोत – कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा निदेशालय (उ0प्र0)

(iv) कृषि जोतों का अत्यन्त छोटा होना –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत जोत 1.5 एकड़ से भी कम तथा प्रति परिवार जोत का अनुमान लगभग 7.7 एकड़ लगाया गया है। इस क्षेत्र में कृषि जोत न केवल छोटी है, अपितु अत्यन्त छोटे–छोटे खेतों के रूप में दूर–दूर बिखरी हुई है। भारत में जोतों का औसत आकार 6.57 एकड़ है। जोत का आकार छोटा होने के कारण आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना कठिन होता है।

(v) कृषक सुधारों के लाभों से वंचित –

भारतीय कृषि के सुधरों का लाभ कृषकों को पूर्णतया नहीं मिल पाता है। मध्यस्थों के आधिक्य के कारण कृषकों को लाभ नहीं मिल पाता। आज भी लगभग 60 प्रतिशत कृषक परिवार समुचित रूप से अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं तथा बढ़े हुए मूल्यों का लाभ भी अधिकांशतः मध्यस्थ ही हड़प लेते हैं।

(vi) मुद्रा का सीमित उपयोग –

यहाँ के कृषक उत्पादन एवं उपभोग में मुद्रा का उपयोग बहुत कम करते हैं। हमारी कृषि में मुद्रा का उपयोग गत शताब्दी में प्रारम्भ हुआ, जबकि व्यापारिक क्रान्ति के अन्तर्गत यातायात के साधनों का विकास हुआ तथा कृषि पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में यूरोपीय देशों को निर्यात प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय सेंपल

सर्वे के अनुसार अब भी 60 प्रतिशत खाद्यान्न तथा 55 प्रतिशत दालों का विनिमय मौद्रिक रूप में नहीं होता।

मेलनबम ने भी कृषि क्षेत्रों में विभिन्न वस्तु विनिमय की परम्परा पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उनके कथनानुसार गाँवों में 15 प्रतिशत परिवार ही महत्वपूर्ण कार्यों में मुद्रा का उपयोग कर पाते हैं तथा कृषकों में तो मुद्रा का उपयोग गौण है।[1] क्योंकि श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों को जो कृषि कार्यों में सहायता करते हैं, अनाज या कृषि पदार्थ ही पुरुस्कार स्वरूप प्रदान किये जाते हैं। वस्तु विनिमय इस प्रकार भारतीय कृष्ज्ञि की अलौकिक विशेषता है।

(vii) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों में भूमिहीन कृषकों का बाहुल्य

विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशों में खेतिहर साधारणतया नहीं मिलते क्योंकि वहाँ भूमि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। भारत में इसके विपरीत कृषक जनता में से 18 से 20 प्रतिशत के पास भूमि नहीं है। इसके विपरीत लाखों एकड़ भूमि कृषि योग्य है, लेकिन पूँजी के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो पाता। यह विडम्बना की स्थिति भारत जैसे देशों में ही पाई जाती है तथा जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जाती है, पर नई भूमि का उपयोग नहीं किया जाता। यदि पूँजी की सुलभ प्राप्ति सम्भव हो जाये तो भूमिहीन कृषकों के लिए नई भूमि को उपयुक्त बनाया जा सकता है।

(viii) श्रमिकों की न्यून उत्पादकता –

इस क्षेत्र की कृषि में श्रमिकों की उत्पादकता भारत में सबसे कम है। डॉ0 बलजीत सिंह ने भारतीय कृषि श्रमिक क़ी उत्पादकता लगभग 105 डालर वार्षिक मानी थी। जबकि अन्य देशों में यह इस प्रकार मानी गई थी, पश्चिमी जर्मनी 3495 डॉलर, न्यूजीलैण्ड 3481 डॉलर, आस्ट्रेलिया 2442 डॉलर, अमेरिका 2408 डॉलर, जापान 2265 डॉलर, कनाडा 2126 डॉलर, इंग्लैण्ड 2057 डॉलर तथा नार्वे 673 डॉलर।[2]

---

1. मेलनबम– ओ0पी0 सिंह, पृ0 139–40
2. वाडिया एण्ड मरचेन्ट, इको.प्राबलम्स, पृ0 619

(ix) कृषि क्षेत्रों में विविधता –

भारतीय कृषि की यह भी एक विशेषता है कि यहाँ भूमि व्यवस्था, कृषि प्रणालियों एवं फसलों में अधिक विविधता पायी जाती है। भूमि स्वामियों एवं काश्तकारों के सम्बन्धों में भी विभिन प्रदेशों में बहुत अन्तर रहा है। यद्यपि इस क्षेत्र में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि व्यवस्था को समस्त देश में एक ही स्वरूप देने के प्रयास किये गये हैं, लेकिन फिर भी यह अन्तर पूर्णतया समाप्त नहीं हो सका है। बहुत बड़ा विविधता वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ जलवायु में भी विभिन्नता है और इसलिए अनेक प्रकार के कृषि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। एक ही वस्तु की अनेक किस्में, मिट्टी व जलवायु की विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है।

तालिका 5.5

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जलवायु की विभिन्नता (वर्षा मिमी0 में)

क्र0सं0	जिला	सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा
1.	जालौन	862	668
2.	झाँसी	850	613
3.	ललितपुर	1044	790
4.	हमीरपुर	864	708
5.	महोबा	N.A.	324
6.	बाँदा	902	635
7.	चित्रकूट	N.A.	1036

स्रोत – सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, पृ0 619

(x) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन का कम होना –

भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह बताई जाती है कि यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों की तुलना में यहाँ तक कि अल्पविकसित देशों से भी कम है।

(xi) कृषि का यांत्रिक न होकर श्रम प्रधान होना –

भारत में 3 चौथाई से अधिक जोतों का आकार 5 एकड़ से भी कम

है। फलस्वरूप यहाँ के खेतों में श्रम की बचत करने वाले यंत्रों का उपयोग करना सम्भव नहीं है। जापान में भी अधिकांश खेत छोटे हैं फिर भी वहाँ उनके आकार के अनुरूप यंत्रों का आविष्कार कर लिया गया है।

(xii) उत्पादन की परम्परागत तकनीकी –

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से कृषि में नवीन यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग होने लगा है। फिर भी बुन्देलखण्ड खेत्र के अधिकांश कृषक उत्पादन की परम्परागत तकनीकों एवं पद्धतियों से काम लेते हैं। जैसे– खुरपी व लकड़ी के हल का उपयोग आदि।

बुन्देलखण्ड कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद भी कृषि में ही पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि यह क्षेत्र अपेक्षित विकास नहीं कर पाया। अब हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे, जो इनके लिए उत्तरदायी रहे हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि की न्यून उत्पादकता के कारण :

यहाँ के कृषक आज भी खेतों की सिंचाई के लिए इन्द्र देवता की कृपा पर ही निर्भर रहते हैं। सिंचाई के साधनों का अभाव कृषि उपज के कम होने का सबसे बड़ा कारण है। पिछले चार वर्षों से बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ रहा है। आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुन्देलखण्ड प्राकृतिक प्रकोप से भी अछूता नहीं है।

इसके अतिरिक्त खेतों की जुताई में प्रयुक्त लकड़ी के हल गहरी जुताई नहीं कर पाते और न ही भूमि में स्थित काटों या प्राकृतिक जड़ों को समूल नष्ट ही कर पाते हैं। यहाँ के कृषक अधिकांशतः जिन बीजों का उपयोग करते हैं, वे इंडिका श्रेणी से सम्बद्ध हैं। चावल की अधिकांश जातियां सेतुका कुल की हैं। इसी प्रकार गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा की परम्परागत श्रेणियाँ ही यहाँ अधिकांशतः प्रयुक्त की जाती हैं।

भूमि के निरन्तर उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति निरन्तर घट चुकी है। ऊँची उपज वाले बीजों तथा रासायनिक खाद का उपयोग बहुत ही कम क्षेत्र में हो पाता है जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होती है। यही नहीं वरन्

कीड़ो–मकोड़ों तथा चूहों द्वारा उपज का लगभग 13 प्रतिशत भाग कीड़े–मकोड़े, टिड्डिरूों व चूहों द्वारा खेतों में ही नष्ट कर दिया जाता है। इसके 10 प्रतिशत अनाज गोदामों में कीटाणुओं व चूहों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। अतः वास्तव में जो खाद्यान्न प्राप्त होता वह कुल उपज का तीन चौथाई अंश ही होता है।

ऋण ग्रस्तता का अभिशाप भी भारतीय कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ऋणी होने के कारण साधारणतया अधिकांश कृषकों को अग्रिम रूप से कम मूल्य पर उपज साहूकार को बेचने के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है। स्वतंत्रोपरांत यद्यपि देश के सभी राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू कर दिये गये हैं, किन्तु इनमें अनेक कमियाँ होने के कारण अनेक क्षेत्रों में वास्तविक रूप में भी कृषकों को भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

इसके साथ ही भारत में कृषि शोध एक उपेक्षित विषय रहा है, जिससे कृषि की उत्पादकता में आशनुकूल वृद्धि नहीं हुई है किन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि अब कृषि शोध हेतु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट संस्थाएँ काफी व्यय कर रही हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि विकास के लिए सुझाव :

कृषि के न्यून उत्पादकता के जिन कारणों की हम चर्चा कर चुके हैं, यदि उनका निवारण कर लिया जाये, तो न केवल यह क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपितु विश्व के सभी कमी वाले क्षेत्रों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। हमारे देश में कृषि विकास का कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किया जा रहा है।

प्रथम योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप देश में निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ और हमारा खाद्यान्न आयात नाम मात्र का ही रह गया था। परन्तु अन्य पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण खाद्य संकट ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि में तीव्रता लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं–

(1) ***सूखे क्षेत्र में खेती*** - बुन्देलखण्ड क्षेत्र का अधिकांश भाग ऐसा है, जहाँ कृषि नहीं होती और वह बेकार पड़ा है, यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुसंधान कार्य अभी पानी को आधार मानकर ही चलता रहा है, जिसके कारण सूखी जमीन वाला क्षेत्र जहाँ सिंचाई की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, अनुसंधान का कोई लाभ नहीं उठा सका। अतएव सूखे क्षेत्र में खेती करने की दिशा में अनुसंधान कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि इस बेकार क्षेत्र में कृषि हो सके, तो हम न केवल अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे अपितु अनाज का निर्यात भी कर सकेंगे।

(2) ***भू-रक्षण तथा पौधों की रक्षा*** - भारत में कृषि का विकास करने के लिए भू–रक्षण तथा पौध संरक्षण पर बल देना चाहिए। भूमि की कटाव से रक्षा करनी होगी तथा फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए समुचित मात्रा में दवाओं का प्रयोग करना होगा।

(3) ***कृषि साख में सुधार*** - पंचवर्षीय योजनाओं में साख विस्तार के बाद भी यहाँ के कृषकों को वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतएव इस कार्य के लिए सहकारी कृषि समितियों, भूमि विकास बैंकों तथा ग्रामीण कृषि साख बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(4) ***भूमि सुधार*** - भूमि सुधार की दिशा में बनाये गये कानूनों का मूल्यांकन करके उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

(5) ***सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार*** - कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि एक से अधिक फसलें उगाई जा सकें तथा उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सके।

(6) ***कृषिगत साधनों का विस्तार*** - कृषि विकास के लिए कृषिगत साधनों का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि उपयोग में आने वाली सभी वस्तओं, जैसे– बीज, उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाएँ, कृषि यंत्र, भण्डार गृह आदि के विकास पर बल देना चाहिए।

(7) **कृषक को प्रशिक्षण तथा शिक्षण पर बल** - कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता तथा गुण में सुधार लाने के लिए कृषकों को आवश्यक शिक्षण तथा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे उत्पादन के आधुनिक तरीकों का उपयोग कर सकें।

(8) **विपणन सुविधाओं का विस्तार** - कृषकों को अपने उत्पादन का समुचित मूल्य मिल सके, इसके लिए विपणन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए सहकारी विपणन समितियों की स्थापना एवं उनके विकास पर बल दिया जाना चाहिए।

(9) **गाँवों में रोजगार के साधनों का विस्तार** - गाँवों में बेरोजगारी तथा अर्द्धबेरोजगारी दोनों ही समस्याएँ विद्यमान हैं। यह कृषि विकास में बाधक है। अतएव गाँवों में रोजगार के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

(10) **कृषकों के जोखिमों को कम करना** - भारतीय कृषक को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण कृषि का विकास नहीं हो पाता है। इस हेतु "फसल बीमा योजना" को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रीमियम की दर को भी लागू किया जाना चाहिए।

(11) **अन्य सुझाव** - (i) प्रेरणात्मक मूल्य नीति को अपनाया जाना, (ii) कीड़े मकोड़े तथा जानवरों से होने वाली क्षति को रोकना, (iii) अनाज की बर्बादी को रोकने हेतु अधिक प्रभावी कदम उठाना, (iv) अधिक अन्य उपजाओ का आयोजन पहले जिला स्तर पर होना चाहिए, बाद में राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर, तथा दिये जाने वाले ईनामों की राशि में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए, (v) पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. बुन्देलखण्ड में औद्योगिक समस्याएँ :

भारत में आधुनिक एवं वृहत् स्तरीय उद्योगों का आरम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था। लेकिन इन उद्योगों का विकास प्रधानतः प्रथम विश्वयुद्ध काल में एवं उसके पश्चात् ही हुआ है। वस्तुतः प्रथम विश्वयुद्ध काल में भारत के वृहत् स्तरीय उद्योगों को विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ, संरक्षण ने उन्हें युद्धोत्तर काल की मंदी के समय भी जीवित रखा तथा द्वितीय महायुद्ध ने

इन्हें नवचेतना प्रदान की। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक नियोजन ने भारत के उद्योगों को बहुत द्रुत गति प्रदान की है और भारतीय वृहत् स्तरीय उद्योगों की तुलना विश्व के चोटी के औद्योगिक राष्ट्रों के उद्योगों से की जा सकती है।

लेकिन भारत के बड़े उद्योगों में पूँजी, रोजगार और उत्पादन की दृष्टि से केवल निम्न उद्योग ही महत्वपूर्ण रहे हैं– सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लौह व इस्पात उद्योग, शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, भारी रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कागज उद्योग।

हमारे देश के छोटे उद्योगों का बड़ा महत्व है क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा माल बहुत कम है तथा काम करने वाले मनुष्य अधिक हैं। लेकिन वित्तीय साधन कम है। हमें ऐसे उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है, जिनमें काम करने वाले अधिक से अधिक लोग संलग्न हो सकें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पूँजी का वितरण हो सकेगा। यही कारण है कि बड़े उद्योगों के साथ–साथ छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें साथ–साथ सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु स्तरीय उद्योगों क लिए द्वितीय योजना आरम्भ होने के कुछ पहले ही प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी। इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम चलाये गये थे, उनका उद्देश्य लघु उद्योगों की स्थापना को गतिशील बनाने के लिए सर्वाधिक विभिन्न सुविधाओं को जुटाना है।

आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के विस्तार के लिए पूँजी, कच्चा माल, काम करने की जगहें हैं। तकनीकि परामर्श, मशीन खरीदने का इंतजाम, विदेशों से माल के आयात से सहायता आदि हर तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है तथा सरकार इस ओर क्रियाशील है। लेकिन द्रुतगति से इन लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यदि इन लघु उद्योगों का विकास यथोचित किया जाये तो इसका सर्वोन्मुखी विकास हो सकता है। लेकिन इसके लिए निम्न समस्याएँ तथा सुझाव दिये जा रहे हैं–

(1) **पूँजी का प्रबन्ध** - आमतौर से किसी उद्योग को आरम्भ करने के लिए सबसे पहले पूँजी की आवश्यकता होती है, इसके लिए राज्य सरकार ने सन् 1947–48 से ऋण अनुदान देने का प्रबन्ध किया है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में तथा गत दो वर्षों में लघु उद्योगों को पूँजी के सम्बन्ध में जो सहायता दी गई उसके आँकड़ें इस प्रकार हैं–

तालिका 5.5

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों पर किया गया व्यय

वर्ष	पूँजी विनियोजन (लाख रु0 में)	वर्ष	पूँजी विनियोजन (लाख रु0 में)
1990–91	153.47	1998–99	399.41
1991–92	208.48	1999–2000	370.25
1992–93	206.50	2000–01	306.38
1993–94	205.01	2001–02	270.00
1994–95	104.54	2002–03	272.20
1995–96	249.90	2003–04	276.06
1996–97	266.31	2004–05	192.83
1997–98	403.89		

वास्तव में लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामवासियों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण एवं अनुदान से ग्रामवासियों को भलीभाँति परिचित कराकर उनसे लेने वाले लाभों को बताना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लघु उद्योगों के विकास के लिए काफी प्रयत्नशील है तथा आशा है कि भविष्य में सरकार द्वारा वित्त सम्बन्धी सुविधाओं का उपयोग कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के वासी उन्नति करेंगे।

(2) **कच्चा माल** - उद्योगों के विकास हेतु कच्चे माल की पूर्ति नितान्त आवश्यक है। यदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तो पूँजी, मशीन और कारीगर सभी सर्वथा बेकार हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वत्र लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं उपलब्ध हो पाता है। अतः कच्चा माल दूर से मंगाना पड़ता है।

इस तथ्य के महत्व का अनुभव प्रथम योजना के अन्तर्गत ही कर लिया गया था। अतः राज्य सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न स्रोतों से कच्चा माल उपलब्ध कराने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर की स्थापना भी इसी उद्देश्य को लेकर की गई।

यह निगम पिछले 10 वर्षों से सेवा कर रहा है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में लघु उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल की बिक्री जिसे निगम विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अपने पाँच बिक्री केन्द्रों– नैनी, मेरठ, कानपुर, वाराणसी एवं आगरा के माध्यम से करता है। किराया क्रय पद्धति पर मशीनों को उपलब्ध कराना, लघु औद्योगिक इकाइयों का क्रय कार्यक्रम हेतु पंजीकरण आदि सम्बन्धी कार्य उल्लेखनीय है।

लघु औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न दुर्लभ कच्चे माल जैसे– ताँबा, जस्ता, निकिल, सीसा, एल्युमिनियम, एन्टीमनी, बी.पी. शीट, पी.पी. शीट, लोब आदि उपलब्ध कराने के लिए निगम ने वर्ष 1967–68 में एक करोड़ तीस लाख रुपये के कच्चे माल की बिक्री की। वर्ष 1968–69 के जुलाई मास तक 23,45,000 रुपये माल की बिक्री हुई।

वर्ष 1967–68 में सरकार के अधिकांश दुर्लभ कच्चे माल (विशेषतया लौह धातु) से नियंत्रण हटा लिया था। अतः अब से वस्तुएँ न्यूनाधिक मात्रा में सीधे बाजार से प्राप्त की जा सकती है। चूँकि उक्त वस्तुओं पर से नियंत्रण हटे हुए अधिक समय नहीं हुआ है। अतः अभी उस बात का सही अनुमान लगाना कठिन होगा कि इससे लघु उद्योगों को कितना लाभ हुआ है।

औद्योगिक प्रगति के लिए एक बड़ा क्षेत्र, नियंत्रण के बाहर भी है, उदाहरणार्थ लकड़ी के खिलौने बनाना, सींग की खूबसूरत वस्तुएँ बनाना, चिकन का काम, चमड़े का काम, गुड़िया बनाना, हाथी दाँत की वस्तुएँ बनाना, इंजीनियरिंग वर्कशाप आदि। उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कच्चे माल में न कभी नियंत्रण रहा है और न ही अब है। इन उद्योगों के लिए एक बड़ी पूँजी की भी

व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। अतः यदि हम इस प्रकार के उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देंगे तो हम औद्योगिक प्रगति की दिशा में अधिक तेजी से अग्रसर हो सकते हैं।

प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के प्रसारणार्थ कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

(3) प्रशिक्षण – बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उद्योगों के प्रशिक्षण संस्थानों की भी काफी कमी है। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों का जिलेवार आर्थिक परिचय अध्याय में दिया गया है, जो भी प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, वे ग्रामों से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण अधिकांश नवयुवक इन प्रशिक्षणों से वंचित रह जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए बड़े–बड़े कालेजों और संस्थानों की स्थापना करें। नौजवानों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न नगरों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हाईस्कूल पास लड़के प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं तथा लोहे का काम, फिटिंग का काम, चमड़े का काम, बेंत का काम व बिजली का काम सीख सकते हैं। इन प्रशिक्षण सुविधाओं से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। पिछड़ी हुई जातियों तथा अन्य जातियों के प्रशिक्षणार्थियों को जो सहायता पाने के योग्य हैं, छात्रवृत्तियाँ भी दी जानी चाहिए।

तालिका 5.6

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित लघु एवं लघुतर उद्योगों की क्षेत्रवार प्रगति (मार्च,03 तक)

क्र0सं0	आर्थिक क्षेत्र	स्थापित इकाइयाँ	पूँजी निवेश (करोड़ में)	सृजित रोजगार
1.	पश्चिमी क्षेत्र	2,32,004	2,565.74	9,62,146
2.	पूर्वी क्षेत्र	1,30,014	921.24	4,66,519
3.	मध्य क्षेत्र	75,726	893.48	2,59,327
4.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	26,235	189.96	73,997
	योग	**4,60,979**	**4,570.42**	**1,76,19,883**

स्रोत– उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय डायरी, 2006, पृ0 783

तालिका से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम रोजगार का सृजन हुआ तथा पूँजी निवेश व स्थापित इकाइयाँ भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम हैं।

(4) रोजगार के अवसर - बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में ये देखा गया है कि अधिकांश नवयुवक ट्रेनिंग इत्यादि करने तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी बेरोजगार रहते हैं। सरकार इसका हल ढूँढ़ने का प्रयत्न करें ताकि इनको रोजगार प्राप्त हो सके। पूँजी और कच्चे माल का इन्तजाम हो भी, तो किसी उद्योग के लिए एक बड़ी जरूरत ऐसे स्थान की होती है, जहाँ पानी, बिजली और यातायात की सुविधाएँ प्राप्त हों। एक औसत श्रेणी के मनुष्य के लिए ऐसी जगह प्राप्त करना या किसी विशेष स्थान पर पानी, बिजली आदि की सुविधा जुटा पाना बड़ा कठिन काम है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने करीब--करीब हर जिले में औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की योजना चालू की है।

(5) वस्तुओं के क्रय की व्यवस्था - इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि किसी उद्योग का संतोषजनक और सुनिश्चित बाजार नहीं है, तो वह सफल नहीं हो सकता। अतएव लघु उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की खरीद के लिए अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं जैसे– कैंची, ताली आदि का क्रय केवल लघु औद्योगिक इकाइयों से ही किया जाता है। साथ ही साथ 2 लाख रुपये तक की विनियोजित पूँजी वाली इकाइयों को, जो लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा पंजीकृत हैं, निविदा शुल्क देने से मुक्त किया जाता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास –

योजना आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर इस क्षेत्र के जिलों के विकास के लिए एक द्रुतगामी योजना कार्यान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों का विस्तार, पुनर्गठन तथा नई इकाइयों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया गया। इससे निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित हो रहीं–

1. ऋण एवं अनुदान योजना।
2. विद्युत दर में छूट की योजना।
3. हथकरघा सहकारी समितियों के लिए पूँजी ऋण छूट योजना।
4. बहु–उद्देश्यीय यांत्रिक कार्यशाला।
5. हस्तशिल्प सहकारी समितियों का विकास।
6. प्रधानमंत्री रोजगार योजना।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए पूँजी, कच्चा माल, शक्ति, श्रम तथा उनके आपूर्ति की व्यवस्था तथा खपत के लिए बाजार का होना परम आवश्यक है।

3. बुन्देलखण्ड में सड़क एवं यातायात से संबंधित समस्याएँ:

प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में यातायात के साधनों का एक विशेष महत्व होता है। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था में शरीर व हड्डियों के समान है, तो यातायात के साधन (रेलें तथा सड़कें) शिराएँ तथा धमनियों का कार्य करती हैं। श्री जी0डी0 दफ्तरी के मत में भोजन, वस्त्र, मकान एवं यातायात आदि चार आधारभूत मानवीय आवश्यकताएँ हैं, लेकिन इनमें यातायात का महत्व सर्वाधिक है। क्योंकि इनके द्वारा अन्य आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूर्ति होती है।[1] आज के युग में जबकि मनुष्य अपने तथा अपने परिवार की ही नहीं, अपितु दूर–दूर तक के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन करता है, यातायात के साधनों द्वारा सूत्रबद्ध करना आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।[2] कृषि पदार्थों को मण्डी तक लाने तथा औद्योगिक कच्चे माल को कारखाने तक तथा तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने के लिए सड़कों, नहरों या रेलों का विकसित स्थिति में होना अनिवार्य है। यही नहीं इन साधनों का विकास श्रमिकों के आवागमन हेतु आवश्यक है। प्रो0 सैलिग मैन के अनुसार, वह देश सर्वाधिक

1. फारवर्डेड टू ए डिसीजन ऑफ दि ले आउट आफ इण्डियन ट्रांसपोर्ट कम्युनीकेशन सिस्टम बोर्ड जी.बी. ड्राडीकर (मुम्बई, 1949)
2. किण्डल बर्जर – इकोनामिक डेवेलपमेंट, पृ0 96

उन्नत है, जहाँ श्रम व साधनों के परिवहन व शक्ति के, संचार तथा विचारों के, प्रसाद आदि तीनों क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हो जाता है। डॉ0 जानसन यातायात के साधनों की आवश्यकता केवल वस्तुओं व श्रमिकों के आवागमन के लिए ही नहीं मानते अपितु कुशल शासन व्यवस्था, देश में शान्ति एवं सुरक्षा सहायता, जनसंख्या के संतुलित वितरण, व्यापार के विकास तथा मूल्यों के समस्त देश में समान होने की प्रवृतित्त को प्रोत्साहन देने के लिए भी यातायात के साधनों के विकास को अनिवार्य मानते हैं।[1]

बुन्देलखण्ड में यातायात –

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत की यातायात व्यवस्था पिछड़ी हुई थी। वस्तुतः उत्पादन का स्तर अत्यन्त छोटा होने के कारण वस्तुओं का विनिमय भी सीमित था और फलस्वरूप सड़कों, रेलों तथा जलमार्गों का उपयोग भी बहुत कम होता था। इस क्षेत्र की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती थी और ये गाँव स्वावलम्बी इकाइयों के रूप में थे।

गाँवों का बाह्य जगत से आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध भी सीमित ही था। डॉ0 बुकनेन का कथन है कि 18वीं शताब्दी तक भारत की अधिकांश जनता एकाकी गाँवों में निवास करती थी तथा विभिन्न क्षेत्रा में विशेषकर उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्टता का अभाव था। वे आगे बताते हैं कि व्यापार का क्षेत्र उस युग में बहुत सीमित होता था तथा वस्तुओं को पशुओं पर लादकर ले जाया जाता था। बैलगाड़ियों का उपयोग केवल खुले मौसम में ही किया जाता था।[2]

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक यातायात के साधनों की स्थिति भारत में काफी दयनीय थी और जिस समय पाश्चात्य जगत में यातायात क्रान्ति[3] चल रही थी और जनता राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दौड़ में भाग ले रही

---

1. जानसन जे0 – दि इकोनॉमिक ऑफ इण्डियन रेल ट्रांसपोर्ट, 1963, पृ0 1
2. बुकनेन, डी.एच.– दि डेवेलपमेंट ऑफ कैपिटल इन्टरप्राइज इन इण्डिया, 1934, पृ0 176
3. एल.सी.ए. नेल्सन ने इसे ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन के नाम से पुकारा था।

थी, उस समय भारत के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण यातायात के साधनों का अभाव ही था।[1] बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यातायात के दो ही प्रकार देखने को मिलते हैं– 1. रेल यातायात 2. सड़क यातायात।

1. रेल यातायात :

रमेश दत्त रेलों के विकास का सबसे बड़ा कारा ऑग्ल उद्योगपतियों की प्रवृत्तियों को मानते हैं। इसका ऑग्ल संसद पर पर्याप्त प्रभाव था और उससे उनकी वस्तुओं की भारत में खपत करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर यहाँ रेलों के विकास करने हेतु दबाव डाला गया था।[2]

जनपद झाँसी तथा ललितपुर में रेल यातायात -

भोपाल से कानपुर – यह रेलवे लाइन ललितपुर, तालबेहट, बबीना, झाँसी, चिरगाँव एवं मोठ होती हुई, कानपुर को जाती है।

झाँसी से बाँदा – यह रेलवे लाइन मऊरानीपुर होते हुए बाँदा को चली जाती है।

दतिया से झाँसी

जनपद जालौन में रेल यातायात -

कानपुर से झाँसी – यह रेलवे लाइन झाँसी से उरई तथा कालपी होती हुई, कानपुर को जाती है।

जनपद हमीरपुर में रेल यातायात -

झाँसी से बाँदा – यह रेलवे लाइन जैतपुर, महोबा होते हए बाँदा को जाती है।

कानपुर से बाँदा – यह रेलवे लाइन मऊ होते हुए बाँदा को जाती है।

जनपद बाँदा तथा चित्रकूट में रेल यातायात -

बाँदा से कानपुर – यह मानिकपुर होती हुई सतना को जाती है।

---

1. देसाई, ए.आर. – सोशल बैकग्राउण्ड ऑफ इण्डियन नेशनलाईजेशन,पृ0117
2. दत्त, रमेश – इण्डिया इन दि विक्टोरियन एज, पृ0 174

इलाहाबाद से कानपुर – यह मानिकपुर, चित्रकूट तथा अतर्रा होती हुई बाँदा होकर कानपुर जाती है।

बाँदा से झाँसी

जनपद महोबा में रेल यातायात -

झाँसी से बाँदा – यह रेलवे लाइन महोबा होते हुए बाँदा को जाती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रेल यातायात अधिक विकसित नहीं है। वह आज की ब्रिटिशकालीन व्यवस्था का ही परिचायक है क्योंकि उसके बाद यह अधिक विकास नहीं कर सका।

2. सड़क यातायात :

उत्तर प्रदेश में यातायात सुविधाओं के प्रसार पर वर्ष 2004 में 930.12 करोड़ की धनराशि व्यय की गई, जो गत वर्ष के व्यय 1058.36 करोड़ रुपये की तुलना में 12.1 प्रतिशत कम रही। उत्तर प्रदेश में सड़कों एवं पुलों के विस्तार व मरम्मत पर वर्ष 2002–03 में 920.69 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2003–04 में 803.85 करोड़ रुपये व्यय किये गये। नीचे दी गई तालिका में आर्थिक क्षेत्रवार कुल पक्की सड़कों की लम्बाई सम्बन्धी आँकड़ें दर्शाये गये हैं–

तालिका 5.7

आर्थिक क्षेत्रवार कुल पक्की सड़कों की लम्बाई

क्र0 सं0	आर्थिक क्षेत्र	कुल लम्बाई	उपलब्ध पक्की प्रतिशत अंश	सड़कें (किमी.) प्रति लाख जनसंख्या	प्रति 100 वर्ग किमी.क्षेत्र पर
1.	पूर्वी क्षेत्र	46465	39.1	69.76	54.13
2.	पश्चिमी क्षेत्र	41562	34.9	67.92	52.06
3.	केन्द्रीय क्षेत्र	21283	17.9	70.51	46.43
4.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	9636	8.1	117.04	32.76
	उत्तर प्रदेश	118946	100.0	71.57	49.37

स्रोत– उत्तर प्रदेश, 2006, पृ0 203

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मात्र 8.1 प्रतिशत सड़कें ही पक्की हैं, जोकि अन्य तीन आर्थिक सम्भागों की तुलना में बहुत ही कम हैं। बुन्देलखण्ड में यातायात की वास्तविक स्थिति समझने के लिए जनपदवार यातायात की स्थिति जानना अत्यन्त आवश्यक है। अतः जनपदवार सड़क यातायात की स्थिति निम्नवत् है–

झाँसी जनपद में सड़क यातायात -

झाँसी जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 2005–06 के आँकड़ों के अनुसार 2015 किमी0 है, जिसमें 1713 किमी0 की सड़क लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आती हैं। 137 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 142 किमी0 प्रादेशिक राजमार्ग के अन्तर्गत आ जाती है।

ललितपुर जनपद में सड़क यातायात -

ललितपुर जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 1394 किमी0 है, जिसमें से 1302 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं, 25 किमी0 स्थानीय निकायों के अन्तर्गत तथा 67 किमी0 अन्य विभागों के अन्तर्गत आती है।

जालौन जनपद में सड़क यातायात -

जालौन जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 2008 किमी0 है, जिसमें से 1910 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं, 73 किमी0 स्थानीय निकायों के अन्तर्गत तथा 25 किमी0 अन्य विभागों के अन्तर्गत आती है।

हमीरपुर जनपद में सड़क यातायात -

हमीरपुर जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 1528 किमी0 है, जिसमें से 1382 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं, 86 किमी0 स्थानीय निकायों के अन्तर्गत तथा 60 किमी0 अन्य विभागों के अन्तर्गत आती है।

चित्रकूट जनपद में सड़क यातायात -

चित्रकूट जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 843 किमी0 है, जिसमें से 831 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं तथा 48 किमी0 स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आती है।

महोबा जनपद में सड़क यातायात -

महोबा जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 1051 किमी0 है, जिसमें से 1003 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं तथा 48 किमी0 स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आती है।

बाँदा जनपद में सड़क यातायात -

बाँदा जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 1605 किमी0 है, जिसमें से 1480 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं तथा 125 किमी0 स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आती है।

<u>तालिका 5.8</u>

बुन्देलखण्ड में जनपदवार कुल पक्की सड़कों की लम्बाई

क्र0	मद	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	चित्रकूट	महोबा	बाँदा
1.	लोकनिर्माण विभाग के अन्तर्गत							
	राष्ट्रीय राजमार्ग	137	99	82	63	93	140	67
	प्रादेशिक राजमार्ग	142	–	141	155	21	7	234
	मुख्य जिला सड़कें	73	116	85	142	34	85	107
	अन्य जिला तथा ग्रामीण सड़कें	1421	1087	1602	1022	683	771	1072
	योग	1773	1302	1910	1382	831	1003	1480
2.	स्थानीय निकायों के अन्तर्गत							
	जिला पंचायत	25	–	24	17	–	11	56
	नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/छावनी	105	25	49	69	12	37	69
	योग	130	25	73	86	12	48	125
3.	अन्य विभागों के अन्तर्गत							
	सिंचाई विभाग	–	67	–	–	–	–	–
	गन्ना विभाग	–	–	–	–	–	–	–

वन विभाग	27	–	–	–	–	–	–
डीजीबीआर	–	–	–	–	–	–	–
अन्य विभाग	10	–	25	60	–	–	–
योग	37	67	25	60	–	–	–
कुल योग (1+2+3)	1940	1394	2008	1528	843	1051	1605

स्रोत – विभिन्न जनपदों की सांख्यिकीय पत्रिकाएँ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़क यातायात में कमियाँ –

(1) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 वर्ग किमी0 पर सड़क की औसत लम्बाई 32.76 किमी0 है, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों– पूर्वी क्षेत्र में 54.13, पश्चिमी क्षेत्र में 52.06 तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 46.43 किमी0 औसत लम्बाई है।

(2) नई सड़कों के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों को बनाये रखने का प्रयास नहीं किया जाता। फलस्वरूप कुछ ही वर्षों बाद सड़कें पूर्णतया बेकार हो जाती हैं।

(3) पुल निर्माण तथा क्रॉस ड्रेनेज की दिशा में प्रगति बहुत धीमी है।

(4) सड़कों की सतह बहुत पतली है। मितव्यीयता के नाम पर 9 से 10 इंच तक मोटी सतह रखी जाती है, जबकि भारी गाड़ियों के लिए 18 इंच से 20 इंच तक सतह होनी आवश्यक है।

(5) भीड़–भाड़ वाले नगरों में उपमार्गों के व्यवस्था ठीक नहीं है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

(6) देश की सड़कों में आज भी 60 प्रतिशत सड़कें कच्ची हैं तथा 10 प्रतिशत सड़कें केवल बैलगाड़ियों के लिए उपयुक्त हैं।

4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की वित्तीय समस्याएँ :

यह सर्वविदित है कि आर्थिक विकास में वित्त या पूँजी का महत्व सर्वोपरि है। कृषि तथा उद्योग दोनों के विकास हेतु वित्त या पूँजी का होना बहुत आवश्यक है। पिछले अध्यायों में हमने बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अनेक समस्याओं को

देखा है। इन समस्याओं के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर वित्तीय स्रोतों यथा बैंक, सहकारी संस्थाएँ तथा सरकारी संस्थाओं आदि का विस्तार किया जाये। यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि न केवल वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जाये, बल्कि स्थानीय संस्थाओं यथा जिला परिषद आदि के अपव्ययों को भी कम किया जाये।

पूँजी निर्माण की गति तीव्र करने के उपाय –

पूँजी निर्माण की गति में तीव्रता लाने के लिए आवश्यक है कि बचत में वृद्धि की जाये, विभिन्न साधनों से आय बढ़ाई जाये और व्यय कम किया जाये। इस प्रकार से अधिकाधिक बचत हो सकती है और पूँजी निर्माण में सहायता मिल सकती है।

आर्थिक विकास के लिए सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय लेती है, किन्तु घाटे की वित्त व्यवस्था के बड़े विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं लेकिन उसके बुरे परिणाम को अन्य प्रयत्नों से समाप्त किया जा सकता है। वास्तव में अधिकांश अर्थशास्त्रियों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अनुभव किया जाने लगा है कि अर्द्धविकसित देशों में घाटे के बजट के बिना पर्याप्त पूँजी निर्माण और विकास कठिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन दल के द्वारा व्यक्ति किया गया है कि "बिना कुछ मुद्रा स्फीति के सम्भवतः यह सम्भव नही है कि शीघ्र विकास हो सके। हाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि घाटे की वित्त व्यवस्था दवा है जो आवश्यकता के अनुसार ही छोटी–छोटी खुराकों में ली जानी चाहिए, यह भोजन नहीं है कि जिससे शरीर चलेगा।" पूँजी निर्माण में वृद्धि निम्नलिखित उपायों द्वारा की जा सकती है–

(1) वित्तीय क्रियाओं में वृद्धि लाकर पूँजी-निर्माण में वृद्धि करना - ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोगों के पास छोटी–छोटी राशि में धन रहता है, पर उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। वित्तीय क्रियाओं में वृद्धि लाकर उसका उपयोग किया जा सकता है। उसे नये छोटे उद्योगों में विनियोग कर उसकी पूँजी बढ़ाई जा सकती है। वित्तीय क्रियाओं में वृद्धि, साख, अधिकोषण एवं राशि में वृद्धि लाकर

की जा सकती है। बुन्देलखण्ड में वित्तीय क्रियायें बहुत ही शिथिल गति में है। इस स्थिति को निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तालिका 5.9

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुसूचित बैंकों का जनपदवार ऋण-जमा अनुपात

क्र0सं0	जिला	ऋण (करोड़ रु0 में)	जमा (करोड़ रु0 में)	अनुपात
1.	जालौन	263	651	55.76
2.	झाँसी	621	1706	36.40
3.	ललितपुर	190	357	55.22
4.	हमीरपुर	229	359	63.79
5.	महोबा	205	255	80.39
6.	बाँदा	377	539	69.94
7.	चित्रकूट	155	260	59.62

स्रोत – सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2006, पृ0 154

(2) विनियोग के द्वारा - विनियोग के द्वारा भी पूँजी निर्माण किया जा सकता है। उचित मात्रा में विनियोग इस गति से किया जाना चाहिए कि उत्पादन बढ़े तथा लागत बढ़े तथा लागत व्यय कम हो।

(3) अनुत्पादक श्रमिकों को छोटे पूँजी निर्माण प्रधान उद्योगों में लगाना चाहिए- अविकसित देशों में प्रायः कृषि पर भार अधिक होता है। बड़ी संख्या में लोग कृषि सम्बन्धी कार्य में लगे रहते हैं। उनमें से बहुतों के बिना भी कृषि कार्य हो सकता है। अतः उनकी सेवा अनुत्पादक होती है। ऐसे अनुत्पादक श्रमिकों को उत्पादक कार्यों में लगाया जाये, ताकि वे काम करें और उससे उत्पादन बढ़े। फलस्वरूप आय में वृद्धि होगी और पूँजी निर्माण की गति भी बढ़ेगी।

(4) सार्वजनिक उपक्रमों से अतिरेक - सार्वजनिक उपक्रमों में अर्जित लाभ या अतिरेक के कारण सरकारी क्षेत्रों में बचत की मात्रा बढ़ सकती है। भारत, फिलिपीन्स, कोलम्बिया और ब्राजील जैसे अर्द्धविकसित देशों में निजी उपक्रम की स्थापना और कार्यशीलता का वित्त प्रबन्धन करने के लिए सार्वजनिक निगमों की

स्थापना हुई है। पर खेद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों से प्राप्त अतिरेक नगण्य है।

(5) साधनों का श्रेष्ठ उपयोग - अर्द्धविकसित देशों में साधनों का अभाव नहीं होता बल्कि विद्यमान पूँजी व श्रम शक्ति का उचित तथा पूर्ण उपयोग नहीं होता है। अतः वर्तमान तकनीकों तथा श्रम द्वारा अप्रयुक्त साधनों का अधिक दक्षता से प्रयोग करके देश में उत्पादन एवं आय में वृद्धि की जा सकती है जिससे बचतों में वृद्धि होगी व पूँजी निर्माण बढ़ेगा।

(6) प्रशासनिक व्यय में कमी - लुईस के अनुसार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के निम्न स्तरों पर अर्द्धविकसित देशों में सरकारें राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग प्रशासकीय व्यवस्था पर व्यय करती है। जबकि ऐसे देशों में आय के निम्न स्तर पर होने के कारण सरकार को अधिक प्रशासकीय जोर देना चाहिए।

पूँजी निर्माण का आर्थिक विकास में एक केन्द्रीय महत्व है परन्तु जैसा किण्डल बर्जर ने कहा, "पूँजी निर्माण एक कोमल पौधे के समान है जिसके अंकुर को निर्धनता, ऋणविषय प्रतिबन्ध, पूँजी निष्कासन, स्फीतिकारी दबाव, भवन निर्माण में विनियोजन के लिए वरीयता, दिखावटी उपभोग, बैंकिंग प्रणाली व पूर्ण बाजार की अपर्याप्तता, कुण्ठित कर देते हैं।" अतः पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए उपर्युक्त उपायों को एक साथ अपनाना चाहिए।

5. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की शैक्षिक समस्याएँ :

भारत एक विकासशील देश है। अतः यहाँ के नागरिकों में शिक्षा का प्रसार अति आवश्यक है। हमारा देश साक्षरता के मायने में अन्य देशों से काफी पिछड़ा है। गाँवों का देश होने के कारण अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की काफी कमी है। यही कारण है कि लगभग 65 प्रतिशत लोग प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण नवयुवकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गाँवों से 100 किमी0 तक दूर जाना पड़ता है जोकि हर एक नागरिक के लिए असम्भव है। यही कारण है कि अधिकांश भारतीय नागरिक उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश

अन्य प्रदेशों की तुलना में साक्षरता में काफी पीछे है, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 5.10

भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता (2001)

क्र0 सं0	राज्य	प्रति एक हजार पर साक्षरता		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1.	जम्मू कश्मीर	55.5	56.6	43.0
2.	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4
3.	पंजाब	69.7	75.2	63.4
4.	चण्डीगढ़	81.9	86.1	76.5
5.	उत्तरांचल	71.6	83.3	59.6
6.	हरियाणा	67.9	78.5	55.7
7.	दिल्ली	81.7	87.3	74.7
8.	राजस्थान	60.4	75.7	43.9
9.	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2
10.	बिहार	47.0	59.7	33.1
11.	सिक्किम	68.8	76.0	60.1
12.	अरूणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.6
13.	नागालैण्ड	66.6	71.2	61.5
14.	मणिपुर	70.5	80.3	60.5
15.	मिजोरम	88.8	90.7	86.7
16.	त्रिपुरा	73.2	81.0	64.9
17.	मेघालय	62.6	65.5	59.6
18.	असम	63.3	71.3	54.6
19.	पश्चिमी बंगाल	68.6	77.0	59.6
20.	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9
21.	उड़ीसा	63.1	75.3	50.5
22.	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9
23.	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3
24.	गुजरात	69.1	79.7	57.8
25.	दमन और दीव	78.2	86.8	65.6
26.	दादर और नगरहवेली	57.6	71.2	40.2
27.	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0

क्र0 सं0	राज्य	प्रति एक हजार पर साक्षरता		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
28.	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4
29.	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9
30.	गोवा	82.0	88.4	75.4
31.	लक्ष्यद्वीप	86.7	92.5	80.5
32.	केरल	90.9	94.2	87.7
33.	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4
34.	पाण्डिचेरी	81.2	88.6	73.9
35.	अण्डमान और निकोबार	81.3	86.3	75.2
	भारत (कुल)	64.8	75.3	53.7

स्रोत– भारत, 2004, पृ0 32–33

<u>तालिका 5.11</u>

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार साक्षरता (प्रति सौ व्यक्तियों पर) 2004 के अनुसार

क्र0 सं0	जिला	प्रति सौ पर साक्षरता दर		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1.	झाँसी	66.69	80.11	51.21
2.	ललितपुर	49.93	64.45	33.25
3.	जालौन	66.14	79.14	50.66
4.	हमीरपुर	58.10	72.76	40.65
5.	महोबा	54.23	66.83	39.57
6.	बाँदा	N.A.	N.A.	N.A.
7.	चित्रकूट	N.A.	N.A.	N.A.

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 2004, पृ0 75

उपर्युक्त आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 56.03 है, जोकि अन्य अधिकांश प्रदेशों से काफी कम है।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत झाँसी तथा ललितपुर में 49.93 प्रतिशत, जालौन में 66.14 प्रतिशत, हमीरपुर में 58.10 प्रतिशत तथा महोबा में 54.23 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 56.03 है तथा भारत में 64.08 प्रतिशत है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल से दूरी के अनुसार ग्रामों का प्रतिशत विवरण –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केवल 56.34 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं, जिनमें प्राइमरी स्कूल हैं। 8.73 प्रतिशत ग्रामों की प्राइमरी स्कूल से दूरी 1 किमी0 से कम है। 16.76 प्रतिशत ग्रामों की प्राइमरी स्कूल से दूरी 1–3 किमी0 के मध्य है। इसी प्रकार 18.07 प्रतिशत ग्रामों की प्राइमरी स्कूल से दूरी 6–7 किमी0 है तथा 24.10 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी स्कूल से दूरी 5 किमी0 है, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 5.12

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामों का प्रतिशत विवरण प्राइमरी स्कूल से दूरी के आधार पर

क्र0	जिला	ग्राम में	1 किमी से कम	1–3 किमी	3–5 किमी	5 किमी
1.	हमीरपुर	67.20	2.37	12.47	5.81	12.15
2.	जालौन	13.69	6.06	22.99	24.76	32.50
3.	बाँदा	27.80	3.16	14.76	20.42	33.86
4.	ललितपुर	25.40	1.47	11.16	11.89	50.08
5.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	43.34	3.73	15.76	13.07	24.10
6.	पर्वतीय क्षेत्र	10.71	5.87	14.04	6.64	71.74
7.	पूर्वी क्षेत्र	19.38	13.27	26.80	9.46	31.01
8.	उ0प्र0	20.04	9.47	24.78	10.71	33.00

स्रोत – पर्सपेक्टिव प्लॉनिंग, पृ0 50–51

यदि सम्पूर्ण प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में प्राइमरी स्कूल की सुविधाओं को देखा जाये तो बुन्देलखण्ड क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है, जिसके 43.34 प्रतिशत ग्रामों में प्राइमरी स्कूल हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्र में 10.71 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में 19.38 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 22.04 प्रतिशत है। प्राइमरी स्कूल से 5 किमी0 दूरी वाले ग्रामों का प्रतिशत सबसे कम बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ही है। यह प्रतिशत बुन्देलखण्ड में 24.10 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में 61.74 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में 31.01 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 33.00 प्रतिशत है।

तालिका 5.13

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि

क्र0	वर्ग/संस्था	1960–61	1978–79	1983–84	1996–97	1999–04
1.	जूनियर बेसिक स्कूल	40.08	61.39	63.69	68.82	78.36
2.	सीनियर बेसिक स्कूल	4.35	7.69	10.07	11.39	15.63
3.	हायर सेकेण्डरी स्कूल	1.77	3.01	4.16	4.84	8.39
4.	डिग्री कॉलेज	0.12	0.31	0.40	0.86	2.53

स्रोत – पर्सपेक्टिव प्लॉनिंग, पृ0 27

उपर्युक्त तालिका को देखने से यह प्रतीत होता है बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि की दर काफी सन्तोषप्रद है। सन् 1960 से 1968 यानि कि 8 वर्षों में प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा लगातार वृद्धि होती जा रही है। कालेज की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कालेज का संख्या प्रतिशत सन 1960–61 में 0.12 प्रतिशत, 1978–79 में 0.31 प्रतिशत, 1983–84 में 0.40 प्रतिशत तथा 1996–98 में 0.86 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 1999 से 2004 तक बढ़कर यह प्रतिशत 2.53 हो गया है।

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि यद्यपि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों के विकास के लिए सरकार उत्तरोत्तर प्रयास कर रही है, किन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र शैक्षिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक पिछड़ा है। यहाँ शिक्षा के प्रसार के लिए और अधिक विकास एवं जागरूकता की आवश्यकता है। चूँकि शिक्षा ही विकास का मुख्य आधार होता है। अतः क्षेत्र में सम्यक् विकास हेतु शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार अत्यावश्यक है।

अगले अध्यायों में बुन्देलखण्ड की कुछ अति महत्वपूर्ण समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा।

षष्ठम्
अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्तता तथा कृषि पर उसका प्रभाव

"एक कृषि प्रधान देश में सिंचाई के साधनों का उतना ही महत्व है, जितना कि स्वस्थ शरीर के लिए रक्त संचालन का।" श्री नोपल्स ने सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक स्थान पर यह लिखा है– "सिंचाई ने जीवन रक्षा का प्रबन्ध किया है, सिंचाई ने भूमि की उपज, कृषि क्षेत्र व उससे प्राप्त आय में वृद्धि की है।" कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रकृति पर कम निर्भर रहा जाये तथा कृत्रिम उपायों द्वारा खेतों की जल की सामयिक पूर्ति की जाये। भारत में कृषि के पिछड़े रहने व कृषकों के निर्धन बने रहने का सबसे बड़ा कारण है– भारतीय कृषकों की प्रकृति पर निर्भरता। अनावृष्टि या सूखे के समय उसके पास बरबादी को रोकने का कोई उपाय नहीं है। सच ही कहा है कि यदि एक कृषक को पानी तथा खाद दे दिया जाये तो वह पत्थर पर भी फूल उगा लेगा। सर चार्ल्स ट्रेवल्यान के मत में– "भारत में सिंचाई ही सर्वस्व है, जल का महत्व भूमि से भी अधिक है, क्योंकि इससे भूमि की उत्पादकता में छः गुना तक की वृद्धि हो जाती है। जबकि इसके अभाव में भूमि कुछ भी नहीं उत्पन्न कर सकती।[1]

हमारे देश में सर्वत्र एक समान वर्षा नहीं होती। यहाँ समय की दृष्टि से भी वर्षा का वितरण असमान ही है। ऐसे में देश में सिंचाई का अत्यधिक महत्व है। देश के अधिकांश भागों (पश्चिमी क्षेत्र) में उत्पादन कृत्रिम साधनों से सिंचाई पर ही निर्भर है। यदि हम भारत की वर्षा मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि वर्षा का वितरण भारत में अत्यन्त विषम है।

असम की पहाड़ियों तथा पश्चिमी क्षेत्रों में जहाँ एक ओर 300 इंच के लगभग वर्षा होती है, राजस्थान के क्षेत्रों में यह औसत 10 इंच से भी कम है। विशेषज्ञों का मत है कि सिंचाई के साधनों के न होने पर साधारण मिट्टी पर

---

1. सी0बी0बी0 – इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ0 164

पर्याप्त फसल उगाने के लिए कम से कम 40 इंच वर्षा होनी चाहिए। वस्तुतः 25 प्रतिशत वर्षा कम होने पर फसल पर विपरीत प्रभाव होता है और 40 प्रतिशत की कमी होने पर तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यह एक आश्चर्य की बात है कि आज भी भारत की लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि जल की पूर्ति के लिए प्रकृति पर छोड़ दी जाती है।

भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों और कैसे ?

भारत में सिंचाई के साधनों के विकास की नितान्त आवश्यकता है, इसके निम्न कारण हैं–

(1) ***वर्षा का अभाव*** - भारत में सिंचाई के साधनों की विशेष आवश्यकता है क्योंकि भारतीय कृषि वर्षा का जुआ है। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है जो न केवल अनिश्चित है, अपितु अपर्याप्त भी है। इसी कारण देश के विभिन्न भागों में अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा असामयिक वृष्टि के कारण अनेक फसलें नष्ट हो जाती हैं। इनमें से अधिकांश फसलें वर्षा के अभाव के कारण सूख जाती हैं। अतएव विशेषतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों की विशेष आवश्यकता है।

(2) ***वर्षा का असमान वितरण*** - भारत में विभिन्न भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। उदाहरण के लिए यदि एक ओर चेरापूँजी जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ सबसे अधिक वर्षा (400 इंच) होती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान तथा दक्षिण के पठार जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ वर्षा 10 इंच से भी कम होती है। इस प्रकार एक ओर जहाँ वर्षा की बहुतायत है, वहीं दूसरी ओर वर्षा की भारी कमी है। अतएव अपर्याप्त वर्षा एवं सूखा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों के विकास की नितान्त आवश्यकता है।

(3) ***अधिक पानी वाली फसलें*** - भारत में कुछ ऐसी फसलें हैं, जैसे– गन्ना, चावल व कपास, जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। जाड़ों में वर्षा बहुत कम होती है। अतएव जाड़ों की फसलों के लिए कृत्रिम सिंचाई के साधनों की व्यवस्था आवश्यक है।

(4) ***समय की दृष्टि से असमान वितरण*** - हमारे देश में केवल स्थान की दृष्टि से ही नहीं अपितु, समय की दृष्टि से भी वर्षा का असमान वितरण है। अधिकांश वर्षा जुलाई से सितम्बर तक के इन तीन महीनों में होती है तथा जाड़ों में वर्षा बहुत कम होती है।

(5) ***चारागाहों के लिए*** - भारत में जहाँ एक ओर पशुओं की भारी संख्या है, वहीं दूसरी ओर चारागाहों के अभाव के कारण चारे का अभाव है, जिसका प्रमुख कारण वर्षा की अपर्याप्तता है। विद्वानों के मतानुसार चारागाहों के विकास के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होना परम आवश्यक है।

(6) ***कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए*** - अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में भारत में भूमि की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। इसका मुख्य कारण सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। विद्वानों के मतानुसार सिंचाई के साधनों के विकास से विभिन्न क्षेत्रों की कृषि उपज में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है।

(7) ***वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने के लिए*** - देश में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए एक ही वर्ष में एक या दो फसलें उगाना आवश्यक है, इसके लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास होना आवश्यक है।

(8) ***अकाल की समस्या*** - खाद्यान्न की कमी के कारण प्रति वर्ष भारत के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सिंचाई के कृत्रिम साधनों के विकास से भारतीय कृषि की मानसूनी निर्भरता को समाप्त करके अकाल की आशंका को मिटाया जा सकता है।

(9) ***औद्योगिक विकास*** - औद्योगिक विकास के लिए भी सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना परम आवश्यक है, क्योंकि इससे देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, जिस पर कि उन उद्योगों का भविष्य निर्भर करता है। कपास, जूट, तिलहन आदि इसके उदाहरण है। यदि सिंचाई के साधनों का विकास होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे उद्योगों के लिए अधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होगा, परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी।

(10) परिवहन की सुविधाओं का विकास - भारत में परिवहन की सुविधाओं का अभाव है। कृत्रिम सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाई गई बड़ी–बड़ी नहरों में नाव व स्टीमरों को चलाया जा सकता है, जिससे यातायात की सुविधाओं का विकास हो सकता है।

(11) अन्य कारण - उपरोक्त के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं के विकास से– (i) सरकार की आय में वृद्धि हो सकती है, (ii) कृषकों एवं अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है तथा (iii) और अधिक भूमि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आ सकती है।

<u>तालिका 6.1</u>

भारत में प्रयुक्त सिंचाई के साधन

क्र0 सं0	राज्य का नाम	नहरें			तालाब	कुँए	अन्य	योग
		सरकारी	निजी	योग				
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.7	50.9	47.7	33.6	15.4	3.3	100
2.	असम	12.4	0.1	63.3	–	–	36.7	100
3.	बिहार	37.6	0.2	37.7	7.8	25.5	29.0	100
4.	झारखण्ड	20.1	2.8	22.9	50.7	3.9	22.5	100
5.	गुजरात	36.9	–	17.1	2.5	59.6	0.8	100
6.	हरियाणा	62.1	–	62.1	0.1	37.5	0.3	100
7.	हिमांचल प्रदेश	--	–	–	–	1.0	99.0	100
8.	जम्मू कश्मीर	22.2	75.3	97.5	–	0.4	2.1	100
9.	कर्नाटक	38.8	0.2	37.0	32.1	22.8	8.1	100
10.	केरल	46.6	2.3	48.9	16.9	1.2	33.0	100
11.	मध्य प्रदेश	47.9	–	47.9	8.8	38.0	5.3	100
12.	छत्तीसगढ़	46.6	2.3	48.9	16.9	22.8	33.0	100
13.	महाराष्ट्र	59.6	2.3	21.9	15.8	37.5	5.8	100
14.	मणिपुर	5.0	3.0	2.0	–	–	90.0	100
15.	मेघालय	5.0	5.0	2.0	–	–	88.0	100
16.	नागालैण्ड	3.0	4.0	2.0	1.0	2.0	88.0	100
17.	उड़ीसा	20.1	2.8	22.9	50.7	3.9	22.5	100
18.	पंजाब	44.5	0.2	44.7	–	55.1	0.2	100
19.	राजस्थान	35.5	20.0	34.1	34.6	9.9	1.4	100

क्र0 सं0	राज्य का नाम	नहरें			तालाब	कुँए	अन्य	योग
		सरकारी	निजी	योग				
20.	तमिलनाडु	34.1	20.0	34.1	34.6	9.9	1.4	100
21.	त्रिपुरा	5.0	3.0	—	2.0	—	90.0	100
22.	उत्तर प्रदेश	34.7	—	34.7	5.2	56.1	4.0	100
23.	उत्तरांचल	44.5	0.2	44.7	—	55.1	4.0	100
24.	पश्चिम बंगाल	42.3	22.3	64.6	20.3	5.1	14.0	100
25.	केन्द्रशासित प्रदेश	28.2	1.1	29.3	8.3	51.8	10.6	100
	भारत का औसत	37.1	2.9	40.0	14.5	37.8	77.0	100

स्रोत– मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डाइरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एण्ड स्टैस्टिक्स, इण्डियन एग्री.इन ब्रीफ, मार्च 2006

उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन :

परम्परागत रूप से सिंचाई के साधनों को उनके द्वारा सम्भाव्य सिंचित क्षेत्र के आधार पर पहचाना जाता था। आर्थिक नियोजन की अवधि में विनियोग के आधार पर सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण किया जाने लगा है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार के सिंचाई के साधन हैं–

1. लघु सिंचाई के कार्यक्रम –

जिस साधन पर कुल विनियोग की राशि 25 लाख रुपये या इससे कम होती है, उसे छोटी या लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। पक्के कुँए, नलकूप आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।

2. मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ –

यदि किसी परियोजना पर 25 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 करोड़ रुपये से कम व्यय हो उसे मध्यम परियोजना कहते हैं। छोटे सिंचाई बाँध आदि इस श्रेणी में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

3. बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ –

इन पर 5 करोड़ रुपये से अधिक व्यय होता है परन्तु 20 करोड़ रुपये से अधिक विनियोग वाली परियोजना साधारणतया बहुमुखी परियोजना

होती है। ऐसी परियोजनाएँ सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन आदि अनेक उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं।

वर्तमान में उ0प्र0 में सिंचाई के निम्नलिखित साधन हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

(1) कुँए - कुँओं का उपयोग भारत में प्राचीनकाल से ही किया जा रहा है। कुँए पक्के तथा कच्चे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। परन्तु भारत में अधिकांश कुँए कच्चे हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2800 से 3500 रुपये की राशि में हो जाता है। वस्तुतः किसान का सच्चा मित्र कुँआ ही है, क्योंकि खेत छोटे होने के कारण बड़े साधन का निर्माण करना पूँजी का अपव्यय ही है। दूसरी ओर कुँआ होने पर कृषक स्वावलम्बी रहता है, जबकि नहर या नलकूप होने पर उसे जल देय अधिकारियों पर आश्रित रहना पड़ता है। कुँओं द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से मैदानी भागों में की जाती है, जहाँ पर पानी अधिक गहरा नहीं होता और मिट्टी नरम होती है। उ0प्र0 में 2006 में कुँओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 11200005 हेक्टेयर था। कुँओं द्वारा सिंचाई करने में मानवीय शक्ति, पशु शक्ति व बिजली का उपयोग किया जाता है।

(2) नलकूप - उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई का क्षेत्रफल सन् 1992–93 में 26077 हजार हेक्टेयर, 2002–03 में 35667 हजार हेक्टेयर तथा 2004–05 में 382252 हजार हेक्टेयर था।[1]

उत्तर प्रदेश में नलकूपों का प्रारम्भ 1944 के अकाल आयोग के सुझावों के अधीन किया गया। एक नलकूप पर 50000 से 80000 रुपये व्यय होते हैं तथा इनके द्वारा 300 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। पिछले 3–4 वर्षों में नलकूपों के लिए अधिक तेजी से कार्य किया जाने लगा है तथा केन्द्रीय नलकूप संगठन (इ.टी.ओ.) इस दिशा में विशेष रूप से प्रयत्नशील है।

(3) तालाब - तालाबों का उपयोग रजवाड़ों में अधिक किया जाता था। दक्षिण भारत में पथरीली भूमि होने के कारण कुँओं का निर्माण दुष्कर था। ढलान अधिक होने के कारण वहाँ वर्षा के पानी को रोककर अनेक तालाबों का निर्माण

---

1. कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश

किया गया। उत्तर प्रदेश में तालाब, झील व पोखरों से सिंचित क्षेत्रफल सन् 1972–73 में 324 हजार हेक्टेयर, 1986–87 में 2955 हजार हेक्टेयर तथा 2002–04 में 12765 हेक्टेयर था।[1]

(4) नहरें - नहरों का निर्माण उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हो गया था। परन्तु 20वीं शताब्दी में इनके निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक प्रगति हुई। 1921 में नहरों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद बड़ी तथा बहुमुखी परियोजनाओं के अन्तर्गत नहरों का बहुत अधिक विकास किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व बाढ़ नियंत्रण हेतु नहरों का प्रयोग अधिक था, परन्तु आर्थिक नियोजन की अवधि में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण दोनों उद्देश्यों से हुआ है।

(5) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ - बहुउददउेशीय योजनाओं से आशय उन योजनाओं से है जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलाई जाती है।

तालिका 6.2

उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत

क्र0सं0	साधन	सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		1991–92	2001–02	2002–03
1.	नहर	28.9	21.2	20.5
2.	नलकूप	63.1	71.4	72.3
	अ. राजकीय	6.8	3.5	3.9
	ब. निजी	58.3	67.9	68.4
3.	कुँए	4.1	5.8	5.6
4.	तालाब, झील व पोखर	0.8	0.7	1.0
5.	अन्य	3.0	0.9	0.6

स्रोत – कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा निदेशालय (उ0प्र0)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों विशेषकर निजी नलकूपों द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण विनियोजन के आधार पर किया जाता है।

---

1. कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश

बुन्देलखण्ड में सिंचाई की स्थिति :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र उच्चावच की दृष्टि से भी विभिन्नता लिए हुए हैं। धरातल की विषमता के साथ–साथ यहाँ की जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है। बाढ़ तथा सूखे का प्रकोप बना रहता है। फलतः कृषि में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जिलों में वर्षा का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

<u>तालिका 6.3</u>

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार वर्षा, 2004 (मिलीमीटर में)

क्र0सं0	जिला	सामान्य	वास्तविक
1.	जालौन	862	668
2.	झाँसी	850	613
3.	ललितपुर	1044	790
4.	हमीरपुर	864	708
5.	महोबा	N.A.	324
6.	बाँदा	902	635
7.	चित्रकूट	N.A.	1036

स्रोत – सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश 2005

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य वर्षा की तुलना में वास्तविक वर्षा बहुत ही कम हो रही है। यही कारण है कि बुन्देलखण्ड सूखे की समस्या से ग्रसित है। वर्षा कम होने के कारण जल स्तर बहुत नीचे गिर गया है। बुन्देलखण्ड का जल स्तर लगभग 35 फीट नीचे हो गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। बड़े किसान तो सिंचाई की व्यवस्था कर भी लेते हैं परन्तु छोटे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। हर वर्ष सूखे की स्थिति से किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त विषम हो गई है और वे अब विदर्भ के किसानों की भाँति आत्महत्या की राह पर चल पड़े हैं। बुन्देलखण्ड में सिंचाई के प्रमख साधन तथा उनसे सिंचित क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 6.4

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपदवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, 2002-03 (हेक्टेयर में)

क्र0सं0	जिला	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	नहर	राजकीय नलकूप	निजी नलकूप	अन्य साधन
1.	जालौन	177812	129748	10765	23917	13382
2.	झाँसी	205209	96320	2688	3856	102345
3.	ललितपुर	171355	50032	13949	3830	99344
4.	हमीरपुर	101411	31240	13258	22265	34648
5.	महोबा	88529	22683	4	1390	64452
6.	बाँदा	121274	77109	10646	20011	13508
7.	चित्रकूट	50254	19280	170	10913	19891

स्रोत– कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा निदेशालय, उ0प्र0

जनपद झाँसी में सिंचाई की वर्तमान स्थिति –

स्वतंत्रता के पश्चात् जनपद में सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए 1119 लाख रुपये की लागत से माताटीला बाँध बनाया गया तथा पुराने बाँध व नहरों में सुधार किया गया। जलवायु की अनिश्चितता तथा निरन्तर पड़ते सूखे के कारण किसानों को राजकीय नहरों पर आश्रित रहना पड़ता है। झाँसी जनपद में सिंचाई की स्थिति को निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तालिका 6.5

जनपद झाँसी में सिंचाई की वर्तमान स्थिति (2005-06)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	राजकीय नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	गुरसरॉय	104.3	13.3
2.	बड़ागाँव	104.0	30.9
3.	बबीना	103.1	8.6
4.	बंगरा	102.9	11.9
5.	बमौर	102.4	50.0
6.	मऊरानीपुर	102.1	12.2
7.	चिरगाँव	101.6	56.3
8.	मोठ	100.1	87.8

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद झाँसी, 2007, तालिका 69

जनपद ललितपुर में सिंचाई की वर्तमान स्थिति –

जनपद ललितपुर में राजघाट, शाहजॉद, सचनाक आदि बाँधों का निर्माण हो चुका है। फिर भी यहाँ जल की समस्या है, क्योंकि यह क्षेत्र पथरीला है तथा जल बहुत गहराई पर है। जनपद ललितपुर में सिंचाई की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है–

<u>तालिका 6.6</u>

जनपद ललितपुर में सिंचाई की वर्तमान स्थिति (2005-06)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	राजकीय नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	तालबेहट	102.3	26.1
2.	मंडवारा	102.2	20.7
3.	बार	100.9	22.8
4.	विरधा	100.0	32.7
5.	जखौरा	100.0	43.3
6.	महरौनी	100.0	49.3

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद ललितपुर, 2007, तालिका 69

जनपद जालौन में सिंचाई की वर्तमान स्थिति –

जनपद जालौन को सिंचाई की सुविधा के लिए अधिकांशतः झाँसी के बाँधों से छोड़े गये जल पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ किसानों को नहरों में पानी आने का इन्तजार करना पड़ता है और जल आता भी है तो बड़े किसानों को इसका लाभ मिल जाता है और छोटे किसान सिंचाई की समस्याओं से जूझते रहते हैं।

तालिका 6.7

जनपद जालौन में सिंचाई की वर्तमान स्थिति (2005-06)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	राजकीय नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	रामपुरा	103.5	94.9
2.	कुठौंद	105.6	97.0
3.	माधौगढ़	100.7	85.5
4.	जालौन	100.5	58.8
5.	नदीगाँव	100.3	68.5
6.	कोंच	106.7	64.9
7.	डकोर	100.5	76.0
8.	महेवा	100.3	44.0
9.	कदौरा	100.2	83.6

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद जालौन, 2003, तालिका 12, 13

जनपद हमीरपुर में सिंचाई की वर्तमान स्थिति –

जनपद हमीरपुर भी बुन्देलखण्ड के अन्य जनपदों की भाँति सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित है, हमीरपुर की सिंचाई सम्बन्धी स्थिति को निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तालिका 6.8

जनपद हमीरपुर में सिंचाई की वर्तमान स्थिति (2005-06)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	राजकीय नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	राठ	108.4	55.4
2.	कुरारा	106.0	40.9
3.	मुस्करा	103.1	62.7
4.	सुमेरपुर	102.5	15.8
5.	गोहाण्ड	101.4	14.6
6.	मौदहा	101.1	18.8
7.	सरीला	101.0	0.5

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद हमीरपुर, 2007

जनपद महोबा में सिंचाई की वर्तमान स्थिति –

जनपद महोबा में भी कुल सिंचित क्षेत्रफल में राजकीय नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 6.9

जनपद महोबा में सिंचाई की वर्तमान स्थिति (2005-06)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	राजकीय नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	चरखारी	104.3	41.8
2.	कबरई	103.0	23.6
3.	जैतपुर	102.5	16.2
4.	धनवारी	101.0	21.5

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद महोबा, 2007

बुन्देलखण्ड में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए सुझाव[1] :

1. किसानों को सिंचाई की सुविधाएँ –

खाद्योत्पादन बढ़ाने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। सरकार भी इस दिशा में विशेष रूप से प्रयत्नशील है। सरकार को चाहिए कि न केवल विभिन्न बड़ी, मध्यम और छोटी योजनाओं के विस्तार के लिए कदम उठाये, वरन् इस बात को भी ध्यान में रखा जाये कि सभी योजनाओं का लाभ किसानों को समय से मिलता रहे तथा उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ तत्काल दूर हो जायें। सरकार ने किसानों को सिंचाई की अनेक सुविधाएँ दी हैं और उन्हें अब इनका लाभ भी मिलने लगा है।

2. सिंचाई अभियान –

सरकार को चाहिए कि ग्राम स्तर पर सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अभियान चलाये, जिसके अन्तर्गत गूलों की सफाई, मरम्मत और सुधार, गूलों की पुलियों की मरम्मत और नई पुलियों के निर्माण आदि

---

1. पर्सपेक्टिव ऑफ दि डेवेलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, पृ0 101

क्षेत्रों में किसानों को सहयोग दें। खण्ड या क्षेत्रवार पर ऐसे गूलों की सूची बनाये जाये जिसकी सफाई या उनके स्थान पर नई गूलें बनाने की आवश्यकता हो। सभी स्तर के कर्मचारी तथा अधिकारी किसानों का सहयोग प्राप्त कर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि जिन कार्यों को पूरा करने का निर्णय लिया गया है, वह अभियान पूरा हुआ या नहीं।

गूलों में और उन स्थानों पर जहाँ गूलें गाँव के रास्ते को पार करती हैं, काफी मात्रा में पानी बेकार चला जाता है। अनुमान है कि सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी का 30 प्रतिशत भाग सूख जाता है। यदि इस व्यर्थ जाने वाले पानी का पाँचवां भाग भी बचाया जा सके, तो इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि पर सिंचाई व्यवस्था हो सकती है। गूलों की मरम्मत कर इस पानी को सिंचाई में लगाने के कार्य में सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि किसानों को हरसम्भव सहायता देने का प्रयास करें।

3. नोटिस बोर्ड एवं शिकायती बॉक्स –

किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई विभाग के प्रत्येक निरीक्षक भवन में सूचना पट और प्रार्थना पत्रों की एक बन्द पेटी रखी जानी चाहिए, सूचना पट पर ओवरसियर, पतरौल या आपरेटर यह सूचनाएँ लिखा करेंगे कि यहाँ जिलेदार, सहायक अभियन्ता, डिप्टी रेवेन्यू आफीसर, अधिशासी अभियन्ता या नहर विभाग के दूसरे अधिकारी किन तिथियों को आयेंगे और लोगों से मिलेंगे। उस क्षेत्र के रजबहें तथा माइनरें अगली बार कब से कब तक चलेंगी। ओवरसियर के परचे बाँटने की तिथि, विशेष जाँच की तिथि आदि अन्य सूचनाएँ भी पट पर नियमित रूप से लिखी जायेंगी। प्रार्थना पत्र की पेटी में किसान अपनी शिकायतें डाला करेंगे। पतरौल सप्ताह में दो बार इन पेटियों को खोला करेगा तथा शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों को भेजेगा। शिकायतों का जबाव अधिकारी अपने अगले दौरे में आकर दे दिया करेंगे। रजबहों के मोहण्ड घर भी इस प्रकार के सूचना पट लगायेंगे जिनमें यह लिखा जायेगा क़ि रजबहें अगली बार कब से कब तक चलेंगे।

नहर विभाग के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में इस बात के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए कि किन–किन स्थानों पर नहरों की सफाई और उनकी मरम्मत का काम होना बाकी है। उनको यह ध्यान रखना चाहिए।

चकबन्दी के क्षेत्रों में जहाँ कुलावों पर बारबन्दियाँ दुबारा की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाये।

4. ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था –

अल्प सिंचाई कार्य के लिए सरकार को चाहिए कि किसानों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था करें। जनवरी 1968 से अल्प सिंचाई कार्यों के लिए किसानों को ऋण तथा अनुदान निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध है–

तालिका 6.10

अल्प सिंचाई कार्यों के लिए किसानों को ऋण तथा अनुदान की दर

कार्यों का नाम	देय धन (रुपये में)	अनुदान की दर
सिंचाई कूप	2000	25 प्रतिशत
कुंओं की मरम्मत	400	–
बोरिंग	1250	2 रु0प्रति फुट की दर से जबकि बोरिंग एजेंसी द्वारा हुई हो।
रहट	650	25 प्रतिशत
पम्पिंग सेट		
(क) बिजली से संचालित	4500	–
(ख) डीजल से संचालित	6500	25 प्रतिशत
निजी नलकूप	10000	–
	7500	नालियों हेतु
निजी बाँध निर्माण	5000	25 प्रतिशत
पुरानी बंधिओं की मरम्मत	2500	–
गाँव सभा बंधी	20000	25 प्रतिशत
पहाड़ी जिलों से गूल तथा होज निर्माण	2000	प्रति लाभान्वित एकड़ की दर से 50 प्रतिशत

स्रोत– प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उ0प्र0

5. किसानों को ऋण प्राप्त करने का तरीका –

किसानों को ऋण खण्ड विकास अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी या गन्ना विकास अधिकारी या भूमि विकास बैंक तथा सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से मिला करता है। सिंचाई साधनों के लिए आर्थिक सहायता पाने वाले किसानों को अपने प्रार्थना पत्र खण्ड विकास अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी या जिलाधीश को देना चाहिए, जो क्रमशः 2500 रुपया, 5000 रुपया और 10,000 रुपया तक ऋण दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि वित्त निगम तथा कृषि उद्योग निगम द्वारा भी अल्प सिंचाई कार्यों के लिए ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश में डीजल तथा विद्युत दोनों प्रकार के पम्पिंग सेटों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य के तथा बाहरी क्षेत्रों के भी अनुष्ठानों से भाव नियंत्रण कर लिया है, जिसके आधार पर अच्छे पम्पिंग सेट कृषकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाते हैं तथा जिन पर एक वर्ष की गारन्टी भी मिलती है। इन क्षेत्रों में जहाँ हैण्ड बोरिंग करना सम्भव नहीं है, किसानों की सुविधा हेतु बोरिंग कार्य करने के लिए सरकार ने विशेष यंत्रों से परकुशन और रोटरी रिंग की व्यवस्था की है।

6. बिजली की सुविधाएँ –

किसानों को नलकूप या पम्पिंग सेट के लिए बिजली सरलता पूर्वक उपलब्ध कराना चाहिए। उन्हें अधिकतर 5 अश्व शक्ति तक बिजली की स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसान के पास भूमि कम है तो उसे तीन अश्व शक्ति तक तथा विशेष परिस्थितियों में दस अश्व शक्ति तक की बिजली की स्वीकृति की जाती है। ऐसे क्षेत्रों को जहाँ अधिक संख्या में पम्पिंग सेट व नलकूप हैं विद्युत विभाग किसानों को बिजली कनेक्शन देने में प्राथमिकता दे रहा है। बिजली की लाइन से 2 फर्लांग की दूरी तक पाँच अश्व शक्ति के लिए तथा तीन फर्लांग तक 5 अश्व शक्ति से ऊपर 20 किलोवाट तक के लिए बिजली लगाने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध की जाती है।

सिंचाई विभाग पानी न मिलने, पानी का वितरण बंद हो जाने या अन्य आपदाओं के कारण 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक फसल की हानि होने पर पूरी छूट देता है। बाढ़ तथा सूखा आदि दैवी संकटों के दिनों में माल विभाग की ओर से किसानों को कुएँ बनाने के लिए तकावी दी जाती है। बीज न उगने के कारण फसल नष्ट हो जाने पर भी सिंचाई की दरों में नियमानुसार छूट दी जाती है। विभिन्न राजकीय सिंचाई साधनों के माध्यम से किसानों को सस्ते दर पर पानी दिया जा रहा है।

7. सघन खेती को प्रोत्साहन –

किसानों को लाभार्थ खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने रवी की फसल के लिए वर्ष 1967–68 से राजकीय नलकूपों से सिंचाई की एक नई योजना लागू की है। इसके अन्तर्गत उन किसानों को विभागीय उपकरण पद्धति स्वीकार करते हैं, सिंचाई के लिए पानी 24000 गैलन प्रति रुपया की दर से दिया जाता है। 20 रुपया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष पानी 10 रुपया प्रति फसल की दर से नियत शुल्क उनसे लिया जाता है। पद्धति स्वीकार करने वाले किसानों को पानी देने में प्राथमिकता दी जाती है। जो किसान इसे स्वीकार करने को राजी नहीं है उन्हें 12000 गैलन प्रति रुपये की दर से पानी दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई को महत्वपूर्ण स्थान दिये जाने की आवश्यकता है।

सप्तम् अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगीकरण की समस्याएँ

अल्पविकसित राष्ट्रों के विकास में औद्योगीकरण से बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण की गति बहुत ही तीव्र पायी जाती है। सामान्यतया कृषि की तुलना में उद्योगों में प्रति व्यक्ति आय एवं उत्पादन अधिक होता है। आन्तरिक एवं बाह्य बचतें सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं। औद्योगीकरण से ज्ञान, बाजार का क्षेत्र, आय आदि में वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगता है और अर्थव्यवस्था विकसित होने लगती है।

औद्योगीकरण का उद्देश्य द्रुतगति से औद्योगिक विकास करना होता है, जिससे जनसाधारण को प्रचुर मात्रा में आधुनिक उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें तथा उनके रहन–सहन का स्तर भी ऊँचा उठ सके। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन करके नये–नये उद्योग धन्धों की स्थापना होती है। औद्योगीकरण से बेकारी दूर होती है तथा उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। संतुलित एवं विकेन्द्रित औद्योगिक विकास होता है। घातक प्रतिस्पर्धा का अन्त होता है तथा जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठता है। इस प्रकार किसी भी देश में औद्योगीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं–

1. देश के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन
2. बेरोजगारी दूर करना
3. संतुलित एवं विकेन्द्रित विकास करना
4. उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि करना
5. पूँजीगत तथा उपभोग दोनों में वृद्धि करना
6. जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

भारत में औद्योगीकरण की समस्याएँ :

भारत में औद्योगिक विकास की दस पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बावजूद भी भारत में औद्योगिक प्रगति की गति विशेष संतोषजनक नहीं

कही जा सकती। आज भी भारत एक अर्द्धविकसित देश कहलाता है। पश्चिमी देशों (जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका) की तुलना में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? यदि हम इस प्रश्न का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि आज भी हमारी ऐसी कई औद्योगिक नियोजन की समस्याएँ हैं जिनका समाधान हम दस योजनाओं के पूरा हो जाने पर भी नहीं कर पाये हैं। इसी कारण हमारी वर्तमान औद्योगिक प्रगति की गति धीमी है। औद्योगीकरण की मुख्य समस्यायें निम्नलिखित हैं–

1. यांत्रिक प्रशिक्षण का अभाव
2. बचत तथा पूँजी का अभाव
3. बड़े उद्योगों का कृषि पर आधारित होना
4. पूँजीगत सामान की कमी
5. भारी करारोपण
6. राष्ट्रीयकरण का अभाव
7. जनसंख्या में वेगपूर्ण वृद्धि
8. कुशल श्रमिकों का अभाव
9. कुटीर तथा छोटे एवं बड़े उद्योगों का आपसी संघर्ष।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन :

किसी भी क्षेत्र के भौतिक साधनों में वहाँ की भूमि एवं मिट्टियाँ, खनिज सम्पत्ति, वन तथा जल साधनों को सम्मिलित किया जा सकता है। इन्हीं भौतिक साधनों की उपलब्धि तथा उपयोग की सीमा पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जहाँ तक एक कृषि प्रधान देश का प्रश्न है, मिट्टियों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश की औद्योगिक प्रगति प्रधानतः खनिज पदार्थों की प्रचुरता द्वारा निर्धारित होती है। इसके विपरीत यदि किसी देश की मिट्टी उपजाऊ हो और साथ ही विपुल खनिज सम्पत्ति भी वहाँ उपलब्ध हो, तो वह देश उनके सुनियोजित उपयोग द्वारा विकास के शिखर पर पहुँच सकता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न भौतिक संसाधनों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायेगा-- भूमि तथा मिट्टियाँ, खनिज संसाधन, वन सम्पदा तथा जल संसाधन।

(1) भूमि तथा मिट्टियाँ –

किसी भी देश के भौतिक साधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 294413 वर्ग किमी0 है। इसका 10.3 प्रतिशत भाग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में है।

एक कृषि प्रधान देश का आर्थिक विकास बहुत सीमा तक मिट्टियों पर निर्भर करता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोगों का भाग्य कृषि से जुड़ा हुआ है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मिट्टियों को हम दो भागों में बाँटेगे– (अ) दक्षिणी भाग की मिट्टियाँ, (ब) उत्तरी भाग की मिट्टियाँ।

उत्तरी भाग की मिट्टियों में साधारणतया पीली मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, पाई जाती है। यह मिट्टी शुष्क तथा रेतीला अंश लिए हुए है। इसलिए इसमें गेहूँ, गन्ना, ज्वार तथा बाजरा की कृषि की जाती है। दक्षिणी भाग की पर्वतीय मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है एवं इसमें फास्फोरिक एसिड का अभाव है, लेकिन चूना तथा पोटाश की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती है, जिसमें चावल तथा गन्ना की कृषि कर ली जाती है।

(2) खनिज संसाधन –

खनिज संसाधन किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केवल नाम. मात्र का थोड़ा बहुत खनिज पाया जाता है, जोकि किसी वृहत् उद्योग के लिए नगण्य है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार खनिजों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 7.1

बुन्देलखण्ड में खनिजों का वितरण

जिला	खनिज का नाम
झाँसी	नगण्य
ललितपुर	मार्वल, आयरन, प्रोकीलाइट
जालौन	नगण्य
हमीरपुर	प्रोफीलाइट
महोबा	क्वार्ट जाइट, लाइम स्टोन
बाँदा	नगण्य
चित्रकूट	नगण्य

स्रोत – टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश, पृ0 91

(3) वन सम्पदा –

किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए वनों का अधिक महत्व होता है। विशेष रूप से यह महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वन वर्षा भरे बादलों को आकृष्ट करके उस क्षेत्र में वर्षा कराते हैं तथा वृक्षों की सघनता के कारण बाढ़ को रोकते हैं। वनों का कृषि प्रधान देशों में महत्व इसलिए भी होता है कि पेड़–पौधों की जड़ें एवं पत्तियाँ मिट्टी को उर्वरक तत्व प्रदान करके उसे अधिक उपजाऊ बना देती है। वनों का एक लाभ यह भी है कि इनमें स्थित वृक्ष वायु के वेग को कम कर देते हैं तथा रेगिस्तान के विस्तार को रोकते हैं।

वनों से अनेक प्रकार की लकड़ी उपलब्ध होती है, जिनका औद्योगिक उपयोग तो है ही, इससे रेल के डिब्बे तथा स्लीपर भी बनाये जा सकते हैं। वनों में बाँस, बेंत, लाख, कागज, लुग्दी, चमड़ा, रंगने का सामान, नीम, चन्दन और तारपीन का तेल आदि अनेक पदार्थ मिलते हैं, जिनका औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 5.5 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। इनका विवरण भिन्न–भिन्न जिलों में भिन्न–भिन्न

है, जो निम्न तालिका में दिया गया है–

<u>तालिका 7.2</u>

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वन सम्पदा

क्र0सं0	जिला	प्रतिशत भाग, जो वनों से आच्छादित है
1.	झाँसी	9.4
2.	ललितपुर	9.4
3.	जालौन	5.4
4.	हमीरपुर	4.1
5.	महोबा	8.7
6.	बाँदा	N.A.
7.	चित्रकूट	N.A.

स्रोत – टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश, पृ0 69

(4) जल संसाधन –

जल भारतीय अर्थव्यवस्था का हृदय है। यह जल है जो किसी देश की आर्थिक क्रियाओं को सक्रिय निष्क्रिय बना सकता है। संक्षेप में पानी का सर्वत्र महत्व है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र हो या मानव शरीर ही क्यों न हो। बेतवा तथा धसान ये दो नदियाँ दक्षिणी पर्वतीय अंचल से निकलती है तथा इस क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में जाकर मिल जाती है। पर्वतीय भागों में जल संचय करके अनेक नहरें निकाली गई है तथा उनसे थोड़ी बहुत मात्रा में विद्युत उत्पादन भी किया जाता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रमुख उद्योग धन्धे :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कोई वृहत उद्योग का अभी तक विकास नहीं हो पाया है, जो भी उद्योग यहाँ विकसित हैं। प्रायः लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित हैं। वर्तमान समय में सरकार इस क्षेत्र के भावी विकास के लिए औद्योगिक सर्वेक्षण कर रही है तथा इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न कर रही है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में छोटे पैमाने पर सीमेन्ट उद्योग, बीड़ी उद्योग, लोहे के छड़ बनाने का धन्धा, कृषिगत औजार बनाने का धन्धा, लकड़ी के

बने सामान, जूते, कालीन निर्माण उद्योग विकसित हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों में खाण्डसारी उद्योग, दालों की मिलें, सूती वस्त्र उद्योग एवं तेल मिलें हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों का यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है–

(1) झाँसी जनपद के प्रमुख उद्योग (ललितपुर सहित) –

झाँसी जनपद में छोटे पैमाने पर सीमेन्ट उद्योग, कृषिगत यंत्र, फर्नीचर, लोहे की छड़ें, जूते तथा कालीन का निर्माण किया जाता है। इनका वितरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 7.3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उद्योग

क्र0 सं0	नगर का नाम	तीन मुख्य वस्तुएँ जिनका निर्माण होता है		
		(1)	(2)	(3)
1.	बबीना कैंट	–	–	–
2.	चिरगाँव	सीमेंट	फर्नीचर	कृत्रिम औजार
3.	गुरसराय	फर्नीचर	कालीन	–
4.	हनसारी	चमड़ा	फर्नीचर	कालीन
5.	झाँसी	–	–	–
6.	झाँसी कैंट	लोहे की छड़	कालीन	–
7.	झाँसी रेलवे बस्ती	–	चटाई एवं झाड़ू	–
8.	ललितपुर	कृषिगत औजार	–	–
9.	मऊरानीपुर	तार बीनना	कृषि औजार	–
10.	रानीपुर	चीनी मिट्टी काम	–	–
11.	समथर	कालीन	जूते	फर्नीचर
12.	तालबेहट	फर्नीचर	–	–

स्रोत – जनगणना, झाँसी, उत्तर प्रदेश, पृ0 14–15

(2) हमीरपुर जनपद –

हमीरपुर जनपद में मुख्य रूप से दाल मिलें, कृषिगत औजार, जूते तथा हथकरघा उद्योग प्रचलित हैं। इनका तहसील के अनुसार वितरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 7.4

हमीरपुर जनपद के प्रमुख उद्योग

क्र0 सं0	नगर का नाम	तीन मुख्य वस्तुएँ जिनका निर्माण होता है		
		(1)	(2)	(3)
1.	चरखारी	गौरा स्टोन	जूते	हथकरघा वस्त्र
2.	हमीरपुर	दालें	खाद्य तेल	जूते
3.	महोबा	खाद्य तेल	कृषिगत औजार	–
4.	मौदहा	लकड़ी सामान	कृषिगत औजार	जूते
5.	राठ	कृषिगत सामान	खादी	आयुर्वेदिक औषधियाँ

स्रोत – जनगणना, हमीरपुर, पृ0 8, 9

हमीरपुर जनपद में चरखारी नगर में जूते तथा हथकरघा वस्त्र बनाये जाते हैं। हमीरपुर नगर में दालें तथा तेल की मिलें हैं। खादी वस्त्र राठ नगर में तथा महोबा में जूते एवं कृषि के औजार बनाये जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ राठ नगर में बनाई जाती हैं।

तालिका 7.5

हमीरपुर जनपद में निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है

क्र0सं0	नगर का नाम	निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ
1.	चरखारी टाउन	गेहूँ, मछली
2.	हमीरपुर टाउन	गेहूँ, चना तथा अरहर
3.	महोबा टाउन	तिलहन तथा पान
4.	मौदहा टाउन	गेहूँ, चना तथा दालें
5.	राठ टाउन	भोज्य पदार्थ, कृषिगत सामान तथा गुड़

स्रोत – जनगणना, हमीरपुर, पृ0 8, 9

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएँ :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो भी उद्योग विकसित हैं, वे कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योग के रूप में विकसित हैं। अधिकांश उद्योग, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में ही विकसित है। लेकिन उनका समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में कुछ समस्याएँ एवं सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं–

(1) विकास की धीमी गति –

यद्यपि 1960 में प्रकाशित लघु उद्योगों पर जापानी विशेषज्ञों के दल ने सन्तोष ही व्यक्ति किया था और स्वतंत्रता के पश्चात् वास्तव में कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास भी हुआ है, तथापि जिस गति से इनका विकास होना चाहिए था, उस गति से नहीं हो सका।

(2) रोजगार के अवसरों के विकास का अभाव –

यह कहा जाता है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगे लोगों को अधिक रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि योजनाओं में केवल 25 या 30 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार का अवसर प्राप्त हो सका। धर तथा लिंडॉल का कथन है कि लघु उद्योगों में रोजगार का स्थायित्व नहीं है, साथ ही साथ राज्य की विकास नीति के प्रति फैक्टिरियों के मालिकों का दृष्टिकोण संशयात्मक है।

(3) पूँजी का अभाव –

लघु उद्योगों के लिए तो इस क्षेत्र में पूँजी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन कुटीर उद्योगों के विकास हेतु पूँजी की व्यवस्था अत्यधिक सन्तोषप्रद नहीं है। न बैंकों से और न ही सरकारी समितियों से उन्हें पर्याप्त सन्तोष है।

(4) नवीन प्रविधियों के प्रति रुचि का अभाव –

योजना आयोग ने इसके अतिरिक्त यह स्वयं स्वीकार किया है कि नवीन प्राविधियों के प्रति भारतीय शिल्पकारों का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण नहीं है।

(5) कच्चे माल का अभाव –

छोटे उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल अत्यन्त कठिनाई तथा विलम्ब के बाद प्राप्त हो पाता है। इन उद्योगों के विकास में राज्यों के उद्योग विभागों की पुरानी नीति अवरोध उत्पन्न करती है।

(6) ऊँचा लागत व्यय –

वास्तव में कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुओं की बिक्री हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग संघों द्वारा सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं, पर इन वस्तुओं की ऊँची उत्पादन लागत तथा अत्यधिक ऊँची कीमतों ने इन्हें सामान्य जनता के उपयोग की वस्तुओं की अपेक्षा धनिक वर्ग की कोठियों तथा अन्य प्रासादों में विलासिता प्रदर्शन की वस्तुएँ बना दिया है।

(7) औद्योगिक बस्तियों के निर्माण की धीमी गति –

लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक बस्तियों का निर्माण कार्य बहुत धीमा है, फिर अनेक बस्तियों में इकाइयों के विस्तार की भी गुंजाइश नहीं है। उद्योगपतियों को शेड प्राप्त होने से पूर्व काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर कुछ बस्तियों में परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है।

(8) विपणन सम्बन्धी कठिनाइयाँ –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों की विपणन समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। जनता की रुचियों में परिवर्तन, बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादन को बेचने के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(9) बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता –

कुटीर एवं लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित सस्ते माल से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, जोकि इनको बहुत मँहगा पड़ता है।

(10) प्रबन्धकीय योग्यता का अभाव –

इनकी स्थापना प्रायः छोटे साहसियों द्वारा की जाती है, जिसमें प्रबन्धकीय योग्यता का अभाव होता है। इसका प्रभाव इन उद्योगों की कुशलता पर पड़ता है।

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु तथा कुटीर उद्योगों के भावी विकास हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं–

1. कच्चे माल एवं पूँजी की सामयिक पूर्ति हेतु राज्य के उद्योग विभाग तथा विकास अधिकारी (क्रमशः लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए) उत्तरदायी हों।

2. कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाये तथा राज्य सरकारें उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें।

3. उत्पादन लागत में कमी करने के लिए दो सुझाव दिये जा रहे हैं– (अ) जिन उद्योगों में कच्चा माल मिलों से प्राप्त होता है, उन पर से उत्पादन कर हटा लिया जाये, (ब) औद्योगिक इकाइयों के विवेकपूर्ण प्रबन्ध की व्यवस्था की जाये।

4. उपभोक्ता सहकारी भण्डारों तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों की इकाइयों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित किये जायें, ताकि उचित मूल्यों पर उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। इससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी तथा उनके विकास की गति बढ़ेगी।

5. पूँजी की पूर्ति के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना की जाये, जो शिल्पकारों को अल्प तथा मध्यकालीन ऋण दे सकें।

6. शिक्षा का प्रसार करके प्रविधियों के लाभ शिल्पकारों को बताये जायें।

7. उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने से रोजगार में भी वृद्धि होगी तथा मुद्रा स्फीति का प्रभाव कम होगा, जिससे सामान्य, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा।

8. धर एवं लिंडाल ने सुझाव दिया है कि औद्योगिक वस्तुओं को निर्बल, अपरिपक्व तथा शिशु इकाइयों के पोषण के केन्द्र स्थलों में परिवर्तित किया जाना उपयुक्त होगा। वे यह भी मानते हैं कि राज्य की वित्तीय सहायता का अन्तिम उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक (लघु एवं कुटीर) इकाइयों को स्वावलम्बी बनाना होगा तथा राज्य पर अकि आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति को शनैः–शनैः समाप्त किया जाना चाहिए। कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त विज्ञापन तथा प्रचार की व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी इनकी

बिक्री बढ़ सकेगी तथा इनके विकास की गति बढ़ सकेगी।[1] इनके मत में कच्चे माल की पूर्ति पर नियंत्रण या सीमा नहीं होनी चाहिए।

9. एलेक्जेण्डर के मत में लघु उद्योगों, विशेषकर छोटी औद्योगिक बस्तियों में स्थित इकाइयों में कारीगरों को प्रारम्भ में सरल उपकरण दिये जायें तथा शनैः–शनैः आधुनिक यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाये।[2]

10. औद्योगिक बस्तियों तथा उनमें स्थित इकाइयों में तालमेल बैठाना भी आवश्यक है।[3]

11. लघु तथा बड़े उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाये।

12. लघु उद्योग प्रदर्शनियों का विभिनन स्थानों पर अधिकाधिक संख्या में आयोजन किया जाये।

13. लघु उद्योगों की उत्पादकता, उत्पादन क्षमता व किस्म में सुधार करने की दृष्टि से अनुसंधान पर बल दिया जाए।

14. उत्पादन का विशिष्ट क्षेत्र लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जाये। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अब तक 177 मदें, 2 लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखी हैं, किन्तु वह संख्या पर्याप्त नहीं है। अतएव इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

15. लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल का निर्यात बढ़ाने के लिए हरसम्भव सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उनके द्वारा उत्पादित माल की किस्म में सुधार लाने के लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहिए।

16. बन्द अथवा बोगस लघु उद्योगों के प्रति कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं में लघु उद्योगों की उत्तर प्रदेश में प्रगति –

हमारे देश की औद्योगिक प्रगति में छोटे उद्योगों का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा माल बहुत है। काम करने वाले मनुष्य अधिक हैं, लेकिन

---

1. धर एवं लिंडाल– आय सिट, पृ0 86–88
2. एलेक्जेण्डर, पी.सी. आय सिट, पृ0 48
3. योजना, अप्रैल, 20, 1969

वित्तीय साधन कम हैं। हमें ऐसे उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है जिनमें काम करने वाले अधिक से अधिक लोग खप सकें। इस तरह ज्यादा से ज्यादा आदमियों को काम करने के अवसर मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में पूँजी का वितरण हो सकेगा। यही वजह है कि बड़े उद्योगों के साथ--साथ छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें साथ--साथ सुविधायें दे रही हैं।

आज उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना या विस्तार के लिए पूँजी, कच्चा माल, काम करने की जगहें, तकनीकी परामर्श, मशीन खरीदने का इंतजाम, विदेशों से माल के आयात में सहायता आदि हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हमने प्रगति भी काफी की है फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है।

पूँजी का प्रबन्ध –

सरकार निरन्तर औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दे रही है, इसके लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सरकार उद्योगों को विशेष सहायता प्रदान कर रही है, जिसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका 7.6

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों एवं खनिकर्म में किया जाने वाला व्यय

क्र0सं0	योजनाएँ	व्यय (लाख में)
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	637
2.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1292
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना	2084
4.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	4177
5.	पंचम पंचवर्षीय योजना	17899
6.	षष्ठम पंचवर्षीय योजना	43077
7.	सप्तम पंचवर्षीय योजना	69470
8.	अष्ठम पंचवर्षीय योजना	59306
9.	नवम् पंचवर्षीय योजना	40598
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना	97363
11.	2002–03	4374
12.	2003–04	5125
13.	2004–05	5965

स्रोत – सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2005, पृ0 265

कच्चे माल का वितरण –

उद्योगों के विकास हेतु कच्चे माल की पूर्ति नितान्त आवश्यक है। यदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो तो पूँजी, मशीन और कारीगर सभी सर्वथा बेकार हैं। इस तथ्य के महत्व का अनुभव प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही कर लिया गया था। अतः राज्य सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए लघु औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से कच्चा माल उपलब्ध कराने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की गई है।

यह निगम पिछले दस वर्षों से कार्य कर रहा है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनायें कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में लघु उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल की बिक्री, जिसे निगम विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अपने पाँच बिक्री केन्द्रों, नैनी, मेरठ, कानपुर, वाराणसी एवं आगरा के माध्यम से करता है।

प्रशिक्षण की सुविधायें –

आज औद्योगिक कार्यों में सरकार ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध करायी हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के बड़े–बड़े कालेज एवं संस्थायें स्थापित की हैं। नौजवानों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न नगरों में ट्रेनिंग इंस्ट्टीट्यूट और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

अष्टम् अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यातायात का विकास एवं समस्याएँ

आधुनिक युग में यातायात का महत्व अधिक बढ़ गया है। विशिष्टीकरण तथा रहन–सहन के स्तर में विकास के कारण यातायात एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। मार्शल के अनुसार – "हमारे युग की मुख्य आर्थिक घटना निर्माण उद्योगों की स्थापना नहीं, बल्कि परिवहन उद्योगों का विकास है। यातायात आज के युग में हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। सम्भवतः इस सुविधा के अभाव में, हमारी सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति का विकास न हो पाता। वास्तव में यातायात के साधनों के विकसित होने के साथ–साथ ही हमारी सभ्यता विकसित हुई है। अतः प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में यातायात के साधनों का एक विशेष महत्व है। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि "यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था में शरीर व हड्डियों के समान हैं, तो यातायात के साधन (रेलें तथा सड़कें) शिराओं तथा धमनियों का कार्य करती हैं।"

श्री जी.डी. दफ्तरी के मत में, भोजन, वस्त्र, मकान एवं यातायात आदि चार आधारभूत मानवीय आवश्यकताएँ हैं, लेकिन इनमें यातायात का महत्व सर्वाधिक है क्योंकि इनके द्वारा अनय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूर्ति होती है।[1] आज के युग में जबकि मनुष्य उत्पादन अपने तथा अपने परिवार की ही नहीं, अपितु दूर–दूर तक के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। यातायात के साधनों की उपलब्धियाँ अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रो0 किण्डल बर्जर के मत में विभिन्न बाजारों को यातायात के साधनों द्वारा सूत्रबद्ध करना आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।[2] स्पष्ट है कि किसी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था का विकास बहुत कुछ उस देश के परिवहन साधनों के उन्नत होने पर निर्भर करता है।

---

1. फारवर्डेड टू ए डिसीजन ऑफ दि ले आउट ऑफ इण्डियन ट्रांसपोर्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम बाई जी.बी. ड्राडीकर (मुम्बई, 1949)
2. किण्डल बर्जर – इकोनॉमिक डेवेलपमेंट, पृ0 96

कृषि पदार्थों को मण्डी तक लाने तथा औद्योगिक कच्चे माल को कारखाने तक तथा तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने के लिए सड़कों, नहरों या रेलों का विकसित स्थिति में होना अनिवार्य है। यही नहीं, इन साधनों का विकास श्रमिकों के आवागमन हेतु आवश्यक है। प्रो0 सैलिगमैन के कथनानुसार, वह देश सर्वाधिक उन्नत है, जहाँ श्रम व साधनों के परिवहन, शक्ति के संचार तथा विचारों के प्रसार आदि तीन खेत्रों में पर्याप्त विकास हो जाता है। डॉ. जानसन यातायात के साधनों की आवश्यकता केवल वस्तुओं व श्रमिकों के आवागमन को ही नहीं मानते हैं अपितु कुशल शासन व्यवस्था, देश में शान्ति एवं सुरक्षा, अकाल सहायता, जनसंख्या के संतुलित वितरण, व्यापार के विकास, नगरों के विकास तथा मूल्यों के समस्त देश में समान होने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए भी यातायात के साधनों के विकास को अनिवार्य मानते हैं।[1]

यातायात के साधनों को चार मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है-- (1) रेलें, (2) सड़कें, (3) जल यातायात तथा (4) वायु यातायात।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अन्य अल्पविकसित देशों की भाँति भारत भी इस क्षेत्र में अन्य देशों की अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ है। रेलों, सड़कों तथा यातायात के अन्य क्षेत्रों में भारत की प्रगति स्वतंत्रता के पूर्व तक सन्तोषप्रद नहीं थी।

ब्रिटिश शासन के पूर्व यातायात व्यवस्था :

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत की यातायात व्यवस्था पिछड़ी हुई थी। वस्तुतः उत्पादन का स्तर अत्यन्त छोटा होने के कारण वस्तुओं का विनिमय भी सीमित था और फलस्वरूप सड़कों, रेलों तथा जलमार्गों का उपयोग भी बहुत कम होता था। इस क्षेत्र की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती थी और ये गाँव स्वावलम्बी इकाइयों के रूप में थे। गाँवों का बाह्य जगत से आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध भी सीमित ही था। इन्हीं कारणों से यातायात के साधनों का विस्तार करने की आवश्यकता समझी गई। इतिहास में यद्यपि गुप्त, मौर्य व हिन्दू

1. जानसन, जे. – दि इकोनॉमिक ऑफ इण्डियन रेल ट्रांसपोर्ट, 1963, पृ0 1

सम्राटों, शेरशाह सूरी तथा मुगल सम्राटों द्वारा सड़कों के निर्माण का वर्णन मिलता है, तथापि इन सड़कों के निर्माण हेतु कोई निश्चित नीति नहीं थी और न ही ये सड़कें स्थाई होती थी।

डॉ0 बुकेनन का कथन है कि 18वीं शताब्दी तक भारत की अधिकांश जनता एकाकी गाँवों में निवास करती थी तथा विभिन्न क्षेत्रों में (उत्पादन के क्षेत्र में) विशिष्टता का अभाव था। वे आगे बताते हैं कि व्यापार का क्षेत्र उस युग में बहुत सीमित होता था तथा वस्तुओं को पशुओं पर लादकर ले जाया जाता था। बैलगाड़ियों का उपयोग केवल खुले मैदान में ही किया जाता था, केवल बंगाल में गंगा नदी का उपयोग काफी दूर–दूर तक माल ले जाने के लिए किया जाता था।[1]

यही स्थिति 19वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में चलती रही तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सड़कों का विकास करने का कोई प्रयास नहीं किया। गत शताब्दी के पूर्वाद्ध में फ्रांसिस बुचानन एवं मांटगोमरी मार्टिन ने क्रमशः दक्षिण व उत्तरी भारत का भ्रमण करने के बाद इसी प्रकार के वक्तव्य दिये थे।[2]

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक यातायात के साधनों की स्थिति भारत में काफी दयनीय थी और जिस समय पाश्चात्य जगत में यातायात क्रान्ति[3] चल रही थी और जनता राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दौड़ में भाग ले रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण यातायात के साधनों का अभाव ही था।[4]

रेलों के विकास के आर्थिक कारण :

(1) उद्योगपतियों के समक्ष वृहत स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के विनिमय हेतु एक व्यापक बाजार प्राप्त करने की समस्या थी। भारत के आन्तरिक भागों तक इंग्लैण्ड की बनी हुई वस्तुओं को बेचने का एक मात्र कारण यही था कि प्रमुख बन्दरगाहों से लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों तक रेलों या सड़कों का जाल बिछा दिया जाता।

1. बुकनेन, डी.एच. – द डेवेलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया (1934), पृ0 176
2. दत्त, रमेश – इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, अर्ली ब्रिटिशरूल, चैप्टर्स 12–13
3. एल.सी.ए. नावेल्स ने इसे ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन के नाम से पुकारा था।
4. देसाई, ए.आर. – सोशल बैकग्राउण्ड ऑफ इण्डियन नेशनलाइजेशन, पृ0 117

लार्ड डलहौजी ने रेलों पर दिये सुप्रसिद्ध वक्तव्य में रेलों के विकास के कार्यक्रम में मुख्य पृष्ठभूमि आर्थिक आवश्यकता को ही बताया।

(2) अनेक आंग्ल उद्योगपतियों के समक्ष एक समस्या थी और वह थी अतिरिक्त पूँजी का लाभप्रद विनियोग इंग्लैण्ड के बाहर कहीं करना। उनकी राय में भारत से कहीं अधिक अच्छा क्षेत्र उन्हें विनियोग हेतु नहीं था और वह पूँजी रेलों के निर्माण में प्रयुक्त की गई।

रमेश दत्त रेलों के विकास का सबसे बड़ा कारण आज उद्योगपतियों की प्रवृत्ति को मानते हैं। इनका आंग्ल संसद पर पर्याप्त प्रभाव था और उससे उनकी वस्तुओं की भारत में खपत करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर यहाँ रेलों का विकास करने हेतु दबाव डाला गया था।[1]

हमीरपुर जनपद में यातायात का विकास –

रेल यातायात – हमीरपुर जनपद में कुल दो रेलवे लाइन हैं–

1. झाँसी से बाँदा – यह रेलवे लाइन जैतपुर, महोबा होते हुए बाँदा को जाती है।
2. कानपुर से बाँदा – यह रेलवे लाइन मऊ होते हुए बाँदा को चली जाती है।

इस प्रकार हमीरपुर जनपद का उत्तरी पश्चिमी भाग रेल यातायात की सुविधाओं से काफी दूर पड़ता है। पूर्वी तथा दक्षिणी ग्रामों को रेल यातायात की अच्छी सुविधाएँ प्राप्त हैं।

सड़क यातायात –

1. मथुरा से बाँदा – यह श्रीनगर महोबा होते हुए बाँदा को जाती है।
2. मऊरानीपुर से राठ
3. राठ से उरई

---

1. दत्त, रमेश – इण्डिया इन दि विक्टोरियन एज, पृ0 174

4. कालपी से हमीरपुर

5. हमीरपुर से राठ

6. राठ से मौदहा

हमीरपुर जनपद में विभिन्न प्रकार की यातायात सुविधाओं से युक्त तथा समीपतम नगर से दूरी के आधार पर ग्रामों का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 8.1

हमीरपुर जनपद में यातायात की सुविधाएँ

समीपतम नगर से दूरी	ग्रामों की संख्या	ग्राम जोकि जुड़े हुए हैं					
		पक्की सड़क	कच्ची सड़क	पक्की सड़क +कच्ची सड़क	पक्की सड़क + रेल	कच्ची सड़क + रेल	अन्य
0–5	92	23	32	3	2	2	2
6–10	151	40	78	4	3	5	1
11–15	153	22	85	4	3	3	4
16–25	360	66	214	6	2	11	1
26–50	374	41	234	19	5	9	3
51–100	18	22	2	10	11	—	—
101–200	19	6	1	2	3	3	—
200 से ऊपर	27	6	1	3	3	6	3
योग	1194	226	647	51	32	39	14

स्रोत– जनगणना, हमीरपुर, पृ0 12

उपर्युक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट है कि हमीरपुर जनपद में अधिकांश ग्राम जोकि यातायात की सुविधाओं से युक्त हैं, समीपतम नगर से 16–25 किमी0 की दूरी पर स्थित है। 645 ग्राम ऐसे हैं जो कच्ची सड़क की सुविधाओं से युक्त हैं। 192 ग्राम पक्की सड़क की सुविधा से युक्त हैं। ग्राम जो पक्की सड़क तथा ट्रेन की सुविधा से युक्त हैं 13 हैं तथा रोड तथा ट्रेन की सुविधा से युक्त कुल 21 ग्राम हैं।

झाँसी तथा ललितपुर में यातायात का विकास –

रेल यातायात –

1. भोपाल से कानपुर – यह रेलवे लाइन ललितपुर, तालबेहट, बबीना, झाँसी, चिरगांव एवं मोंठ होते हुए कानपुर को जाती है।
2. झाँसी से बाँदा – यह रेलवे लाइन मऊरानीपुर होते हुए बाँदा को चली जाती है।
3. दतिया से झाँसी।

सड़क यातायात –

1. शिवपुरी से झाँसी।
2. झाँसी से बाँदा – यह बंगराधवा तथा मऊरानीपुर होती हुई बाँदा को जाती है।
3. सागर से झाँसी – यह ललितपुर, तालबेहट, बबीना होते हुए झाँसी को जाती है।
4. दतिया से झाँसी।
5. झाँसी से कानपुर – यह चिरगाँव मोंठ से होती हुई कानपुर को चली जाती है।
6. मऊरानीपुर से गुरसराय।
7. सागर से विक्रमगढ़ – यह मन्दौरा, महरौली होती हुई विक्रमगढ़ को जाती है।
8. ललितपुर–विक्रमगढ़ – यह महरौली होते हुए विक्रमगढ़ को जाती है।

झाँसी तथा ललितपुर जनपद में कुल 1605 ग्राम हैं जिनमें से केवल 55.95 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं जो कच्ची सड़क तथा पक्की सड़क की सुविधाओं से युक्त हैं। इन जनपदों में यातायात के विकास को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है–

तालिका 8.2

ललितपुर तथा झाँसी जनपद में यातायात की सुविधाएँ

समीपतम नगर से दूरी	ग्रामों की संख्या	ग्राम जोकि जुड़े हुए हैं					
		पक्की सड़क	कच्ची सड़क	पक्की सड़क +कच्ची सड़क	पक्की सड़क + रेल	कच्ची सड़क + रेल	अन्य
0—5	125	52	33	2	3	—	1
6—10	262	61	106	4	9	6	5
11—15	254	63	119	4	4	4	6
16—25	412	66	250	2	3	2	6
26—50	396	66	277	3	4	5	5
51—100	153	22	111	3	2	2	2
101—200	3	3	2	2	6	6	6
200 से ऊपर	4	5	3	3	7	3	7
योग	1609	338	901	23	38	28	38

स्रोत— जनगणना, झाँसी, पृ0 15

उपर्युक्त तालिकानुसार वे ग्राम यातायात की अच्छी सुविधाओं से युक्त हैं जोकि नगर के समीप हैं। नगरों से क्रमशः जो दूर के ग्राम हैं, उनमें यातायात की सुविधाओं की कमी होती गई है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, लिंक रोड एवं त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी आयी तथा सन् 1976 में केवल नवसृजित झाँसी जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई 696 किमी. हो गई है। बेतवा नदी पर 1 पुल बनाकर जनपद के पूर्वी भाग को जोड़ दिया गया है और अब 450 किमी0 सड़कों पर 210 निजी बसें तथा 150 किमी0 सड़क पर राज्य परिवहन निगम की 45 बसें चल रही हैं।

जालौन में यातायात विकास —

जनपद जालौन में केवल दो रेलवे लाइन— पहली, झाँसी से कानपुर हैं, यह इस जनपद के उरई तथा कालपी होते हुए कानपुर को जाती है। दूसरी, कोंच से एट है।

सड़क यातायात –

1. झाँसी से कानपुर – यह सड़क चिरगाँव, पिण्डारी, उरई, कालपी होते हुए कानपुर को जाती है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पक्की सड़कों की दूरी के आधार पर वितरण –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पक्की सड़कों की दूरी के आधार पर ग्रामों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

<u>तालिका 8.3</u>

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रतिशत वितरण (पक्की सड़क से दूरी के आधार पर)

क्र0 सं0	जिला	ग्राम के पास	1 किमी0	1–3 किमी0	3–5 किमी0	5 किमी0 से अधिक
1.	महोबा	20.55	2.57	7.52	5.61	33.75
2.	हमीरपुर	13.76	2.90	13.33	27.53	52.48
3.	जालौन	26.51	7.31	15.41	19.54	40.23
4.	झाँसी	15.41	2.50	28.58	20.42	43.09
5.	ललितपुर	24.24	3.96	12.19	11.60	58.01
6.	बाँदा	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
7.	चित्रकूट	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
बुंदेलखण्ड क्षेत्र		13.84	3.84	15.80	17.04	49.88
पूर्वी क्षेत्र		24.43	11.55	21.44	18.31	31.27
मध्यवर्ती क्षेत्र		10.92	7.24	22.44	19.28	40.12
पश्चिमी क्षेत्र		15.73	7.83	24.30	20.10	32.04
उत्तर प्रदेश		33.63	18.99	22.22	28.24	36.70

स्रोत– पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवेलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, पृ0 48

उपर्युक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल ग्रामों में से 13.84 प्रतिशत ग्राम ही ऐसे हैं जो सड़क पर स्थित हैं। एक किमी0 तक की दूरी में 3.84 प्रतिशत ग्राम, 1–3 किमी0 की दूरी तक 15.80 प्रतिशत ग्राम, 3–5 किमी0 तक 17.04 तथा 5 किमी0 से अधिक दूरी वाले ग्रामों का प्रतिशत 49.88 है। जबकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 13.63, 8.99, 22.44, 18.24 तथा 36.70 है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं, जो पक्की सड़कों से 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर स्थित हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यातायात की काफी असुविधा है। इसका कारण धरातलीय बनावट तथा अधिकांश क्षेत्रों में जंगलों का होना है। वैसे सरकार द्वारा सड़क यातायात के विकास के लिए काफी प्रयत्न किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई –

निम्न तालिका में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रति 1000 वर्ग किमी0 पर सड़कों को दर्शाया गया है–

तालिका 8.4

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई (किमी0) प्रति 1000 वर्ग किमी0 पर

क्र0सं0	क्षेत्र/जिला	सड़क की लम्बाई (किमी0)
1.	महोबा	97.97
2.	हमीरपुर	105.95
3.	जालौन	151.68
4.	झाँसी	151.21
5.	ललितपुर	–
6.	बाँदा	N.A.
7.	चित्रकूट	N.A.
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	214.21
	पूर्वी क्षेत्र	455.31
	मध्यवर्ती क्षेत्र	458.15
	पश्चिमी क्षेत्र	545.83
	उत्तर प्रदेश	636.06

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रति 1000 वर्ग किमी0 पर सड़क की लम्बाई का औसत 214.21 किमी0 है। यह लम्बाई महोबा में 97.97 किमी0, हमीरपुर में 105.95, जालौन में 151.8, झाँसी में 115.21 है। जबकि उत्तर प्रदेश में 636.06 तथा पूर्वी क्षेत्र में 455.31, पश्चिमी क्षेत्र में 458.15, मध्यवर्ती क्षेत्र में 545.83 है।

तालिका 8.5

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में क्षेत्रानुसार विभिन्न योजनाओं में सड़कों की लम्बाई

क्षेत्र	सड़क की लम्बाई (किमी0)		प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
	नागपुर योजना	बाम्बे योजना	बाम्बे योजना	2003 तक
पूर्वी क्षेत्र	8300	44316	66	97
पश्चिमी क्षेत्र	4867	46676	58	47
मध्यवर्ती क्षेत्र	3999	7762	55	60
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	2808	4014	55	53
पर्वतीय क्षेत्र	1926	5192	76	249
उत्तर प्रदेश	25500	96960	61	93

स्रोत– इण्डस्ट्रियल पोटेन्सियल सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश, पृ0 11

रेल सड़क यातायात की समस्याएँ एवं सुझाव –

किसी भी देश के आर्थिक पुनरुत्थान में सड़कों का बड़ा महत्व होता है। कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं वाणिज्य, प्रशासन, प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अन्य किसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रयत्न को अपने पूर्ण रूप में फलीभूत होने तथा आगे बढ़ने के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है। सड़कें सभ्यता तथा उन्नति की नींव कही जाती हैं। आधुनिक युग में सड़क यातायात को वाणिज्य तथा उद्योग का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि आज दुनियाँ एक दूसरे के अति निकट आती जा रही है। भारत को विश्व में सड़क यातायात का अग्रणी कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इतिहास की ओर दृष्टिपात करने से यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि भारतीय 5000 वर्ष पूर्व भी सड़क निर्माण कला में निपुण थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकाल की सड़कों और उनकी व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उस समय नगर की सड़कें 24 फीट चौड़ी, गाँव और मैदान को ले जाने वाली सड़कें 48 फीट चौड़ी और जंगल को जाने वाली सड़कें 24 फीट चौड़ी हुआ करती थीं। आज जबकि भारत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, सड़क यातायात का महत्व और भी अधिक हो जाता है। प्रगति की इन किरणों को भारत के 5.5 लाख गाँवों में बसने वाली 30 करोड़ ग्रामीण जनता तक पहुँचाने के लिए हमको शीघ्रातिशीघ्र सड़क यातायात का विकास करना होगा।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़क व्यवस्था में कमियाँ –

प्रगति के बावजूद सड़क यातायात में निम्न कमियाँ हैं– (क) अपर्याप्त सड़क व्यवस्था, (ख) अत्याधिक कर भार, (ग) वाहनों की सीमित उत्पादन क्षमता, (घ) सुविधाओं का अभाव (ड़) डीजल एवं पेट्रोल की समस्या एवं (च) दुर्घटनाएँ।

1. सड़कों की लम्बाई अन्य क्षेत्रों से बहुत कम है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 1000 वर्ग किमी0 पर सड़क की लम्बाई का औसत 214.21 किमी0 है, जबकि उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में– पूर्वी क्षेत्र में 455.51 किमी0, पश्चिमी क्षेत्र में 558.15 किमी0, मध्यवर्ती क्षेत्र में 545.83 किमी0 तथा उत्तर प्रदेश में 636. 06 किमी0 है।
2. नई सड़कों के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों को बनाये रखने का प्रयास नहीं किया जाता। सन् 1950–51 तथा 2001–02 के मध्य सड़कों के निर्माण कार्य पर 15 गुना व्यय हो गया, जबकि इनकी व्यवस्था पर केवल तीन गुना हुआ है। फलस्वरूप कुछ ही वर्षों बाद सड़कें पूर्णतया बेकार हो जाती हैं।
3. गायब कड़ियों की पुल निर्माण तथा क्रास ड्रेनेज की दिशा में प्रगति बहुत धीमी है।
4. सड़कों की सतह पतली बहुत है। मितव्यता के नाम पर 9 से 10 इंच मोटी सतह रखी जाती है, जबकि भारी गाड़ियों के लिए 18 से 20 इंच की सतह होनी चाहिए।
5. भीड़–भाड़ वाले नगरों में उपमार्गों की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
6. देश की सड़कों में आज भी 60 प्रतिशत सड़कें कच्ची हैं तथा 10 प्रतिशत सड़कें केवल बैलगाड़ियों के लिए उपयुक्त हैं।

सड़क परिवहन के सम्बद्ध आज दो ज्वलन्त प्रश्न हैं– प्रथम रेलों तथा सड़कों के मध्य समन्वय का तथा द्वितीय मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण का। पहले हम इन प्रश्नों की समीक्षा करेंगे और फिर इस दिशा में राज्य की नीति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

रेल सड़क प्रतियोगिता एवं समन्वय-एक महत्वपूर्ण समस्याः

रेल यातायात तथा सड़क परिवहन के बीच वस्तुतः समन्वय होना चाहिए, जबकि सड़कें रेलों के समानान्तर न बनाई जाकर लम्ब रूप में बनाई जायें, ताकि मोटरों और रेलों में स्पर्धा न हो। यदि विभिन्न परिवहन के साधनों के मध्य समन्वय हो, तो समाज को न्यूनतम परिवहन की लागत का लाभ होगा। परिवहन नीति तथा समन्वय समिति ने बताया है कि राज्य को इस प्रकार की नीति निर्धारित करनी चाहिए कि विभिन्न परिवहन के साधन जनसाधारण को न्यूनतम लागत पर अधिकतम् सुविधा प्रदान कर सकें।

दुर्भाग्य से भारत में प्रथम विश्वयुद्ध के व्यय से ही मोटरों तथा रेलों की प्रतियोगिता चल रही है। इस दिशा में मिचेल विर्कनेस कमेटी (1963) एवं वैजबुड कमेटी (1936) ने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मोटर परिवहन पर कठोर नियंत्रण रखने का आग्रह किया। दोनों समितियों ने बताया कि रेलों को सामान्य सड़कों पर चलने वाले मोटर यातायात से 2 से 4 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष घाटा होता था। इन्होंने रेल प्रशासन द्वारा मोटर चलाने का सुझाव भी प्रस्तुत किया।

लेकिन दोनों के मध्य अनेक आदेशों व नियमों के उपरान्त भी समन्वय स्थापित नहीं किया जा सका। 1959 में नियोगी कमेटी की नियुक्ति सरकार की परिवहन नीति हेतु सुझाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से की गई। किन्हीं कारणों से श्री नियोगी ने त्याग पत्र दे दिया तथा श्री तारलोक सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की, जिसे सड़क नीति तथा समन्वय समिति रिपोर्ट नाम से जाना जाता है।

इस रिपोर्ट[1] में सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई कि समन्वय नीति देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में बनाई जाए तथा यथासम्भव लागत के दृष्टिकोण को सामने रखा जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि परिवहन के विभिन्न साधनों के मध्य समन्वय की बात प्रत्येक परिवहन से प्राप्त सामाजिक लाभ तथा

---

1. अध्याय तृतीय और अध्याय चतुर्थ, आय, पी.पी. 185 और 197–200

उसकी सामाजिक लागत के आधार पर होना चाहिए। परिवहन विशेष पर विनियोग की राशि का अनुमान किया जाए।

विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के लिए ट्रेफिक का वितरण करते समय यह भी देखा जाये कि उनमें से प्रत्येक कितना सामाजिक लाभ या सुविधाएँ प्रदान करने की स्थिति में हैं?

व्यापक सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर किसी भी परिवहन के साधन की लागत तथा भाड़ा दरों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसी आधार पर उस पर कर लगाया जाये या अनुदान दिया जाये, यह निर्भर करेगा। मोटर गाड़ियों द्वारा लम्बी दूरी का आवागमन समान लागत पर नहीं हो सकता। अतएव इन पर विभिन्न दरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वस्तुतः समिति के मत में राजकोषीय उपायों द्वारा किसी सीमा तक विशेष प्रकार के परिवहन हेतु प्रोत्साहन दिया जा सकता है अथवा इनकी सेवाओं की माँग पर रोक लगाई जा सकती है।

सड़क परिवहन पर राज्य द्वारा प्रभाव पूर्ण नियंत्रण रखने का सुझाव भी दिया गया है। इसके लिए लाइसेंसिंग का नियमन अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य के भीतर की यातायात हेतु राज्य सरकार द्वारा किया जाये परन्तु नियमन की नीति ट्रेफिक आवंटन के कार्यक्रम के अनुरूप सड़क परिवहन के विकास में सहायक होनी चाहिए तथा उपभोक्ताओं व छोटे मोटर मालिकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

एकीकरण की प्रक्रिया हेतु ट्रेफिक आवंटन को आधार बनाया जाये। जिन राज्यों में राष्ट्रीय मोटर परिवहन है, वहाँ के परिवहन निगम व रेल प्रशासन संयुक्त व्यवस्था द्वारा यात्रियों तथा माल को ले जाने की व्यवस्था करें। इसके लिए केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग के निर्देशन में सारा कार्य हो। राज्यों के परिवहन निगमों को ट्रेफिक आवंटन में पर्याप्त अंश दिया जाय। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि रेलों के सम्बन्ध में इस प्रकार की नीति बनाई जाये कि उनकी पूँजी पर समुचित प्रतिफल प्राप्त हो सके।

कुल मिलाकर परिवहन नीति एवं समन्वय समिति ने लागतों को आधार बनाने का सुझाव दिया। यह ठीक भी है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न परिवहन के साधनों का गठन इस प्रकार किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रों में इनका संतुलित वितरण हो तथा माल व यात्रियों का आवागमन न्यूनतम लागत पर सम्भव हो जाय। परन्तु साथ में यह भी देखा जाना चाहिए कि परिवहन के माध्यम से लगाई गई पूँजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त हो।

तुलनात्मक लागत सम्बन्धी कुल अनुमान[1] :

कुछ परिवहन समितियों ने अनुमान किया है कि 300 किमी0 तक की दूरी पर रेल परिवहन, मोटर परिवहन की अपेक्षा मंहगा पड़ता है। योजना आयोग द्वारा परिवहन की लागतों के जो अनुमान प्रकाशित किये गये हैं, उनके अनुसार यद्यपि लम्बी दूरी पर लागत ट्रकों की अपेक्षा मालगाड़ियों में कम बैठती है। फिर भी यदि माल थोड़ी मात्रा में हो, तो 200 किमी0 तक लागत ट्रकों की अपेक्षा रेलों की अधिक बैठती है। 800 किमी0 तक थोड़ी मात्रा में माल भेजा गया तो अनुमानतः दोनों में समान लागत बैठती है।

भारत में सड़क यातायात के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि सड़क परिवहन के कुल प्राप्ति का 22 प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। जबकि रेलों पर इस प्रकार का कोई कर नहीं है। तटीय जहाज रानी पर 8 प्रतिशत तथा जहाजी यातायात पर केवल 10 प्रतिशत कर है। इतने पर भी मोटर यातायात में चालकों की पूँजी 8 से 10 प्रतिशत लाभ के रूप में मिलती है। जबकि रेलें कर मुक्त होने पर भी 6 प्रतिशत से भी कम प्रतिफल दे पाती हैं। यदि सड़क परिवहन की भाँति 12 प्रतिशत प्रतिफल का मापदण्ड लिया जाये तो रेलें घाटे में चलाई जायेंगी।

भारत में प्रत्येक टन मील पर मोटर यातायात हेतु 6 पैसा केवल कर

---

1. नैयर, सी.एस. – 'कम्परेटिव रोल ऑफ रोड एण्ड रेल' इकोनॉमिक टाइम्स, जनवरी, 14, 1969 और कालर, के.एल.– रेल एण्ड रोड ट्रांसपोर्ट कोआरडीनेशन ईस्टर्न, इकोनामिस्ट एनुअल नम्बर, 1969, पृ0 1309–11

के रूप में ही चुकाने होते हैं, जो रेलों की औसत लागत (प्रति मील) के समान है। इस प्रकार रेल व सड़क परिवहन के बीच सरकार पक्षपातपूर्ण नीति बरत रही है।

कुछ भी हो भविष्य में हमें परिवहन नीति इस प्रकार बनानी होगी जिससे ट्रेफिक की मात्रा व दूरी के आधार पर आवंटन हो जाये तथा स्पर्धा की अपेक्षा समन्वय द्वारा उपभोक्ताओं (समाज) को लाभ पहुँचाया जा सके। कुछ समय से रेलों ने कन्टेनर्स के द्वारा माल को ढोने की ऐसी व्यवस्था प्रारम्भ की है, जिसके द्वारा रेलगाड़ियों तथा ट्रकों का समन्वित रूप से उपयोग किया जा सकेगा।

नवम् अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण की समस्या

बेरोजगारी भारतवर्ष की मूलभूत एवं गम्भीर समस्या है। लगभग 60 वर्षों के दीर्घकालीन नियोजन के बावजूद यह देश में व्यापक रूप से फैली हुई है तथा समय के साथ–साथ बढ़ती जा रही है। आज देश का कोई भी क्षेत्र अथवा वर्ग इस समस्या से मुक्त नहीं है। ग्रामीण हो या शहरी, शिक्षित हो या अशिक्षित, आज सभी बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं। बेरोजगारी एक ऐसी बुराई है जिसके दुष्परिणाम देश और समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इससे देश की उत्पादक मानव शक्ति अप्रयुक्त रह जाती है जिसका देश के उत्पादन, पूँजी निर्माण, व्यापार, व्यवसाय और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी से सामाजिक एवं राजनैतिक बुराईयाँ तथा विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लोग अभावग्रस्त, दुःखद जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाते हैं। उनके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने तथा देश की बहुमुखी प्रगति तथा समृद्धि के लिए बेरोजगारी की समस्या का हल ढूँढ़ना अत्यन्त आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे ताकि वह अपनी जीविका चला सके, परन्तु उसे कोई काम न मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा उस स्थिति को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। अन्य शहरों में बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य एवं समर्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है, मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता।[1] इस बेकारी की स्थिति के लिए व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए वह देश या समाज पूर्णतया दोषी है, जिसका कि वह सदस्य है।

बेरोजगारी की समस्या स्वतंत्र भारत की एक गम्भीर समस्या है, जिसका वर्णन अक्सर राजनीतिज्ञ चुनावी क्षेत्रों, आमसभाओं, राज्यों की विधान

---

1. इण्डियन इकोनॉमी – डॉ. जे.पी. मिश्र, पृ0 151

सभाओं तथा लोकसभा इत्यादि सभी स्थानों पर करते हैं। दिनों–दिन यह समस्या अपना भयंकर रूप धारण करती ही जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित वर्ग में तो यह समस्या अपना घर कर गई है। स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने के बाद लाखों की संख्या में नर–नारी प्रतिवर्ष काम की तलाश में इधर–उधर भटकते हुए नजर आते हैं। काम न मिलने पर बहुत से व्यक्ति प्रत्येक वर्ष बहुत सी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। जिस राष्ट्र के कर्णधार नवयुवकों की ऐसी शोचनीय दशा हो, क्या वह प्रगतिशील राष्ट्र कहलाने का अधिकारी है? वास्तव में बिना इस समस्या को हल किये हुए हमारी स्वतंत्रता और पंचवर्षीय योजनायें महत्वहीन हैं। हमारी दृष्टि में तो यह स्वतंत्र भारत की गम्भीर समस्या है।

बेरोजगारी के दुष्परिणाम :

"खाली दिमाग शैतान का घर होता है।" अतः बेकार व्यक्ति हमेशा विध्वंसात्मक बातें सोचता है। उसके अन्दर घृणा, शत्रुता और द्वेष की भावनाएँ जन्म लेती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर, मस्तिष्क, चरित्र और सामाजिक स्तर का पतन हो जाता है। बेकारी की अवस्था में देश में चोरी, डाके, खून और अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। बेरोजगारी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढाँचे को छिन्न–भिन्न कर देती है। इसे भीषण परिणामों का हम निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर सुगमता के साथ अध्ययन कर सकते हैं–

1. आर्थिक दुष्परिणाम –

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। रहन–सहन का स्तर गिर जाता है तथा निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता का बोलबाला हो जाता है।

2. सामाजिक दुष्परिणाम –

लोग भूखों मरने लगते हैं, स्वास्थ्य का गिरना, बेईमानी, काला बाजारी में वृद्धि, शराबखोरी, जुआ, चोरी–डकैती तथा व्यभिचार आरम्भ हो जाता है।

3. बेरोजगारी एक राष्ट्रीय बरबादी –

इससे कार्यक्षमता में कमी जो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी, तालाबन्दी व हड़तालों का होना आरम्भ हो जाता है। शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। राष्ट्र प्रगति के स्थान पर पतन की ओर अग्रसर हो जाता है।

4. राजनैतिक कारण –

सरकार में राजनैतिक स्थायित्व का अभाव हो जाता है, रोज नये–नये राजनैतिक दल अपने स्वार्थ हेतु जन्म लेते हैं। आज भारत में साम्यवादी विचारधारा पनप रही है। आखिर ऐसा क्यों? लोगों के अन्दर धीरे–धीरे संघर्ष करने की भावना जागृत होती जा रही है।

5. अन्य दुष्परिणाम –

औद्योगिक अशान्ति, धन का असमान वितरण, पूँजीपतियों का साम्राज्य, शिक्षण की कमी, लोगों में आपसी सहयोग तथा प्रेम में कमी, अत्यधिक जन्म तथा मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि, मानसिक तथा शारीरिक रूप से पतन होना इसके अन्य दुष्परिणामों में सम्मिलित हैं।

भारत में बेरोजगारी :

भारत में बेरोजगारी अनेक रूपों में पायी जाती है, इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है–

1. खुली बेकारी –

काम ढूँढ़ने पर भी जब लोगों को काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को "खुली बेकारी" कहते हैं। भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो काम की तलाश में दर–दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। किन्तु फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है। भारत में दिनों–दिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि देश की जनसंख्या आथिक साधनों के विकास की तुलना में अधिक गति से बढ़ती चली जा रही है।

2. अर्द्ध या छिपी हुई बेरोजगारी –

जब किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य नहीं मिलता है, किन्तु वह किसी न किसी काम पर बना हुआ होता है, तो वह अर्द्ध या छिपी बेरोजगारी कहलाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कार्यकारी जनसंख्या के व्यवसायात्मक वितरण में उचित संतुलन के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। भारत में बहुत से कृषक परिवारों को इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक है तथा अनार्थिक जोत की संख्या भी अधिक है। गाँवों के अतिरिक्त छिपी हुई बेरोजगारी नगरों में विशेषतः सरकारी कार्यालयों में पाई जाती है। कई स्थानों पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं, कई घरों में स्त्रियों को भी पूरा काम नहीं मिल पाता है, यह भी छिपी हुई बेरोजगारी के उदाहरण हैं।

3. मौसमी बेरोजगारी –

जब किसी व्यक्ति को वर्ष के किसी विशेष मौसम में ही काम मिलता है और वह शेष अवधि में बेकार बैठा रहता है तो यह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। हमारा कृषि का धंधा मौसमी धंधा है, क्योंकि इसमें वर्ष के 12 महीनों में से केवल 6 या 7 महीने तक काम चलता है और शेष अवधि तक हमारा कृषक बेकार बैठा रहता है। मौसमी बेरोजगारी उद्योगों में भी पाई जाती है। जैसे– चीनी उद्योग।

4. अस्थिर बेरोजगारी –

कई बार कुछ काम बंद हो जाते हैं, जिनके कारण श्रमिकों को बेकारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा काम सीखने में समय लगता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को ''अस्थिर बेरोजगारी'' कहते हैं। इसके अन्दर श्रमिक को कुछ समय के लिए ही बेकार बैठना रहना पड़ता है।

5. चक्रीय बेरोजगारी –

मंदी के दिनों में माँग में कमी आने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है, वह ''चक्रीय बेरोजगारी'' कहलाती है। देश–विदेश में वस्तु की माँग की कमी

हो जाने के कारण बहुत से कारखाने बंद हो जाते हैं, इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है।

6. शिक्षित बेरोजगारी –

जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं मिलता है, तो उसे रोजगार की तलाश में दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, तो यह "शिक्षित बेरोजगारी" कहलाती है। आज का शिक्षित व्यक्ति शारीरिक कार्य से घृणा करता है, अपितु वह तो सफेद कालर वाले जॉब की ही तलाश में रहता है। यह भी आज के विद्यार्थी वर्ग में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है, क्योंकि वह जानता है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात् भी उसे रोजगार की तलाश में भटकना पड़ेगा।

तालिका 9.1

भारत में श्रम शक्ति एवं रोजगार

वर्ष	श्रम शक्ति (मि0)	रोजगार (मि0)	बेरोजगारी (मि0)	बेरोजगारी की दर (प्रतिशत)
1951	185.2	181.9	3.3	1.8
1956	197.0	191.7	5.3	2.7
1961	215.0	207.9	7.1	3.3
1978	255.8	249.1	6.7	2.63
1983	286.6	281.2	5.4	1.89
1994	363.5	361.5	7.0	1.89
1996–97	374.2	367.2	7.0	1.87
1997–02	423.4	416.4	7.0	1.66
2002–07	478.8	474.7	4.1	0.86

स्रोत – तृतीय पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना, वोल्यूम 1, पृ0 191

राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दौर के आधार पर बेरोजगार श्रम शक्ति के आँकड़ें वर्ष 1972–73, 1977–78, 1987–88 एवं 1993–94 के उपलब्ध हैं, जो नीचे दी गई तालिका में विभिन्न तीन स्थिति के आधार पर दर्शाये गये हैं–

तालिका 9.2

कुछ चुने हुए वर्षों में बेरोजगारी की दर

स्थिति	1972–73	1977–78	1987–88	1993–94
सामान्य स्तर	1.60	4.23	8.77	2.56
साप्ताहिक स्तर	4.32	4.48	4.80	–
दैनिक स्तर	8.35	8.18	6.09	6.03

स्रोत – आठवीं पंचवर्षीय योजना, (1992–93), वोल्यूम 1, पृ0 134
इण्डियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक, वोल्यूम 36 नं.1, पृ0 120

यद्यपि उपर्युक्त तालिका बेरोजगारी की कोई स्पष्ट स्थिति विगत 21 वर्षों की नहीं दर्शाती, फिर भी यदि हम वर्ष 1987–88 एवं 1993–94 की तुलना करें तो हम पाते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति में रचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। यथा सामान्य स्तर बेरोजगारी 3.77 प्रतिशत से 2.55 प्रतिशत हो गई, जबकि दैनिक स्तर की बेरोजगारी 6.09 प्रतिशत से घटकर 6.03 प्रतिशत हो गई हैं। परन्तु समग्र रूप से कुल बेरोजगारी सतत् बढ़ने की ओर है।

बेरोजगारी की समस्या शिक्षित युवकों में कम नहीं है जोकि 15–29 वर्ष की आयु के हैं। इस प्रकार के लोगों की बेरोजगारी का एक कारण अनुभवशील न होना भी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32वें चक्र से इस वर्ग की बेरोजगारी की विकरालता का आभास मिल जाता है, यद्यपि इस आयु वर्ग के नवयुवक कुल श्रमशक्ति के 11.5 प्रतिशत ही हैं और कुल बेरोजगारी के 33.2 प्रतिशत हैं। इनमें से 23.6 प्रतिशत माध्यमिक स्तर के, 9.4 प्रतिशत स्नातक स्तर के और शेष लगभग 41.8 प्रतिशत अन्य शिक्षित बेरोजगार हैं। इसमें से लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है।

बेरोजगारी समस्या के अभ्युदय तथा विकास के कारण :

बेरोजगारी समस्या का उत्तम समाधान खोजने से पूर्व कारण ज्ञात करना आवश्यक है। भारत में बेरोजगारी के अग्रलिखित कारण हैं–

1. तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो जाना इस समस्या का एक मूल कारण है।
2. हमारे घरेलू उद्योग धन्धों का विनाश हो जाना भी इस समस्या का मूल कारण हैं, क्योंकि इनमें प्रति व्यक्ति पूँजी की लागत कम है। अर्थात् कम पूँजी लगाकर अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है।
3. श्रम की गतिशीलता का अभाव,
4. दूषित शिक्षा प्रणाली,
5. देश का विभाजन होने से भारी संख्या में अपना सब कुछ खोकर भारत में शरणार्थियों का प्रवेश,
6. अधिकांश जनसंख्या का (70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का भाग) प्रत्यक्ष रूप से खेतों के धन्धे पर ही निर्भर होना,
7. पूँजीवादी प्रथा के दोषों के फलस्वरूप श्रमिकों का शोषण होना,
8. भारी कर भार से उद्योगों का प्रसार नहीं शुरू हो पाता,
9. दूषित राजनैतिक वातावरण इस समस्या को सुलझाने के स्थान पर जटिल रूप प्रदान कर रहा है।
10. भूमि का उपविभाजन तथा अपखण्डन तथा गैर कृषकों के हाथों में उसका हस्तान्तरण होने की प्रवृत्ति के कारण भी भूमि रहित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
11. देश में आन्तरिक अवसरों का विकास नहीं हो पाता है।
12. भारत में औद्योगीकरण की गति बहुत धीमी है, जिसके कारण रोजगार के अवसर का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।
13. भारतीय श्रमिक अशिक्षित, अकुशल तथा अप्रशिक्षित हैं, जिसके कारण उसे रोजगार देने में कठिनाई होती है।
14. देश में पूँजी का अभाव होने के कारण हमारे प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है, इसके कारण भी रोजगार के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।

पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की व्यवस्था :

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की व्यवस्था–

तालिका 9.3

शिक्षा स्तर पर युवक श्रमशक्ति एवं बेरोजगारी का विवरण (अंश प्रतिशत)

शिक्षा का स्तर	श्रमशक्ति	बेरोजगार	बेरोजगारी की दर
अशिक्षित	48.9	25.0	3.97
प्राइमरी एवं जूनियर	39.6	1.8	8.17
माध्यमिक	8.8	23.8	21.05
स्नातक एवं उसके ऊपर	2.7	9.4	26.97

स्रोत – सातवीं पंचवर्षीय योजना, पृ0 204

तालिका 9.4

मुख्य क्षेत्रों में रोजगार लोचशीलता

क्षेत्र	उपलब्धि 1983 से 1987–88	उपलब्धि 1983 से 1993–94	1993–94 से 1999–2000
कृषि	0.87	0.70	0.01
खनन एवं उत्खनन	1.25	0.59	–0.41
विनिर्माण	0.59	0.38	0.33
निर्माण	2.81	0.86	0.82
विद्युत	0.30	0.63	–0.52
परिवहन एवं संचार	0.47	0.55	0.63
अन्य योजनाएँ	1.88	1.91	1.01
समस्त	0.68	0.52	0.16

स्रोत – दसवीं पंचवर्षीय योजना, (2002–2007), वॉल्यूम 1, पृ0 163

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में 1983 से 1987–88 की तुलना में 1993–2000 की अवधि में रोजगार लोचशीलता में कमी आई।

तालिका 9.5

श्रम शक्ति की मात्रा एवं प्रतिशत

क्र0सं0	वर्ष	श्रम शक्ति (मिलियन में)	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1.	1978	255.8	–
2.	1983	286.6	2.07
3.	1994	368.5	2.39
4.	1997	397.2	2.27
5.	2002	449.6	2.48
6.	2007	507.9	2.44
7.	2012	562.9	2.06

स्रोत – नौवीं पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम 1, पृ0 23

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि श्रमशक्ति की वृद्धि नौंवीं योजना में सर्वाधिक होगी और फिर उसके पश्चात् धीरे–धीरे कमी आयेगी। वर्ष 1997 में श्रमशक्ति की वृद्धि 2.27 प्रतिशत है, जोकि 2002 में बढ़र 2.48 प्रतिशत हो गयी और फिर 2012 में घटकर 2.05 प्रतिशत पर पहुँचेगी। यदि नौवीं योजना एवं उसके बाद के वर्षों में पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं किये जाते, तो देश में बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि होगी।

तालिका 9.6

भारत में रोजगार कार्यालय एवं उनकी क्रियाएँ

क्र0सं0	वर्ष	1999	2000	2001
1.	रोजगार कार्यालयों की सं0*	870	873	853
2.	पंजीकरण	5966	6042	5583
3.	सृजित रिक्तियाँ	1319	285	304
4.	प्लेसमेंट	221	178	169
5.	कुल रजिस्टर में पंजीकृत	40371	41344	41996

स्रोत – भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, पॉकेट बुक्स ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स,2001–02

* इसमें विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं ब्यूरों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्रमशक्ति एवं रोजगार में क्षेत्रीय विचलन :

देश के अन्दर यदि बेरोजगारी, श्रमशक्ति एवं रोजगार अवसरों के सृजन का गहन विश्लेषण करें, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न क्षेत्रों / राज्यों में श्रमशक्ति की वृद्धि दर एवं रोजगार की दरों में असमानता है। श्रमशक्ति की कमी या वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों की प्रजनन दर पर भी निर्भर करती है। रोजगार सृजन सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है जोकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है।

तालिका 9.7

कुछ बड़े राज्यों में रोजगार सृजन एवं श्रमशक्ति की स्थिति (प्रतिवर्ष प्रतिशत में)

क्र0सं0	राज्य	रोजगार वृद्धि दर (1997-2002)	श्रमशक्ति	
			1997-2002	2002-2007
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.11	2.30	2.34
2.	असम	3.73	2.73	2.79
3.	बिहार*	1.29	2.58	2.85
4.	गुजरात	2.53	2.37	2.18
5.	हरियाणा	3.49	2.99	2.84
6.	कर्नाटक	2.81	2.47	2.26
7.	केरल	1.26	2.30	1.90
8.	मध्य प्रदेश*	2.61	2.39	2.48
9.	महाराष्ट्र	2.54	2.26	2.20
10.	उड़ीसा	2.35	2.10	2.13
11.	पंजाब	0.73	2.27	2.08
12.	राजस्थान	2.71	2.84	2.91
13.	तमिलनाडु	2.00	1.98	1.70
14.	उत्तर प्रदेश*	2.07	2.57	2.68
15.	पश्चिमी बंगाल	2.75	2.52	2.45
16.	भारत	2.44	2.51	2.47

स्रोत – नौवीं पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम 1, पृ0 200

नोट– रोजगार एवं श्रमशक्ति के अनुमान दैनिक स्तर के आधार पर,
* नवगठित राज्य झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल सम्मिलित हैं।

दसवीं योजना (2002-2007) में रोजगार :

दसवीं योजना के दौरान अवसरों के सृजन की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसलिए विगत योजनाओं के रोजगार सृजन कार्यक्रमों में संशोधन एवं सुधार भी किया जा रहा है। नौवीं योजना की तुलना में दसवीं योजना में बेरोजगारी की औसत दर में कमी अनुमानित की गई है। दसवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिनन क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 9.8

कार्य अवसरों का प्रक्षेपण (2002-2007)

क्र0 सं0	क्षेत्र	कार्य अवसर (मिलियन)	
		2002	2007
1.	कृषि क्षेत्र	191.01	191.42
2.	खनन एवं उत्खनन	2.21	2.01
3.	विनिर्माण	42.9	49.51
4.	विद्युत	1.09	0.88
5.	निर्माण	16.16	22.46
6.	थोक एवं फुटकर व्यापार	40.99	52.22
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संवहन	14.92	20.43
8.	वित्त, वास्तविक सम्पत्ति, बीमा एवं व्यवसाय	5.32	7.25
9.	सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ	29.57	26.86
	समस्त क्षेत्र	343.36	373.03

स्रोत – दसवीं पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम 1, पृ0 171

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दसवीं योजना में रोजगार अवसरों के सृजन में वृद्धि होगी। वर्ष 2002 में जहाँ कुल 343.36 मिलियन कार्य अवसरों का सृजन हुआ, वहीं योजना के अन्त में यानी 2007 में यह बढ़कर 373.03 मिलियन हो जायेगा। सर्वाधिक वृद्धि विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार तथा वित्त, बीमा आदि में होगी। कृषि क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है परन्तु प्रतिशत की दृष्टि में कम है।

उत्तर प्रदेश में रोजगार :

उत्तर प्रदेश में सन् 1984 में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत, केन्द्रीय रोजगार में 26.6, राज्य सरकार में 41.1, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में 13.8 तथा स्थानीय निकायों में 18.5 था। सन् 1998 में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 25.7, 39.2, 17.9, 17.2 था। 2004 में 30.4, 37.5, 20.7 तथा 20.4 था, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 9.9

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार

क्र0 सं0	रोजगार	रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत		
		1984	1998	2004
1.	केन्द्रीय सरकार में	26.6	25.7	30.4
2.	राज्य सरकार में	41.1	39.2	20.5
3.	अर्द्धसरकारी कार्यालयों में	13.8	17.9	20.7
4.	स्थानीय निकायों में	18.5	17.2	20.4
5.	कुल	100.0	100.0	100.0
6.	रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या (हजारों में)	1514.0	1635.0	1693.0

स्रोत – प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय, उ0प्र0

उत्तर प्रदेश में रोजगार दफ्तरों द्वारा किया गया कार्य :

सन् 1974 में 823.4 हजार पंजीकृत प्रार्थी थे, जिनमें से केवल 58.1 हजार प्रार्थियों को रोजगार दिलाया गया। वर्ष के अन्त में चालू पूँजी पर अभ्यर्थियों की संख्या 772.8 हजार थी। सन् 1999 में पंजीकृत प्रार्थियों की संख्या 2952.3 हजार थी, जिसमें से केवल 151.9 हजार प्रार्थियों को ही रोजगार प्रदान दिया जा सका तथा वर्ष के अन्त में चालू पूँजी पर अभ्यर्थियों की संख्या 1317.5 हजार थी। सन् 2004 में कुल पंजीकृत प्रार्थी 3926.2 हजार थे, जिसमें से 251.0 प्रार्थियों को ही रोजगार मिल सका, जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 9.10

उत्तर प्रदेश में दफ्तरों द्वारा किया गया कार्य (हजार में)

क्र0सं0	मद	1974	1999	2004
1.	पंजीकृत प्रार्थी	823.4	952.3	926.2
2.	काम दिलाये गये प्रार्थी	58.1	51.9	251.0
3.	सूचित रिक्त स्थान	80.5	79.0	79.1
4.	वर्ष के अन्त में चालू पूँजी पर अभ्यर्थी	772.8	1317.5	3382.0

स्रोत – प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय, उ0प्र0

उत्तर प्रदेश में उद्योगों के अनुसार रोजगार का विवरण :

उत्तर प्रदेश में उद्योग के अनुसार रोजगार का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 9.11

उत्तर प्रदेश में उद्योगों के अनुसार रोजगार

क्र0 सं0	उद्योगों की श्रेणी	रोजगार प्राप्त व्यक्ति (लाख में)					
		1	2	3	4	5	6
1.	कृषि से संबंधित उद्योग	0.53	2.83	212.66	83.52	231.19	77.99
2.	खान एवं खदान	0.03	0.16	0.08	0.03	0.11	0.04
3.	वस्तु निर्माण उद्योग	4.35	23.25	15.57	6.11	19.92	7.29
4.	निर्माण उद्योग	1.16	6.20	0.50	0.20	1.66	0.61
5.	वाणिज्य और व्यापार	0.47	2.51	10.64	4.18	11.11	4.06
6.	यातायात एवं रोजगार	2.93	15.66	1.81	0.71	4.74	1.73
7.	सर्विस	9.24	49.39	13.37	5.25	22.61	8.28
	कुल श्रेणी योग	18.71	100.00	254.63	100.00	273.34	100.00

स्रोत – पर्सपेक्टिव ऑफ दि डेवेलपमेंट ऑफ उ0प्र0, पृ0 81

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की प्रवृत्ति :

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही साथ बेरोजगारी की संख्या में भी भयावह वृद्धि होती जा रही है। सन् 1988 में बेरोजगारी की संख्या 12.92 लाख थी, जोकि सन् 1998 में बढ़कर 23.64 लाख हो गई तथा वर्ष 2008

तक वह 24.63 लाख को पार कर गई है, जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 9.12

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति

क्र0सं0	वर्ष	संख्या (लाख में)	सूचकांक संख्या
1.	1968	2.95	100.0
2.	1969	2.92	98.98
3.	1970	3.39	114.92
4.	1971	4.25	114.07
5.	1972	6.01	203.73
6.	1973	8.10	274.90
7.	1974	8.08	273.90
8.	1975	7.22	244.75
9.	1976	9.46	320.68
10.	1988	12.29	416.61
11.	1998	23.64	462.37
12.	2008	24.63	836.35

स्रोत – पर्सपेक्टिव ऑफ दि डेवेलपमेंट ऑफ उ0प्र0, पृ0 83,94

उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार :

उत्तर प्रदेश में सन् 1973 में 5617 इंजीनियर, 1221 मेडिकल, 2247 कृषि डिग्री होल्डर तथा 20143 अध्यापक बेरोजगार थे। सन् 1974 में इनकी संख्या क्रमशः 4318, 1143, 3280 तथा 22950 हो गई। सन् 1999 में यह संख्या क्रमशः 12730, 2990, 64296 हो गई। इन सबका योग लिया जाये तो सन् 1983 में कुल डिप्लोमा होल्डरों की संख्या 29228 थी जो 1999 में बढ़कर 81790 हो गई तथा मार्च 2008 में कुल प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों की संख्या 155760 हो गई है। जैसाकि निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 9.13

उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों की स्थिति

क्र0सं0	(मैन पावर) श्रेणी	1973	1974	1975	1983	1999	2008
1.	इंजीनियर	5617	4318	5620	7584	12730	135300
2.	मेडिकल	1221	1146	1243	1700	17740	178500
3.	कृषि में डिप्लोमा	2247	3280	2338	2661	2990	393400
4.	अध्यापक	20143	22950	28498	45784	64496	856360
	योग	29228	31694	37699	57729	81790	155760

स्रोत – पर्सपेक्टिव ऑफ दि डेवेलपमेंट ऑफ उ0प्र0, पृ0 81

बुन्देलखण्ड में रोजगार की स्थिति :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के काम करने वाले लोगों में 76.9 प्रतिशत लोग कृषि से सम्बन्धित कार्यों में संलग्न है। कच्चे माल की कमी, धरातलीय विषमता तथा अधिकांश भाग जंगली होने के कारण एवं यातायात का समुचित विकास न होने से इस क्षेत्र में कोई वृहत् उद्योग स्थापित नहीं हो सका है। फलतः इस क्षेत्र में छोटे–छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों का ही जहाँ–तहाँ विकास हो पाया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में काम करने वालों का प्रतिशत वितरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका 9.14

उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों का प्रतिशत विवरण

क्षेत्र	कृषि में कार्य करने वाले	कृषितगत मजदूर	वाणिज्य व व्यापार	यातायात एवं संचार	वस्तु निर्माण उद्योग	अन्य सेवाएं	सम्पूर्ण सेवाएं
पश्चिमी	56.0	15.2	5.2	2.5	9.4	11.7	100.0
मध्यवर्ती	62.7	14.3	4.5	1.9	7.4	9.2	100.0
पूर्वी	54.4	28.3	3.1	1.1	6.3	6.8	100.0
बुंदेलखंड	55.5	25.6	3.5	1.7	5.0	8.7	100.0
उ0प्र0	57.4	20.0	4.1	1.7	6.3	9.5	100.0

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि का काम करने वालों का प्रतिशत 55.5 है। कृषिगत मजदूर 25.6 प्रतिशत, वाणिज्य तथा व्यापार में काम करने वाले 4.1

प्रतिशत, यातायात एवं संचार में 1.7 प्रतिशत, वस्तु निर्माण उद्योग 7.3 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में लगे लोगों का प्रतिशत 9.5 है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आयु के अनुसार काम करने वालों का प्रतिशत विवरण :

निम्न तालिका में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आयु के अनुसार काम करने वालों का प्रतिशत दिया गया है–

तालिका 9.15

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में काम करने वालों का विवरण (2001) (प्रतिशत में)

आयु	पुरुष	स्त्री	योग	ग्रामीण	नगरीय
0–14	4.4	8.8	4.8	5.2	2.7
15–19	8.8	9.8	8.9	9.0	7.9
20–24	20.9	20.9	40.9	10.6	12.7
25–29	42.4	21.9	23.4	12.2	13.9
30–39	32.5	32.3	62.5	22.2	24.2
40–49	27.8	27.3	17.8	17.6	19.2
50–59	12.3	11.0	12.1	12.2	11.6
60 से ऊपर	10.9	8.0	10.6	11.0	7.8

स्रोत – पर्सपेक्टिव ऑफ दि डेवेलपमेंट ऑफ उ0प्र0, पृ0 117

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल काम करने वाले लोगों का 90 प्रतिशत भाग पुरूष वर्ग में है, जिसमें 85.7 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। लगभग 65 प्रतिशत काम करने वाले 25–29 की आयु समूह में आते हैं। अत्याधिक काम करने वालों का विक्रेन्द्रीकरण 62.5 प्रतिशत 20–30 वर्ष आयु समूह में है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर में काम करने वाले लोग :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल काम करने वाले लोगों का 5 प्रतिशत भाग द्वितीय सेक्टर में तथा 12.5 प्रतिशत भाग तृतीयक सेक्टर में है। यह प्रतिशत (द्वितीयक सेक्टर) महोबा में 4.2, हमीरपुर में 5.0, जालौन में 5.2 तथा झाँसी एवं

ललितपुर में 7.4 है। तृतीयक सेक्टर में यह प्रतिशत क्रमशः 7.9, 8.7, 13.3 तथा 19.9 है, जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 9.16

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या (हजार में) (2004)

क्र0 सं0	जिला/क्षेत्र	कुल काम करने वाले	कुल काम करने वाले लोगों का प्रतिशत	
			द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
1.	महोबा	1404	4.2	7.9
2.	हमीरपुर	2323	5.0	8.7
3.	जालौन	2233	5.2	13.3
4.	झाँसी व ललितपुर	3392	7.4	19.9
5.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	213520	5.5	12.5
6.	पश्चिमी क्षेत्र	389980	10.3	17.7
7.	मध्यवर्ती क्षेत्र	449591	7.8	14.8
8.	पूर्वी क्षेत्र	50422	6.7	10.1
	उत्तर प्रदेश	1473341	7.9	14.1

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका झाँसी, पृ0 130

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बेरोजगारी :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में –

सन् 1998 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की संख्या 1.55 लाख थी तथा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3.25 लाख थी, जबकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1998 में पश्चिमी क्षेत्र में 2.88 लाख, मध्यवर्ती क्षेत्र में 2.45 लाख, पूर्वी क्षेत्र में 2.79 लाख थी।

2. शहरी क्षेत्रों में –

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या सन् 1998 में 2.50 लाख थी, जबकि कुल रोजगार प्राप्त (शहरी) लोगों की संख्या 5.25 लाख थी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (शहरी और ग्रामीण) रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 8.34 लाख थी तथा बेरोजगारों की संख्या 10.30 लाख थी, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है–

तालिका 9.17

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार तथा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

क्र0 सं0	जिला/क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी	
		बेरोजगार	रोजगार प्राप्त	बेरोजगार	रोजगार प्राप्त
1.	पश्चिमी क्षेत्र	2.88	3.85	2.53	4.34
2.	मध्यवर्ती क्षेत्र	2.45	2.61	2.33	6.40
3.	पूर्वी क्षेत्र	2.79	40.70	1.36	6.49
4.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	1.55	3.29	2.50	5.25

स्रोत – पर्सपेक्टिव ऑफ दि डेवेलपमेंट ऑफ उ0प्र0, पृ0 81

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि जो समस्या हमारे देश और प्रदेश में बेरोजगारी की दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लगभग वही प्रवृत्ति इस पिछड़े हुए क्षेत्र में है। यहाँ जो भी रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं, वे लघु उद्योगों में ही कार्यरत हैं, जैसे– बीड़ी उद्योग, लकड़ी, मिट्टी के खिलौने, दस्तकारी, छोटे–छोटे औजार तथा कृषि से सम्बन्धित औजार इत्यादि। वृहत उद्योगों का आभाव है। हालांकि सरकार इस बेरोजगारी को दूर करने का हरसम्भव प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या सरकार द्वारा चलाये गये हर एक नियोजन को पीछे ढकेल दे रही है। प्रशिक्षण संस्थाओं का भी इस क्षेत्र में काफी आभाव है। केवल झाँसी जनपद में एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है (1971 जनगणना के आधार पर)। झाँसी में प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत एक पॉलीटेक्निक, एक जूनियर ट्रेनिंग स्कूल, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, सरकार द्वारा निर्बल छात्रों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों की सहायता के साथ–साथ 300 विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या इस क्षेत्र में अपना भयंकर रूप धारण करती जा रही है। इस समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव आगे दिये जा रहे हैं–

बुन्देलखण्ड में बेरोजगारी की समस्या का समाधान :

मेरा मत है कि योजनाकाल में किये गये अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस समस्या में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। अतः इसके समाधान के लिए चारों ओर से प्रहार करने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं–

1. शिक्षा प्रणाली में सुधार,
2. कुटीर उद्योगों के विकास पर बल
3. निर्माण कार्यो पर बल,
4. जनसंख्या नियोजन,
5. औद्योगिक विकास
6. श्रम की गतिशीलता मे वृद्धि,
7. कृषि का विकास,
8. रोजगार कार्यालयों में कार्यविधि में सुधार,
9. दृष्टिकोण में परिवर्तन,
10. सही आँकड़ों का प्रकाशन,
11. बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
12. अवकाश ग्रहण करने की आयु में कमी।

यह भी समझा जाता है कि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशें को जहाँ पर बेरोजगारी से सम्बन्धित एक सबसे बड़ा सामूहिक निर्णय लेना है, वह है प्रौद्यागिकी का चयन। यह नहीं बताया जा सकता कि वांछिनीय क्या है, क्या नहीं? केवल ठोस तथ्यों की ओर ही ध्यान आकर्षित कराया जा सकता है। इस नीति के विपक्ष में बहुत से तर्क दिये जा सकते हैं, लेकिन यह समझा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी तर्क उचित नहीं होगा। अब हमारे समक्ष दो ही विकल्प आते हैं– एक तो, पूँजीकरण के उच्च स्तर पर थोड़ी संख्या में नये अवसर, दूसरे, पूँजीकरण की अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में नये रोजगार के अवसर। दूसरे विकल्प को ही मान्यता दी जा सकती है।

यदि विकासशील देश धनी देशों की तकनीक पर निर्भर होंगे तो निश्चय ही शोषण की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस तरह गरीब धनी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में रिक्त पूरकों की ही भूमिका निभाते रहेंगे। निष्कर्ष यह है कि प्रौद्योगिकी के इस स्तर पर गरीब देशों के लिए पूर्ण रोजगार या आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुँचना असम्भव है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी मशीनों के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन इस बात से सहमति गलत है, क्योंकि कुछ देश जैसे– जापान, कोरिया और ताईवान आदि ने बहुत ही कम पूँजी से रोजगार के उच्च स्तर प्रदान किये हैं। इस बात पर जोर नहीं देना है कि भारत की सभी भीषण समस्याओं का यह अन्तिम समाधान होगा, लेकिन मूल समस्या का निदान तो हो ही जायेगा, क्योंकि आज देश की एक विशालकाय जनसंख्या का जीवन बेरोजगारी के कारण न केवल निर्धनता से ग्रस्त है, बल्कि मायूसी का शिकार भी है।

कृषि एवं ग्रामोद्योग – एक विकल्प :

बेरोजगारी किसी भी देश की सबसे बड़ी शत्रु है। इस समस्या का उन्मूलन किया जाना अपरिहार्य है, नहीं तो वह हमारा सभ्य राष्ट्रों के समाज के सम्बन्ध विच्छेद कर देगी। यदि इसे कम कर दिया जाये तो गरीबी और आय की असमानता भी कम हो जायेगी। जिस प्रकार एक सेना के मापदण्ड का मनोबल यह है कि वह अपने घायल सिपाहियों की परवाह किस प्रकार करती है और उन्हें रणभूमि के खतरों से बचाने के लिए कितनी जोखिम उठाती है। ठीक इसी प्रकार किसी अर्थनीति की गुणवत्ता का मापदण्ड यह है कि वह अपने जर्जर, दुर्बल, बेरोजगार, मूक तथा असहाय नागरिकों का उद्धार किस प्रकार करती है और उस समस्त जनसंख्या को, जो अभावग्रस्त है और ज़िन्हें एक समय ही भोजन कठिनाईयों से मिलता है, किस प्रकार राहत प्रदान करती है। हमारे देश की एक सबसे बड़ी विडम्बना यह भी है कि एक तरफ तो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और दूसरी ओर वस्तुओं व सेवाओं का अभाव है। इस समस्या के समाधान के लिए तीन मुख्य कारण हो सकते हैं–

1. कृषि, जिसमें उससे सम्बन्धित प्रक्रियायें सम्मिलित हैं,
2. गांवों में निर्माण कार्य,
3. ग्रामोद्योग।

देश की जहाँ तीन–चौथाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, वहीं गाँवों का कमरतोड़ गरीबी और बेरोजगारी से उद्धार करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुठ्ठी भर शहरों को अधिक सम्पन्न करने के लिए गाँवों का शोषण एवं दोहन होता रहे, यह जरा भी मान्य नहीं है और न होगा। विशालकाय कारखानों की चक्की को चलाने की अपेक्षा झोपड़ी में अपने आवश्यकताओं की पूर्ति एवं शहरों के लिए भी माल तैयार करने वाले ग्रामोद्योग के गुंजन को अधिक उचित मानना होगा। यदि जापान एवं स्विट्जरलैण्ड के हजारों, लाखों ग्रामीणों को उनके घरों में रोजगार दिया जा सकता है, तो भारत में क्यों नहीं दिया जा सकता है? बेरोजगारी एक सामाजिक कलंक है, जिसका नैतिक प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है। ग्रामोद्योग रोजगार के अवसरों को प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। जहाँ पर पूँजी की कमी और श्रम की अधिकता हो, वहीं पर ग्रामोद्योग ही एकमात्र समाधान है। यदि हम ग्रामोद्योग के महत्व को नकारते हैं, तो मानवता के साथ ही साथ अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को भी नकारते हैं। जैसे– अत्यधिक जनशक्ति, अत्यधिक बेरोजगारी तथा अलपरोजगार आदि। वह कोई भी तकनीक जो श्रम की बरबादी करती है और लोगों को रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करती, वह बहुत बुरी है।

ग्रामोद्योग ही श्रम प्रधान उद्योग है जोकि लोगों को अधिक रोजगार में लगा सकने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए कुटीर माचिस उद्योग 1985 में देश को कुल माचिस उत्पादक का 0.02 प्रतिशत उत्पादित करता था, उसमें 2000 से अधिक लोग नियोजित थे, जबकि बड़े पैमाने के माचिस उद्योग में जहाँ कुल उत्पादन का 55 प्रतिशत भाग उत्पादित किया जाता था, उसमें केवल 6000 लोग नियोजित थे। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जहाँ पूँजी की दुर्लभता और श्रम की बहुलता है, वहाँ पर ग्रामोद्योग ही बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि बेरोजगारी भारत की पृष्ठ भूमि में भैरव का रूप धारण कर चुकी है। आज राष्ट्र का प्रत्येक शुभचिन्तक इस समस्या का समुचित हल ढूँढ़ने में व्यस्त है। रोजगार देना राज्य का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है। बिना इस समस्या को हल किये एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करना स्वप्न तुल्य ही माना जाता है। हमें अपनी आर्थिक प्रणाली का नियोजन इस प्रकार से करना होगा जिससे कि उत्पादन तथा उपभोग में उचित सन्तुलन स्थापित हो जाये। भारत में इस समय सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। यदि उचित समय में इस समस्या का हल नहीं किया गया तो डर है कि ये ''बेकार मस्तिष्क'' कहीं देश के वर्तमान राजनैतिक कलेवर में एक नवीन क्रान्ति के कारण न बन जायें। अतएव इस महत्वपूर्ण मानव समस्या को हल करने के लिए एक दीर्घकालीन नीति को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे एक ओर तो रोजगार के साधनों में वृद्धि की जाये तथा दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावपूर्ण तरीके से रोका जाये। हमारी उद्योग नीति को पूँजी प्रधान होने के बजाये श्रम प्रधान बनाने की आवश्यकता है। हमारी सम्मति में इस समस्या का समाधान केवल नारेबाजी करने, झूठे आश्वासन देने, समय के अनुकूल भाषण देने व कागज पर लम्बी योजनायें बनाये जाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज की आवश्यकता है सही दिशा में सही कदम उठाने की। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व सरकार का है। अतएव उसे अपने इस दायित्व को पूरा करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमारी सरकार 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के साधनों का हरसम्भव तरीके से विकास कर रही है।

दशम् अध्याय

सारांश : निष्कर्ष एवं सुझाव

आधुनिक युग में आर्थिक विकास ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा समाज अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आर्थिक विकास के अभाव में किसी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्धनता व बेरोजगारी को मिटाने के लिए आर्थिक विकास ही एक मात्र सर्वोत्तम उपाय है। आर्थिक विकास के फलस्वरूप देश में नये-नये उद्योगों का विकास होता है तथा नये उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधनों का समुचित उपयोग होने से उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय अपने उच्च स्तर तक पहुँचने लगती है।

आर्थिक विकास से अभिप्राय उस दर से है, जो अल्प विकसित देशों को जीवन निर्वाह स्तर से ऊँचा उठाकर अल्पकाल में ही उच्च स्तर जीवन प्राप्त करता है, जबकि इसके विपरीत विकसित देशों के लिए आर्थिक विकास का आशय वर्तमान आर्थिक वृद्धि की दर को बनाये रखना है। इस प्रकार आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश के अर्थव्यवस्था के एक नहीं वरन् सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा देश की निर्धनता को दूर करके नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। इस संदर्भ में प्रो0 मेहता का कथन उचित है- ''मानव विकास भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उनके जीवन की सामाजिक सुधार से भी सम्बन्धित है। अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है किन्तु आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।'' आर्थिक विकास द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करके अर्थव्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले जाया जा सकता है।

आर्थिक विकास के कारण पूँजी निर्माण और विनियोग दर में वृद्धि होती है, जिससे पूंजी की गतिशीलता बढ़ जाती है। आर्थिक विकास से ही देश में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। नये-नये उद्योगों का विकास होने के

कारण उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का चुनाव क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है और उसे इच्छित वस्तुएं उपभोग करने के लिए मिल जाती हैं।

क्षेत्रीय आर्थिक विकास का अर्थ देश के विभिन्न क्षेत्रों का समान विकास होना नहीं है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि किसी क्षेत्र की क्षमताओं के अनुसार उसकी संभावनाओं का पूर्णतम विकास हो, ताकि सभी क्षेत्रों के निवासी समग्र आर्थिक वृद्धि के लाभ उठा सकें। क्षेत्रीय आर्थिक विकास का तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक राज्य में आत्मनिर्भरता हो और न ही इसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य के औद्योगीकरण का स्तर समान या आर्थिक ढाँचा एक जैसा हो अपितु इसका अर्थ यह है कि आर्थिक रूप से जहाँ तक संभव हो, वहाँ तक उद्योगों के पिछड़े हुए क्षेत्रों में दूर–दूर तक विसरण करना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन ''बुन्देलखण्ड की आर्थिक समस्यायें एवं उनका समाधान'' विषय का चयन किया गया है। ताकि शोध के निष्कर्षों के आधार पर क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाकर उन्नत क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर तक ले जाया जाए, ऐसा कृषि, उद्योगों, व्यापार या वाणिज्य के विकास के माध्यम से किया जा सकता है।

भारत जैसा विशाल देश क्षेत्रीय एवं आर्थिक विविधता एवं विषमता से भरा हुआ है। भारत में जहां एक ओर एक अरब से ऊपर जनसंख्या है तथा 28 राज्य एवं 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं, वहीं ये राज्य भी स्वयं में विषमता से भरे हैं। इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश एक विशालतम् राज्य है। प्रशासनिक एवं नियोजनगत आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है–

1. पूर्वी क्षेत्र
2. बुन्देलखण्ड क्षेत्र
3. पश्चिमी क्षेत्र
4. केन्द्रीय या मध्यवर्ती क्षेत्र।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र सम्पूर्ण उ0प्र0 के क्षेत्रफल का लगभग 12 प्रतिशत है तथा यहां सम्पूर्ण उ0प्र0 की 5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। वस्तुस्थिति

यह है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रति वर्ग किमी0 280 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में 776 व्यक्ति, पश्चिमी क्षेत्र में 767 व्यक्ति तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 658 व्यक्ति निवास करते हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सात जिले हैं– जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा तथा चित्रकूट। ये सभी जनपद आज की अपेक्षा एवं संभावनाओं के अनुरूप विकास नहीं कर पाये हैं।

संभवतः यह आश्चर्य तथा दुःख की बात है कि पिछले 57 वर्षों की योजनावधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पूर्णतः उपेक्षा की गयी है। अतः यह सोचना कि यहां विकास की गति बढ़ेगी, गरीबी मिटेगी या किसानों की हालत सुधरेगी, बहुत मुश्किल है। आर्थिक विकास के क्रम में और विशेषकर क्षेत्रीय विकास के क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक हो सकता था, परन्तु प्रदेशीय सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा तथा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के कारण, जिसमें वित्त की समस्या प्रमुख है, यह क्षेत्र गम्भीर रूप से अविकसित है। यदि शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका प्रभाव उ0प्र0 के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और निश्चय ही विकास क्रम में व्यवधान उत्पन्न हो जायेगा।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं को अवगत कराना एवं उनके निराकरण के लिए प्रमुख सुझाव देना है। शोध अध्ययन की विषय सामग्री के क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का परिचय, प्राकृतिक साधन, योजनाकाल में विकास, सिंचाई, औद्योगीकरण, रोजगार एवं प्रशिक्षण, यातायात एवं विकास आदि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास किया गया है। शोध प्रबन्ध की प्रस्तावना के अन्तर्गत अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र, तथ्यों का संकलन एवं शोध रीति तथा क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सम्पूर्ण शोध सामग्री को 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न विद्वानों की विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वान आर्थिक विकास का आधार राष्ट्रीय आय को मानते हैं, तो कुछ

अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय को। मायर एवं बाल्डविन ने वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास माना है। जबकि प्रो0 लोविस तथा प्रो0 विलियम के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का परिचायक है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सर्वांगीण विकास को आर्थिक विकास माना है। प्रो0 डी0 ब्राइट सिंह के मत में ''आर्थिक वृद्धि का अर्थ एक देश के समाज के अविकसित स्थिति से आर्थिक उपलब्धि के उच्च स्तर में परिवर्तन होने से है।

द्वितीय अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का भौगोलिक एवं आर्थिक परिचय प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र के भौगोलिक परिचय के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र की स्थिति, सीमा, विस्तार, क्षेत्रफल, जनांकिकीय विशेषतायें तथा आर्थिक विकास के अन्तर्गत जनपदवार क्षेत्र में श्रम शक्ति, प्रति व्यक्ति आय एवं आर्थिक महत्व का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जनपद की स्थिति, सीमा, विस्तार, जनसंख्यात्मक विशेषतायें, साक्षरता, श्रम, रोजगार की स्थिति, खाद्यान्न उत्पादन, वित्तीय संस्थान, व्यापार, उद्योग, पशुपालन एवं मत्स्य, परिवहन, दूरसंचार व्यवस्था, विद्युत तथा खनिज आदि प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय में , बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास पर प्रकाश डाल गया है। इसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास तथा जनपदों की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही कृषिगत विकास के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के प्रारूप, कृषि उत्पादन, कृषि श्रम की स्थिति का वर्णन किया गया है। औद्योगिक विकास के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उद्योगों का वर्णन, औद्योगिक उत्पादन, स्थापित लघु एवं लघुतर उद्योगों की जनपदवार प्रगति का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में योजनाकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। इसके अन्तर्गत भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना तक हुए आर्थिक विकास का वर्णन किया गया है तथा उ0प्र0 का

विभिन्न परियोजनाओं में हुए आर्थिक विकास का वर्णन तथा विभिन्न योजनावधि में भारत में हुए विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही विभिन्न योजना कालों में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हुए आर्थिक विकास का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र को प्राप्त केन्द्र सरकार से सहायता, राज्य सरकार से प्राप्त सहायता का वर्णन किया गया है। साथ ही सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों की भी चर्चा की गई है।

पंचम अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की वर्तमान आर्थिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि से सम्बन्धित समस्याओं, उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं, रोजगार, परिवहन तथा वित्त एवं शैक्षणिक समस्याओं का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया गया है तथा समस्याओं के कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए सुझावों को भी दर्शाया गया है।

छठें अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्तता तथा कृषि पर उसके प्रभाव का विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत सिंचाई का महत्व, उसकी आवश्यकता, भारत में तथा उ0प्र0 में प्रयुक्त सिंचाई के साधन तथा सिंचित क्षेत्रफल, सिंचाई परियोजनायें, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की जनपदवार स्थिति– प्रयुक्त साधन, सिंचित क्षेत्रफल, क्षेत्र की सिंचाई से सम्बन्धित समस्यायें तथा समस्याओं के कारणों का विश्लेषणात्म्क वर्णन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही विकास हेतु उचित सुझाव भी दिये गये हैं।

सातवें अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगीकरण की प्रमुख समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में औद्योगीकरण का अर्थ, महत्व, उसके उद्देश्य, भारत में औद्योगीरकण की समस्याओं का भी वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में जनपदवार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों, इसकी समस्याओं, समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है तथा क्षेत्र के औद्योगीकरण हेतु आवश्यक सुझाव भी दिये गये हैं।

आठवें अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यातायात के विकास एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत यातायात

की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उपलब्ध
ा यातायात के संसाधनों का वर्णन जनपदवार किया गया है। इसी अध्याय में सड़क यातायात के साथ–साथ रेल यातायात की प्रमुख समस्याओं एवं उनके विकास हेतु उपयुक्त सुझावों का भी वर्णन किया गया है।

नवें अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण की समस्याओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बेरोजगारी की समस्या, भारत में बेराजगारी तथा रोजगार की स्थिति का वर्णन एवं उ0प्र0 में बेरोजगारी तथा रोजगार की स्थिति के साथ ही बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बेरोजगारी तथा रोजगार की स्थिति एवं बेरोजगारी की समस्या एवं उनके समाधान हेतु सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

अन्तिम अध्याय अर्थात् दसवें अध्याय के अन्तर्गत प्रत्येक अध्याय का सारांश, निष्कर्ष एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

शोध क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो कहीं न कहीं सरकारी उपेक्षा का शिकार रहा है। यह क्षेत्र प्रथम दृष्टया तो कृषि क्षेत्र ही है परन्तु औद्यागिक विकास की भी संभावनायें यहां विद्यमान हैं। अशिक्षा एवं निर्धनता के कारण बुन्देलखण्ड संभाग उ0प्र0 के सर्वाधिक पिछड़े संभाग में आता है। पिछले कुछ वर्षों से सूखे की स्थिति के कारण इस क्षेत्र की दशा और भी दयनीय हो गयी है। अध्ययन के दौरान बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों की कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रकाश में आये कि कृषि संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भूमि की उर्वरता भी समुचित है किन्तु कृषि आदान यथा वित्तीय संसाधन, सिंचाई की सुविधायें, उन्नतशील बीज, खाद, कीटनाशक औषधियां एवं फार्म मैनेजमेंट आदि सुविधायें न होने के कारण कृषि संसाधनों का समुचित विदोहन नहीं हो पाता है और न ही कृषि उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हो पाती है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में अधिकांश कृषक अपनी भूमि से एक ही उपज ले पाते हैं और वर्ष के अधिकांश समय में बेरोजगार हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में कृषि श्रमिकों का बाहुल्य है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्र में बड़े उद्योगों की संख्या न के बराबर ही है। सामान्यतः जनपद में छोटे पैमाने के उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा गृह उद्योग ही कार्यरत हैं जिनमें कागज उद्योग, बालू की खनन, ग्रेनाईट, पत्थर उद्योग, सीमेन्ट, चमड़ा, कालीन, फर्नीचर, हथकरघा वस्त्र, आयुर्वेदिक औषधियां, जूते, खाद्य तेल, कृत्रिम औजार आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में मुख्यता कृषि आधारित उद्योग ही विकसित हुए हैं। उद्योगों के विकास में आने वाली बाधाओं में मुख्य रूप से पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, विपणन सम्बन्धी कठिनाईयां, तकनीकी शिक्षा का अभाव, बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता आदि सम्मिलित है, जिसकी वजह से बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास की गति अत्यन्त ही धीमी है।

विभिन्न जिलों के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि बुन्देलखण्ड में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के जो प्रयास किये गये हैं, वह क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल साबित नहीं हो सके हैं। राजघाट, माताटीला, पारीक्षा आदि विद्युत गृहों से क्षमताओं के अनुरूप विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में कई प्रकार की बाधायें उत्पन्न होती रहती हैं जिनमें जल स्तर का कम होना, ग्रिडों का जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होना एवं आउटेज आदि मुख्य है। क्षेत्र के विद्युत गृहों के विद्युत उत्पादन का एक बड़ा भाग राज्य के अन्य हिस्सों की आपूर्ति भी करता है। इन समस्त समस्याओं के कारण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एक बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है, जो अपने आप में क्षेत्र के उद्योगों के विकास एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए एक बड़ी बाधा है।

अध्ययन में यह भी पता चला कि यद्यपि कुछ समय पहले तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संचार सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, लेकिन दूर संचार के क्षेत्र में आने वाली क्रान्ति का असर वर्तमान में इस क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। विभिन्न सरकारी एवं निजी कम्पनियों द्वारा टेलीफोन, मोबाइल, इण्टरनेट आदि की सेवायें दी जा रही हैं, जिसमें सरकारी तंत्र द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन आज भी बुन्देलखण्ड

के छोटे ग्रामों की जनता इण्टरनेट आदि तकनीकों से होने वाले लाभों एवं इसके उपयोगों से वंचित है।

यातायात एवं परिवहन सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आते हैं कि बुन्देलखण्ड में रेल यातायात से सम्बन्धित जो कार्य ब्रिटिश शासनकाल में किये गये थे, उनके बाद कोई विशेष प्रयास इस क्षेत्र में नहीं किये गये हैं। क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों जालौन, झांसी, बांदा, महोबा आदि में रेल यातायात की सुविधायें तो हैं, लेकिन काफी कम क्षेत्र ही इन सेवाओं का उपभोग कर पाता है। ज्यादातर क्षेत्र में इकहरी रेलवे लाईन है। इसके अलावा समस्त जिलों में बड़ी संख्या में उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा बसें चलायी जा रही हैं। लेकिन मुख्य रास्तों पर न आने वाले गांवों के लिए सड़क परिवहन अभी भी गम्भीर समस्या बना हुआ है। मुख्य मार्गो के अलावा अन्य मार्गों की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। कमजोर यातायात एवं परिवहन व्यवस्था का असर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए इस क्षेत्र के विकास हेतु कई कार्य किये जा सकते हैं। इनमें सर्वप्रथम कृषि के विकास हेतु प्रयत्न करने होंगे। कृषि से सम्बन्धित उद्योग भी विकसित करने होंगे, क्योंकि इससे दो प्रमुख लाभ मिलेंगे– (क) किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति तथा (ख) नये लोगों को गृह एवं लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति। ये दोनों बातें इस क्षेत्र हेतु विशेष आवश्यक हैं।

कृषि तथा कृषि सम्बन्धित उद्योग के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पूरे उ0प्र0 में चल रहे हैं। छठी योजना में कहा गया है कि ''प्रदेश की कुल आय में कृषि आय लगभग 50 प्रतिशत से अधिक है तथा प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों में से 78 प्रतिशत कृषि में लगे हुए हैं।'' ठीक इसी भाँति दसवीं योजना में कृषि विकास हेतु निम्नांकित कार्य किये गये हैं–

के छोटे ग्रामों की जनता इण्टरनेट आदि तकनीकों से होने वाले लाभों एवं इसके उपयोगों से वंचित है।

यातायात एवं परिवहन सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आते हैं कि बुन्देलखण्ड में रेल यातायात से सम्बन्धित जो कार्य ब्रिटिश शासनकाल में किये गये थे, उनके बाद कोई विशेष प्रयास इस क्षेत्र में नहीं किये गये हैं। क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों जालौन, झांसी, बांदा, महोबा आदि में रेल यातायात की सुविधायें तो हैं, लेकिन काफी कम क्षेत्र ही इन सेवाओं का उपभोग कर पाता है। ज्यादातर क्षेत्र में इकहरी रेलवे लाईन है। इसके अलावा समस्त जिलों में बड़ी संख्या में उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा बसें चलायी जा रही हैं। लेकिन मुख्य रास्तों पर न आने वाले गांवों के लिए सड़क परिवहन अभी भी गम्भीर समस्या बना हुआ है। मुख्य मार्गो के अलावा अन्य मार्गों की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। कमजोर यातायात एवं परिवहन व्यवस्था का असर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए इस क्षेत्र के विकास हेतु कई कार्य किये जा सकते हैं। इनमें सर्वप्रथम कृषि के विकास हेतु प्रयत्न करने होंगे। कृषि से सम्बन्धित उद्योग भी विकसित करने होंगे, क्योंकि इससे दो प्रमुख लाभ मिलेंगे– (क) किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति तथा (ख) नये लोगों को गृह एवं लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति। ये दोनों बातें इस क्षेत्र हेतु विशेष आवश्यक हैं।

कृषि तथा कृषि सम्बन्धित उद्योग के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पूरे उ0प्र0 में चल रहे हैं। छठी योजना में कहा गया है कि "प्रदेश की कुल आय में कृषि आय लगभग 50 प्रतिशत से अधिक है तथा प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों में से 78 प्रतिशत कृषि में लगे हुए हैं।" ठीक इसी भाँति दसवीं योजना में कृषि विकास हेतु निम्नांकित कार्य किये गये हैं--

1. पर्यावरण संतुलन जैसे भूमि एवं जल का प्रबन्ध, फसल चक्र, भूमि उर्वरता को बढ़ाना।
2. सिंचित एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध जल का सर्वोत्तम प्रयोग करना,
3. खरीफ एवं जायद ऋतु में परती भूमि का कम करना,
4. शुष्क खेती, अन्तराल शस्य कार्यक्रम चलाना,
5. सुरक्षित भण्डारण एवं बाढ़ नियंत्रण करना, तथा
6. लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रोत्साहन देना।
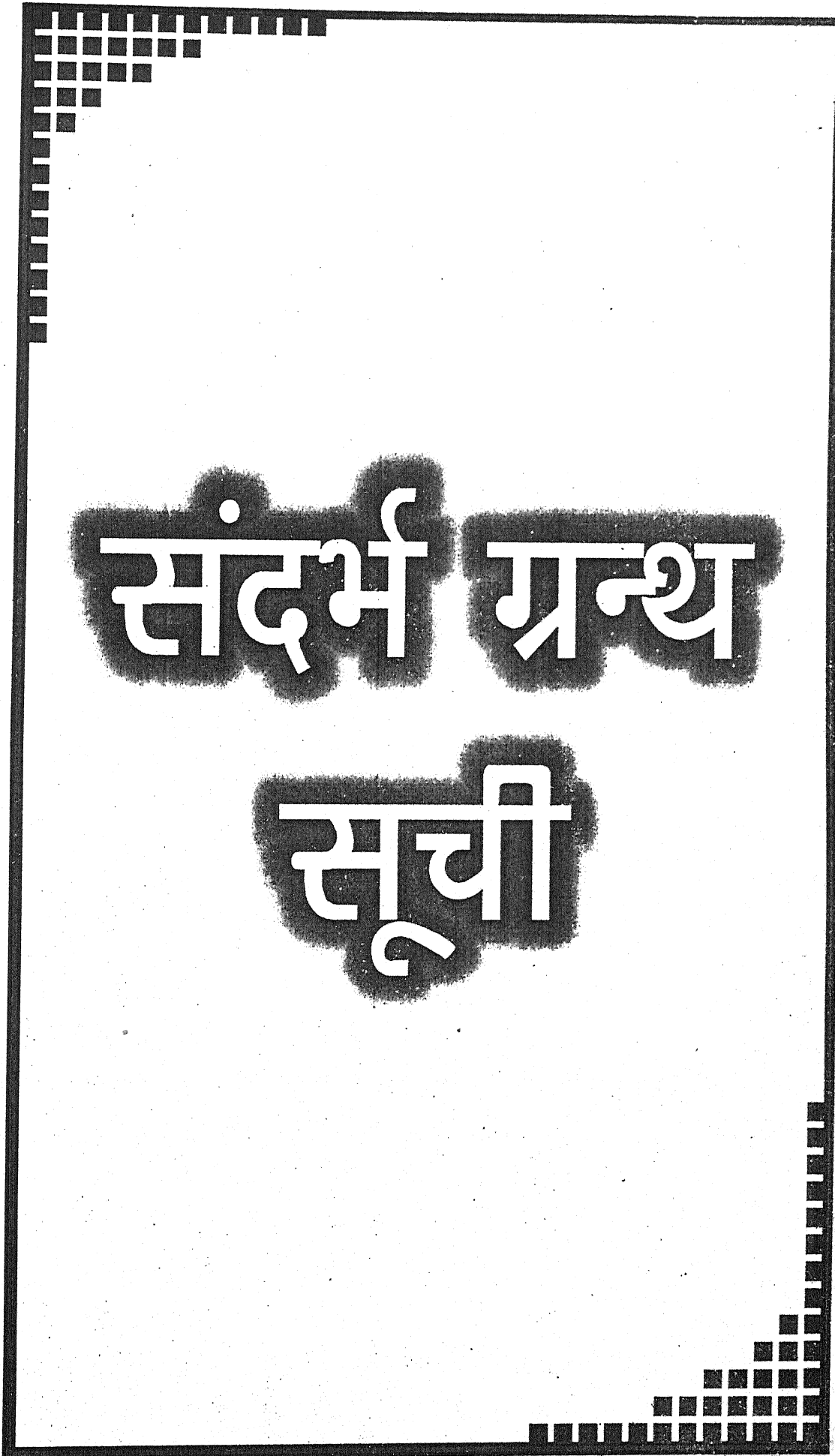
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी इन कार्यक्रमों के अपनाने पर बल दिया जायेगा एवं शुष्क खेती हेतु प्रयत्न किये जायेंगे। इसी प्रकार छठीं योजना में वृहत एवं मध्यम उद्योगों हेतु 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि या विकास दर की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों हेतु 15 प्रतिशत से 16 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की परिकल्पना है। औद्योगिक न्यूनताओं को देखते हुए कम से कम 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत वृद्धि दर आवश्यक है। छठी योजना में उद्योग एवं खनिज कार्य हेतु वृहत् एवं मध्यम उद्योगों के लिए 148 करोड़ रूपये, चीनी उद्योग के लिए 90 करोड़ रूपये, ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिए 125 करोड़ रूपये एवं भूतत्व एवं खनिज कार्य हेतु 18.10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसका लगभग 10 प्रतिशत भाग ही बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु व्यय होने की संभावना की जा सकती है क्योंकि पांचवीं योजना में केवल 8 प्रतिशत के लगभग ही परिव्यय वास्तविक रूप से व्यय हुए हैं।

निष्कर्ष के रूप में उपरोक्त वास्तविकताओं एवं आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जब तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, तब तक न तो क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और न ही यहाँ की निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या का निवारण हो सकेगा।

यहां इस लक्ष्य हेतु सामान्य सुझाव के रूप में निम्नांकित मुख्य तत्व आवश्यक है–

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अतएव कृषि विकास हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। चूंकि अभी भी लगभग आधे भू–भाग की सिंचाई हो पाती है। अतः सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने पर सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का विस्तार एवं ट्यूब वैल की योजनाओं के व्यापक विस्तार द्वारा सम्भव है। सिंचाई की व्यवस्था होने से कृषक दो या तीन फसल उगा सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
2. कुटीर तथा सहायक उद्योगों हेतु सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाये तथा राज्य सरकार उनकी सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे।
3. जिन उद्योगों में उत्पादन के लिए कच्चा माल मिल क्षेत्र से प्राप्त होता है, उन पर से उत्पादन कर हटा लिया जाये।
4. उपभोक्ता सहकारी भण्डारों तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों की इकाइयों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हों।
5. पूंजी की पूर्ति हेतु सहकारी बैंकों की स्थापना की जाये जो शिल्पकारों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण दे सके।
6. शिक्षा का प्रसार करके नवीन प्रविधियों के लाभ शिल्पकारों को बताये जायें।
7. उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने से रोजगार में भी वृद्धि होगी तथा मुद्रा स्फीति का प्रभाव कम होगा, जिससे सामान्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा।
8. कच्चे माल की पूर्ति पर नियंत्रण सीमा नहीं होनी चाहिए। इससे छोटे उद्योगपतियों को सुविधा रहती है।
9. औद्योगिक बस्तियों तथा उनमें स्थित इकाईयों में तालमेल बैठाना भी आवश्यक है।
10. लघु तथा बड़े उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शनियों की भी व्यवस्था समय–समय पर राज्य सरकार की ओर से की जानी चाहिए।

11. उत्पादन का विशिष्ट क्षेत्र लघु एवं गृह उद्योगों हेतु सुरक्षित रखा जाये। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल का निर्यात बढ़ाने के लिए हरसम्भव सहायता प्रदान की जानी चाहिए, उनके द्वारा उत्पादित माल की किस्म में सुधार लाने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए।
12. प्रशिक्षण की सुविधाएं कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन तकनीक के पक्ष में बढ़नी चाहिए।
13. सड़क परिवहन की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
14. कृषि साख व्यवस्था में सुधार करना होगा। सहकारी संस्थाओं में अनेक प्रकार की अनियमिततायें हैं, जिनको बार–बार की जांच, सहायता एवं प्रशासनिक चुस्ती के द्वारा दूर किया जा सकता है।
15. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तथा गुण में सुधार लाने के लिए कृषकों को आवश्यक शिक्षण तथा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे उत्पादन के आधुनिक तरीकों का उपयोग कर सकें।
16. कृषि विकास हेतु विशेष प्रयत्न होने चाहिए। जैसे सूखे क्षेत्र में खेती प्रारम्भ की जाये। इसी के साथ भूरक्षण तथा पौधों की रक्षा के लिए प्रयत्न होने चाहिए।
17. कृषक को अपने उत्पादन का समुचित मूल्य मिल सके, इसके लिए विपणन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए सहकारी विपणन समितियों की स्थापना एवं उनके विकास पर बल दिया जाना चाहिए।
18. भारतीय कृषकों को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कृषि का विकास नहीं हो पाता। इस हेतु फसल बीमा योजना, जिसकी घोषणा 1972 में की गयी थी, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
19. सभी क्षेत्रों में प्रेरणात्मक मूल्य नीति को अपनाया जाना चाहिए। इस हेतु राज्य सरकार को अनेक स्तरों पर जनसम्पर्क के द्वारा सदैव जागरूकता रखनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

परिशिष्ट ''च''

पुस्तक एवं संदर्भ सूची

1. सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 1979

2. परस्पेक्टिव डेवलपमेंट (प्लानिंग) ऑफ उत्तर प्रदेश

3. छठी पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार

4. ड्राफ्ट फाइव इयर प्लान, खण्ड–1, उत्तर प्रदेश

5. जनगणना : झाँसी प्रतिवेदन, 2001

6. जनगणना : हमीरपुर प्रतिवेदन, 2001

7. जनगणना : महोबा प्रतिवेदन, 2001

8. जनगणना : ललितपुर प्रतिवेदन, 2001

9. जनगणना : जालौन प्रतिवेदन, 2001

10. जनगणना : चित्रकूट प्रतिवेदन

11. जनगणना : बाँदा प्रतिवेदन, 2001

12. एन.डी.बी.ई. उत्तर प्रदेश प्रतिवेदन

13. आई.डी.बी. उत्तर प्रदेश, प्रतिवेदन

14. सिंह, एस.पी. : विकास का अर्थशास्त्र

15. अग्रवाल, जी.डी. एवं बंसल, पी.सी. : इकोनामिक प्राब्लम्ब ऑफ इण्डियन एग्रीकल्चर।

15. डान्डेकर एवं रथ : पावर्टी इन इण्डिया

17. जोगी, एम.डी. : मोबिलाइजेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज

18. नील, डब्लू.सी. : इकोनामिक चेन्ज इन सरल इण्डिया

19. नर्क्से : प्राब्लम्स ऑफ कैपिटल फारमेशन इन अण्डरडेवलप्ड कन्ट्रीज

20. कृपाशंकर : इकोनामिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश

21. शिनाय : इण्डियन प्लानिंग एण्ड इकोनामिक डेवलपमेंट

22. रिपोर्ट ऑफ दी ज्वाइन्ट स्टडी टीम ऑन इस्टर्न उत्तर प्रदेश

23. उत्तर प्रदेश टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट

24. उत्तर प्रदेश इन फीगरस

25. प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश

26. मण्डलीय नियोजन समिति, झाँसी का प्रतिवेदन

27. वृहत् विकास एवं पंच सम्मेलन मिर्जापुर का प्रतिवेदन

28. गोविल, आर.के. : मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश

29. प्रतिवेदन, इण्डियन ग्रासलैण्ड एण्ड फोडर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, झाँसी

30. लेक्चर्स, रेन्ज मैनेजमेंट, डाइरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट

31. छठी पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार

32. पांचवीं पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार

33. दसवीं पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार।

पत्र–पत्रिकाएँ

1. आर्थिकी

2. अर्थानुसंधान

3. उत्तर प्रदेश

4. पंचायत दर्शन

5. बुन्देलखण्ड पत्रिका

6. आर्थिक जगत

7. अर्थशास्त्री

8. भारत–वार्षिकी, 1980

9. आर्थिक सर्वेक्षण वार्षिकी, 1980–81

लेख एवं सूचनाएँ, बुलेटिन इत्यादि

1. मिलर, ले.डब्ल्यू. : दि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवेलपमेंट, ए.ई.आर., सितम्बर, 1961

2. खान, एम.ए. : रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड कच्चरल चेन्ज, खण्ड 12, 1963–64

3. त्यागी, बी.एन. : ए स्टडी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चरल सियूएशन इन इण्डिया, जुलाई, 1974

4. मिश्रा, श्रीधर : लैण्ड रिफार्म इन उत्तर प्रदेश, दि इण्डियन जनरल ऑफ इकोनामिक्स, खण्ड 54, अप्रैल, 1974

5. ललितपुर : उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना विभाग

6. झाँसी : उत्तर प्रदेश सरकार

7. जालौन : उत्तर प्रदेश सरकार

सीमा गुप्ता